

सूचना का अधिकार : उपादेयता एवं प्रक्रिया
(राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में एक सामाजिक
व राजनीतिक विश्लेषण)

RIGHT TO INFORMATION : UTILITY AND PROCEDURE
(AN SOCIAL AND POLITICAL ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE
TO RAJASTHAN STATE)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
की

पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध—प्रबन्ध
सामाजिक विज्ञान संकाय

शोधार्थी
सीमा कुमारी



शोध पर्यवेक्षक
डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी
एसोसिएट प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग

शहीद कैप्टन रिपुदमनसिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सवाई माधोपुर

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
वर्ष 2019

प्रमाण—पत्र

मुझे यह प्रमाणित करते हुए प्रसन्नता है कि शोध—प्रबन्ध “सूचना का अधिकार :उपादेयता एवं प्रक्रिया (राजस्थान राज्य के विशेष सन्दर्भ में एक सामाजिक व राजनीतिक विश्लेषण)” शोधार्थी सीमा कुमारी ने कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की पीएच.डी. राजनीति विज्ञान के नियमानुसार आवश्यकताओं के साथ मेरे निर्देशन में पूर्ण किया है—

1. शोधार्थी ने विश्वविद्यालय के नियमानुसार कोर्स वर्क किया है।
2. शोधार्थी ने विश्वविद्यालय के 200 दिन के आवासीय आवश्यकता नियम को पूर्ण किया है।
3. शोधार्थी ने विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय—समय पर अपने कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।
4. शोधार्थी ने विभाग एवं संस्था प्रधान के समक्ष अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया है।
5. शोधार्थी को बताई गई शोध पत्रिका में शोध—पत्र का प्रकाशन हुआ है।

मैं इस शोध—प्रबन्ध को कोटा विश्वविद्यालय कोटा की पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान) की उपाधि हेतु मूल्यांकनार्थ प्रस्तुत करने की अनुशंसा करता हूँ।

दिनांक :

शोध पर्यवेक्षक

डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी
एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
शहीद कैप्टन रिपुदमनसिंह राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सवाई माधोपुर (राज.)

ANTI-PLAGIARISM CERTIFICATE

It is certified that PhD Thesis "सूचना का अधिकार : उपादेयता एवं प्रक्रिया (राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में एक सामाजिक व राजनीतिक विश्लेषण)" by **Seema Kumari** has been examined by us with the following anti-plagiarism tools. We undertake the follows:

- a. Thesis has significant new work/knowledge as compared already published or are under consideration to be published elsewhere. No sentence, equation, diagram, table, paragraph or section has been copied verbatim from previous work unless it is placed under quotation marks and duly referenced.
- b. The work presented is original and own work of the author (i.e. there is no plagiarism). No ideas, processes, results or words of others have been presented as author's own work.
- c. There is no fabrication of data or results which have been compiled and analyzed.
- d. There is no falsification by manipulating research materials, equipment of processes, or changing or omitting data or results such that the research is not accurately represented in the research record.
- e. The thesis has been checked using Plagiarism checker plagiarismchecker.com, and found within limits as per HEC plagiarism Policy and instructions issued from time to time.

Research Scholar

Seema Kumari

Research Supervisor

Dr. Madhumukul Chaturvedi

Govt P.G. College

Swai Madhopur (Raj.)

Date :

Date :

शोध सार

प्रथम अध्याय – परिचयात्मक

सूचना का तात्पर्य सूचना का महत्व, सूचना का अधिकार की उपादेयता एवं प्रक्रिया का अवधारणात्मक एवं सैद्धान्तिक विवेचन, लोकतंत्र में सूचना का अधिकार का महत्व, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढाँचा, बजट व अन्य सूचनाएँ, आयोग के कार्य व शक्तियाँ, लोक सूचना अधिकारी का मनोनयन व प्रशिक्षण, राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन आदि।

द्वितीय अध्याय – प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में सूचना का अधिकार अधिनियम का विश्लेषण

संवैधानिक लोकतंत्र आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली का सर्वाधिक प्रचलित और स्थापित रूप है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ भी मानता है कि सूचना के अधिकार के बिना विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई खास औचित्य नहीं। विश्व के प्रमुख राष्ट्रों जैसे स्वीडन, फीनलैण्ड, डेनमार्क, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैण्ड, आस्ट्रिया, और ब्रिटेन आदि राष्ट्रों में सूचना का अधिकार का उल्लेख।

तृतीय अध्याय – भारत में सूचना का अधिकार

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम की मीमांसा भारत में सूचना के अधिकार की प्राप्ति के प्रयास से लेकर गोपनीयता कानून के प्रावधान तथा उनमें किए गए संशोधनों और इन कानूनों की प्रतिक्रियाओं का विवरण किया गया है। 1889 का प्रथम सरकारी गोपनीयता कानून, 1923 का गोपनीयता कानून, आजादी और उसके बाद सूचना के अधिकार की प्रक्रिया, गोपनीयता की वकालत करने वाले कुछ अन्य कानून, द्वितीय प्रेस आयोग और प्रेस परिषद की सिफारिशें, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, बी.पी. सिंह की पहल तथा प्रेस परिषद की पुनः सक्रियता, सूचना का अधिकार लागू करने की पहल, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के महत्वपूर्ण प्रावधान एवं विशेषताएँ, विभिन्न माध्यमों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सूचना पाने हेतु समय-सीमा, आवेदन शुल्क, सूचना आवेदन का निरस्त होना, केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन, शापथ, पद की पात्रता, कार्यकाल एवं अन्य सेवा शर्तें, मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त, त्यागपत्र, आयोग का मुख्यालय, अपील की व्यवस्था, दण्ड या जुर्माना, केन्द्रीय सूचना आयोग का वर्तमान व कार्यालय का विस्तार आदि।

चतुर्थ अध्याय – राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम की व्याख्या

केन्द्रीय कानून लागू होने से पूर्व जो राज्य सूचना का अधिकार कानून निर्मित कर चुके थे जिनमें तमिलनाडू, गोवा, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, असम, उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर का उल्लेख, राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार पर आयोजित जनसुनवाइयाँ,

सुना का अधिकार अधिनियम 2000 और उसका क्रियान्वयन, सूचना के अधिकार को जनआन्दोलन बनाने में 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' की भूमिका, सूचना का अधिकार आन्दोलन को जनप्रिय बनाने में सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय का योगदान, राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति, राज्य सूचना आयोग का कार्यालय, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तें, पद से हटाया जाना एवं त्यागपत्र वेतन एवं भत्ते, योग्यता एवं राज्य सूचना आयोग के कार्यों का विश्लेषण।

पंचम अध्याय – विभिन्न विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का विश्लेषण

नागरिक अधिकार पत्र की मूल अवधारणा, उद्भव और सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, आस्ट्रेलिया तथा कनाडा के नागरिक अधिकार पत्रों की तुलना, भारतीय परिदृश्य में नागरिक चार्टरों की व्यापक वेबसाइट, नागरिक चार्टर का अनुकरणीय कार्यान्वयन, नागरिक चार्टर का मूल्यांकन भारत सरकार के नागरिक चार्टर का संग्रह, क्षेत्रीय सेमिनार, क्षमता निर्माण कार्यशाला, विभाग विशिष्ट कार्यशालाएँ, सूचना एवं सुविधा केन्द्र तथा चार्टरों के कार्यान्वयन में आई समस्याओं का उल्लेख, चार्टर मार्क का विकास, नागरिक अधिकार पत्र के मूल्यांकन के मापदण्ड तथा राजस्थान के विभिन्न विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का तुलनात्मक विश्लेषण।

षष्ठम अध्याय – राजस्थान में सूचना के अधिकार का सामाजिक व राजनीतिक सन्दर्भ में विश्लेषण

राजस्थान में सूचना के अधिकार का सामाजिक व राजनीतिक विश्लेषण के अन्तर्गत सूचना का अधिकार का तालिका के आधार पर सामाजिक विश्लेषण किया गया है। तालिका के अनुसार यह बताने का प्रयास किया गया है कि सूचना के अधिकार के विषय में कितने लोगों को पता है और कितने लोगों ने इसके विषय में सुना है या कितने लोगों ने आम नागरिक होते हुए सूचना के लिए आवेदन किया है। इस अध्याय में सूचना का अधिकार का राजनीतिक विश्लेषण के अन्तर्गत परिवादों की मासिक प्रगति का सांकेतिक विवरण, अपीलों की मासिक प्रगति का सांकेतिक विवरण, सूचना हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण का सांकेतिक विवरण वर्ष 2017–18, आवेदनों एवं अन्य संबंधित तथ्यों के आधार पर सूचना के अधिकार के सकारात्मक प्रभाव तथा इस अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़ी अनेक चुनौतियों का विश्लेषण।



घोषणा पत्र (शोधार्थी)

मैं सीमा कुमारी (शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग) यह घोषणा करती हूँ कि मेरा यह शोध प्रबन्ध सूचना का अधिकार : उपादेयता एवं प्रक्रिया (राजस्थान राज्य के विशेष सन्दर्भ में एक सामाजिक व राजनीतिक विश्लेषण)" जो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह मेरा अपना शोध कार्य है। मैंने यह शोधकार्य डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान के निर्देशन में पूर्ण किया है। यह मेरा मौलिक कार्य है। मैंने अपने विचारों को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है और जहाँ दूसरे विचारों और शब्दों का प्रयोग किया गया है व मेरे द्वारा मान्य स्त्रोतों से लिये गये हैं। अपरिहार्य स्थिति में ली गई ऐसी हर सामग्री का यथा स्थान सन्दर्भ एवं आभार व्यक्त कर दिया गया है, जो कार्य इस शोध-प्रबन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मैंने विश्वविद्यालय के सभी अकादमिक नियमों का निष्ठा एवं ईमानदारी से पालन किया है तथा किसी तथ्य को गलत प्रस्तुत नहीं किया है। मैं समझती हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी नियम उल्लंघन पर मेरे खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। मेरे खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है यदि मैंने किसी स्त्रोत से बिना उसका नाम दर्शाये या जिस स्त्रोत से अनुमति की आवश्यकता हो बिना अनुमति के लिया हो।

दिनांक :

सीमा कुमारी
शोधार्थी

स्थान :

प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी सीमा कुमारी (RS/774/13) द्वारा दी गयी उपर्युक्त सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

दिनांक :

शोध पर्यवेक्षक

डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी
एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
शहीद कैप्टन रिपुदमनसिंह
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सवाई माधोपुर (राज.)

प्राक्कथन

शासन एवं प्रशासन में पारदर्शिता प्रत्येक सम्भ्य समाज की प्रथम आवश्यकता है अन्यथा समाज में भ्रष्टाचार, अनाचार का बोलबाला होगा और निष्पक्ष और नैतिकता आदि का सर्वथा अभाव होगा। अतः यदि समाज को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है और उसमें सदाचार, संवेदनशीलता, नैतिकता एवं पारदर्शिता लानी है तो यह तभी संभव होगा जब शासन एवं प्रशासन की सारी गतिविधियाँ समाज के प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष खुली हैं। यही एक सच्चे लोकतंत्र की निशानी है।

एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सूचना का अधिकार जनता को विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर जैसे नागरिक सुविधाओं का ह्लास, निर्वाचित प्रतिनिधियों की संपत्ति, लोक विधियों का उपयोग, सेवाओं की गुणवत्ता एवं स्तर तथा नागरिकों के आधारभूत मानवीय अधिकारों के बारे में सूचना प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाकर प्रशासन में खुलापन पर सुनिश्चित करता है। सूचना का अधिकार पारदर्शिता में वृद्धि करता है, नागरिकों को सशक्त करता है, भ्रष्टाचार को कम करता है, क्षमता में वृद्धि करता है तथा लोक अधिकारियों को उत्तरदायी बनाता है। जब तक नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा वे अपने अधिकारों पर बल देकर सरकार को अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते।

“लोकतंत्र का असली सार

बने शासन में भागीदार”

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध “सूचना का अधिकार : उपादेयता एवं प्रक्रिया” का उद्देश्य –

1. सूचना के अधिकार का अर्थ क्या है तथा इस अधिकार से जनता और प्रशासन के बीच प्रभावी संबंध किस प्रकार से स्थापित किए जा सकते हैं।
2. सूचना के अधिकार का प्रारम्भ किस राष्ट्र के द्वारा सर्वप्रथम किया गया तथा भारत में सूचना के अधिकार की आवश्यकता कब और किन परिस्थितियों में महसूस की गई एवं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के पूर्व इस संबंध में कब और क्या प्रयास किए गए का व्याख्यात्मक विश्लेषण करना है।
3. राजस्थान में सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और वह कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 पारित किया गया का अध्ययन करना है।

4. नागरिकों को स्वतः सूचना प्रदान करने हेतु “नागरिक अधिकार पत्र” जारी करने की दिशा में किन विभागों ने पहल की और अब तक कितने विभागों द्वारा नागरिक अधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं का तुलनात्मक अध्ययन करना है।
5. सूचना के अधिकार को और अधिक उपयोगी व व्यावहारिक बनाये जाने हेतु क्या प्रयास किए जाने चाहिए।
6. राजस्थान में सूचना के अधिकार का सामाजिक व राजनीतिक विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन व सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को सात अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय में सूचना का अधिकार अधिनियम की उपादेयता एवं प्रक्रिया का अवधारणात्मक व सैद्धान्तिक विवेचन किया गया है। द्वितीय अध्याय में प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में सूचना का अधिकार अधिनियम का विश्लेषण किया गया है। तृतीय अध्याय में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम की मीमांसा की गई है। चतुर्थ अध्याय में राजस्थान में सूचना अधिकार अधिनियम की व्याख्या की गई है। पंचम अध्याय में विभिन्न विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का विश्लेषण किया गया है। षष्ठम अध्याय में राजस्थान में सूचना के अधिकार का सामाजिक व राजनीतिक सन्दर्भ में विश्लेषण किया गया है। सप्तम अध्याय में शोध प्रबन्ध का निष्कर्ष एवं आत्मकथन प्रस्तुत किया गया है।

इस शोध प्रबन्ध के लेखन में मैं अपने परम श्रद्धेय गुरु डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करती हूँ जिन्होंने पग—पग पर स्नेहिल विद्वतापूर्ण मार्गदर्शन किया है। उनके इस मार्गदर्शन के लिए मैं हृदय से अनुगृहित हूँ।

इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने का सर्वाधिक श्रेय मेरे पूज्य पिताजी, माताजी व भाई—बहन एवं मेरे परिवारजनों को जाता है जिनके प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद की छाँव में ही मैं अपने इस कार्य को समय पर पूर्ण करने में सफल हो पायी हूँ।

मैं अपने पति श्री भरत मीणा एवं पुत्र रेयांश का भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे इस शोध कार्य को पूर्ण में सक्रिय सहयोग किया है। इन सबके साथ—साथ मैं अपने देवर सुरेन्द्र कुमार मीणा एवं सहपाठी अलका मीणा का भी आभार प्रकट करती हूँ जिनके सहयोग से यह शोध समय पर पूर्ण हो पाया है।

अन्त में मैं इस शोध-प्रबन्ध को आकार रूप देने के लिए शबनम खान स्टेशन, कोटा को धन्यवाद देती हूँ। जिन्होंने यथा समय पर मेरे इस शोध-प्रबन्ध का कार्य पूर्ण किया। साथ ही मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुझे इस शोध को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान किया है।

प्रस्तुत शोध कार्य में निश्चय ही अनेक त्रुटियाँ रह गई होगी। अपेक्षा करती हूँ कि विद्वान् परीक्षक, सुधी सज्जन व जिज्ञासु पाठक मुझसे हुई त्रुटियों की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझ अल्पज्ञा शोधार्थी को सुझाव देंगे एवं त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे।

शोधार्थी
सीमा कुमारी

अनुक्रमणिका

	विषय – वस्तु	पृष्ठ संख्या
	शोध सार	I-II
	प्राक्कथन	III-V
प्रथम अध्याय	परिचयात्मक	1–33
द्वितीय अध्याय	प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में सूचना का अधिकार अधिनियम का विश्लेषण	34–55
तृतीय अध्याय	भारत में सूचना का अधिकार	56–94
चतुर्थ अध्याय	राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम की व्याख्या	95–117
पंचम अध्याय	विभिन्न विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का विश्लेषण	118–155
षष्ठम् अध्याय	राजस्थान में सूचना के अधिकार का सामाजिक व राजनीतिक सन्दर्भ में विश्लेषण	156–177
सप्तम अध्याय	निष्कर्ष एवं आत्मकथन	178–186
	शोध सारांश	187–192
	सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	193–204
	प्रकाशित शोध—पत्र	

सारणी सूची

क्र.सं.	सारणी संख्या	विषय—वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	सारणी संख्या 5.1	दृष्टिकोण वक्तव्य	134
2.	सारणी संख्या 5.2	अभियान लक्ष्य वक्तव्य	135
3.	सारणी संख्या 5.3	सेवाओं की पहचान	135
4.	सारणी संख्या 5.4	स्तर की पहचान	136
5.	सारणी संख्या 5.5	ग्राहक समूह / शेयर धारकों / उपयोगकर्ताओं की पहचान	136
6.	सारणी संख्या 5.6	प्रत्येक सेवा के लिए समय—सीमा की विशिष्टता	137
7.	सारणी संख्या 5.7	प्रत्येक स्तर पर समय सीमा की विशिष्टता	138
8.	सारणी संख्या 5.8	सेवा गुणवत्ता मानकों की विशिष्टता	138
9.	सारणी संख्या 5.9	सेवा वितरण मानकों की विशिष्टता	139
10.	सारणी संख्या 5.10	सेवा लाभों तक पहुँचने के लिए प्रक्रियाओं / स्तरों के बारे में स्पष्ट जानकारी	140
11.	सारणी संख्या 5.11	सेवा लाभ प्राप्त करने के लिए संपर्क बिंदुओं के बारे में स्पष्ट जानकारी	140
12.	सारणी संख्या 5.12	सूचना सुविधा काउंटरों के बारे में स्पष्ट जानकारी	141
13.	सारणी संख्या 5.13	सूचना सुविधा काउंटरों के कार्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी	142
14.	सारणी संख्या 5.14	लोक शिकायत निवारण प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना	142

15.	सारणी संख्या 5.15	लोक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी प्रदान करना	143
16.	सारणी संख्या 5.16	लोक शिकायत निवारण के लिए समय—सीमा के बारे में जानकारी	143
17.	सारणी संख्या 5.17	पावती के लिए समय—सीमा के बारे जानकारी	144
18.	सारणी संख्या 5.18	प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा के बारे में जानकारी	145
19.	सारणी संख्या 5.19	सभी सार्वजनिक शिकायतों की व्यवस्थित समीक्षा के बारे में जानकारी	145
20.	सारणी संख्या 5.20	शिकायतों की समीक्षा के परिणाम के बारे में जानकारी	146
21.	सारणी संख्या 5.21	सुझाव/इनपुट आमंत्रित करने के लिए प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी	147
22.	सारणी संख्या 5.22	सुझावों की समीक्षा के लिए समय—सीमा के बारे में जानकारी	147
23.	सारणी संख्या 5.23	सुझावों की प्रसंस्करण के लिए तंत्र के बारे में जानकारी	148
24.	सारणी संख्या 5.24	सभी सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा के बारे में जानकारी	149
25.	सारणी संख्या 5.25	सुझावों की समीक्षा के परिणामों के बारे में जानकारी	149
26.	सारणी संख्या 5.26	अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र के बारे में जानकारी की प्रतिबद्धताएँ	150

27.	सारणी संख्या 5.27	वेबसाइट ऑनलाइन चार्टर और प्रासंगिक सूचना के बारे में जानकारी	151
28.	सारणी संख्या 5.28	सूचना और सूचना पुस्तिका के अधिकार के बारे में जानकारी	151
29.	सारणी संख्या 5.29	नागरिक अधिकार पत्रों के आधार पर विभागों का वर्गीकरण	152
30.	सारणी संख्या 6.1	परिवादों की मासिक प्रगति का विवरण	164
31.	सारणी संख्या 6.2	अपीलों की मासिक प्रगति का विवरण	165
32.	सारणी संख्या 6.3	सूचना हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण का विवरण वर्ष 2017–18	166–169

प्रथम अध्याय

परिचयात्मक

प्रथम अध्याय

परिचयात्मक

सूचना का अधिकार अर्थात् राईट टू इन्फॉरमेशन। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है।¹

लोकतंत्र में देश की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वों का गला घोटते हुए पारदर्शिता और ईमानदारी की बोटियाँ नोंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कीर्तिमान कायम करने का एक भी मौका अपने हाथ से गवाना नहीं भूले। भ्रष्टाचार के इन कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए हर वो कार्य किया जो जनविरोधी और अलोकतांत्रिक है। सरकारे यह भूल जाती है कि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ही देश की असली मालिक है एवं सरकार उनकी चुने हुई नौकर। इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है, कि जो सरकार उनकी सेवा में है, वह क्या कर रही है?

प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी ने किसी माध्यम से टैक्स देता है। यहां तक एक सुई से लेकर एक माचिस तक का टैक्स अदा करता है। सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी जब बाज़ार से कोई सामान खरीदता है, तो बिक्री कर, उत्पाद कर इत्यादि टैक्स अदा करता है।

इसी प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक टैक्स अदा करता है और यही टैक्स देश के विकास और व्यवस्था की आधारशिला को निरन्तर स्थिर रखता है। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्वारा दिया गया, पैसा कब, कहाँ, और किस प्रकार खर्च किया जा रहा है? इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जो एक कानून द्वारा ही सम्भव है।

अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग 250 वर्षों तक शासन किया और इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 बनाया, जिसके अन्तर्गत सरकार को यह अधिकर हो गया कि वह किसी भी सूचना को गोपनीय कर सकेगी।²

सन् 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं किया और न ही अंग्रेज़ों का बनाया हुआ शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 का संशोधन किया। आने वाली सरकारों ने गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 व 6 के प्रावधानों का लाभ उठकार जनता से सूचनाओं को छुपाती रही।³ सूचना के अधिकार के प्रति कुछ सजगता वर्ष 1975 के शुरुआत में “उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राज नारायण” से हुई।⁴

मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हुई, जिसमें न्यायालय ने अपने आदेश में लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का व्यौरा जनता को प्रदान करने का व्यवस्था किया। इस निर्णय ने नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को शामिल कर दिया।

वर्ष 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की विवादस्पद धारा 5 को निरस्त करने की सिफारिश की थी, क्योंकि इसमें कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया था कि ‘गुप्त’ क्या है और ‘शासकीय गुप्त बात’ क्या है? इसलिए परिभाषा के अभाव में यह सरकार के निर्णय पर निर्भर था, कि कौन सी बात को गोपनीय माना जाए और किस बात को सार्वजनिक किया जाए।⁵

बाद के वर्षों में साल 2006 में ‘विरप्पा मोइली’ की अध्यक्षता में गठित ‘द्वितीय प्रशासनिक आयोग’ ने इस कानून को निरस्त करने का सिफारिश किया।

सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान से प्रारम्भ हुई। राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में जनान्दोलन की शुरुआत हुई, जिसमें मजदूर किसान शक्ति संगठन (एम.के.एस.एस.) द्वारा अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भांडाफोड़ के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम के रूप में हुई।

1989 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद बीपी सिंह की सरकार सत्ता में आई, जिसने सूचना का अधिकार कानून बनाने का वायदा किया। 3 दिसम्बर 1989 को अपने पहले संदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने संविधान में संशोधन करके सूचना का अधिकार कानून बनाने तथा शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की। किन्तु बीपी सिंह की सरकार तमाम कोशिसे करने के बावजूद भी इसे लागू नहीं कर सकी और यह सरकार भी ज्यादा दिन तक न टिक सकी।

वर्ष 1997 में केन्द्र सरकार ने एच.डी शौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके मई 1997 में सूचना की स्वतंत्रता का प्रारूप प्रस्तुत किया, किन्तु शौरी कमेटी के इस प्रारूप को संयुक्त मोर्चे की दो सरकारों ने दबाए रखा।⁶

वर्ष 2002 में संसद ने 'सूचना की स्वतंत्रता विधेयक (फ्रिडम ऑफ इन्फोरमेशन बिल) पारित किया। इसे जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन इसकी नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) की सरकार ने न्युनतम साझा कार्यक्रम में किए गए अपने वायदों तथा पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अन्ततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 को निरस्त कर दिया गया।⁷

इस कानून के राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पूर्व नौ राज्यों ने पहले से लागू कर रखा था, जिनमें तमिलनाडु और गोवा ने 1997, कर्नाटक ने 2000, दिल्ली 2001, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र ने 2002, तथा जम्मू-कश्मीर ने 2004 में लागू कर चुके थे।⁸

सूचना का तात्पर्य

रिकार्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, आदेश, लांग पुस्तिका, ठेके सहित कोई भी उपलब्ध सामग्री, निजी निकायों से सम्बन्धित तथा किसी लोक प्राधिकरण द्वारा उस समय के प्रचलित कानून के अन्तर्गत प्राप्त किया जा सकता है।

सूचना अधिकार का अर्थ:- इसके अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दु आते हैं⁹-

1. कार्यों, दस्तावेजों, रिकार्डों का निरीक्षण।
2. दस्तावेज या रिकार्डों की प्रस्तावना। सारांश, नोट्स व प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना।
3. सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।
4. प्रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेटो के रूप में या कोई अन्य इलेक्ट्रानिक रूप में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान:

5. समस्त सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रहीं गैर सरकारी संस्थाएं व शिक्षण संस्थान आदि विभाग इसमें शामिल हैं। पूर्णतः से निजी संस्थाएं इस कानून के दायरे में नहीं हैं लेकिन यदि किसी कानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांग सकता है तो उस विभाग के माध्यम से वह सूचना मांगी जा सकती है।

6. प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक जनसूचना अधिकारी बनाए गए हैं, जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचनाएं एकत्र करते हैं और उसे आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं।
7. जनसूचना अधिकारी की दायित्व है कि वह 30 दिन अथवा जीवन व स्वतंत्रता के मामले में 48 घण्टे के अन्दर (कुछ मामलों में 45 दिन तक) मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए।
8. यदि जनसूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है, तय समय सीमा में सूचना नहीं उपलब्ध कराता है अथवा गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25000 तक का जुर्माना उसके वेतन में से काटा जा सकता है। साथ ही उसे सूचना भी देनी होगी।
9. लोक सूचना अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का कारण पूछ सके।
10. सूचना मांगने के लिए आवेदन फीस देनी होगी (केन्द्र सरकार ने आवेदन के साथ 10 रुपए की फीस तय की है। लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है, बीपीएल कार्डधारकों को आवेदन शुल्क में छुट प्राप्त है।
11. दस्तावेजों की प्रति लेने के लिए भी फीस देनी होगी। केन्द्र सरकार ने यह फीस 2 रुपए प्रति पृष्ठ रखी है लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है, अगर सूचना तय समय सीमा में नहीं उपलब्ध कराई गई है तो सूचना मुफ्त दी जायेगी।
12. यदि कोई लोक सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से सम्बंधित नहीं है तो यह उसका कर्तव्य है कि उस आवेदन को पांच दिन के अन्दर सम्बंधित विभाग को भेजे और आवेदक को भी सूचित करे। ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की समय सीमा 30 की जगह 35 दिन होगी।
13. लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इंकार करता है। अथवा परेशान करता है। तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को अस्वीकार करने, अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या गलत सूचना देने अथवा सूचना के लिए अधिक फीस मांगने के खिलाफ केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं।
14. जनसूचना अधिकारी कुछ मामलों में सूचना देने से मना कर सकता है। जिन मामलों से सम्बंधित सूचना नहीं दी जा सकती उनका विवरण सूचना के अधिकार कानून की

धारा 8 में दिया गया है। लेकिन यदि मांगी गई सूचना जनहित में है तो धारा 8 में मना की गई सूचना भी दी जा सकती है। जो सूचना संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता उसे किसी आम आदमी को भी देने से मना नहीं किया जा सकता।

15. यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय—सीमा के भीतर सूचना नहीं देते हैं या धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करता है, या दी गई सूचना से सन्तुष्ट नहीं होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर सम्बंधित जनसूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी यानि प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है।
16. यदि आप प्रथम अपील से भी सन्तुष्ट नहीं हैं तो दूसरी अपील 60 दिनों के भीतर केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग (जिससे सम्बंधित हो) के पास करनी होती है।

विश्व में पांच देश स्वीडन, कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको और भारत के सूचना का अधिकार कानून का तुलनात्मक अध्ययन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत है—

विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू किया, जबकि कनाडा ने 1982, फ्रांस ने 1978, मैक्सिको ने 2002 तथा भारत ने 2005 में लागू किया।

1. विश्व में स्वीडन पहला ऐसा देश है, जिसके संविधान में सूचना की स्वतंत्रता प्रदान की है, इस मामले में कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको तथा भारत के संविधान उतनी आजादी प्रदान नहीं करता। जबकि स्वीडन के संविधान ने 250 वर्ष पूर्व सूचना की स्वतंत्रता की वकालत की है।
2. सूचना मांगने वाले को सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया स्वीडन, कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको तथा भारत में अलग-अलग है जिसमें स्वीडन सूचना मांगने वाले को तत्काल और निश्चल सूचना देने का प्रावधान है।
3. सूचना प्रदान करने लिए फ्रांस और भारत में 1 माह का समय निर्धारित किया गया है, हालांकि भारत ने जीवन और स्वतंत्रता के मामले में 48 घण्टे का समय दिया गया है, किन्तु स्वीडन अपने नागरिकों को तत्काल सूचना उपलब्ध कराता है, जबकि कनाडा 15 दिन तथा मैक्सिको 20 दिन में सूचना प्रदान कर देता है।
4. सूचना न मिलने पर अपील प्रक्रिया भी लगभग एक ही समान है। स्वीडन में सूचना न मिलने पर न्यायालय में जाया जाता है। कनाडा तथा भारत में सूचना आयुक्त जबकि

फ्रांस में संवैधानिक अधिकारी एवं मैक्सिको में 'द नेशनल ऑन एक्सेस टू पब्लिक इनफॉरमेशन' अपील और शिक्यतों का निपटारा करता है।

5. स्वीडन किसी भी माध्यम द्वारा तत्काल सूचना उपलब्ध कराता है जिनमें वेबसाइट पर भी सूचना जारी किया जाती है। कनाडा और फ्रांस अपने नागरिकों को किसी भी रूप में सूचना दे सकता है, जबकि मैक्सिको इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचनाओं का सार्वजनिक करता है तथा भारत प्रति व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराता है।
6. गोपनीयता के मामले में स्वीडन ने गोपनीयता एवं पब्लिक रिकार्ड एक्ट 2002, कनाडा ने सुरक्षा एवं अन्य देशों से सम्बन्धित सूचनाएँ मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेण्ट इन्फॉरमेशन होल्डिंग 2003, फ्रांस ने डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 1978 तथा भारत ने राष्ट्रीय, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा तथा अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित प्रावधानों से सम्बन्धित सूचनाएँ देने पर रोक है।

सूचना का अधिकार कानून आज विश्व के 80 से देशों के लोकतंत्र की शोभा बढ़ा रही है। जिन देशों ने सूचना के अधिकार को महत्ता दी है बेशक उनमें से स्वीडन को भूलाया नहीं जा सकता। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो स्वीडन सूचना अधिकार कानून की जननी है, उससे भी महान स्वीडन का संविधान है, जिसने पूरी दुनिया में पुराना संविधान होने का दावा किया, जिसमें सूचना का अधिकार को अपने दामन समेटे हुए लोकतंत्र को परिभाषित किया गया है।¹⁰

अन्य देशों ने जहाँ सूचना देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर रखी है, वहीं स्वीडन ने सूचना तत्काल और निशुल्क दिए जाने की पैरवी की है। मैक्सिको ने जहाँ खुद ही अपने नगरिकों को सूचना लेने और सरकार को सूचना स्वतः प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, जिसने लोगों का आजादी का एक नया पंख लगा दिया है।

स्वतः सूचना जारी करने का निर्देश तो भारत की सरकार ने भी दिया है, लेकिन किसी भी राज्य और केन्द्र के विभाग ने इसकी कोई पहल नहीं की।

भारत में लोक सेवकों, राजनेताओं और नौकरशाहो ने इस कानून को बकवास कहकर बंद करने की मांग उठाते रहते हैं। खुद पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इस कानून के दायरे को कम करने और गोपनीयता बढ़ाने की वकालत की है। भारत में इसकी स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि खुद सरकार ही इस कानून को लेकर गम्भीर नहीं नज़र आती। वर्तमान प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 'आरटीआई किसी को खाने के लिए नहीं देता' ऐसे बयानों से सरकार की मंशा जग जाहिर हो चुकी है।

सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी निष्पक्षता से नहीं किया जाता। पूर्व नौकरशाहों और अपने चहेतों को इस कानून का मुहाफिज़ के रूप में सूचना आयुक्त बनना भ्रष्टाचार और दोहरी नीति का उदाहरण है। भ्रष्टाचार की मुखालिफत और पारदर्शिता के हामी भरने वाले सियासी लोग और सियासी दल आरटीआई के दायरे में आने का विरोध कर चुके हैं और सत्ताधारी व विपक्षी दल सभी मिलकर एकजुट कर इस कानून के दायरे में न आने के लिए एक मंच पर नज़र आते हैं।

सूचना का अधिकार : उपादेयता एवं प्रक्रिया अवधारणात्मक व सैद्धांतिक विवेचन

सूचना के अधिकार को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अत्यन्त प्रासंगिक व आवश्यक माना गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल प्रस्तावना में ही कहा गया है कि प्रभावी लोकतंत्र हेतु इसलिए अपेक्षित है क्योंकि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार को मिटाते हुए अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालित हो सकेंगे। प्रस्तावना में यह भी बताया गया है कि वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटीकरण को लेकर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचने का जो अर्थ है, उसे लेकर इस अधिनियम के माध्यम से, उसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा यही वातावरण आगे जाकर प्रशासन को अपेक्षाकृत कुशल कार्य करने, सीमित राजस्व संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने तथा संवेदनशील सूचना का परीक्षण कर उचित निष्कर्ष निकालने में अधिक कारगर सिद्ध होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अधिनियम को प्रशासन के ताले की चाबी माना है।

शासन में जन—जन की भागीदारी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। जन सहभागिता एक ओर जहाँ शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, वहीं उसके दैनन्दिन कार्यकलापों में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देती है। प्रश्न यह है कि जन सहभागिता हो कैसे ? साधारण जनता कैसे समझे कि सरकार उनका पैसा कैसे खर्च कर रही है, सार्वजनिक योजनाएँ कैसे चलाई जा रही हैं, सरकारी फैसले ईमानदारी व निष्पक्षता से किये गये हैं अथवा नहीं? इसलिए आवश्यक है कि सभी नागरिकों को सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार हो। अधिनियम से यह मान्यता सरकार द्वारा प्रतिबद्धित हुई कि भारत जैसे लोकतंत्र में सभी कार्य कलाप एवं लेखा—जोखा की पारदर्शिता नागरिकों के लिए वैधानिक व्यवस्था बन गई है। अतः आम जनता को सूचना उपलब्ध कराना एक सामान्य कार्य है। हाल के वर्षों में सूचना के अधिकार को सरकारी, गैर सरकारी संगठनों व आम जनता द्वारा मान्यता देने की दिशा में एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनी है। नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने से समाज सशक्त हुआ है।

भारत में सरकारी संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता प्रभावी तौर पर व्याप्त रही है। इस अधिनियम के बनने से दिशा/भावना एवं मानसिकता में परिवर्तन हुआ है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 में सूचना को सार्वजनिक करना एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया था उसे सूचना के अधिकार अधिनियम ने निष्प्रभावी कर दिया है। पूर्व में सूचना उपलब्ध कराना एक अपवाद होकर सम्बन्धित अधिकारियों की इच्छाओं पर निर्भर था। इस अधिनियम के उपरान्त आम नागरिकों को शासन व विकास सम्बन्धी विषयों पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। सूचनाओं तक पहुँच के कारण नीति निर्माण प्रक्रिया को उजागर करने में मदद मिल रही है जिससे के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में नवजीवन का संचार हुआ है।¹¹

सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक से अभियान चलाया जा रहा था। वर्ष 2004 में केन्द्र सरकार ने सूचना के अधिकार को अधिक “प्रगतिशील सहभागिता आधारित और सार्थक” बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जिसमें राष्ट्रीय सूचना अधिकार जन अभियान के मुख्य समर्थकों को शामिल किया गया। उनकी प्रस्तुतियों के आधार पर अगस्त, 2004 में सूचना स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन की सिफारिशें सरकार को सौंपी गईं। इसी वर्ष संसद में सूचना अधिकार विधेयक पेश हुआ। 12 मई, 2005 को संसद द्वारा पारित होकर दिनांक 15 जून, 2005 को इसे महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम की धाराएँ 4(1), 5(1)(2) तथा 12,13,15,16,24,27 व 28 अविलम्ब प्रभाव में आ गईं जबकि शेष धाराएँ 12 अक्टूबर, 2005 से देश भर में प्रभावी हुईं।¹²

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारों (जम्मू कश्मीर को छोड़कर), स्थानीय शहरी निकायों, पंचायती-राज संस्थाओं तथा उन सभी निकायों पर, जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित अथवा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन हैं, लागू हो गया है। कतिपय न्यूनतम अपवादों के साथ सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जिन सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने से जनहित को नुकसान पहुँच सकता है उन सूचनाओं को देने से मुक्त रखा गया है। सूचना का अधिकार एक मूलभूत व संवैधानिक अधिकार बन गया है जिसे इस अधिनियम ने विधिक रूप से प्रभावी बनाया है।


**राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढाँचा,
बजट व अन्य सूचनाएं**

(अ) गठन :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यकतानुसार (अधिकतम दस) राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को किया जाकर राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी. कौरानी को दिनांक 18.04.2006 को महामहिम राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई। दिनांक 01.09.2010 को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी. श्रीनिवासन को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा शपथ दिलाई गई। श्री एम. डी. कौरानी का कार्यकाल दिनांक 17.04.2011 को पूर्ण हुआ। तत्पश्चात् द्वितीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी. श्रीनिवासन को दिनांक 05.09.2011 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलाई। डॉ. पी.एल. अग्रवाल को माननीय राज्यपाल महोदय ने दिनांक 10.10.2014 को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। द्वितीय मुख्य सूचना आयुक्त श्री टी. श्रीनिवासन का कार्यकाल दिनांक 13.08.2015 को पूर्ण होने के पश्चात् तृतीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री सुरेश चौधरी तथा राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री चन्द्रमोहन मीना एवं श्री आशुतोष शर्मा को दिनांक 06.11.2015 को राज्यपाल महोदय द्वारा शपथ दिलाई गई। डॉ. पी.एल. अग्रवाल का कार्यकाल दिनांक 04.08.2016 को पूर्ण हुआ। आयोग एक वैधानिक निकाय है जो पूर्णतया स्वायत्तशासी है तथा जिसे अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर में है।¹³

(ब) संगठनात्मक ढाँचा:-

राजस्थान राज्य सूचना आयोग



(स) आयोग के कार्य व शक्तियाँ :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19 एवं 20 में सूचना आयोग के कृत्य एवं शक्तियों का वर्णन है। आयोग नागरिकों से प्राप्त परिवादों की जाँच कर उनको निष्पादित करने, अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने, दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के साथ-साथ अधिनियम की कुशल क्रियान्विति के लिए लोक प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। आयोग के द्वारा अपील/परिवाद पर दिये निर्देश बाध्यकारी हैं। आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन का वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्य सरकार को प्रेषित करता है जिसे राज्य सरकार विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करती है।

राज्य सूचना आयोग में निहित शक्तियों का वर्णन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है¹⁴—

1. परिवाद संबंधी शक्तियां – आयोग के समक्ष नागरिक निम्नलिखित बिन्दुओं पर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं –

- (क) राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण वह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका है या सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसके सूचना के आवेदन को लेने से इंकार कर दिया है।
- (ख) राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसे आवेदित सूचना देने से इंकार कर दिया है।
- (ग) राज्य लोक सूचना अधिकारी से आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
- (घ) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उससे मांगा जा रहा शुल्क तर्क संगत नहीं है।
- (ङ) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना अधूरी, भ्रामक या मिथ्या लगती है।
- (च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अभिलेखों के लिये अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग को जहां यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिये युक्तियुक्त आधार है, वहाँ वह उसके संबंध में जांच आरम्भ कर सकेगा।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जांच करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ निहित होने के कारण सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निम्न कार्यवाही करने में सक्षम हैं—

- (क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित करना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिये उनको विवश करना;
- (ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना;
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये समन जारी करना; और
- (च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जांच में लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। किसी भी आधार पर कोई

अभिलेख छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वह प्रकटीकरण से दी गई छूट की श्रेणी में ही सम्मिलित क्यों न हो।

2. अपीलीय शक्तियाँ :-

अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्राधिकारी के द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील सुनने का अधिकार धारा 19(3) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग को प्राप्त है।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रथम अपील के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में विनिश्चय प्राप्त किया गया था या निर्धारित समयावधि में विनिश्चय नहीं होने अथवा विनिश्चय से असंतुष्टि की स्थिति में, 90 दिवस के भीतर की जा सकती है। इस अवधि के गुजरने के बाद भी यदि सूचना आयोग अपीलार्थी के द्वारा बताये गये विलम्ब के कारण से संतुष्ट है तो अपील सुनवाई हेतु दर्ज की जा सकती है।

अपील में सुनवाई की कार्यवाही के दौरान जिस लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जा रही है आवेदन की अस्वीकृति के औचित्य के प्रमाणीकरण का भार संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी का होगा।

धारा 19(7) के तहत सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा।

3. शास्ति अधिरोपण की शक्तियाँ :-

परिवादों की जाँच के बाद निष्पादन तथा अपील में दिये निर्णय के अन्तर्गत सूचना आयोग को शास्तियाँ अधिरोपित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अपील का निर्णय करते समय यदि संबंधित सूचना आयोग की यह धारणा बनती है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण —

- (क) सूचना आवेदन लेने से मना कर दिया है, या
- (ख) निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या
- (ग) सूचना आवेदन को असद्भावनापूर्वक अस्वीकार कर दिया है, या
- (घ) जान-बूझकर अशुद्ध, अधूरी या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई है, या
- (ङ) सूचना आवेदन की विषय-वस्तु को नष्ट कर दिया है, या
- (च) सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा डाली है,

तो वह उस पर आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक रुपये 250/- प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकता है जो अधिकतम रुपये 25000/- हो सकती है।

शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व आयोग राज्य लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने सूचना उपलब्ध कराने के लिये विवेक एवं परिश्रम से कार्य किया था।

जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना लगातार सूचना के लिये कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावनापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिये सिफारिश करेगा।

4. अधिनियम की क्रियान्विति को सुनिश्चित करना :—

अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत अपील का निर्णय करते समय राज्य सूचना आयोग अधिनियम की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु लोक प्राधिकरण को निम्न निर्देश दे सकता है :—

1. सूचना उपलब्ध करवाने बाबत;
2. राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में;
3. कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करवाने के संबंध में;
4. अभिलेखों के प्रबन्धन, संधारण, नष्टीकरण की प्रयुक्ति प्रथाओं में यथासम्भव परिवर्तन करवाने के संबंध में;
5. लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये सूचना के अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवाने के संबंध में;
6. अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अपना एक वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में;

7. राज्य सूचना आयोग, अपीलार्थी को हुई हानि या क्षति की पूर्ति लोक प्राधिकारी से करवाने के निर्देश जारी कर सकता है;
8. इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्त्रियों में से कोई शास्त्र अधिरोपित कर सकता है;
9. आवेदन को नामंजूर कर सकता है।

अधिनियम की धारा 25(1) के अन्तर्गत आयोग को अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। आयोग द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। प्रतिवेदन में सामान्यतः निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रस्तुत की जाती है:-

1. प्रत्येक लोक प्राधिकरण के द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या
2. निरस्त किये आवेदनों की संख्या
3. अपीलों की संख्या एवं उनके परिणाम
4. एकत्रित शुल्क की धन राशि
5. अधिनियम की भावना या आशय के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयत्नों का विवरण
6. सुधार के लिये सुझाव

यदि किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम में प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन करते समय कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो अधिनियम के प्रावधानों या भावना से सुसंगत नहीं है तो वह अधिनियम की धारा 25(5) के तहत प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने की अभिशंषा कर सकता है जो उसकी दृष्टि में उन्हे सुसंगत बनाने में सहयोग करें।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) में प्रदत्त प्रथम अपीलीय आदेश पर देय सूचना प्रदान कराने के लिये अभिनव प्रयोग¹⁵ :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत संस्थित प्रथम अपीलों के निर्धारित अवधि में निर्णय न होने अथवा निर्णयों से संतुष्ट न होने पर या उसकी पालना न होने पर धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील या धारा 18(1) के तहत परिवाद आयोग में प्रस्तुत होते हैं।

लोक सूचना अधिकारी :— पदनामित व प्रशिक्षण

राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों को अपने—अपने लोक सूचना अधिकारियों व अपील प्राधिकारियों को पदनामित करने के निर्देश दिये गये। अधिकांशः विभागों/कार्यालयों ने अपने यहाँ राज्य लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपील प्राधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं।

“सूचना के अधिकार” कानून के विषय को प्रशिक्षण का भाग बनाया है। प्रशिक्षण के मुख्य केन्द्र एच.सी.एम.रीपा, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान व अन्य संस्थाएँ हैं, जो विकेन्द्रीकृत रूप से भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में नेशनल फैडरेशन ऑफ इनर्फोमेशन कमीशन इन इण्डिया, नई दिल्ली के द्वारा 4.00 लाख का बजट प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराया गया। हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के सहयोग से कुल 8 आमुखीकरण कार्यशाला/प्रशिक्षण जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा व उदयपुर अवस्थित प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित किये गये हैं। इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में 276 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए।¹⁶

अधिनियम का क्रियान्वयन

वर्ष 2005 में बने “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के सम्पूर्ण देश में लागू हो जाने पर, राजस्थान ने अपने तत्सम्बन्धी नियम ‘राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005’ दिनांक 13.10.2005 को राजपत्र में प्रकाशित कर इसे प्रभावी बनाया। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को हुआ तथा दिनांक 18.04.2006 को प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी.कौरानी ने पदभार संभाला। आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रजिस्ट्रार, सचिव व प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति/पदस्थापन हुआ है। प्रशासनिक कार्य की समुचित व्यवस्था, परिवादों व अपीलों की प्राप्ति, सुनवाई व निर्णय प्रक्रिया के साथ ही लेखों का उचित संधारण व अन्य व्यवस्थायें आवश्यकतानुसार प्रारम्भ की गई। प्रारम्भ में आयोग कार्यालय हेतु हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे० एल० एन० मार्ग, जयपुर के परिसर में अन्तरिम व्यवस्था की गई। आयोग के स्वतन्त्र भवन के निर्माण हेतु झालाना लिंक रोड पर हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान परिसर में राज्य सरकार द्वारा 2500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है जिस पर नवीन भवन निर्मित होने पर आयोग का कार्यालय दिनांक 19.06.2013 को यहाँ स्थानांतरित किया गया है।¹⁷

राज्य सरकार व सूचना आयोग के प्रयासों के परिणामस्वरूप सचिवालय स्तर पर उप सचिवों/संयुक्त शासन सचिवों को अपने—अपने विभागों हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी

नियुक्त किया जा चुका है तथा साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को उन पर अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागों हेतु भी लोक सूचना अधिकारीगणों व उनके अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। निगमों, मण्डलों व स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु वहां के महाप्रबन्धकों/प्रबन्धकों/सचिवों/निदेशकों को राज्य लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, उनके अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों/प्रशासकों को अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है। नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों हेतु वहां के अधिशासी अधिकारी/आयुक्तगण लोक सूचना अधिकारी हैं, तो वहां के अध्यक्ष/सभापति/महापौर अपीलीय प्राधिकारी हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों हेतु वहां के सचिव/विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी हैं, तो सरपंच/प्रधान/जिला प्रमुख अपीलीय प्राधिकारी हैं। सहकारी बैंकों, सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, शोध संस्थानों, राजकीय उपक्रमों तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत समस्त संस्थाओं हेतु लोक सूचना अधिकारियों व अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति के आदेश प्रसारित किए गए हैं। सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपना नाम—पट्ट ऐसी मुख्य जगहों पर प्रदर्शित करें कि हर नागरिक को यह ज्ञान हो सके कि उसे कहां और किससे इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करनी है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने रिकार्ड को आदिनांक बनाकर उसका स्वयंमेव प्रकाशन करें व वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें ताकि सूचना चाहने वाले को कार्यालयों में चक्कर न लगाना पड़ें। कई विभागों ने विस्तृत पुस्तिकायें भी तैयार कर वितरित की हैं जो उनके विभाग के बारे में जनता को व्यापक सूचना उपलब्ध कराती हैं। धारा 4 के अन्तर्गत ऐसा प्रकाशन आवश्यक है। विभागाध्यक्षों के लिये नियमित रूप से यह भी आवश्यक है कि वे जानें कि उनके विभाग में समय—समय पर कितनी अपीलें/परिवाद आये, कितने निर्णीत हुए व कितने समयावधि निकल जाने के पश्चात् भी लम्बित हैं। यह जिम्मेवारी सचिव/विभागाध्यक्ष स्तर पर ही ली जानी होगी, नीचे के किसी अधिकारी पर इस विषयक निर्भरता व्यावहारिक नहीं होगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुकमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुगम बनाया जा सके।

धारा 4(1) (ख) लोक प्राधिकरणों से व्यापक किस्म की सूचनाओं को स्वैच्छिक रूप से प्रकाशन की मांग करता है, भले ही किसी ने विशिष्ट तौर पर उन सूचनाओं के लिए निवेदन न किया हो। आयोग द्वारा इसकी क्रियान्विति हेतु एवं प्रकट की गई सूचनाओं में एकरूपता लाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग (नोडल विभाग) द्वारा प्रारूप बनाकर सभी विभागों को प्रेषित किये गये हैं।

सूचना का अधिकार कानून पूरी तन्मयता से लागू हो इसके लिये आवश्यक है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के बारे में आम नागरिकों को सहज सुलभ जानकारी हो। जिला कलेक्टर प्रत्येक जिले का मुख्य कार्यालय होने तथा जिले के सभी कार्यालयों का व्यावहारिक रूप से समन्वयक कार्यालय होने के कारण उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इस दिशा में सूचना का अधिकार की जिला निर्देशिका का प्रकाशन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जिला कलेक्टरों से अपेक्षा की जाती है कि वे जिला निर्देशिका बनावें। साथ ही इस निर्देशिका को सालाना अद्यतन करने का सामान्य कार्यालयी अभ्यास बना लें।

प्रत्येक राज्य लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में लोक सूचना के आवेदनों की प्राप्ति, निस्तारण एवं अन्य पत्राचार आदि के संधारण का समुचित अभिलेख संधारित होना चाहिये। लम्बित अपीलों व द्वितीय अपीलों/परिवादों आदि में हुये निर्णयों का समुचित अभिलेख भी संधारित होना चाहिये।

सूचना का अधिकार अधिनियम आने के उपरांत वर्षों से व्याप्त गोपनीयता का तानाबाना लिये अधिकारियों की सोच में परिवर्तन आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम आने के पश्चात् इस अल्प समय में प्रार्थना पत्रों के निपटारे, अपीलों के निपटारे से तथा आयोग के समक्ष पेश अपीलों और शिकायतों को देखते हुये कहा जा सकता है कि अधिनियम की क्रियान्विति संतोषजनक है।¹⁸

अध्ययन के उद्देश्य

- सूचना के अधिकार का अर्थ क्या है तथा इस अधिकार से जनता और प्रशासन के बीच प्रभावी संबंध किस प्रकार से स्थापित किए जा सकते हैं।
- सूचना के अधिकार का प्रारम्भ किस राष्ट्र के द्वारा सर्वप्रथम किया गया और अन्य राष्ट्रों के द्वारा कब और किस रूप में सूचना के अधिकार संबंधी कानूनी प्रावधान किए गए।

- भारत में सूचना के अधिकार की आवश्यकता कब और किन परिस्थितियों में महसूस की गई तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के पूर्व इस संबंध में कब और क्या प्रयास किए गए।
- भारत सरकार के सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- राजस्थान में सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और वह कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 पारित किया गया।
- नागरिकों को स्वतः सूचना प्रदान करने हेतु “नागरिक अधिकार पत्र” जारी करने की दिशा में किन विभागों ने पहल की और अब तक कितने विभागों द्वारा नागरिक अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।
- राजस्थान में सूचना का अधिकार किस सीमा तक सफल रहा है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन में मुख्य बाधाएँ क्या हैं?
- सूचना के अधिकार को ओर अधिक उपयोगी व व्यावहारिक बनाये जाने हेतु क्या प्रयास किए जाने चाहिए।
- राजस्थान में सूचना के अधिकार का सामाजिक व राजनीतिक विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन पद्धति एवं प्रारूप

शोध प्रबन्ध के अध्ययन में मूलतः व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुए ऐतिहासिक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं सर्वेक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर अध्ययन को अधिक व्यावहारिक, तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक बनाये जाने का प्रयास किया गया है।

किसी भी शोध कार्य के वैज्ञानिक और तार्किक होने के लिए उसका मूल्यनिरपेक्ष एवं वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक है, जो बहुत कुछ अपनाई गई शोध पद्धति पर निर्भर करता है। शोध प्रबन्ध में शोध कार्य हेतु सत्य एवं वस्तुनिष्ठ सूचनाएँ निम्न स्त्रोतों के माध्यम से प्राप्त की गई हैं।

- मुख्यतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, केन्द्रीय सूचना आयोग, राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून एवं राज्य सूचना आयोग।

- विभिन्न समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध परक लेखों का प्रयोग भी प्रस्तुत अध्ययन हेतु सामग्री में संकलित किया गया है।
- अध्ययन विषय में संबंधित प्रकाशित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकों का गहन अध्ययन करके सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।
- समय-समय पर प्रकाशित होने वाले मासिक, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदनों का भी प्रयोग किया गया है।
- राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन, विधि निर्देशिका तथा सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित सरकारी गजट के प्रकाशनों में से उपयोगी सामग्री को संग्रहित कर प्रयोग में लाया गया है।
- अधिकांशतः गुणात्मक, वर्णात्मक एवं व्याख्यात्मक उपलब्ध तथ्यों का संकलन किया गया है।

साहित्य समीक्षा

सूचना के अधिकार से सम्बन्धित सैद्धान्तिक पक्षीय अध्ययन

मिखारी ज्वारिया और सुरक्षा, (23 मई 2010) :- ने बैंगलोर के इस लेख में सूचना के अधिकार अधिनियम को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में प्रदर्शित किया। इस अधिकार के द्वारा बैंगलोर में नागरिक समाज संगठन ने एक गठबंधन के साथ मिलकर शिकायतों के निवारण के लिए त्ज़ याचिकाओं को फाईल करने में मदद की तथा RTI विलनिक प्रारम्भ कर लोगों को बैठकों में बुलाया तथा 350 से अधिक लोगों की मदद की गई थी जिसमें कुछ मामले इस प्रकार से थे।

- भूमि अतिक्रमण हटाना
- सड़क को चौड़ा करने में सम्पति की हानि
- उचित सड़क संपर्क या बस की कमी सेवाएँ¹⁹

गोपालकृष्ण, एस., ने (2011) टाइम्स ऑफ इण्डिया में सूचना का अधिकार अधिनियम को कारपोरेट्स में लाने के विचार को अस्वीकृति प्रदान कर दी। इसमें भारतीय कंपनियों के सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने की बात कही गयी थी। वे कहते हैं कि सार्वजनिक कम्पनियाँ कई नियामक संस्थाओं के प्रति जबाबदेह होती है इन्होंने कहा इन कंपनियों में यह कवर होना चाहिए कि सूचना के अधिकार में सावधानी से निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर.टी.आई. एक विशिष्ट के लिए बनाया गया था न कि नागरिकों

और सरकार के बीच कुछ स्तर के खेल के मैदान में लाने के लिए लेकिन आर.टी.आई. के विस्तार करने में बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए तथा साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि आर.टी.आई. में कंपनियों के लिए बाधाएँ पैदा करते हैं।²⁰

रोहताकी हिना, ने (2011) टाइम्स ऑफ इण्डिया में सूचना का अधिकार द्वारा चंडीगढ़ के एक निवासी की और से दायर एक प्रश्न को बाहर लाया गया। आर.टी.आई. के तहत पचांकूला व उसके रिश्तेदारों ने कम दाम पर सोना खरीदा जिसकी कीमत 15 मार्च 2007 में भी वही थी जो 2006 में थी। बोर्ड के लेखा अधिकारियों ने उस दर का प्रस्ताव किया था कि सिक्कों की कीमत में वृद्धि की जायेगी जो सर्तकता ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार पता लगायी गयी। ऑफिशियल द्वारा बनाया गया नुकसान का अनुमान सोलह लाख माना गया।²¹

सबनीस विवेक, ने (2011) टाइम्स ऑफ इण्डिया में यह जानकारी प्रदान की थी कि कैसे अन्ना हजारे तथा उनके सामाजिक कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे कि सरकार किस प्रकार संसद में जन लोक पाल बिल को पारित करेगी। अतः अपनी मागं को पूरा करने के लिए यह प्रस्ताव पूरे देष में जागरूकता फैलाने की दिष्टा में काम कर रहा था। जो भ्रष्टाचार की जाँच करने के लिए व्यापक शक्तियों के साथ एक लोकपाल हाथ में होगा। पहले आर.टी.आई. बिल 2000 में अनुमोदित किया गया था कि भ्रष्टाचार विरोधी जन आन्दोलन V^aLV (BVJAT) व समन्वयक शंकर ताडखे द्वारा कहा गया कि जन लोकपाल बिल को मंजूरी दी जा रही थी। लेकिन आर.टी.आई 2000 के तहत हजारे की मांगों को कवर नहीं किया गया अतः उन्होंने सम्भवतः जन लोक पाल बिल के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को पुनः प्रारंभ किया।²²

बिस्वास प्रथा सारथी, ने (2011) डी.एन.ए. में नई दिल्ली में मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा संपन्न किये गये सम्मेलन पर प्रकाश डाला। पुणे के तीन सरकारी कार्यालयों में विशेष अपील निपटान कार्यक्रम का आयाजे न किया गया था, साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पुणे नगर निगम (पी.एम.सी.) द्वारा अद्वितीय आर.टी.आई. पुस्तकालय 2005 देश के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य कर रहा था। देश भर में सी आई सी, आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा सम्मेलन के एक वार्षिक आयोजन में भी भाग लिया गया। सम्मेलन के दौरान सी आई सी समुचित के लिए अपने राज्यों में उनके विलनिक प्रारम्भ कर लोगों को बैठकों में बुलाया तथा 350 से अधिक लोगों की मदद की गई थी जिसमें कछु मामले इस प्रकार से थे।

- भूमि अतिक्रमण हटाना
- सड़क को चौड़ा करने में सम्पत्ति की हानि

➤ उचित सड़क संपर्क या बस की कमी सेवाएँ²³

डी.एन.ए. एजेंसी, (बी सी सी आई 2011) डी.एन.ए. में बताया गया कि (बी सी सी आई) क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को लाने के लिए सरकार की बोली के बारे में Puneites में प्रतिक्रिया को इकठ्ठा किया गया। यह खेल महासंघों (एन एस एफ) और सभी खेल संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। बीसीसीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आर टी आई) के दायरे में आता है। अतः माना गया है कि आर टी आई के तहत बीसीसीआई के विचारों में सुधार लाने की राय दी जाये।²⁴

रॉय परसा वेंकटेश्वर, (सोनिया गांधी Backed RTI 2011) :— ने सूचना के अधिकार के अन्ना हजारे व केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोक पाल बिल का तत्कालीन सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा, परन्तु उस समय इस प्रस्ताव को सफलता प्राप्त नहीं हुई।²⁵

शर्मा पंकज, (2011) डी.एन.ए. में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सारणीबद्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार सूचना का अधिकार योजना के प्रचार-प्रसार के लिए निर्धारित धनराशि के अन्तर्गत नियत किया गया आर.टी.आई के प्रचार पर सरकारी खर्च के विश्लेषण में लगातार गिरावट देखी गई। यू.पी.ए. सरकार ने अपने सबसे प्रखर अभियान सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रचार का प्रभाव डाला।²⁶

मधुसूदन एम.के. (2011) डी.एन.ए. — एक पार्षद थे जिन्होंने पुलिस कमिशनर से शिकायत की थी कि उनके द्वारा सिद्धपुरा में एक भूमि विवाद में हस्तक्षेप किया गया था। इसके लिए उन्होंने पुलिस कमिशनर की विकायत की। पार्षद और आर.टी.आई. आवेदन जमा करने के पीछे पार्षद का कछु मकसद था अतः आर.टी.आई. के तहत इस आरापे का खंडन किया गया।²⁷

गुप्ता हरीष, (2011) डी.एन.ए. ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (एनएसी) के कई सदस्यों को दृढ़ता से सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखने के लिए सीबीआई (CBI) ने सरकार की आलोचना की। अरुणा राय, जो सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की एक सदस्य थी। उन्होंने जाचं में सीबीआई को छूट देने के सरकार के फैसले पर कैबिनेट के इस कदम का जोरदार विरोध किया।²⁸

बिस्वास प्रथा, (2011) ने डी.एन.ए. में प्रकाशित लेख में सरकार के ब्लैकमेल के मामलों की बढ़ती संख्या पर प्रकाष डाला सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उपयोग करके अधिकारियों को आरटीआई हल्कों में सूचित किया गया।²⁹

डी.एन.ए., (2011) समाचार पत्र में भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा अन्ना हजारे देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में एक मजबूत जन लोक पाल विधेयक की

आवध्यकता पर बल दिया। अन्ना हजारे के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। जन लोकपाल बिल की तरह एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी कानून लाना चाहिए।³⁰

कृष्णा आर, (18 मई 2011) ने डी.एन.ए. समाचार पत्र में बैंगलोर स्थित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) के साथ दायर आरटीआई क्वेरी लायी गयी। विभाग ने उन्हें ग्यारह वेबसाइटों की एक सूची सौंप दी। यह सिर्फ एक विभाग की सूची में था लेकिन पहली बार इस तरह की सूची सार्वजनिक की जा रही थी।³¹

त्रिपाठी देवेश नारायण ने (**अक्टूबर 2013**) प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका में 'सूचना अधिकार के दायरे में राजनीतिक दल' लेख में इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार से हमारी लोक तांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका और उनका काम काज व चरित्र भी उन्हें सूचना के अधिकार के दायर में लाते हैं। संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में भी उनका चरित्र सार्वजनिक संस्थाओं का है।

इसमें त्रिपाठी जी ने निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :—

- राजनीतिक संस्थाओं को सार्वजनिक संस्था या लोक प्राधिकारी माने जाने के आधार।
- राजनीतिक दल आदेश के निहितार्थ है।
- आयोग के निर्णयों के विरोध में राजनीतिक दलों की आपत्तियां सूचना।
- राजनीतिक आयोग के आदेश से उपजी गलत धारणाएँ और उनका निराकरण।
- सूचना आयोग के आदेश का सापेक्षिक महत्व।

निष्कर्ष :— इसमें त्रिपाठी जी ने स्पष्ट किया है कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश में सम्बन्ध में राजनीतिक दलों में पारदर्शिता आयेगी तथा लोगों का राजनीतिक दलों में विश्वास बढ़ेगा।³²

अग्रवाल शेलेन्ड्र, (15 जनू 2014) ने राजस्थान पत्रिका में राज्य में 15000 अपीलों को सुनवाई का इंतजार में बताया कि सूचना के लिए विभाग में धक्के खाकर राज्य सूचना आयोग पहुंचने वाले को सितम्बर 2015 से पहले राहत भरी खबर मिलने की उम्मीद नहीं थी। आयोग ने अपीलों पर जबाव के लिए अगले साल फरवरी की तारीख दी, उस पर सुनवाई की पहली सितम्बर 2015 की मिली। 14 जून 2014 को सूचना का अधिकार लागू हुए दस साल पूरे हो गए (रविवार सुबह 10 बजे 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था)। अतः राज्य में करीब 15000 अपीलों को फैसले का इंतजार है सूचना आयुक्तों की कमी से यह इंतजार लंबा होता ही जा रहा है अब कोई आयोग में अपील करेगा, तो उस पर आयोग को लोक सूचना अधिकारी से

जवाब ही नौ माह बाद मिलेगा और जबाब के भी करीब सात—आठ माह बाद आयोग दोनों पक्षों को बुलाकर पहली सुनवाई करेगा।³³

गोधा मनीषा, (15 जनू 2014) ने राजस्थान पत्रिका में 'कलेक्टर ही नहीं मानते कानून' लेख में उल्लेख किया था कि प्रदेश के ज्यादातर जिला कलक्टर सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून का पालन नहीं कर रहे। इस कानून की एक धारा के तहत जिले से सम्बन्धित जरूरी सूचनाएँ कलक्टरों को स्वप्रेरणा से वेबसाइट पर उपलब्ध करानी थी। लेकिन 33 में से सिर्फ 17 जिले की वेबसाइट पर ही ये सूचनाएं उपलब्ध हैं जो सूचनाएं हैं वे भी या तो अपडेट नहीं हैं या आधी—अधूरी हैं। शेष 17 कलेक्टर इस धारा का पालन ही नहीं कर रहे थे। इस बारे में प्रशासनिक सुधार विभाग ही नहीं, मुख्य सचिव की ओर से भी कई बार जिला कलक्टरों को चेताया जा चुका है लेकिन असर नहीं हो रहा था। पुनः इस बारे में जिला कलक्टरों को निर्देश भेजे गए।³⁴

यादव धर्मपाल, (4 अगस्त 2015) ने राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित किया कि राज्य सूचना आयोग के सरकारी विज्ञापनों के लिए गठित राजस्थान संवाद को सूचना का अधिकार के दायरे में मान लिया जाये। आयोग ने कहा कि इसका नियंत्रण राज्य के मंत्रियों व अधिकारियों के पास होना चाहिए तथा इसको पैसा भी सरकार से मिलता है ऐसे में यह संस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं रह सकता। मुख्य सूचना आयुक्त ने जयपुर निवासी धर्मपाल यादव की अपील पर उपरोक्त आदेश दिया। यादव ने मार्च 2011 में सूचना का अधिकार कानून के तहत राजस्थान संवाद के गठन से सूचना माँगने तक की वार्षिक बैठकों के विवरण, आय राशि, एफ.डी.आर. व बैंक खातों के बारे में जानकारी मांगी थी। इस आवेदन के जवाब में राजस्थान संवाद की ओर से कहा गया था कि वह वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक संस्था होने के साथ ही स्ववित्त पोषित संस्थान है। इसके अलावा उसे सरकारी राशि या सरकार के नियमों तहत नहीं चलाया जाता इसलिए यह सूचना का अधिकार के दायरे से बाहर है।³⁵

गोयल राधेश्याम, (9 नवम्बर 2015) ने दैनिक भास्कर में श्रीगंगानगर राजस्थान सूचना आयोग द्वारा सूचना के अधिकार के तहत अपीलार्थी को निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर नगरपरिषद् आयुक्त पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही जल्द से जल्द अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए थे। आयोग ने शिकायतकर्ता 23 के ब्लॉक निवासी राधेश्याम गोयल पुत्र भगवानदास गोयल की ओर से आयोग में की गई शिकायत पर शुक्रवार को यह फैसला जारी किया था। अपीलार्थी गोयल ने 6 मार्च 2013 को नगर परिषद् से सूचना के अधिकार के तहत अपने पडोसी महावीर की ओर से परिषद् में

प्रस्तुतु किए गए मकान के नक्शे व शपथ पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी थी। लेकिन परिषद् ने सूचना गोयल को उपलब्ध नहीं करवाई।³⁶

सोगानी राकेश, (10 दिसम्बर 2015) राजस्थान पत्रिका :- सूचना नहीं देने पर निगम के 4 जोन उपायुक्तों पर 70 हजार का जुर्माना। राजस्थान सूचना आयोग ने निगम के चार जाने उपायुक्तों पर सूचना नहीं देने पर 70 हजार का जुर्माना लगाया। सूचना के तहत आवदेनकर्ता राकेश सोगानी ने सांगानेर, हवामहल जोन पश्चिम और विद्याधर नगर जोन से क्षत्रे में लगे टावर, उनके नाम पता, किस कंपनी पर कितना राजस्व बकाया है और कौनसी कंपनी के लगे हुए है कि सूचना मांगी थी। सूचना प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के बाद भी सूचना नहीं मिली। इस पर द्वितीय अपील पर सभी राज्य लोक सूचना अधिकारियों ने सूचना देने की अपेक्षा पैरवी के लिए अधिवक्ता की नियुक्ति कर दी। इस पर सोगानी ने वापस आरटीआई के तहत सूचना नहीं देने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारियों की शैक्षणिक, विधिक योग्यता, भौतिक साधन और योग्यताओं से अर्जित की गई संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी। ये सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राजस्थान सूचना आयोग ने विद्याधर नगर जोन आयुक्त पर 20 हजार रुपये, हवामहल जोन पश्चिम और आयुक्त कार्मिक पर 12500–12500 रुपये और सांगानरे आयुक्त पर 25 हजार का जुर्माना लगाया।³⁷

सरपंच एवं सचिव पर केस, (9 मई 2015) (राजस्थान पत्रिका उदयपुर) – सूचना नहीं देने पर जिले के सातम्बा सरपंच एवं सचिव के खिलाफ बल्लभनगर थाने में मामला दर्ज हुआ था कि आई.पी.सी. धाराओं के तहत दर्ज संभवतः राज्य के इस पहले मामले में लोकसेवक होते हुए कानून की पालना नहीं करने, दस्तावेजों में छेडछाड़, गलत रिकार्ड देने, धमकाने आदि की धाराएं लगाई गई थी। सातम्बा, बल्लभनगर निवासी सुरेष ने न्यायालय के माध्यम से थाने में रिपोर्ट दी कि उसने आरटीआई के तहत ग्राम सचिव आनंदीलाल से सरपंच रूपगिरी गोस्वामी की वर्ष 2002 की बीपीएल सर्वे रिपोर्ट मांगी थी।

जिसके तहत सरपंच की शैक्षिक योग्यता को जानने का प्रयास किया गया था। इसमें उन्होंने खुद को आठवीं पास बताया था। गोस्वामी ने हाल में स्वयं को आठवीं पास दर्शाते हुए सरपंच चुनाव में जीत हासिल की थी।³⁸

सेंगर संजय, (20 मार्च 2015) ने शिविरा पत्रिका में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का संक्षिप्त परिचय दिया था। इसमें बताया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था। लोक प्राधिकारी के बारे में स्पष्ट किया गया कि यह एक ऐसी संस्था या स्वायत्तषासी संगठन है जिसे भारत के संविधान द्वारा, संसद द्वारा अथवा किसी राज्य की विधानसभा द्वारा अथवा किसी राज्य की विधानसभा द्वारा स्थापित/गठित किया गया।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में लोक सूचना अधिकारी के निम्न प्रकार बताये गये।

- प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य – स्वयं के राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय
- जिला शिक्षा अधिकारी – स्वयं के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कार्यालय हेतु।
- प्राचार्य आई.ए.एस.ई. – आई.ए.एस.ई. बीकानेर एवं अजमेर हेतु।
- उप निदेशक – स्वयं के उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा मण्डल कार्यालय हेतु।
- अतिरिक्त निदेशक प्रशासक – कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर हेतु।

इस प्रतिवेदन में प्रथम अपील अधिकारी का वर्णन किया गया – माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रथम अपील अधिकारी इस प्रकार :–

- जिला शिक्षा अधिकारी :— प्रत्यके प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य माध्यमिक शिक्षा के विरुद्ध।
- उप निदेशक :— स्वयं के मण्डल के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के विरुद्ध।
- निदेशक :— समस्त मण्डल उपनिदेशक प्राचार्य आई.ए.एस.ई. एवं अतिरिक्त निदेशक प्रशासन कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के विरुद्ध।
- द्वितीय अपील अधिकारी का भी वर्णन किया गया है:— राजस्थान सूचना आयोग प्रत्येक स्तर के लिए द्वितीय अपील अधिकारी नियत है। इन्होंने अपने प्रतिवेदन में सूचना का अर्थ, सूचना प्राप्त करने का अधिभार तथा सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी स्पष्ट किया है। उपरोक्त लेख विभिन्न स्त्रोतों के आधार पर वर्णित है परन्तु किसी भी लेख में बी.एस. टी.सी. प्रशिक्षुओं से संबंधित अध्ययन सामग्री का विवरण नहीं मिला।³⁹

पुस्तकों से संबंधित अध्ययन

नागराज एम.एन., (1998) :— इन्होंने अपनी पुस्तक में सूचना के अधिकार के विभिन्न पहलुओं का व्यौरा दिया है। जिसमें भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम 2005 विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम की कुछ परिचयात्मक जानकारी के साथ अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है तथा एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार एक मूल्यवान साधन है।⁴⁰

पॉल सैमुअल, (2003) :— इसमें चुनाव से सम्बन्धित सूचना का अधिकार जिसमें उम्मीदवार के राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारों से सम्बन्धित टिप्पणी की गयी है। इसमें लोगों के

संवैधानिक अधिकार को कायम रखने के चुनाव की पूर्ववत पता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की गई है।⁴¹

कुमार पी.एस., (2004) :- ने अपने शोध में सूचना व संचार से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला है। कुमार ने संचार को डाटा, सूचना, ज्ञान तथा एक विज्ञान के रूप में प्रदर्शित किया है। इनका मानना है कि सूचना के अधिकार का मूल्य केवल बाह्य मूल्य के रूप में ही नहीं है बल्कि एक लोक तात्त्विक मूल्य भी बन गया है। कुमार ने सूचना के अधिकार के द्वारा प्रशासन के व्यापक मुद्दों पर चर्चा की है तथा एक अच्छे लोकतंत्र व प्रशासन की अधिकार द्वारा रूपरेखा तैयार की है।⁴²

पाण्डे अजय, (2004) :- ने सूचना का अधिकार अधिनियम को संगठनों के बीच जबावदेही और पारदर्शिता के लिए उपयोग में लिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम एक सामाजिक अधिनियम के रूप में उभर कर सामने आया है। इस अधिनियम में अनुचित प्रावधानों को हटाने के लिए संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। इस अधिनियम में सुशासन के उद्देश्यों का प्रावधान शामिल किया गया है।⁴³

अरोड़ा कृष्णा, (2004) :- ने सूचना के अधिकार 2005 से सम्बन्धित सभी विभागों का विस्तार से वर्णन किया है। इन्होंने इसे एक खुले अधिनियम के रूप में प्रकाशित किया है। इन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर पूर्ण रूप से विचार किया है। सतत ग्रामीण विकास के लिए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कई सामाजिक वैज्ञानिकों के विचारों को प्रस्तुत किया है। कार्यात्मक अनुसंधान के द्वारा प्राथमिक व माध्यमिक आँकड़ों के आधार पर जाँच की गई है तथा साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधातन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें लेखक ने आधिकारिक टिप्पणी की है कि राज्य अधिनियमों का गवाहों के बयान की प्रतियां देने में निषेध नहीं करता। इन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधिकार पर कई लेखों का सम्पादन किया है। इसमें प्रस्तावना और सूचना का अधिकार अधिनियम के सभी प्रारंभिक खण्ड भी शामिल हैं। इसमें में सूचना का अधिकार अधिनियम के कई प्रक्रियात्मक पहलू भी बताते हैं तथा जनता की ओर से सूचना तथा दायित्वों के अधिकार का अवधारणा को परिभाषित करने तथा इससे सम्बन्धित जानकारियां भी उपलब्ध कराते हैं।⁴⁴

सेठी एस.पी., (2006) :- "इन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कहा है कि यह अधिनियम एक चमत्कार और विश्वसनीय कमेंटरी करने के लिए किया गया है। सूचना का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार के रूप में माना गया है, इस अधिकार द्वारा इतिहास व विकास का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने इस अधिनियम के प्रशासनिक प्रक्रिया पर

ध्यान केन्द्रित किया है। न्यायिक अधिकारों पर निर्णय करने तथा अधिकारों को लागू करने पर ध्यान केन्द्रित किया है।⁴⁵

दास.पी., (2006) :- दास पी. ने अपने शोध में सरल अर्थ व शब्दों को इस्तेमाल किया है। इसमें अनुच्छदे 19 और खण्ड(1)(क) जो कि सूचना का अधिकार को भारत के संविधान के उत्पाद के रूप में प्रयोग किया है। वह बताते हैं कि कैसे राज्य को तीनों प्रशासनिक प्रणालियां (कार्यपालिका, विधायिका ओर न्यायपालिका) धोखा दे रहे लोगों से रोका जा सकता है। वह बताते हैं कि कैसे एक तरफा जानकारी, दुष्प्रचार, गलत सूचना और गैर –जानकारी से बेखबर नागरिकों को बचाया जा सकता है। अतः यह सूचना का अधिकार से सम्भव हो सकता है, जो एक मुख्य सुविधा है। वे बताते हैं कि सूचना के अधिकार द्वारा लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा दस्तावेजों की प्रतियों के लिए सूचना अधिकारी को बुलाया जा सकता है।⁴⁶

आचार्य एन.के., (2006) :- आचार्य एन.के. ने सूचना प्राप्त करने के लिए विस्तार से टिप्पणी की है। उन्होंने सर्वप्रथम अपील आवेदन प्रारूप को प्राप्त करने के लिए की। उन्होंने इस अधिनियम के ज्ञान के बारे में लोगों को समझाया तथा वह नियमों, परिपत्रों, मैनुअल, रूपों और रजिस्टरों के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय अधिनियम सभी राज्यों में लागू होना चाहिए, इसलिए लेखक के अनुसार केन्द्रीय अधिनियम (सूचना के अधिकार) को पूरे क्षेत्र में लागू करना न कि राज्य अधिनियमों को।⁴⁷

मिश्रा सुभान्तु, (2006) :- इन्होंने अपना कार्य “भारत में सूचना एवं ग्रामीण विकास पर” किया है। इन्होंने ग्रामीण भारत के विकास में आम आदमी को भागीदार बनाने के सुझाव को मूल्यांकन बताया है। यह समझना आवश्यक है कि सही वस्तु का हमेशा मूल्य है तथा इसे इतिहास से बाहर लाना आवश्यक है जो एक समुदाय की भी आवश्यकता है। इनकी यह अवधारणा सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन का विश्लेषण करती है। भारतीय लोकतन्त्र पर सूचना का अधिकार के अधिनियम का गंभीर रूप से प्रभाव विश्लेषित होता है। सतत् ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए सूचना का अधिकार का महत्व, विभिन्न संकायों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास से सम्बन्धित मुद्दों में अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है।⁴⁸

नूरानी ए .जी., (2006) :- इनके द्वारा किये गये कार्य में सूचना के अधिकार पर बल दिया गया है। गुहान एस. द्वारा भारत में भ्रष्टाचार पर लेख संपादित किया गया है तथा साथ ही बताया गया है कि सूचना का अधिकार पर किस प्रकार अपना योगदान दिया है। इनकी पुस्तक में सूचना का अधिकार अधिनियम तथा अन्य सम्बन्धित जानकारी कई वर्गों में शामिल

की गयी है साथ ही सूचना के अधिकार पर व्यवहारिक प्रभाव के साथ ही काम किया है इन्होंने बताया है कि ग्रामीण भारत के विकास के प्रयासों में सूचना के अधिकार आम आदमी को भागीदार बनाते हैं।

इस पुस्तक में गुजरात दैनिक समाचार पत्र एसोसिएशन द्वारा आयोजित संगोष्ठी पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दू इण्डियन एक्सप्रेस, स्वतन्त्रता द्वारा दिए गये विभिन्न रिपोर्टों की सूचना और भारत में अभिव्यक्ति आदि का एक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इन्होंने राज अधिनियम 1923 की पत्र में चर्चा की है कि मुख्य रूप से सूचना के अधिकार पर चर्चा की तथा इस कानून के प्रभाव पर पूर्णरूप से विचार किया है।⁴⁹

करखानिस नंदकुमार, (2006) :- ने अपने प्रतिवेदन 2006 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में लोगों को आसान स्थानीय भाषा में समझाया है, उदाहरण मुम्बई मेट्रो रीजन। उन्होंने इस अधिनियम के संगठनात्मक संरचना के दौरान प्राप्त अनुभव का सीमित दायरे में चर्चा की। उन्होंने इस अधिनियम की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में नयी जानकारियां प्राप्त करने के लिए मुद्रदों का उठाया है।⁵⁰

निगम शालू, (2006) :- ने सूचना का अधिकार अधिनियम की नयी शुरूआत की है। इनका मानना है कि हमारे देश में अधिकारों की जानकारी लोगों को सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती है। यह अधिकार सावर्जनिक हित, ईमानदारी और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सरकार में कार्य करता है तथा यह लेखा-परीक्षा, समीक्षा तथा उपयोगी सवालों की जांच करने के लिए प्रवर्तनीय अधिकार देता है। यह अधिनियम में खुलेपन तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देता है तथा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक खुला बनाने के लिए प्रशासन में जबाबदेही का कार्य करता है।⁵¹

कुरयिन जस्सी, (2006) :- ने भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले पूछे गये रचनात्मक प्रष्ठों का जबाब दिया है, कुछ इस प्रकार से है – सूचना आयोग के अधिकारियों के खिलाफ जन सूचना अधिकारी किस प्रकार से अपनी द्वारा सूचना का प्रकटीकरण कर सकते हैं।

यह अधिकार भारत में सूचना के अधिकार की उत्पत्ति तथा इतिहास का प्रकट करता है तथा सूचना के अधिकार द्वारा एक समुदाय के बारे में आवश्यक जानकारी तथा उसके विश्लेषण का पता लगाया जा सकता है। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा भारतीय लोकतंत्र पर समीक्षकों के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सकता है।⁵²

गोयल एस.एल., (2007) :- ने सुशासन लोक तान्त्रिक व्यवस्था का एक अंतिम छोर है। सूचना का अधिकार डॉ. गोयल ने बताया कि सूचना का अधिकार अपने आप में एक मूल्य बन

गया है। यह शासन के विभिन्न ऐतिहासिक, कानूनी, संस्थागत, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कोणों पर प्रकाश डालता है। यह शासन के लोकतांत्रिक पहलू की चर्चा करता है तथा कानून के क्रियान्वयन तथा उसके संगठनात्मक संरचना के काम के दौरान इस अधिनियम को पूरा उपयोग में करने का प्रयास किया गया है। जो कुछ भी नई जानकारी की कार्य प्रणाली पर उपलब्ध किया गया है।⁵³

आचार्य एन.के., (2007) :- सूचना के अधिकार से सम्बन्धित प्रश्नों पर तथा प्रश्नों के जवाबों पर तथा जनता के दायित्वों के बारे में स्पष्टीकरण किया तथा कानून के तहत जानकारी भी उपलब्ध करवाई। वे सूचना के अधिकार को एक समुदाय के लिए आवश्यक समझते हैं और सही करने के लिए आंदोलन का विश्लेषण करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का गंभीर रूप से भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ा है। विश्लेषण करने के लिए इससे सम्बन्धित संक्षिप्त इतिहास का पता लगाने का प्रयास किया गया है। यह तथ्य सही है कि कुछ आलोचकों पर इसक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है परन्तु इस अधिनियम को पूरे देश में एक मात्र सुझाव के रूप में नहीं माना गया है बल्कि एक राज्य अधिनियम के रूप में स्वीकार किया गया है तथा एक स्वतन्त्र अधिनियम के रूप में उभर कर सामने आया है।⁵⁴

चंद्रा यू., (2007) :- ने मानव अधिकारों के विकास के क्षेत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम को महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में माना। भारत में मानव अधिकारों के शासन को मजबूत बनाने, संसद के अधिकार अधिनियमित किये गये हैं। भारतीय संसद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को सबसे प्रगतिशील कानून के रूप में मानती है। इसका उद्देश्य नागरिकों के तहत उपयोगी व सुरक्षित जानकारी पहुँचाना है।

साथ ही यह भी बताया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम लोक प्राधिकरण का काम कर रहा है यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए नागरिकों के लिए सक्षम है तथा सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में पारदर्शिता लाने तथा जबावदेही को बढ़ावा देने में सक्षम सिद्ध हुआ है।⁵⁵

शाह अभय, (2007) :- ने स्वतन्त्रता के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की तुलना की है। साथ ही उनका मानना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2002 एकट इस अधिनियम के दायित्वों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है।

इन्होंने सरकारी अधिकारियों, केन्द्रीय सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों, राज्य सूचना आयोग की अपील और दण्ड को भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2002 में शामिल किया है। साथ ही महाराष्ट्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2002 को भी शामिल किया है।

इनका मानना था कि सूचना की स्वतन्त्रता अधिनियम 2002 संसद द्वारा अधिनियमित अधिक प्रगतिशील किए जाने की जरूरत है।

सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों के लिए उपयोग में दी गई जानकारी सुरक्षित करने के लिए तथा सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में पारदर्शिता और जबाबदेही को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग को एक सावर्जनिक प्राधिकरण के रूप में काम करना आवश्यक है क्योंकि राज्य सूचना आयोग से मामले आकस्मिक रूप से जुड़े होते हैं।⁵⁶

शाह अभय एम., (2007) :- ने महाराष्ट्र लोकायुक्त और यू.पी.ए. लोकायुक्त को प्रस्तुत किया है। लोकायुक्त अधिनियम तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, महाराष्ट्र अधिकार अधिनियम 2002 के साथ-साथ केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग के कार्यों, शक्तियों, अपील एवं दण्ड आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया। महाराष्ट्र के सूचना का अधिकार अधिनियम 2002 के तहत इन नियमों के अपील और दण्ड तथा सुरक्षा रखने की योग्यता के बारे में जानकारियों प्रदान करते हैं। वह लोक सूचना अधिकारियों को निर्दिष्ट सूचना अधिकारी द्वारा एक अपील तथा रजिस्टर के रखरखाव की प्रक्रिया के बारे में भी बताते हैं।⁵⁷

वर्मा आर.के., (2008) :- ने सूचना का अधिकार के व्यवहारिक पहलुओं को सूचना कानून व लोक सूचना अधिकारी की जरूरतों पर टीका टिप्पणी व जानकारी प्रदान की है। यह पुस्तक नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए लिखी गयी है। यह विभिन्न सरकारी अधिकारियों और लोक सूचना अधिकारियों के लिए काफी सहायता प्रदान करती है। यह किताब संगठन के अधिनियम और उन्हें करने के लिए प्रयोजना के तहत अपने दायित्वों का पता लगाने के लिए उपयोग में ली गयी।⁵⁸

सबनीस एस. एन., (2011) :- ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 पर प्रारंभिक जानकारी दी है। यह राज्य सूचना आयोग तथा केन्द्रीय सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों के दायित्व, अपील तथा दण्ड को बाहर लाने का कार्य करते हैं। लेखक ने अध्याय VI में इस अधिनियम को एक अच्छा विश्वास और निगरानी और एक अच्छे रिपोर्टिंग स्वरूपों के रूप में लिया है।⁵⁹



संदर्भ सूची

1. पुरी, वी.के.; “सूचना का अधिकार को जानना”; नाभि पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008, पृ. 2–3
2. पांडे, अजय; “सूचना का अधिकार—प्रेरणा व अधिनियम”; सोशल एक्शन ट्रस्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004, पृ. 2
3. ओझा, अरुण कुमार, मगलानी, रूपा; ‘सूचना का अधिकार’ ह.च.मा.राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर, 2008, पृ. 8
4. जैन, एन.के.; “सूचना का अधिकार”; रीगल पब्लिकेषनस नई दिल्ली, 2007, पृ. 2
5. गुप्ता, मान सिंह; “सूचना का अधिकार अधिनियम 2005”; किशोर बुक डिपो, जयपुर, 2011, पृ. 11
6. चौबीसा, और सरदाना, जयबाला; ‘लोक सूचना अधिकारी के कार्य एवं जिम्मेदारियाँ’ हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान परिसर, जयपुर, 2008
7. भारद्वाज, रमाकान्त; ‘सूचना का अधिकार जनता का अधिकार’, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, 2007, पृ. 16
8. उपरोक्त
9. पांडे, अजय, पूर्वोक्त
10. उपरोक्त
11. राजस्थान सूचना आयोग वार्षिक रिपोर्ट, 2016–17
12. उपरोक्त अध्याय 1
13. उपरोक्त अध्याय 1
14. अध्याय 2
15. उपरोक्त अध्याय 2
16. उपरोक्त अध्याय 3
17. उपरोक्त अध्याय 3
18. उपरोक्त अध्याय 4
19. मिखारी, ज्वारिया एवं सुरक्षा; “आर टी आई वरीज इन बैंगलोर हेव बीन फोर ईयर नाऊ”; डी.एन.ए. बैंगलोर 26 मई, 2010
20. गोपालकृष्ण, एस.; “ब्रिंगिंग कम्पनीज अण्डर आरटीआई इज नॉट गुड आइडिया”; टाइम्स ऑफ इण्डिया, चण्डीगढ़, 2010
21. रोहताकी, हिना; “आफिशियल फेलैश शराइन ऑफ गोल्ड”; टाइम्स ऑफ इण्डिया, पंचकुला, नवम्बर, 2011
22. सबनीस, एस. एन.; “सूचना का अधिकार अधिनियम 2005”; मुखानन्द पब्लिकेषनस ठाणे, मुम्बई, 2011
23. बिस्वास, प्रथा, “आर टी आई टू ब्लैकमेल गवरमेन्ट ऑफिशियल”; डी.एन.ए. 22 मार्च, 2011

24. डी.एन.ए. एजेंसी; “बी.सी.सी.आई.—आरटीआई बाऊंसर”; डी.एन.ए. पुणे 31 अगस्त 2011।
25. रॉय, परसा वैंकेटेश्वर “सोनिया गांधी बैकड आर.टी.आई. बट साइलेंट ऑन लोकपाल अरविन्द केजरीवाल”; डी.एन.ए. न्यू हिसार 11 अक्टूबर 2011
26. शर्मा, पंकज; “सेन्टर स्ट्रेंज विथ यूज ऑफ आरटीआई पब्लिसिटी फंड”; डी.एन.ए. न्यू देहली 27 अक्टूबर, 2011
27. मधुसूदन, एम.के.; “बैंगलोर कॉरपोरेशन आरटीआई एक्टीव्स ओवर लैंड डिस्पुट”; डी.एन.ए. बैंगलोर 10 मई, 2011
28. गुप्ता, हरीश; “डिस्क्लोज ॲल इंफो शूट एक्ट आर टी आई”; डी.एन.ए. अहमदाबाद 8 नवम्बर, 2011
29. बिस्वास, प्रथा सारथी; “पुणे इज आरटीआई रोल मॉडल”; डी.एन.ए. 24 अक्टूबर, 2011
30. डी.एन.ए. एजेंसी; “2जी स्पेक्ट्रम”; डी.एन.ए. न्यू देहली 20 नवम्बर 2011
31. कृष्णा, आर.; “बैंगलोर बैस्ड एन जी ओ फाइल्स आर.टी.आईइंडिया गवरमेंट”; डी.एन.ए. बैंगलोर 18 मई, 2011
32. त्रिपाठी देवेश नारायण, प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका में ‘सूचना अधिकार के दायरे में राजनीतिक दल’, अक्टूबर 2013
33. अग्रवाल, शैलेन्द्र; “राज्य में 15000 अपीलों को सुनवाई का इंतजार”; राजस्थान पत्रिका, जयपुर, 2014
34. गोधा, मनीष; “कलेक्टर ही नहीं मानते आदेश, आरटीआई की उपेक्षा”; राजस्थान पत्रिका, जयपुर, 2014
35. यादव धर्मपाल, राजस्थान पत्रिका, 4 अगस्त 2015
36. गोयल राधेश्याम, दैनिक भास्कर, 9 नवम्बर 2015
37. सोगानी राकेश, राजस्थान पत्रिका, 10 दिसम्बर 2015
38. सरपंच एवं सचिव पर केस, राजस्थान पत्रिका, उदयपुर, 9 मई 2015
39. सेंगर, संजय; “सूचना का प्रतिवेदन” – मासिक शिविरा पत्रिका, 2015
40. नागराज, एम.एन.; “सूचना का अधिकार एक्ट 2005” कानफ्रेन्स वाल्यूम **XVIII** नेशनल सेमीनार ऑफ इण्डिया कलकत्ता, 1998
41. पॉल, सेमुअल.; “कमेन्ट्री ऑन राइट टू इनफोरमेशन ऑन केन्डीडेट्स इकोनोमि एण्ड पोलीटिकल वीकली, समीक्षा ट्रस्ट पब्लिकेशन, मुम्बई 12–18–2003 **Vol. XXXVIII No. 15**, 2003
42. कुमार, पी.एस.; “सूचना व संचार पत्र”; यू.जी.सी. मॉडल करिकुलम; बी.आर.पब्लिकेशन कॉरपोरेशन, नई दिल्ली, 2004
43. पांडे, अजय; “सूचना का अधिकार—प्रेरणा व अधिनियम”; सोशल एक्शन ट्रस्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004, पृ. 52
44. अरोड़ा, कृष्णा; “सूचना का अधिकार एक्ट 2005” (**22 of 2005**) एक्ट; प्रोफेशनल बुक पब्लिकेशन नयी दिल्ली, 2004, पृ. 39

45. सेठी, एस.पी.; “सूचना का अधिकार”; 1st लेक्सीस, निरिक्षण बटरवोर्थ नयी दिल्ली, 2006
46. दास, पी.के.; “हैंडबुक दा राइट टू इनफोरमेशन एक्ट 2005”; यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग दिल्ली, 2006, पृ. 110
47. आचार्य, एन.के.; “कैमेन्ट्री ऑन दा राइट टू इनफोरमेशन एक्ट”; एशिया लॉ हाऊस हैदराबाद, 2006, पृ. 82
48. मिश्रा, सुधान्शु; “सूचना का अधिकार और भारत में ग्रामीण विकास”; न्यू सैन्चूरी पब्लिकेशन नयी दिल्ली, 2009, पृ. 34
49. नुरानी, ए.जी.; “दा कोन्सटीटयूशन एण्ड जनरेलिजम सोर्स”; इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल विकली जुलाई 8–14–2006
50. करखानिस, नंदकुमार; “सूचना का अधिकार अधिनियम”; विवेकानन्द प्रकाशन पुणे, 2011, पृ. 13
51. निगम, शालू; “राइट टू इनफोरमेशन – एन इफैक्टीव टूल फौर एमपावरमैन्ट लिगल न्यूज एण्ड व्यू”; ए सोशल एक्शन ट्रस्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006
52. कुरियन, जस्सी; “कन्सट्रक्टिव यूज ऑफ दा राइट टू इनफोरमेशन एक्ट 2005”; लीगल न्यूज एण्ड व्यूज, ए सोशल एक्शन ट्रस्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006
53. गोयल, एस.एल.; “सूचना का अधिकार एवं सुशासन”; दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन प्राईवट लिमिटेड नयी दिल्ली, 2007, पृ. 16
54. आचार्य, एन.के.; “सूचना का अधिकार अधिनियम”; एशिया लॉ हाऊस हैदराबाद, 2007, पृ. 134
55. चंद्रा, यू.; “मानव अधिकार”; इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स, 2007
56. शाह, अभय; “सूचना का अधिकार अधिनियम 2005”; करंट पब्लिकेशनस मुम्बई, 2007, पृ. 58
57. शाह, अभय एम.; “दि महाराष्ट्र लोकायुक्त और प्यूपिल्स लोकायुक्त अधिनियम 1971”; करंट पब्लिकेशन्स मुम्बई, 1971
58. वर्मा, आर.के.; “सूचना का अधिकार का लॉ एण्ड प्रैकिट्स”; टैक्समैन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008, पृ. 128
59. सबनीस, एस. एन.: “सूचना का अधिकार अधिनियम 2005”; मुखानन्द पब्लिकेशनस ठाणे, मुम्बई, 2011, पृ. 63

द्वितीय अध्याय

**प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में सूचना का अधिकार
अधिनियम का विश्लेषण**

द्वितीय अध्याय

प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में सूचना का अधिकार

अधिनियम का विश्लेषण

प्लेटो ने “स्टेट्समैन” में कहा है कि जनतंत्र विधिसम्मत राज्य का निकृष्टतम् किन्तु विधि विहीन राज्य का सर्वोत्कृष्ट रूप है। वस्तुतः बहुसंख्यक लोगों द्वारा व्यवस्थित रूप में जब शासन संचालित किया जाता है तो वह संवैधानिक तंत्र कहलाता है। यह तंत्र तब तक फलदायी रहता है जब तक अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती। अव्यवस्था के दौरान जब बहुसंख्यकों के हितों की पूर्ति होने लगती है तो शासन भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाता है।

अरस्तू ने इस भीड़ तंत्र को “डेमोक्रेसी” कहा है। अरस्तू ने ही बहुतंत्र या संवैधानिक शब्द का प्रयोग ‘डेमोक्रेसी’ के रूप में किया था।¹ लास्की का कथन सच है कि राजतंत्र ने अपने आप को जनता के हाथों बेच दिया है।² ब्रिटेन ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति को न केवल अपनाया बल्कि उसको समृद्ध भी किया। इसलिए ऑग ने कहा था कि इंग्लैण्ड की स्थिति आज मुकुटधारी गणतंत्र की है।³ हिटिंगटन के शब्दों में, बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में ‘शासन’ दर्शन के प्रसार के साथ मिलकर ‘लोकतंत्र की तीसरी लहर’ ने लोकतंत्र सुदृढीकरण के एक नये युग का सूत्रपात किया जिसमें ‘खुलापन’ ‘पारदर्शिता’ और ‘जवाबदेही’ जैसे अनेक अनिवार्य गुणों पर जोर दिया गया।⁴

यूरोप की इस लोकप्रिय शासन पद्धति के प्रति भारतीय जनमानस में गहरी रुचि उत्पन्न हुई, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया।

आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जनता के इस शासन में जन को अधिक से अधिक भागीदार किस प्रकार बनाया जाए? सम्भवतः सूचना का अधिकार इस निमित्त एक कारगर उपाय है।

जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गयी जन सरकारों को ही लोकतंत्र का भाग्य विधाता माना जाता है। देश चलाने के लिए ये सरकारें संविधान बनाती हैं। और उस संविधान के अनुसार चलती भी हैं। संवैधानिक लोकतंत्र आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली का सर्वाधिक प्रचलित और स्थापित रूप है। जनता के प्रति जवाबदेही इस लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है और इस जवाबदेही की सर्वाधिक मुख्य अभिव्यक्ति पारदर्शिता है। पारदर्शित को अभिव्यक्त अथवा स्थापित करने के अनेक रूप हो सकते हैं। आधुनिक एवं सभ्य कहे जानेवाले

संवैधानिक लोकतंत्र में यह जिम्मेदारी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रों के संविधानों पर आती है। संविधानों के प्रावधान ही अपने उपबन्धों को बाध्यकारी बनाते हैं और इन बाध्यताओं के कारण स्थापित परम्पराएँ ही मार्गदर्शक सिद्धान्त बन जाती हैं। चाहे सूचना की स्वतंत्रता कह लें अथवा जानने या सूचना का अधिकार—यह सभी इन्हीं संवैधानिक परम्पराओं की देन है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध वाली संवैधानिक लोकतात्रिक व्यवस्था सूचना के अधिकार की अलग—अलग अवधारणाओं तथा संवैधानिक प्रावधानों से भरी पड़ी है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। दिसम्बर 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा' नाम का एक प्रपत्र जारी किया था। इस प्रपत्र के अनुच्छेद 19 में स्पष्टतः लिखा है— 'हर व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। बिना किसी हस्तक्षेप के विचार निर्मित करना और उसे व्यक्त करना इस अधिकार में सम्मिलित है। देश की सीमाओं की चिंता किये बगैर किसी भी माध्यम से सूचनाएँ एवं विचार एकत्र करने, प्राप्त करने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने का अधिकार भी इस अधिकार में शामिल है।⁵

विश्व का सबसे बड़ा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ भी मानता है कि सूचना के अधिकार के बिना विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई खास औचित्य नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 1948 वाला चार्टर ही नहीं बल्कि दिसम्बर 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर जारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र में भी सूचना की स्वतंत्रता की वकालत की गयी है। इस प्रतिज्ञापत्र का अनुच्छेद 19 (2) कहता है—

1. बिना किसी हस्तक्षेप के हर व्यक्ति को विचाराभिव्यक्ति की आजादी होगी।
2. हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इसमें सभी प्रकार की सूचनाएँ और विचार एकत्र करने, प्राप्त करने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने का अधिकार भी शामिल है। देश की सीमाओं को ध्यान में रखे बगैर कोई भी व्यक्ति यह काम मौखिक, लिखित अथवा किसी भी अन्य रूप में जो उसे पसन्द हो किसी भी माध्यम के जरिये कर सकता है।
3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 में दिये गये अधिकारों का उपभोग करने वालों के कुछ विशेष कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी होंगी। यानि इस पर कुछ प्रतिबंध भी हो सकते हैं, जिनका कानून में स्पष्टतः उल्लेख होगा। जैसे— (अ) यह अधिकार किसी के व्यक्तिगत जीवन

की गोपनीयता को भंग नहीं कर सकता। (ब) राष्ट्रीय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य और सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा के मामले इस अधिकार के दायरे से बाहर होंगे।

अनुच्छेद 17 (1) भी उतना ही प्रासंगिक है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति न तो किसी के निजी जीवन, परिवार, घर अथवा पत्र व्यवहार संबंधी गोपनीयता को भंग कर सकता है और न ही व्यक्ति विशेष के सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने वाली सूचनाओं का गैरकानूनी इस्तेमाल कर सकता है।⁶

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित संगठन 'यूनेस्को' (यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एण्ड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन) भी है। 'यूनेस्को घोषणा' नाम से प्रसिद्ध 1978 का प्रपत्र स्पष्टतः करता है— 'विचार, अभिव्यक्ति और सूचना के अधिकार को मानवाधिकारों तथा मौलिक, स्वतन्त्रताओं के अविभाज्य अंग के रूप में मान्यता प्रदान करनी होगी।'

बहुचर्चित सीन मैकब्राइड रिपोर्ट, जिसकी भूमिका यूनेस्कों के तत्कालीन महानिदेशक ने लिखी थी, में भी सूचना के अधिकार की वकालत की गयी है। 'मेनी वरसेस वन वर्ल्ड' नामक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सूचना की स्वतन्त्रता के बाहर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की समूची अवधारणा अधूरी रह जाएगी।⁷

संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनेस्कों के अलावा मानवाधिकारों एवं राजनैतिक अधिकारों पर हुए अन्य कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी सूचना के अधिकार का सवाल उठाया गया। अधिकांश देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस अधिकार को लोकतंत्र की बुनियाद माना। शायद यही कारण है कि आज दुनिया के लगभग दर्जन भर से ज्यादा राष्ट्रों ने इस अधिकार को अपने संविधान का अभिन्न अंग बना लिया है।

स्वीडन, फिनलैण्ड, नार्वे, डेनमार्क, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, आस्ट्रिया और ब्रिटेन ऐसे देश हैं जहाँ के नागरिकों को किसी न किसी रूप में सूचना का अधिकार प्राप्त है। जर्मनी संघ गणराज्य में 'फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट' तो नहीं बना है लेकिन वहाँ का विधिक तंत्र अपने प्रत्येक नागरिक को हर तरह की सरकारी सूचनाएं देने की वकालत करता है। जहाँ न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका ने कानून बनाया वहीं पाकिस्तान ने अध्यादेश के जरिए और मलेशिया ने कम्प्यूटर प्रणाली के जरिये अपने यहां सूचना प्रणाली विकसित की है।

भारत में सूचना के अधिकार को लेकर चल रही बहस से किसी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए इन देशों के अनुभवों को जानना समझना प्रासंगिक होगा। इन देशों में कब और कैसे बना सूचना का अधिकार देने वाला कानून? ऐसे कानूनों के निर्माण की आखिर

जरूरत क्यों पड़ी? समय के साथ साथ इन कानूनी प्रावधानों में किये गये संशोधन और कुल मिलाकर इन देशों का अनुभव क्या रहा? इसे समझने के लिए इन देशों के कानूनों की समूची पृष्ठभूमि के साथ साथ उनके विभिन्न प्रावधानों पर दृष्टि डालनी होगी।

स्वीडन

अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश स्वीडन है। सरकारी कागजात को देखने की स्वीकृति देने की वकालत सबसे पहले स्वीडन ने की थी। स्वीडिश संविधान सूचना की आजादी देने वाला दुनिया का सर्वाधिक पुराना संविधान है। स्वीडन के प्रत्येक नागरिक को सरकारी कागजात और प्रशासनिक गतिविधियों की पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार 1766 में प्राप्त हो गया था। 1766 में स्वीडन की सरकार ने 'प्रेस की स्वतन्त्रता' नामक कानून बनाया। सरकारी कामकाज की सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार इस कानून का एक हिस्सा था। यह अधिकार उस समय स्वीडन के चार मौलिक अधिकारों में से एक था। इस कानून के अस्तित्व में आने की घटना भी कम रोचक नहीं है। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के शुरुआती वर्षों में स्वीडन में मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल थे। एक का नाम "हैट्स" और दूसरे का नाम "कैप्स" था। "हैट्स" प्रभावशाली था। लम्बे समय तक स्वीडन की बागडोर इस पार्टी के हाथ में रही। 1750 के बाद स्वीडन की राजनीति में "कैप्स" का प्रभाव बढ़ने लगा। इसी दौरान सरकार की जवाबदेही और उसके कामकाज में पारदर्शिता लाने के सवाल पर स्वीडन में एक जबरदस्त आन्दोलन चला।

"हैट्स वाले गोपनीयता के पक्षधर थे जबकि "कैप्स" पार्टी, तन्त्र में पारदर्शिता की वकालत करती थी। 'हैट्स' की हार हुई और स्वीडन की बागडोर "कैप्स" पार्टी के हाथ में चली गयी। चुनाव के बाद सरकार ने 1766 में सबसे पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट बनाया। इस कानून में तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए आम नागरिक को सूचना की स्वतन्त्रता देने का प्रावधान किया गया।

सन् 1772 से 1809 तक स्वीडन में "निरपेक्षतावाद" का बोलबाला रहा। निरपेक्षतावादियों के लिए "एब्स्ल्यूटिस्ट" शब्द का प्रयोग किया गया। इनका शासन मूलतः एक निरंकुश शासन माना गया। 1766 में बने कानून की करीब तीस वर्षों तक अवहेलना होती रही। 1812 में तख्ता पलट के बाद इस कानून को प्रभावी बनाने के उपाय किये गये तथा इसमें कई संशोधन हुए। संशोधनों और इस कानून की अपेक्ष करने की प्रक्रिया 1950 तक जारी रही। 1950 में पुनः फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट को प्रभावी बनाया गया। लगभग दो सौ वर्ष बाद अन्ततः यह कानून विस्तार से स्वीडन के संविधान का अंग बना। बदली हुई परिस्थितियों

को ध्यान में रखकर तमाम संशोधनों के जरिये स्वीडन की फ्रीडम ऑफ प्रेस ऐक्ट ने 1976 में एक आधुनिक स्वरूप ग्रहण किया जो कई देशों में लिए आदर्श साबित हो सकता है। 1976 के इस कानून में कुल 14 अध्याय हैं। प्रेस की स्वतन्त्रता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर इन अध्यायों में विस्तृत चर्चा की गयी है। “ऑन द पब्लिक करेक्टर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स” नामक दूसरे अध्याय में सूचना का अधिकार देने वाले कानून के विभिन्न प्रावधान मौजूद हैं। इस अध्याय में कुल 16 अनुच्छेद हैं।

अनुच्छेद एक का कहना है – ‘विचारों का आदान प्रदान एवं जन जागरूकता में वृद्धि के लिए स्वीडन के प्रत्येक नागरिक को सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने की स्वतन्त्रता होगी। स्वीडन का यह कानून सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता तो देता है लेकिन इसके दायरे से वह कुछ मामलों को बाहर भी रखता है। कानूनके अनुच्छेद दो में ऐसे सात प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है जिनके कारण कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएँ नहीं प्राप्त कर सकता है। ये सात प्रतिबंध हैं—

1. राष्ट्रीय सुरक्षा विदेश नीति एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से रिश्ते को प्रभावित करने वाली सूचनाएँ।
2. केन्द्रीय वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति अथवा विदेशी विनिमय नीति के दायरे में आने वाली सूचनाएँ।
3. निगरानी, नियंत्रण और जांच पड़ताल के सम्बद्ध में की जा रही सार्वजनिक प्राधिकरणों की गतिविधियों की जानकारियां।
4. अपराध रोकने या अपराधी को दण्डित करने के लिए गोपनीय रखी जाने वाली जरूरी सूचनाएँ।
5. राज्य अथवा जनसमुदाय के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए गुप्त रखी गई सूचनाएँ।
6. व्यक्ति की निष्ठा अथवा उसकी आर्थिक दशा की रक्षा के लिए जरूरी जानकारियां।
7. जानवरों और वनस्पतियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सूचनाएँ।

अर्थात् इन सात चीजों की रक्षा के लिए स्वीडन सरकार आवश्यक समझती है कि इनसे संबंधित जानकारियों को गुप्त रखा जाये। इन सात के अलावा स्वीडन का प्रत्येक नागरिक सरकारी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कानून का अनुच्छेद तीन सरकारी दस्तावेज शब्द की व्याख्या भी करता है। इस व्याख्या के अनुसार सरकार अथवा

इसके किसी प्राधिकरण के पास मौजूद लिखित शब्द, चित्र सभी तरह के वे रिकॉर्डर्स जिन्हें पढ़ा सुना अथवा देखा जा सकता है, दस्तावेज माना जाएगा।

किसी सरकारी अधिकारी को अधिकारी के तौर पर व्यक्तिगत रूप से सूचित तथ्य भी इसी दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। (अनुच्छेद 4, 5, 6, 7) जिन सात मामलों को स्वीडन का संविधान गोपनीय रखने का पक्षधर है उसकी भी कुछ सीमाएँ हैं। 1980 में स्वीडन का गोपनीय कानून बना, जिसमें 1986 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किये गए। इस कानून के अनुसार ऐसे मामलों की गोपनीयता बनाये रखने की अधिकतम अवधि दस से चालीस वर्ष बाद “सरकारी दस्तावेज” की श्रेणी में रखने यानि सार्वजनिक करने का प्रावधान है।

यदि किसी नागरिक को सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हों अथवा इस संदर्भ ने उसे गलत या देर से सूचना दी गयी हो। तो वह इस मामले में न्याय पाने के लिए स्वीडिश ओम्बुडसमैन या द चांसलर ऑफ जस्टिस अथवा सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के समक्ष अपील कर सकता है। सूचनाओं को छिपाने अथवा सही सूचना न देने का आरोप सिद्ध होने की स्थिति में संबंधित सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर दण्ड का भागीदार होगा।

जब सरकारी मामलों में पारदर्शिता का सवाल उठा तब स्वीडन के कुछ, लोगों ने निजी जीवन के मामलों को भी पारदर्शी बनाने के बकालत शुरू कर दी। दरअसल स्वीडन में वहाँ के नागरिकों से संबंधित कुछ, महत्वपूर्ण जानकारियों को सरकार के स्तर पर संग्रह कर सुरक्षित रखने की परम्परा रही है। इन जानकारियों में व्यक्ति द्वारा अदा किये जाने वाले करों, लिये गये ऋणों संबंधित जानकारियों उसके द्वारा हुए अपराधों से लेकर वैवाहिक स्थिति जैसी ढेरों चीजों का लेखा जोखा शामिल है। वहाँ के हर नागरिक को सरकार दस अंकों वाला एक नम्बर देती है। इस नम्बर की शुरुआत व्यक्ति की जन्म तिथि वाले नम्बर से होती है।

यदि यह नम्बर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जायें तो वह हर व्यक्ति के निजी जीवन में झांक सकता है। इस प्रावधान के विरुद्ध स्वीडन के कई सम्मानित नागरिकों ने नब्बे के दशक में आवाज उठायी थी। आज भी वहाँ अक्सर यह बहस चलती रहती है कि किसी के निजी जीवन को किस हद तक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।⁸

स्वीडन के इन संवैधानिक प्रावधानों के पक्ष और विपक्ष में तर्क देने वालों की संख्या कम नहीं है, बावजूद इसके इतना तो मानना ही पड़ेगा कि सूचना का अधिकार देने की पहल करने वाले देश के लिए स्वीडन का संविधान एक मॉडल का काम कर सकता है। आखिर यह स्वीडिश पारदर्शिता का ही कमाल था कि भारत में उस वक्त तक के सबसे बड़े घोटाले

बोफोर्स की जानकारी किसी भारतीय प्रचार माध्यम से नहीं बल्कि स्वीडिश रेडियो से प्राप्त हुई थी। बहरहाल स्वीडन में ही नहीं बल्कि तीन अन्य स्कैन्डिनेवियन देशों में भी वहाँ के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है ये देश हैं— फिनलैण्ड, डेनमार्क, नार्वे।

फिनलैण्ड, डेनमार्क और नार्वे

फिनलैण्ड उन्नीसवीं शताब्दी का स्वीडन का अभिन्न अंग था। शायद इसीलिए स्वीडन की खुलेपन वाली परम्परा को बहुत हद तक फिनलैण्ड ने स्वीकृति प्रदान की थी। बावजूद इसके वहाँ के नागरिकों को सूचना का अधिकार अथवा सरकारी दस्तावेजों को प्राप्त करने का अधिकार 1951 में तब मिला जब फिनलैण्ड ने “लॉ ऑन द पब्लिक करेक्टर ऑफ ऑफिसियल डॉक्यूमेंट्स” नामक कानून बनाया। डेनमार्क और नार्वे तो और भी पीछे रहे। यूं तो डेनमार्क ने 1964 में ही सूचना देने वाला कानून बना दिया था लेकिन यह कानून एक सामान्य कानून के बतौर 1970 में संविधान का अंग बन गया। नार्वे भी 1970 में ही अपने नागरिकों को सरकारी दस्तावेज मुहैया कराने वाला कानून बना सका।

कनाडा के कार्लहन विश्वविद्यालय के राजनीतिशास्त्र विभाग के पूर्व प्रोफेसर डोनल्ड सी रोबै ने इन चारों स्कैन्डिनेवियाई देशों के सूचना अधिकारों के प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। उनके अध्ययन के अनुसार स्वीडन की तुलना में इन तीनों देशों के कानूनी प्रावधान अपेक्षाकृत लचीला है। स्वीडन का कानून वहाँ की संसद (रिक्सडॉग) द्वारा पारित फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट का अंग है, जिसमें कोई संशोधन वहाँ की निर्वाचित संसद ही कर सकती है जबकि फिनलैण्ड, डेनमार्क, नार्वे के कानूनों को यह दर्जा प्राप्त नहीं है, इसमें संशोधन साधारण प्रक्रिया के जरिए भी संभव है। स्वीडन और फिनलैण्ड के कानूनों में यह प्रावधान है कि वहाँ के प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण विभिन्न तरह की सूचनाएं देने के लिए बाध्य हैं। जबकि ऐसा डेनमार्क और नार्वे में नहीं है। वहाँ के नागरिक सिर्फ उन्हीं सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं जिनके बारे में उन्हें एक हद तक पहले से ही जानकारी है। इसके कानून में लिखा है कि सूचना मांगने वाले व्यक्ति को अपनी मांग में इस सरकारी दस्तावेज का स्पष्टतः उल्लेख करना होगा, जिसमें उसे वह सूचना प्राप्त हो सकती है। कौनसी सूचना किस दस्तावेज में उपलब्ध है इसकी जानकारी देने के लिए सरकारी प्राधिकरण बाध्य नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि सूचना मांगने से पहले व्यक्ति विशेष को उस खास चीज के बारे में पूरी जानकारी रखने और देने की जिम्मेदारी वहाँ के सरकारी प्राधिकरणों अथवा सरकारी मशीनरी की है।

स्वीडन और अन्य स्कैन्डिनेवियाई देशों में एक मूल अंतर व्यवस्था संबंधित है। स्वीडन में मंत्रालय और उसके विभाग अलग—अलग एक स्वायत्त संस्था की तरह है जब कि फिनलैण्ड, डेनमार्क और नार्वे में ऐसा नहीं है। सरकारी विभागों के हर निर्णय मंत्रालय और मंत्रालय के हर निर्णय विभागों के प्रमुखों को भेजने की परम्परा स्वीडन में है। कानून के मुताबिक इस निर्णय की प्रतिलिपियाँ स्वीडन का हर नागरिक प्राप्त कर सकता है। ऐसी व्यवस्था अन्य तीन देशों में नहीं है। स्वीडन में पर्याप्त पारदर्शिता का एक कारण यह व्यवस्था भी है। रही बात अपील की तो इन चारों ही देशों में नागरिक सूचना न मिलने अथवा गलत सूचना मिलने की स्थिति में दो से लेकर तीन जगहों पर अपील कर सकते हैं। स्वीडन और फिनलैण्ड में आम्बुडसमैन चांसलर ऑफ जस्टिस अथवा सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के समक्ष अपील करने की व्यवस्था है जब कि डेनमार्क और नार्वे में ऐसी अपील ओम्बुडसमैन अथवा किसी सामान्य न्यायालय में की जा सकती है।

आमतौर पर वहाँ के आम नागरिक और पत्रकार ओम्बुडसमैन के पास जाते हैं जब कि उद्योग समूहों के लोग न्यायालय के पास। संविधान के मुताबिक इन देशों में आम्बुडसमैन का निर्णय बाध्यकारी नहीं है। कुल मिलाकर पारदर्शिता की दृष्टि से स्वीडन का “फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट” और लॉ ऑफ पब्लिक करेक्टर ऑफ आफिसियल डॉक्यूमेंट्स अन्य तीन स्कैन्डिनेवियाई देशों की तुलना में ज्यादा प्रभावी और जन पक्षधर माना जा सकता है।⁹

संयुक्त राज्य अमेरिका

सरकारी तंत्र में पारदर्शिता की दृष्टि से कई अन्य देशों के मुकाबले अमरीका आगे रहा है। वहाँ प्रशासनिक स्तर पर 1946 में ही ऐसे कई प्रावधान कर दिये गए थे जिनके आधार पर सरकारी दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती थी यह बात अलग है कि ऐसी जानकारी देने का अधिकार वहाँ के सिर्फ मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एक्जिक्यूटिव) को ही प्राप्त था। इस अधिकार की अनेक सीमाएँ थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के दरम्यान तो पारदर्शिता नाम की चीज पूरी तरह समाप्त हो गयी थी। फांसीबाद के विरुद्ध संघर्ष का इतना बोलबाला था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोई अमरीकी अधिकारी सरकारी सूचनाएँ देने का साहस नहीं कर सकता था। इस अफरातफरी वाले दौर ने पारदर्शिता की अमरीकी अवधारणा को छिन्न भिन्न कर दिया था। हर स्तर पर गोपनीयता बनाये रखना प्रत्येक अमरीकी नागरिक का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया था।

धीरे—धीरे युद्धकालीन परिस्थितियां समाप्त हुई और अमरीकी संविधान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन के कारण की 1966 का “फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन एक्ट” अस्तित्व में आया। अमरीकी राष्ट्रपति जॉनसन की उदासीनता के बावजूद अमरीकी कांग्रेस ने यह कानून पारित कर दिया था। इस एक्ट के द्वारा अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की।¹⁰ हर नागरिक सरकारी दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हो गया। स्वीडन की तरह इस अमरीकी कानून में भी कुछ खास क्षेत्रों की सूचनाओं को “फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन एक्ट” के दायरे से बाहर रखा गया।

इन प्रतिबंधित प्रावधानों में ऐसी कई विरोधाभास चीजें थीं जिनके आधार पर प्रशासनिक अधिकारी कानून की अलग व्याख्या करने लगे। मामले अदालत में पहुंचना शुरू हो गये। इसको ही ध्यान में रखकर 1974 में अमरीकी कांग्रेस ने 1966 के इस कानून में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए। इसी वर्ष कांग्रेस ने सूचना के अधिकार से संबंधित “प्राइवेसी एक्ट” भी पारित किया।

यही नहीं 1976 के “सनसाइन एक्ट” के जरिये सरकार ने पारदर्शिता की एक नयी मिसाल प्रस्तुत की। इस एक्ट में कई सरकारी एजेंसियों को अपनी बैठकें जनता के बीच खुले तौर पर करने का प्रावधान है। 1974 के संशोधनों को लेकर अमरीकी राजनीति में भारी हंगामा रहा। राष्ट्रपति निक्सन के इस्तीफे के बाद अमरीकी कांग्रेस के समक्ष 1966 के कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव आया था। उस वक्त अमरीका के राष्ट्रपति फोर्ड ने अपने वोटों का इस्तेमाल कर इन संशोधनों को रोकना चाहा था लेकिन कांग्रेस ने उसे खारिज कर अमरीकी नागरिकों की सही मायने में सूचना की स्वतंत्रता प्रदान करने की वकालत की।¹¹

1974 के संशोधनों के अनुसार निम्नलिखित नौ क्षेत्रों को सूचना की स्वतंत्रता कानून के दायरे से बाहर रखा गया—

1. राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति संबंधी वे सूचनाएँ, जिन्हें गोपनीय रखने के लिए सरकारी स्तर पर आदेश जारी किये गये हों।
2. किसी ऐजेन्सी के आंतरिक कार्मिक मामलों और व्यवहारों से संबंधित सूचनाएँ।
3. कानून द्वारा विशेष तौर पर गोपनीय रखी जाने वाली सूचनाएँ।
4. व्यापार, वाणिज्य और वित्त संबंधी गोपनीय सूचनाएँ।

5. किसी एजेन्सी की आंतरिक अथवा दो ऐजेन्सियों में परस्पर पत्र व्यवहार के जरिए दी या ऐसी सूचनाएँ, जिन्हें उजागर करने का आदेश न्यायालय ने न दिया हो।
6. वैयक्तिक गोपनीयता भंग करने वाली सूचनाएँ, जिनमें कार्मिक और स्वास्थ्य जैसी सभी सूचनाएँ शामिल हैं।
7. कानून को लागू करने की दृष्टि से जांच पड़ताल के जरिए एकत्र रिकॉर्ड में रखी गयी सूचनाएँ।
8. वित्तीय संस्थाओं पर निगरानी रखने अथवा उसको नियंत्रित करने वाली एजेन्सियों द्वारा जुटायी गयी सूचनाएँ।
9. भू वैज्ञानिक अथवा भूभौतिक सूचनाएँ।¹²

इन नौ क्षेत्रों की सूचनाओं को छोड़कर प्रत्येक अमरीकी को हर स्तर की सरकारी सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना मांगने के दस दिन के भीतर संबंधित अधिकारी को सूचना मुहैया करनी पड़ेगी। यदि वह मांगी गयी सूचना नहीं दे रहा है तो उसे इसका कारण बताना पड़ेगा। कारण बताने की अधिकतम समय सीमा बीस दिन की है। इसके बाद सूचना मांगने वाला व्यक्ति उक्त अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में अपील कर सकता है। परम्परा के अनुसार अमरीकी न्यायालय ऐसे मामलों पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय देते हैं। यदि सूचना देने वाला अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध दण्ड का भी प्रावधान है। यही नहीं, अमेरिका के इस कानून के मुताबिक सरकारी प्राधिकरणों का यह दायित्व है कि सारी सूचनाओं का वर्गीकरण कर उसका रिकॉर्ड रखें।

कोई अधिकारी यह तर्क नहीं दे सकता है कि आमुक सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है। अमरीकी कांग्रेस ने सामान्य नियम बना दिया था कि कितने लोगों ने सूचनाओं की मांग की और कितने लोगों को सूचनाएँ प्रदान की गयी। इसका वार्षिक लेखा जोखा भी सरकार प्रस्तुत करेगी। अमरीका ने 85 से लेकर 90 प्रतिशत सूचनाएँ मुहैया कराने का रिकॉर्ड कायम किया है। ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है जिन्होंने सूचना मांगी हो और उन्हें न मिली हो।

पश्चिमी यूरोप

स्कैन्डिनेवियाई देशों के अलावा पश्चिमी यूरोप के तीन अन्य देशों ने भी स्तर के दशक में सूचना के अधिकार पर पहल की ये देश हैं— ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नीदरलैण्डस। ऑस्ट्रिया की संसद ने 1973 में प्रशासनिक स्तर पर सरकारी सूचनाएं प्रदान करने संबंधी

प्रावधान किये जबकि फ्रांस और नीदरलैण्ड ने 1978 में अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला एक सम्पूर्ण कानून निर्मित किया।

ऑस्ट्रिया

ऑस्ट्रिया में “फैडरल मिनिस्ट्रिज एक्ट” नाम का कानून पहले से मौजूद था। 1973 में ऑस्ट्रिया की संसद ने इस कानून में दो अन्य उपबंधों को शामिल किया। ये दोनों उपबन्ध जनता का प्रशासनिक सूचनाएँ मुहैया करने की वकालत करते हैं और इसका दायित्व मंत्रीमण्डल को सौंपते हैं। पहला उपबन्ध कहता है, “प्रत्येक मंत्री का दायित्व है कि लोगों की मांग पर वह उन्हें सूचनाएँ उपलब्ध कराये।” दूसरे उपबन्ध के मुताबिक मंत्री का यह भी दायित्व है कि वह गारंटी प्रदान करे उसके अधीन कार्यरत प्राधिकरणों के अधिकारीगण ऐसी सूचनाएँ देने के लिए बाध्य रहें।

यह सच है कि 1973 में जब ये प्रावधान अस्तित्व में आये थे तब ऑस्ट्रिया में सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से रखने के कोई तंत्र विकसित नहीं हुआ था और न ही ये प्रावधान ऐसे किसी तंत्र के विकास को बाध्यकारी बनाते थे। बावजूद इसके उस ऑस्ट्रिया में, जहाँ पारदर्शिता नाम मात्र थी, 1973 के इन उपबंधों के माध्यम से एक नयी शुरुआत हुई। सूचना प्राप्त करने संबंधी ढेरों मामले धीरे-धीरे ऑस्ट्रिया के प्रशासनिक न्यायालयों में रिकॉर्ड तैयार करने और लोगों की मांग पर उन्हें देने के लिए बाध्य हैं। ऑस्ट्रिया सरकार को इस सन्दर्भ में निर्णय लेना पड़ा। सीमित अर्थों में ही सही, ऑस्ट्रिया के नागरिक सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। सरकार की ओर से वहाँ कानून बनाने की अब पहल भी हो चुकी है।¹³

फ्रांस

दुनिया के जिन कुछ देशों में लम्बे समय से लोकतांत्रिक परम्पराओं का अस्तित्व रहा है उनमें एक फ्रांस भी है। फ्रांस का संविधान विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का न सिर्फ पक्षधर है बल्कि वह इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखता है। 1789 की सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण नारा मानवाधिकारों की रक्षा करना भी था, जिसमें प्रेस की स्वतन्त्रता शामिल थी। शायद यही वजह है कि जब फ्रांस का संविधान निर्मित हो रहा था तब संविधान निर्माताओं ने उसकी स्वतन्त्रता में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख करना उचित समझा। बावजूद इसके एक आमधारणा रही है कि यूरोप के कई देशों और अमरीका की तुलना में फ्रांस का प्रेस सरकार के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख अखिलयार करता रहा है।

उन्नीसवीं शताब्दी के आखिर में फ्रांसीसी सेना के कमांडरों ने अल्फैड ड्रीफस नाम के एक सज्जन व्यक्ति पर देशद्रोह को झूठा आरोप लगाकर आइसलैण्ड की जेल (जिसे शैतानों की जेल कहा जाता था) में कैद कर रखा था। फ्रांस के सुप्रसिद्ध लेखक एमिल जोला ने जब सेना के इस कुकृत्य के खिलाफ लेख लिखा, तब फ्रांस का सूचना प्रेस सेना की वाहवाही में जुटा था। फ्रांसीसी प्रेस के बारे में स्थापित इन आम धारणाओं को सत्य साबित करने के लिए ऐसे अन्य कई तथ्य दिये जाते रहे हैं। बीसवीं शताब्दी का फ्रांसीसी प्रेस इस बीमारी से मुक्त हो गया था। वहाँ का समाजवादी आंदोलन लोकतांत्रिक परम्पराओं को स्थापित करने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हुआ और तंत्र की पारदर्शिता का सवाल फ्रांस की समूची राज्य मशीनरी का अभिन्न अंग बन गया।

1978 के पहले फ्रांस की सरकार अपनी स्थापित परम्पराओं के आधार पर खुलेपन की गारंटी प्रदान करती थी। प्रशासनिक स्तर पर ऐसे कई प्रावधान थे जिसके चलते नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे तंत्र में पारदर्शिता नजर आती थी। म्युनिसिपल परिषदों की बैठकों का खुले में होना और प्रत्येक योजना को जनसाधारण के समक्ष रखने की परम्पराएँ इसी श्रेणी में आती थी। इन परम्पराओं के बावजूद वहाँ सत्तर के दशक में सूचना की स्वतन्त्रता देने वाले कानून बनाने की आवाज उठने लगी। यह आवाज 1973 में उस समय और मुखर हुई जब प्रशासनिक दस्तावेजों के समन्वय हेतु बने एक आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी। इस रिपोर्ट में सूचना का अधिकार देने संबंधी कानून बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। इस प्रस्ताव के आधार पर ही फ्रांस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक कार्यदल का गठन किया। इस मसौदे को आधार बनाकर सरकारी सूचनाएँ हासिल करने का अधिकार फ्रांस के नागरिकों को 1978 में तब मिला जब फरवरी 1977 में सरकार द्वारा गठित एम. आरदोनेऊ की अध्यक्षता वाले आयोग ने अपनी संस्तुतियां की। 17 जुलाई 1978 की संसद ने जो कानून (संख्या 78-753) पारित किया वह कमोवेश अमरीका के सूचना की स्वतन्त्रता कानून जैसा ही था। इस कानून के द्वारा सरकार ने एम. आरदोनेऊ के नेतृत्व में पुनः एक आयोग गठित किया, जिसने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।¹⁴

समय-समय पर बने तमाम आयोगों की संस्तुतियों और फ्रांस की लोकतांत्रिक परम्पराओं के आधार पर वहाँ जो कानूनी प्रावधान किये गये हैं वे सूचना की स्वतन्त्रता के हिमायती हैं। स्वीडन, अमरीका और अन्य देशों की तरह कुछ एक अपवादों को छोड़कर तकरीबन हर तरह की सरकारी सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार अब फ्रांस के प्रत्येक नागरिक को भी हासिल है। सूचना न देने वाले अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में अपील का

भी प्रावधान है। फ्रांसीसी कानून के उपबन्ध कुल मिलाकर तंत्र की पारदर्शिता की वकालत करते हैं।

नीदरलैण्ड

फ्रांस की तरह नीदरलैण्ड में भी सूचना के अधिकार पर कानून बनाने की प्रक्रिया स्तर के दशक में प्रारंभ हुई। इसके पहले अधिकारियों की इच्छानुसार सरकारी सूचनाएँ गुप्त अथवा सार्वजनिक हो सकती थीं। 1970 में जब एक सरकारी आयोग ने तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया तब नीदरलैण्ड की सरकार ने कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की। इस आयोग ने सूचना का अधिकार देने वाला एक मॉडल विधेयक भी प्रस्तुत किया था। इसी विधेयक को आधार बनाकर 1975 में सरकार ने एक नये विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया। यह मसौदा न सिर्फ नीदरलैण्ड की संसद के समक्ष रखा गया बल्कि राय प्राप्त करने के लिए इसे देश की अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं और कानून विशेषज्ञों को भी भेजा गया। निचले सदन ने इस विधेयक को फरवरी 1977 में ही पारित कर दिया था। लेकिन अचानक सरकार गिर जाने के कारण ऊपरी सदन द्वारा विधेयक को मंजूरी न मिल सकी। 1978 में जब नयी सरकार बनी तक यह विधेयक पास हो सका। इस तरह “ओपननेस ॲफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट” नाम का यह विधेयक नवम्बर 1978 में नीदरलैण्ड के कानून का अभिन्न अंग बन गया।

दूसरे अन्य देशों के कानूनों की तुलना में नीदरलैण्ड का कानून काफी लचीला माना जाता है यह कानून आम जन को प्रशासनिक स्तर की सूचनाएँ देने की वकालत तो करता है लेकिन वह सरकारी दस्तावेज की मूल प्रतिलिपियां प्रदान करने की अनुमति नहीं देता। इस तरह से देखा जाये तो यह कानून सूचनाओं की व्याख्या का सारा दारोमदार सरकारी अधिकारियों के हवाले कर देता है।

नीदरलैण्ड के कानून में जिन क्षेत्रों को सूचना के अधिकार की सीमा के बाहर रखा गया है वह क्षेत्र अन्य देशों के कानून की तुलना में काफी व्यापक हैं। इनमें ऐसी सूचनाएँ जो ‘सत्ताशीर्ष’ और राज्य की सुरक्षा को आधार बनाकर कई महत्वपूर्ण सूचनाओं को आसानी से छिपा लेने का काम कोई भी सरकारी अधिकारी कर सकता है। इसके विपरीत नीदरलैण्ड के कुछ कानून का अपेक्षाकृत एक सख्त पहलू भी है। कानून के मुताबिक सूचना से वंचित किया जाने वाला व्यक्ति अपने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है। इस न्यायालय के न्यायाधीश कानून की व्याख्या करने के लिए स्वतन्त्र हैं। उनकी व्याख्या को ही यह कानून

अंतिम मानता है। नीदरलैण्ड का कानून कहता है कि समय—समय पर सरकार कानून के लागू होने की पूरी स्थिति की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करेगी। साथ ही हर पाँच वर्ष के बाद नीदरलैण्ड के नागरिकों, कानून विशेषज्ञों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं एवं व्यक्तियों के सुझावों को एकत्र कर सरकार एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी और संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इन प्रावधानों के चलते पिछले बीस वर्षों के दौरान नीदरलैण्ड के कानून में सूचना का अधिकार की दृष्टि से काफी सकारात्मक सुधार हुए हैं।¹⁵

कनाडा

कनाडा एक संघीय स्वरूप वाला देश है। उसके प्रान्तों को काफी हद तक स्वायत्तता प्राप्त है। उनका अपना प्रशासनिक ढांचा है और उसी ढांचे से ये प्रान्त नियंत्रित एवं संचालित होते हैं। सूचना की स्वतन्त्रता के मामले में ये प्रान्त कनाडा की संघीय सरकार के मुकाबले कई दृष्टियों से आगे रहे। नोवा स्कॉटिया कनाडा का एक ऐसा ही प्रान्त है जिससे सबसे पहले 1977 में सूचना की स्वतन्त्रता का अधिकार देने वाला ‘फ्रीडम ऑफ इन्फोर्मेशन एक्ट’ बना दिया था। यही नहीं उसने वैयक्तिक गोपनीयता का कानून बनाकर अपने प्रान्त के लोगों को “पर्सनल फाइल्स” की गोपनीयता बनाये रखने का अधिकार भी दे दिया था। नोवा स्कॉटिया के ‘फ्रीडम ऑफ इन्फोर्मेशन एक्ट’ का सर्वाधिक दिलचस्प पहलू यह है कि इस कानून में सिर्फ सूचना के अधिकार की सीमा से बाहर रखे गये क्षेत्रों को ही नहीं बल्कि इसकी सीमा में आने वाले क्षेत्रों की भी विस्तृत सूची दी गयी। इन दोनों सूचियों को लेकर जब काफी विवाद उठने लगे तब विधेयक में एक प्रावधान जोड़ा गया कि विवाद की स्थिति में “गुप्त रखे गये क्षेत्रों की सूची को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इस सूची में कुछ ऐसी सूचनाएँ भी शामिल कर ली गयी थी, जिन्हें गोपनीय रखने की परम्परा नहीं थी। प्रान्त के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इसे मुद्दा बना दिया और तब नोवा स्कॉटिया सरकार ने अपने प्रस्तुत विधेयक में संशोधन कर उन सूचनाओं को सार्वजनिक माना जो परम्परागत रूप से सभी को पहले से ही मिलती रही है।

कानून में यह भी प्रावधान है कि लिखित सूचना मांगने वाले व्यक्ति को पंद्रह दिन के भीतर सूचना दे दी जानी चाहिए। सूचना देने में देरी करने वाले अधिकारी को देरी का उचित कारण बताना अनिवार्य होगा। इस कानून का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू अपील की प्रणाली थी। कानून के मुताबिक जिस व्यक्ति को सूचना नहीं दी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है, वह सबसे पहले संबंधित विभाग के प्रमुख के समक्ष अपील करेगा। उसके बाद संबंधित मंत्री और मंत्री द्वारा इनकार कर देने की स्थिति में मामला समूची विधायिका के समक्ष रखा

जायेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उस पर न्यायालय विचार कर सकेगा। अपील की इस जटिल बहुस्तरीय प्रक्रिया को लेकर कई विवाद उठे और अन्ततः सरकार ने इसे सरल बनाया।

कनाडा का दूसरा प्रांत न्यू ब्रानस्विक है, जहाँ की प्रान्तीय असेम्बली में भी सूचना का अधिकार कानून बनाया था। इन कानून को जून 1978 में ही पास कर दिया गया था लेकिन वह 1979 के बाद ही लागू हो सका। न्यू ब्रानस्विक के इस कानून में सूचना देने के जिम्मेदारी संबंधित विभाग के मंत्री की थी। मंत्री द्वारा इन्कार कर दिये जाने के स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने मामले को या तो ओम्बुडसमैन के समक्ष रखेगा अथवा प्रान्त के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। संबंधित मंत्री को सूचना देने के लिए बाध्य कर देने का अधिकार ओम्बुडसमैन को प्राप्त था।

इन दो प्रान्तों के अलावा कनाडा की संघीय सरकार ने भी अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया है। केन्द्र के स्तर पर कानून बनाने की प्रक्रिया दिसम्बर 1975 में तब शुरू हुई जब एक संसदीय समिति ने ऐसा कानून निर्मित करने संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस रिपोर्ट को फरवरी 1976 में मंजूरी भी दे दी। इस मंजूरी के बाद सूचना का अधिकार कानून बनाने के लिए एक मॉडल विधेयक तैयार करने हेतु 1977 में “ग्रीन पेपर” जारी हुआ। “ग्रीन पेपर” का अध्ययन कर अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसने जून 1978 में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट में समिति ने सूचना का अधिकार देने वाले एक सख्त कानून के पक्ष में अपनी राय जाहिर की थी। 1979 के शुरुआती महीनों में ही संसद में एक विधेयक प्रस्तुत होने वाला था लेकिन चुनावों में सरकार के पराजित हो जाने के कारण यह विधेयक अक्टूबर 1979 में पेश हुआ। समय समय पर संसदीय समितियों द्वारा दिये गये सुझावों और “ग्रीनपेपर” की संस्तुतियों के आधार पर तैयार किये गए इस विधेयक को संसद में प्रधानमंत्री जोए क्लार्क के नेतृत्व में बनी कंजरवेटिव पार्टी को नवनिर्वाचित अल्पमत सरकार ने प्रस्तुत किया था। कनाडा का “एक्सेस टू इन्फार्मेशन एक्ट” 1980 में अस्तित्व में आया। 1981, 82 और 83 में इस कानून में कई संशोधन भी हुए। इन्हीं वर्षों में कनाडा की संसद ने “प्राइवेसी एक्ट” भी पारित किया।

कनाडा के “एक्सेस टू इन्फार्मेशन एक्ट” के मुताबिक सरकार द्वारा संचालित सभी विभागों के रिकॉर्ड्स में रखी गयी सूचनाएँ आम नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। जिन सीमित सूचनाओं को सरकार गुप्त चाहती है उनका स्पष्ट उल्लेख सरकार को करना होगा। हर तरह

के पत्र व्यवहार, ज्ञापन, किताबें योजनाएं, नक्से, ड्राईग, चित्र अथवा ग्राफिक, फ़िल्म, माइक्रो फ़िल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, वीडियो टेप, कम्प्यूटर में रखी गयी सामग्री और अन्य सभी तरह की दस्तावेज नुमा सामग्री को यह कानून सरकारी रिकॉर्ड्स की श्रेणी में रखता है। कानून में प्रावधान है कि हर मंत्री अपने संबंधित विभाग की समूची जानकारी वर्ष में एक बार अवश्य प्रकाशित करेगा, किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गयी सूचनाएं तीस दिन के भीतर अवश्य दे दी जाएंगी।

यदि कोई सरकारी सूचना देने में देरी करता है तो इसे इसका उचित कारण बताना होगा। सूचना देने में किसी भी तरह की कोताही बरतने अथवा गलत या मांगी गयी सूचना न देने और निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की मांग करने वाले अधिकारी के खिलाफ मामले की सुनवाई “सूचना आयुक्त” (इन्कार्मेशन कमिशनर) करेगा। सूचना आयुक्त की नियुक्ति कनाडा की सरकार सात वर्ष के लिए करेगी लेकिन उसके पद की निरन्तरता के लिए सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स से संस्तुति प्राप्त करनी होगी। सूचना आयुक्त के खिलाफ कोई भी अपील कनाडा के फेडरल कोर्ट में ही की जा सकेगी।¹⁶

अन्य देशों के कानूनों की तरह कनाडा में भी सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखी जाने वाली सूचनाओं का विस्तृत व्यौरा है। विदेशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से बने रिश्ते के प्रभावित करने वाली, संघीय स्वरूप के विरुद्ध जाने वाली सूचनाएं इसी श्रेणी में आयेंगी। इस कानून के मुताबिक तस्करी, नशाखोरी और आतंकवादी गतिविधियों को ध्यान में रखकर तैयार की गयी सैनिक रणनीति को जानकारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों एवं कूटनीतिक रिश्तों के तहत एकत्र की गयी विदेशी खुफिया जांच की सूचनाएं एवं व्यापार वित्तीय तथा वाणिज्यिक सीक्रेट्स भी इस कानून के दायरे से बाहर रहेंगे। अन्य देशों की तरह कनाडा का कानून भी कुछ प्रतिबंधों के साथ ही अपने नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है।

न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका एवं कुछ अन्य देश

न्यूजीलैण्ड ने सूचना का अधिकार देने वाला कानून तो नहीं बनाया है लेकिन 1982 में अपने सरकारी गोपनीयता कानून (ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट) के प्रावधानों को उदार बनाकर उसने सूचना प्राप्त करने के अधिकार को सुनिश्चित किया। इस कानून के मुताबिक, न्यूजीलैण्ड का कोई भी व्यक्ति सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए ओम्बुड्समैन की सहायता ले सकता है। यदि सरकार किसी सूचना को लोकहित में गोपनीय मानती है तो उसे

संसद को उसका स्पष्ट तर्कयुक्त कारण बताना पड़ता है। यदि संसद ने सरकार द्वारा बताये गये कारणों को उचित मान लिया तो वह सूचना गोपनीयता की श्रेणी में पहुंच जाएगी और उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा। इस लिहाज से देखें तो सीमित अर्थों में ही सही न्यूजीलैण्ड की सरकार सूचना के अधिकार का समर्थन करती है।

यही नहीं, दक्षिण अफ्रिका के नये संविधान में भी सूचना का अधिकार शामिल कर लिया गया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने एक अध्यादेश के जरिये अपने नागरिकों को सूचना की स्वतन्त्रता मुहैया करायी है जबकि मलेशिया से कानून या अध्यादेश तो जारी नहीं किया है लेकिन उसने कम्प्यूटर पर लोक प्रशासन के कामकाज की सूचना प्रणाली शुरू की है। दक्षिण अफ्रीका की संसद ने वर्ष 2000 में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित किया, जो वर्ष 2001 से प्रभावी किया गया।

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के प्रशासनिक तंत्र में लम्बे समय तक गोपनीयता का बोलबाला रहा है। खुलेपन और पारदर्शिता की बात वहाँ 1972 में तब जोर पकड़ी जब नयी लेबर सरकार ने इसकी पहल की। 1972 में ही सरकार ने सूचना की स्वतन्त्रता को लेकर उठ रहे नाना प्रकार के सवालों पर एक राय बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया। 1972 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति ने अमरीका की तरह आस्ट्रेलिया में भी एक “फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन एक्ट” बनाने का सुझाव दिया था। लेबर सरकार ने सत्ताच्युत हो जाने के कारण उसके द्वारा की गयी पहल पर कुछ दिनों के लिए अवश्य विराम लग गया था लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने जल्द ही इसकी पहल शुरू कर दी थी। आस्ट्रेलिया के कई राज्यों ने 1976 में संसदीय ओम्बुडसमैन का पद सृजित किया था। 1976 में ही एक और समिति बनायी जिसका मुख्य काम 1972 में बनायी गयी समिति के सुझावों की रोशनी में आगे का कार्यभार सुझाना था। समिति ने जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसमें सूचना का अधिकार देने वाले कानून की जरूरत पर जोर दिया गया था। समिति के प्रस्तावों के आधार पर जून 1978 में आस्ट्रेलिया की कॉमनवेल्थ सरकार ने ‘फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन विधेयक’ तैयार किया। इसी बीच आस्ट्रेलिया सरकार में प्रशासनिक सुधारों के उद्देश्य से बनाये गये ‘रॉयल कमीशन’ की रिपोर्ट भी आ गयी। इस रिपोर्ट में आयोग के सदस्यों के अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक परिशिष्ठ भी था जो आयोग के आयुक्त पॉल मुनरो की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें में भी सूचना की स्वतन्त्रता की जबरदस्त वकालत की गयी थी।

बहरहाल, 1978 का यह विधेयक कुछ एक संशोधनों के साथ अन्ततः 1982 में पारित हो गया और इसी वर्ष आस्ट्रेलिया का ‘फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन एक्ट’ अस्तित्व में आया। अन्य देशों की तरह कुछ अपवादों को छोड़कर आस्ट्रेलिया का यह कानून भी अपने नागरिकों को सरकारी सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार देता है। कानून के मुताबिक सूचना न देने अथवा गलत या देर से सूचना देने वाले अधिकारी के विरुद्ध डिप्टी ओम्बुडसमैन के समक्ष अपील करने का प्रावधान है। जिन चीजों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है उनमें प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, व्यापारिक वाणिज्यिक एवं वित्तीय सीक्रेट्स केन्द्रीय मंत्रीमण्डल की बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट, वैयक्तिक रिकॉर्ड्स आदि से संबंधित सूचनाएँ शामिल हैं। कानून में स्पष्टतः लिखा गया है कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी कम से कम खर्च में अधिक से अधिक सूचनाएँ तत्काल देने को प्राथमिकता देंगे।

1982 के इस कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां पैदा हुई। शायद इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आस्ट्रेलियाई सरकार की ओर से गवर्नर जनरल ने 1989 में ‘फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन अध्यादेश में सूचना की स्वतन्त्रता से संबंधित सारे पहलुओं की विस्तृत चर्चा की गयी है। गवर्नर जनरल द्वारा जारी किये गये इस अध्यादेश में कुल आठ भाग हैं। पहले भाग में सरकारी दस्तावेजों के प्रकाशन तथा उन्हें प्राप्त करने संबंधी प्रावधानों की विस्तृत व्यवस्था है। चौथे और पांचवें भाग में उन चीजों का वर्णन किया गया है जिन्हें इस अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया है। छठे भाग में विभिन्न प्रांतों के ओम्बुडसमैन की भूमिका पर चर्चा की गयी है जब कि सातवें में निर्णयों के पुनर्निरीक्षण के तौर तरीकों एवं अन्य छोटे मामलों पर अध्यादेश के आठवें भाग में टिप्पणी की गयी है। इस अध्यादेश के आ जाने के बाद आस्ट्रेलिया के सभी राज्यों में सूचना की स्वतन्त्रता देने वाला कानून अब दैनिक व्यवहार का हिस्सा बन गया है।

ब्रिटेन

ब्रिटेन दुनिया का सम्भवतः अकेला ऐसा देश है जहाँ पारदर्शिता बनाम गोपनीयता की बहस लम्बे समय तक चली मगर उसका परिणाम अस्सी के दशक के आखिर में तब निकला जब सरकार ने विवादास्पद सरकारी गोपनीय कानून (1911) के अनुच्छेद 2 को 1989 में बदल दिया। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि जो लोकतंत्रवादी विपक्ष में रहते थे वे जानने के अधिकार की वकालत करते थे और जब वही सत्ता में पहुंच जाते थे तो इसको नकारते हुए सूचनाओं को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानने लगते थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि निरंकुश ब्रिटिश हुकूमत ने एक जमाने में विश्व स्तर पर जिस तंत्र को स्थापित किया था

उसका एक मुख्य स्तम्भ गोपनीयता थी। यूं तो ब्रिटेन के जिस सरकारी गोपनीयता कानून (1911) को पारदर्शिता के समाप्त करने वाला सर्वाधिक खतरनाक हथियार माना जाता है, उसमें 1920 और 1939 में कई संशोधन हुए थे लेकिन कुल मिला कर ये संशोधन महज दिखावटी थे। संशोधन के बाद भी इस कानून का अनुच्छेद (2) यही कहता था कि किसी भी प्रकार की सरकारी सूचना सार्वजनिक करने वाला व्यक्ति दण्ड का भागीदार होगा। यह बात दीगर है कि इस अनुच्छेद के उल्लंघन के आरोप में किसी सरकारी अधिकारी पर मुकदमा चलाया गया हो।¹⁷

जब सरकारी गोपनीयता कानून को बदलने और रद्द करने की आवाज जोर पकड़ने लगी तब पहली बार 1968 में सरकार ने एक प्रशासनिक अधिकारी फुल्टन ने नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया। समिति की रिपोर्ट अपने अंतिम निष्कर्षों में पारदर्शिता का समर्थन तो करती थी लेकिन सरकारी गोपनीयता कानून में बदलाव का नहीं। इस समिति की संस्तुतियों को आधार बनाकर 1969 में ही विल्सन सरकार ने एक ‘‘ग्रीन पेपर’’ भी प्रकाशित किया था। 1970 में ब्रिटेन के शासन की बागडोर कन्जरवेटिव पार्टी के हाथ में आयी। इस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में अनुच्छेद (2) को बदलने का मुद्दा शामिल किया था। इस बीच नाइजीरिया के गृहयुद्ध से संबंधित ब्रिटिश अधिकारियों के पास मौजूद कुछ सूचनाएँ ‘‘संडे टेलीग्राफ’’ में प्रकाशित हो गयी। इस अखबार के सम्पादक समेत चार लोगों पर मुकदमा चला। मुकदमे के दौरान न्यायधीश ने सरकारी गोपनीयता कानून के अनुच्छेद (2) को बदलने की जरूरत स्वीकार की। इस मामले को लेकर सरकार ने 20 अप्रैल 1971 को लार्ड फ्रैंक्स की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया। 1972 में आयी बारह सौ पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट के अनुच्छेद 2 को बदलने का सुझाव दिया गया। लार्ड फ्रैंक्स ने तो इस रिपोर्ट में यहां तक लिख दिया था कि यह कानून इतना हास्यास्पद है कि इसके रहते शीर्ष अधिकारी से लेकर साधारण पुलिसकर्मी और पोस्टमैन तक कोई सूचना न तो दे सकते हैं और न ही ऐसी सूचनाओं पर चर्चा ही कर सकते हैं। यहां तक कि इसके दायरे में यह ठेकेदार और निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी आ सकते हैं, जो सरकारी सहयोग से कार्य करते हैं।

इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि अनुच्छेद 2 के स्थान पर उन प्रतिबंधित क्षेत्रों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए जिन क्षेत्रों की सूचनाएँ सरकार गुप्त रखना चाहती है। इस रिपोर्ट पर हाउस ऑफ कॉमन में जोरदार चर्चा हुई। अक्टूबर 1974 में ब्रिटेन के संसदीय चुनाव हुए। कन्जरवेटिव पार्टी पराजित हुई और लेबर पार्टी की सरकार बनी। इस पार्टी ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में अनुच्छेद 2 को समाप्त करने संबंधी मांग शामिल की थी। 1976 में

ब्रिटेन की नयी गृह सचिव मर्लिन रीस, जिन्हें पारदर्शिता का पक्षधर माना जाता था, ने कुछ संशोधनों के साथ फ्रैंक्स समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। इस घोषणा के तहत ही जुलाई 1978 में सरकार ने एक और “श्वेत पत्र” जारी किया। इस बीच 1979 में लेबर पार्टी की सरकार चली गयी। कंजरवेटिव फिर सतासीन हुई। जनता का दबाव था लिहाजा इस सरकार ने पुराने सरकारी गोपनीयता कानून की जगह नये कानून बनाने हेतु एक विधेयक का मसविदा तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1979 में हाउस ऑफ लार्डस एवं उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया गया। इस पर सालों तक बहस चलती रही और अन्ततः 1989 में पुराना कानून बदला जा सका। ब्रिटेन में आज भी अन्य देशों की तरह फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन कानून में बदलाव के चलते अब वहाँ के नागरिक अन्य देशों की तरह कुछ क्षेत्रों की सूचनाओं को छोड़कर अधिकांश सरकारी सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं।¹⁸

निष्कर्ष

वर्तमान में विश्व के 193 देश ऐसे हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यता प्रदान करता है। जिनमें से तकरीबन 85 देशों में सूचना के अधिकार के कानून बन गए हैं व 30 देशों में इस विषय पर कानून बनाने की चर्चा चल रही है। जिन देशों में सूचना का अधिकार देने वाला कानून निर्मित हुआ है उसके लिए भी वहाँ के नागरिकों को लगातार संघर्ष करना पड़ा है। समूची बीसवीं शताब्दी ऐसे संघर्षों की गाथा से भरी पड़ी है। जिन देशों में कानून बना है उसके खुद के अनुभवों को लेकर चर्चाएँ पहले भी बनी हुई थीं और आज भी हो रही हैं। विश्व के अधिकांश राजनीतिक चिंतकों ने लोकतंत्र की दृष्टि से इन अनुभवों को सकारात्मक माना है। अमरीकार और ब्रिटेन का अनुभव बताता है कि जिन देशों में चीजों को पारदर्शी रखने की लम्बी परम्परा नहीं रही है वहाँ इसकी शुरुआत बतौर सख्त कानून के संभव नहीं है। इनके और अन्य देशों के अनुभवों से यह भी पता चलता है कि जिन देशों में नौकरशाही का बोलबाला है वहाँ सूचना का अधिकार कानून बनाना तथा उसे दैनिक व्यवहार में लाना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। इसे करने के लिए सबसे पहले समूची राज्य मशीनरी के बीच सरकारी सूचनाओं को सार्वजनिक करने वाली अवधारणा को एक आम सिद्धान्त के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। सूचनाओं को एकत्र करना और उन्हें वर्गीकृत कर जिम्मेदार सरकारी अधिकारी के नियंत्रण में सुरक्षित रखने की संस्कृति विकसित करनी पड़ेगी। देशहित अथवा जनहित में जिन सूचनाओं को गोपनीय रखना आवश्यक है उनका स्पष्ट उल्लेख सूचना के अधिकार कानून में किया जाना चाहिए।

सूचना न देने वाले अधिकारी के विरुद्ध अपील करने के प्रावधान अत्यन्त सुगम और सरल होने चाहिए और साथ ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जनता को ये सूचनाएँ कम से कम मूल्य पर मिल सकें।



संदर्भ सूची

1. वर्मा, श्रीराम, राजनीति विज्ञान के मूलाधार, कॉलेज बुक सेन्टर, जयपुर, 1999, पृ. 2
2. कटारिया, सुरेन्द्र, तुलनात्मक लोकप्रशासन, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर 2000, पृ. 10–11
3. कटारिया, सुरेन्द्र, तुलनात्मक लोकप्रशासन, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर 2000, पृ. 11
4. भट्टाचार्य, मोहित, लोकशासन के नये आयाम, जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स 2000, पृ. 448
5. अथ्यर, बी.आर. कृष्ण, 'फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन, ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ, 1990, पृ. 30
6. अथ्यर, बी.आर. कृष्ण, 'फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन, ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ, 1990, पृ. 31
7. संपादक परीक्षा मंथन, परीक्षा मंथन (राज व्यवस्था विशेषांक), मंथन प्रकाशन, इलाहाबाद
8. चतुर्वेदी, टी. एन., सीक्रेसी इन गवर्नमेंट, आई.आई.पी.ए. प्रकाशन, नई दिल्ली, 1980, पृ. 81
9. चतुर्वेदी, टी. एन., सीक्रेसी इन गवर्नमेंट, आई.आई.पी.ए. प्रकाशन, नई दिल्ली, 1980, पृ. 82
10. एम. लक्ष्मीकांत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टाटा मैक्ग्रहिल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 23
11. लिंक न्यूज वीकली, 21 जनवरी 1990, नई दिल्ली
12. लिंक न्यूज वीकली, 21 जनवरी 1990, नई दिल्ली
13. चतुर्वेदी, टी.एन., सीक्रेसी इन गवर्नमेंट, आई.आई.पी.ए. प्रकाशन, नई दिल्ली, 1980, पृ. 84
14. फोरगेरे, एल, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन इन कम्यूनिकेशन्स टू परसंस ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट इन फ्रेंच थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस
15. वर्मा, श्रीराम, राजनीति विज्ञान के मूलाधार, कॉलेज बुक सेन्टर, जयपुर, 1999, पृ. 6
16. कनाडा पार्लियामेंट, ज्वाइंट कमेटी ऑन रेग्यूलेशन्स एण्ड अदर स्टेट्यूट्री इन्ड्रेमेंट्स, मिनिट्स ऑफ प्रोसिडिंग्स एण्ड एविडेन्स, अंक 34, जून 1978
17. ड्रेवरी, गोविन, ओपननेस एण्ड सीक्रेसी इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, आई.आई.पी.ए. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1980, पृ. 18
18. ड्रेवरी, गोविन, ओपननेस एण्ड सीक्रेसी इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, आई.आई.पी.ए. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1980, पृ. 19

तृतीय अध्याय

भारत में सूचना का अधिकार

तृतीय अध्याय

भारत में सूचना का अधिकार

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आम आदमी देश का वास्तविक सत्ताधारी होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर स्वयं के लिए शासन का चुनाव करता है। इस आम आदमी के हाथों में जनभावनाओं का आदर न करने तथा जन अपेक्षाओं पर खरा न उत्तरने वाले शासकों को सत्ता से उखाड़ फेंकने की ताकत होती है। भारत में शासक वर्ग को अपनी सत्ता को सुचारू रूप से चलाने के लिए जहां गोपनीयता के अधिकार की व्यवस्था है, वहीं आम आदमी को सरकार से संबंधित सूचनाओं को जानने का अधिकार प्राप्त है।

भारत में सूचना के अधिकार की प्राप्ति का प्रयास स्वतंत्रता से पूर्व भी किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान क्रियान्विति लगभग एक दशक के प्रयासों का प्रतिफल है। ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था के दौरान शासकों के द्वारा स्वेच्छा से कुछ, सूचनायें आमजन को उपलब्ध करवायी जाती थीं किन्तु जनता को अपनी ओर से सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। जनता को शासन संबंधी क्या सूचना दी जायें यह शासक पर निर्भर करता था।

ब्रिटिश कालीन प्रशासन भारतीय जन मानस के प्रति उत्तरदायी नहीं था, किसी भी विषय पर जानकारी देना या नहीं उत्तरदायी नहीं था किसी भी विषय पर जानकारी देना या नहीं देना सरकारी कार्यालयों के स्वविवेक पर निर्भर था। प्रशासनिक अधिकारी गोपनीयता को अधिक महत्व प्रदान करते थे। अतः अनेक देशी विदेशी पत्रकार एवं योरोपीय प्रजातांत्रिक दर्शन से प्रभावित लोग एवं तत्कालीन स्वतन्त्रता सेनानी समय समय पर सरकार के खुलेपन हेतु प्रयास करते रहे। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों में गोपनीयता बनाये रखने हेतु सरकारी गोपनीयता कानून बनाया गया जिसमें समय-समय पर कुछ संशोधन किये गये।

गोपनीयता कानून के प्रावधान तथा उनमें किये गये संशोधनों और इन कानूनों की प्रतिक्रियाओं का विवरण निम्न प्रकार है—

भारत में सरकारी सूचनाओं को गोपनीय रखने की वकालत करने वाला मुख्य कानून 1889 में अस्तित्व में आया जिसमें बाद में 1923 में काफी परिवर्तन किये गये। कुछेक संशोधनों को छोड़ कर यह आज भी जीवित है किन्तु 1889 के इस अधिनियम से पूर्व ही ब्रिटिश

सरकार ने गोपनीयता की ओर ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया था। 1843 के आस-पास जब गोपनीय कही जाने वाली कुछ, सरकारी सूचनाएँ भारतीय प्रेस में पहुंचने और प्रकाशित होने लगी तो ब्रिटिश सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और एक अधिसूचना जारी कर सूचनाएँ गोपनीय रखने का निर्देश जारी किया। 30 अगस्त 1943 को जारी इस अधिसूचना में लिखा था, “भारत के सिविल और सैनिक अधिकारियों के बीच सरकारी दस्तावेजों को लेकर लगता है कि कुछ भ्रान्तियां मौजूद हैं। इस अधिसूचना के माध्यम से उन्हें स्पष्टतः आदेशित किया जा रहा है कि सरकार की आज्ञा के बिना सरकारी सूचनाएँ न तो वे सार्वजनिक करेंगे, और न ही ऐसी सूचनाएँ किसी व्यक्ति विशेष को देंगे।¹

इस अधिसूचना के बाद भी सरकारी सूचनाएँ भारतीय प्रेस तक पहुंचती रहीं। 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आवाज उठने लगी थी। नौकरशाही में भी ऐसे एक दो लोग मौजूद थे जो इस आवाज के समर्थक थे। उनकी आवाज को दबाने के लिए 1875 में ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकारियों के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया। इस निर्देश में बिना अनुमति के सरकारी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के लिए भारतीय प्रकाशकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने का प्रावधान था। इन निर्देशों के बाद भी सरकारी सूचनाओं को गोपनीय नहीं रखा जा सका। तब 1978 में सरकार ने एक और अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में सूचनाओं को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के बजाय यह प्रावधान किया गया कि बिना वरिष्ठ अधिकारी से पूछे, कोई भी कनिष्ठ अधिकारी सूचनाएँ सार्वजनिक नहीं करेगा। 1878 के इस निर्देश के जारी होने के पहले तक ब्रिटिश सरकार गोपनीयता संबंधी प्रावधानों को मूलतः भारत सरकार का आन्तरिक मामला मानती रही, लेकिन जब उसे लगा कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर जा रही है, तब 1884 में लंदन में मौजूद भारतीय मामलों के सचिव ने हस्तक्षेप किया।

13 मार्च 1884 को भारत सरकार को भेजे गये सरकारी निर्देश में कहा गया कि समय से पहले प्रकाशित हो जाने वाले सरकारी दस्तावेजों के मामले पर सरकार तत्काल कानून बनाने का उपाय करे। इस दौरान ब्रिटेन की संसद ने अपने यहां भी कुछ नियम कानून बनाये थे लेकिन उनके प्रावधानों में अन्तर्निहित कमजोरियों के चलते न तो ये कानून ब्रिटेन में सफलता पूर्वक लागू हो पाये और न ही भारत सरकार कानून बना सकी। 3 जून 1885 को संसद ने एक नया प्रस्ताव पारित किया। पिछले प्रावधानों से सबक लेते हुए सरकार ने उन सरकारी दस्तावेजों को सार्वजनिक न करने का फैसला किया, जिन दस्तावेजों पर गोपनीय शब्द लिखा होता था। सरकारी मशीनरी के कामकाज में यह इतना प्रचलित हुआ कि आजाद

भारत की सरकार आज भी अनेक दस्तावेजों पर अतिगोपनीय लिखती है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने 'प्रेस आयुक्त' नामक उस पद के महत्व को प्रतिपादित करना उचित समझा जिसका सूजन 1877 में ही हो गया था। प्रेस को सरकारी सूचनाएँ देने की जिम्मेदारी प्रेस कमिशनर को सौंपी गयी। लेशिब्रिज भारत के पहले प्रेस कमिशनर बनाए गए²

भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय से ही सूचनाओं को गुप्त रखने की प्रवृत्ति मौजूद रही है। भारत में पत्रकारिता पर अंकुश और दबाव उसके जन्म के साथ ही शुरू हो गये थे। ब्रिटिश शासकों को लगता था कि उनके कुकृत्यों की जानकारी यदि भारतीय जनता को मिल गयी तो उनका साम्राज्य खतरे में पड़ सकता है। न सिर्फ भाषाई प्रेस को बल्कि कुछ विदेशियों द्वारा निकाले जाने वाले अंग्रेजी अखबारों को भी अंग्रेज बर्दाश्त न कर सके। इसका सर्वाधिक ज्वलन्त उदाहरण विलियम बोल्ट प्रकरण था। यूरोप का निवासी विलियम बोल्ट ईस्ट इण्डिया कम्पनी का कर्मचारी था। 1766 में उसने कलकत्ता के काउंसिल हाऊस के फाटक पर एक नोटिस निकाला। जिसमें छापाखाना लगाने और अखबार निकालने का इरादा व्यक्त किया गया था। उसने नोटिस में लिखा था—“उसके पास ऐसी कई सूचनाएँ हैं जो आमजन से गहरा रिश्ता रखती है। कोई चाहे तो मेरे घर पर आकर उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है।” बोल्ट के उस नोटिस को पढ़कर कम्पनी का निदेशक मंडल बौखला उठा। निर्देशक मण्डल ने बोल्ट पर निजी व्यापार करने का आरोप लगाया जिसके चलते उसे कम्पनी से इस्तीफा देना पड़ा। शासकों ने विलियम बोल्ट को भारत छोड़ने का निर्देश भी जारी कर दिया। अन्ततः बोल्ट को 1767 में यूरोप वापस लौट जाना पड़ा।³

इस घटना के करीब तेरह वर्ष बाद 29 जनवरी 1780 को भारत में पहला अखबार कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। चार पृष्ठों के इस अखबार के संपादक एवं प्रकाशक जेम्स ऑंगस्टस हिक्की थे। इसलिए इसे 'हिक्की जर्नल' भी कहा गया। इस अखबार के द्वारा हिक्की ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों के काले कारनामों को उजागर करना शुरू किया। उनके कुकृत्यों की सूचनाएँ आम लोगों को मिलने लगी। हिक्की ने अंग्रेज अफसरों के निजी जीवन में भी झांकना शुरू किया। हिक्की को मानहानि के मुकदमे का शिकार होना पड़ा। भारी रकम अदा करनी पड़ी। इसी तरह 1791 में बंगाल जर्नल के सम्पादक विलियम डैन ने जब एक प्रमुख फ्रांसीसी के हवाले से यह छापा कि लार्ड कार्नवालिस मराठों के साथ युद्ध में मारे गये तो ड्यून को इसके एवज में जेल जाना पड़ा और आखिर में सरकार ने उन्हें वापस लंदन भेज दिया।⁴

आमजन को सूचनाएँ उपलब्ध कराने वाले भारतीय भाषाई पत्रों का दमन करने वाला कुख्यात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में बनाया गया था लेकिन उससे पहले ऐसे अनेक अध्यादेश एवं नियम कानून अस्तित्व में आ गये थे, जिनके आधार पर अखबार संपादकों को जेल भेज दिया जाता था। इन काले कानूनों का शिकार राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर और गौरीचरण बनर्जी सरीखें समाज सुधारक और पत्रकार अनेक बार हो चुके थे। एक वाक्य में कहा जाये तो अंग्रेज अफसर आमजन तक सरकारी सूचनाएँ पहुंचाने के बिल्कुल खिलाफ थे।⁵

जेम्स मेडिसन ने 1882 में अपने लेखन में लोकतंत्र में जन सूचना की तत्काल आवश्यकता को वाकपटु ढंग से व्यक्त किया। जैसा कि उन्होंने कहा, 'जन सूचना' अथवा इसे अधिप्राप्त करने के साधन के बिना लोकप्रिय सरकार ढोंग या त्रासदी अथवा सम्बवतः दोनों की पूर्व पीठिका ही है। ज्ञान हमेशा अज्ञानता पर शासन करेगा, और जनता जिसका अर्थ स्वयं शासक होना है, को स्वयं उस शक्ति से सज्जित होना होगा जो ज्ञान से मिलती है।'" मेडिसन की टिप्पणी में लोकतंत्र का सार तत्व अन्तर्निहित है जो जनता द्वारा शासन है।⁶

1889 का पहला गोपनीयता कानून

1857 के गदर और किसान विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। समूचे भारत के जगह—जगह संगठन बनने लगे थे। इन संगठनों को समन्वित करने के लिए 1885 में कांग्रेस नाम की पार्टी भी अस्तित्व में आ गयी थी। भारत में पढ़े लिखे लोगों में सत्ता में भागीदारी की इच्छा पैदा होना लगी थी। सरकारी कामकाज में रुचि लेने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। कौनसा निर्णय भारतीय नागरिक के पक्ष में और कौनसा विपक्ष में इसे जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी। भारतीय प्रेस भी इन भावनाओं को प्रतिनिधित्व करने लगी। नौकरशाही का एक वर्ग भी इस भावना के पक्ष में था। ब्रिटिश अधिकारियों को सूचनाओं को गोपनीय रखना अत्यन्त आवश्यक लगने लगा। अतीत के सारे निर्देश, अधिसूचनाएँ और नियम कानून सरकारी सूचनाओं को सार्वजनिक होने से रोकने में असफल साबित हो रहे थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने एक नये कानून की जरूरत महसूस की। और इसी जरूरत की देन था — 1889 का पहला सरकारी गोपनीयता कानून। ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया यह कानून सिर्फ ब्रिटेन के लिए ही नहीं, बल्कि भारत सहित सभी ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए भी था।

कानून बनाते समय महारानी विक्टोरिया ने एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में कहा गया था कि ब्रिटिश शासन के अधीन आने वाले देश चाहें तो इस कानून को ज्यों का त्यों लागू करें या चाहे तो ऐसे ही कानून का मसविदा तैयार कर अपनी लैजिस्लेटिव एसेम्बली के जरिये पारित करायें। भारत ने लैजिस्लेटिव असेम्बली में “ऑफीशियल सीक्रेट्स विधेयक” प्रस्तुत किया जिसे असेम्बली ने 17 अक्टूबर की अपनी अगली ही बैठक में पारित भी कर दिया। भारत के लिए बने इस कानून की भाषा ब्रिटिश कानून जैसी ही थी। ब्रिटिश सरकार के आदेश पर बनाये गये भारत के सरकारी गोपनीयता कानून 1889 में कुल पांच अनुच्छेद थे इस कानून में सैनिक मामलों की जासूसी करने वाले व्यक्ति को आजीवन अथवा पांच वर्ष से अधिक कारावास की सजा का प्रावधान था, जबकि अन्य तरह के सरकारी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष की कारावास का प्रावधान था। ब्रिटिश सरकार ने यह कानून मूलतः सैनिक और नौसैनिक मामलों की सूचनाएँ गोपनीय रखने के लिहाज से निर्मित किया था। लेकिन भारत के वायसराय लैसडाउन के लिए यह भारतीय प्रेस पर अंकुश रखने का एक हथियार भी था।

1904 का संशोधन और गोखले का विरोध

वायसराय लैसडाउन ने जो सोचा था उसे वह नहीं कर पाये। 1889 का कानून भारतीय प्रेस पर अंकुश लगा सकने में अक्षम साबित हुआ। इसकी एक खास वजह थी—सिविल मामलों को इस कानून की सीमा से बाहर रखा जाना। इसको लेकर अंग्रेज अफसरों के बीच दस वर्ष तक बहस चलती रही। लार्ड कर्जन के समय में 1889 के कानून में संशोधन का सवाल उठा। सूचनाओं के सार्वजनिक होने की घटनाएँ आम होने लगी। कांग्रेस पार्टी का प्रभाव धीरे-धीरे व्यापक होने लगा था। ब्रिटिश शासकों को इसका अंदाजा लगने लगा। वे सिविल मामलों की सूचनाओं को गोपनीय रखने के लिए सरकारी गोपनीयता कूनन में तत्काल संशोधन करने के पक्ष में थे। ब्रिटिश हुक्मत के वफादार नौकरशाहों ने संशोधन का पूरा प्रारूप तैयार कर 1902 में ही लार्ड कर्जन को भेज दिया था। ताकि वह उस पर हस्ताक्षर कर नया कानून बनाने की अनुमति प्रदान कर सके। लार्ड कर्जन ने अनुमति दे दी और इम्पीरियल लैजिस्लेटिव असेम्बली में बहस के बाद 1904 में इस कानून में संशोधन कर दिया⁷

1889 की तुलना में 1904 का संशोधित कानून मुख्य रूप से तीन मामलों में भिन्न था। पहला, इस संशोधन के जरिये सैनिक और नौसैनिक मामलों के साथ साथ सिविल मामलों को भी कानून के दायरे में लाया गया। दूसरा 1904 के कानून में प्रावधान किया गया

कि न्यायिक अधिकारी की आज्ञा लिये बिना जो व्यक्ति गोपनीय सरकारी सूचनाएँ प्राप्त करने का प्रयास करेगा उसे दंड का भागीदार होना पड़ेगा। तीसरे महत्वपूर्ण संशोधन के जरिये इस श्रेणी में आने वाले अपराधों को संज्ञेय और गैरजमानती कर दण्ड के प्रावधानों को अत्यन्त कठोर बना दिया गया। अंग्रेजों ने कानून के इन संशोधनों को पारित कर सूचना प्राप्त करने के अधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया और भारतीय प्रेस पर अकुंश लगा दिया गया।

मार्च 1903 में सरकारी गोपनीयता (संशोधन) विधेयक पर 'इम्पीरियल लैजिस्लेटिव असेम्बली' में चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी के अधिकांश प्रमुख नेताओं ने इस संशोधन विधेयक की जबरदस्त आलोचना की। आलोचना करने वालों में गोपाल कृष्ण गोखले, आशुतोष मुखर्जी, विपिन कृष्ण बोरा, टी मोरिसन और सैयद मोहम्मद जैसे कांग्रेसी नेता शामिल थे। गोखले ने विधेयक का विरोध करते हुए अपने लम्बे भाषण में कहा था— संशोधन विधेयक के प्रावधानों से स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रेस ही नहीं बल्कि एंगलो इण्डियन प्रेस पर भी अंकुश लगाना चाहती है। वह उन सूचनाओं पर रोक लगाना चाहती है जो भारतीय जन को आन्दोलित करती हैं। ऐसा कर सरकार नौकरशाही को असीमित अनियंत्रित शक्ति प्रदान कर देगी जो शर्मनाक होगा। आखिर उन सूचनाओं को गुप्त रखने का क्या औचित्य है जो सीधे तौर पर भारतीयों के हितों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, पिछले कुछ दिनों से अफवाह फैली हुई है कि तीस रूपये से अधिक वेतन पाने वाले रेलवे के पदों पर किसी भारतीय को नहीं रखने का फैसला हो चुका है। आखिर ये अफवाह कितनी सच है? क्या यह जानने का अधिकार हमें नहीं है। अगर यह सूचना कोई अखबार प्रकाशित करता है तो उसे दंडित करने की अपेक्षा सरकार को इस बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। कुल मिलाकर यह विधेयक भारतीय प्रेस और भरतीय जन समुदाय के हितों के विरुद्ध है। इसलिए मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूँ। मेरा विरोध न सिर्फ विधेयक के प्रावधान पर है बल्कि उसकी मूल आत्मा को लेकर है।

सैयद मोहम्मद और आशुतोष मुखर्जी ने करीब करीब इन्हीं आधारों पर इस विधेयक का विरोध किया था। सैयद मुहम्मद ने इस विधेयक को पुलिस राज कायम करने वाला विधेयक कहा था। जब कि आशुतोष मुखर्जी ने इसे जनता और सरकार दोनों के लिए विनाशकारी बताया था। लंदन के एक अखबार के स्तम्भकार ने तो इस विधेयक को "भारतीय प्रशासन का रूसीकरण" करने वाला विधेयक कहा था। उस वक्त रूस में जारशाही का दबदबा था। अन्ततः संशोधन प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। चूंकि भारतीयों के सारे तर्क

अंग्रेजों के साम्राज्यवादी लक्ष्यों और इरादों के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने एक नहीं सुनी।

अन्ततः 1904 का सरकारी गोपनीयता (संशोधित) कानून अस्तित्व में आ गया।⁸

1923 का गोपनीयता कानून

1904 के बाद इस कानून को और कठोर बनाने की प्रक्रिया रुक गयी हो, ऐसा नहीं था, सात वर्ष बाद ही ब्रिटिश संसद ने इस कानून को रद्द कर उसकी जगह 1911 में एक नया सरकारी गोपनीयता कानून बना दिया। यह कानून मूलतः ब्रिटेन के लिए था लेकिन एक अधिसूचना के जरिये इसे ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भी लागू कर दिया गया। 1911 के इस कानून के अनुच्छेद 11 में कहा गया था कि भारत सरकार इसी कानून के आधार पर जल्द ही अपने लिए एक कानून का मसविदा तैयार करेगी। यह अलग बात है कि मसविदा तैयार करने की प्रक्रिया 1966 में शुरू हुई, जो काफी लम्बी चली। 8 मार्च 1922 को गृह विभाग के सदस्य सर विलियम बिसेंट ने “लेजिस्लेटिव असेम्बली” में भारतीय सरकारी गोपनीयता विधेयक (इंडियन ऑफीशियल सीक्रेट्य बिल) का मसविदा प्रस्तुत किया। 6 सितम्बर 1922 को यह विधेयक असेम्बली की सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया गया। 31 जनवरी 1932 को असेम्बली में इस पर चर्चा हुई। के.सी. नियोगी, हरिसिंह गौड़ और के.बी.एल. अग्निहोत्री समेत कई सदस्यों ने इस विधेयक का जबरदस्त विरोध किया। विरोध करने वालों में उत्तरप्रदेश के तत्कालीन उद्योग एवं शिक्षा मंत्री सी बार्ड चिन्तामणि थे। सारे विरोधों के बावजूद 24 फरवरी 1923 को असेम्बली ने विधेयक को पारित कर दिया।

“काऊंसिल ऑफ स्टेट” ने यही काम 8 मार्च 1923 को किया। कुछ संशोधन सुझाये गये थे, जिन पर 21 मार्च 1923 को असेम्बली में दोबारा चर्चा हुई और इन संशोधनों को स्वीकार करने में दो मिनट का भी वक्त नहीं लगा। ब्रिटिश सरकार ने उद्घोषणा की और 28 नवम्बर 1923 से यह कानून लागू हो गया। सरकारी गोपनीयता संबंधी पिछले सारे कानूनी प्रावधान रद्द कर दिये गये। 1967 के एक मामूली संशोधन को छोड़कर यह कानून ज्यों का त्यों आज भी हमारे यहां लागू है। हालांकि सूचना का अधिकार कानून 2005 के क्रियान्वयन के बाद भारत सरकार इसके कुछ प्रावधानों को निरस्त करने का मानस बना रही है। क्योंकि इसके कई प्रावधान, सूचनाधिकार कानून के विरोधी हैं।⁹

आखिर 1923 के इस कानून के निर्मित करने और लागू करने की वजह क्या थी? वे कौनसे दबाव थे जिनके चलते ब्रिटिश सरकार के लिए प्रतीक्षा करना असंभव था। इसका जवाब उस वक्त के राजनीतिक घटनाक्रम में ही मौजूद है। बीसवीं शताब्दी का दूसरा दशक

अंग्रेजों के लिए कोई बहुत शुभ संकेत देने वाला नहीं था। कांग्रेस पार्टी का विस्तार हो चुका था। वह भारतीय जन की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मंच के रूप में स्थापित हो चुकी थी। राजनीतिक आंदोलन को मिले व्यापक जनसमर्थन की सूचना अंग्रेजों तक पहुंच चुकी थी। 1917 की सोवियत क्रांति से भारतीय कम्युनिस्टों के बीच एक नये उत्साह का संचार हुआ था। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी हो चुकी थी। स्वराज की मांग की आहट सुनायी पड़ने लगी थी। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। जिसको लेकर अंग्रेजों की बैचेनी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। कुल मिलाकर जन भावनाओं को कुचल देने वाले कानून निर्मित करने और सरकारी सूचनाओं को नितांत गोपनीय रखने के लिए ब्रिटिश हुकुमत आतुर हो उठी। “रोलैट एक्ट” और भारतीय सुरक्षा कानून जैसे निरंकुश प्रावधानों के खिलाफ इतना आक्रोश बढ़ चुका था कि अंग्रेज उन कानूनों की जगह ऊपर से दिखने वाले अपेक्षाकृत उदार कानून बनाने को प्राथमिकता देना चाहते थे। इसी सोच का परिणाम था 1923 का सरकारी गोपनीयता कानून।

1923 का यह कानून अपने पूर्ववर्ती सभी कानूनों की तुलना में कही ज्यादा सख्त था। इसके मुख्यतः दो भाग हैं : पहले भाग में इस कानून की धारा 3 और 4 आती है, जब के दूसरे भाग में धारा 5। धारा तीन और चार मुख्य रूप से जासूसी रोकने का उपाय सुझाती है। राष्ट्र की रक्षा और राज्य की सुरक्षा के हित में अधिकांश लोगों का मानना रहा है कि विदेशी ताकतों के लाभ के लिए की जाने वाली जासूसी रोकी जानी चाहिए। इसलिए धारा 3 और 4 को लेकर अंग्रेजों के जमाने में भले ही आपत्ति रही हो लेकिन आज की तारीख में इन प्रावधानों को एक हद तक स्वीकृति प्राप्त है। यह बात अलग है कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप इसमें भी कुछ मामूली फेरबदल किये जाने की मांग समय—समय पर बढ़ती रही है। लेकिन इस कानून की धारा 5 को तो किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है। सरकार जिस किसी सूचना को गुप्त कह दे, उसे होने देने और प्रकट करने को इस धारा में गंभीर अपराध घोषित किया गया है। ‘गुप्त क्या है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं कि गई है। ऐसी कोई भी जानकारी जिसे सरकार गलत इरादों से छिपाना चाहे, भले ही उसे सार्वजनिक करना लोकहित में हो, सरकार गुप्त करार दे सकती है। ऐसी सूचना देने और प्राप्त करने वाले दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध दंड का प्रावधान भी है जो तीन साल का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस कानून में न्याय के उस सामान्य सिद्धान्त को भी पलट दिया गया है जिसमें किसी को दोषी सिद्ध करने का दायित्व आरोप लगाने वाले पक्ष का होता है। इस कानून के मुताबिक आरोपी को ही सिद्ध करना पड़ेगा कि वह दोषी नहीं है।

1923 के सरकारी गोपनीयता कानून के खिलाफ उस समय के पत्र पत्रिकाओं में लगातार लेख छपते रहे। कुछ गोपनीय सूचनाएँ प्रकाशित भी होती रही। इसके लिए अखबारों को समय समय पर सरकार की ओर से दण्ड भी झेलना पड़ा। बावजूद इसके विरोध के स्वर को दबाया नहीं जा सका।¹⁰

आजादी और उसके बाद

आजादी मिलने के बाद भारतीय जनता को उम्मीद थी कि आजाद भारत की सरकार इस कानून के प्रावधानों में संशोधन कर उसे उदार बनायेगी और समूचे तंत्र को पारदर्शी बनाने का अभियान छेड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता के लिए जनता द्वारा और जनता की चुनी हुई सरकार ने अंग्रेजों द्वारा बनाये गये कानून को ही अपनी राज्य मशीनरी के संचालन का मुख्य आधार मान लिया। सरकारी तंत्र को पारदर्शी बनाने की चर्चाएँ होती रहीं लेकिन गोपनीय रखने की वकालत करने वाला यह कानून ज्यों का त्यों बना रहा। फॉर ऑफिसियल यूज ओनली' और अतिगोपनीय जैसे शब्द सरकारी दस्तावेजों की शोभा बढ़ाते रहे। आजाद सरकार और उसकी नौकरशाही इस मामले में किसी नयी संस्कृति का विकास नहीं कर सकी।

1948 में प्रेस कानूनों की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने एक प्रेस लॉज इन्क्वायरी समिति' का गठन किया। इस समिति ने सरकारी गोपनीयता कानून 1923 की धारा 5, जिसके खिलाफ आजादी के पहले पत्रकारों ने जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया था, को रद्द करने अथवा उदार करने की अपेक्षा ज्यों का त्यों रखने का सुझाव दिया। यही नहीं, उसके प्रावधानों में जरूरी संशोधनों पर विचार करने का काम भी उसने सरकार के हवाले कर दिया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि— समिति यह समझने में असमर्थ है कि इस कानून की धारा 5 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन अथवा युद्धकालीन परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। हम समझते हैं कि इन स्थितियों के अलावा भी इस कानून के इस्तेमाल की आवश्यकता पड़ सकती है। यह कहने में समिति को तनिक भी संकोच नहीं है कि इस मामले का निर्धारण सरकार को खुद करना चाहिए। समिति की अधिकारिक राय यही थी लेकिन उसके दो सदस्यों कस्तूरी श्रीनिवासन और एस ए बरेलवी ने इसके खिलाफ मत व्यक्त किया था। इन दोनों सदस्यों ने अपने नोट और डीसेंट में स्पष्टतः कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सूचनाओं को छोड़कर अन्य सामान्य सरकारी सूचनाओं को सार्वजनिक कर देने का प्रावधान कर दिया जाना चाहिए।

1952 में भारत में प्रथम प्रेस आयोग का गठन हुआ। प्रेस से संबंधित विभिन्न मामलों पर सुझाव देने के लिए सरकार ने इस आयोग का गठन किया था। आयोग की रिपोर्ट 1954 में आयी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह तो कहा कि जिन सरकारी सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना जनता के हित में है उन्हें आपातकालीन अथवा युद्धकालीन परिस्थितियों का तर्क देकर गोपनीय रखने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आयोग अपनी इस दृष्टि को आधार बनाकर सरकारी गोपनीयता कानून में किसी सुधार का आहवान न कर सका।

1967 का संशोधन

इस तरह की बहसें 1967 तक चलती रही लेकिन सरकारी गोपनीयता कानून की यथास्थिति बरकरार रही। आजादी के बाद 1967 में पहली बार इसमें संशोधन हुआ तो इसलिए नहीं कि कानून के प्रावधान उदार हों बल्कि इसलिए कि उसे और सख्त बनाया जाय। वैसे भी यह संशोधन मूलतः कानून की एक वाक्य संरचना में बदलाव के लिए था न कि उसकी मूल आत्मा के बदलाव के लिए। इसका संबंध भी सैनिक मामलों की जासूसी से था। वैसे तो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान ही भारत सरकार को यह पता चल गया था कि भारतीय सेना की कई महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएँ चीन को पहले से ही प्राप्त करा दी गयी थीं लेकिन यह मामला 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान खुलकर सामने आया। हुआ यह था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने भारतीय सेना के मूवमेंट एवं रणनीतिक तैयारी की सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से जासूसी का एक पूरा तंत्र तैयार कर लिया था। इस जासूसी तंत्र का एक महत्वपूर्ण सदस्य अमिर हुसैन नाम का एक व्यक्ति था। 1963 में वह गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। चूंकि सरकारी गोपनीयता कानून में इस अपराध को उस समय तक गैरजमानती श्रेणी में नहीं रखा गया था इसलिए न्यायाधीशों ने अमिर हुसैन को जमानत पर रिहा करने की इजाजत दे दी। रिहा होने के तुरंत बाद आमिर हुसैन किसी तरह प्रयास कर हिन्दुस्तान से पाकिस्तान भागने में सफल हो गया। यह विवरण भारत सरकार के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री का है, जिन्होंने लोकसभा में बहस के दौरान 12 अगस्त 1967 को अपने भाषण के जरिए व्यक्त किया था। इसी प्रकरण को आधार बनाकर 1967 के कानून में संशोधन का सवाल उठा था।

1967 का सरकारी गोपनीयता (संशोधन) विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में 23 जून 1967 को प्रस्तुत किया गया जिसे 7 अगस्त 1967 के पारित कर दिया गया। 12 अगस्त 1967 को वह लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और उसी दिन उसे लोकसभा ने पारित भी कर दिया। बहस के दौरान अधिकांश संसद सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव का समर्थन किया। कुछ सदस्य

राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जासूसी को रोकने के इस कानून को सख्त बनाने के पक्ष में थे लेकिन हर सरकारी सूचना को अनावश्यक गोपनीय बनाये रखने के एकदम खिलाफ थे। इन सदस्यों की भावनाओं को राज्यसभा में व्यक्त किया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद भूपेश गुप्त थे। उन्होंने कहा था— “जिन सूचनाओं को देशहित में गुप्त रखा जाना चाहिए, उन्हें सरकार गोपनीय नहीं रख पा रही है, जबकि जो सूचनाएं, सार्वजनिक हो जानी चाहिए उन्हें गुप्त रखा जा रहा है। ऐसी सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि जनता द्वारा चुनी गयी सरकार के क्रियाकलापों की जानकारी जनता तक पहुंच सके। भूपेश गुप्त की नहीं सुनी गयी और संशोधन को हूबहू पारित कर दिया गया। लोकसभा में तो किसी ने इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठायी। गोपाल कृष्ण गोखले, आशुतोष मुखर्जी और सैयद मोहम्मद ने जितना प्रतिरोध ब्रिटिश हुकूमत के रहते कर दिखाया था उतना भी प्रतिरोध आजाद भारत के सांसद नहीं कर सके।¹¹

गोपनीयता की वकालत करने वाले कुछ अन्य कानून

सरकारी गोपनीयता कानून (1923) ही नहीं, कम से कम पांच कानून और भी हैं जिन्हें सूचना के अधिकार की मूल धारणा के खिलाफ माना जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) की धारा 123 और 124 को इसी श्रेणी में रखा जाएगा। ये दोनों धाराएं सरकारी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने पर रोक लगाती हैं। धारा 123 के अनुसार किसी व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं है कि वह अप्रकाशित सरकारी दस्तावेजों को बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के सार्वजनिक करे। अनुमति देने अथवा न देने के लिए सक्षम अधिकारी स्वतन्त्र है। यहां तक कि न्यायालय में भी ऐसे दस्तावेजों के साक्ष्य के बतौर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धारा 124 के अनुसार किसी सरकारी अफसर को ऐसी सूचनाएं देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वह अपने विवेक के आधार पर जनहित में सरकारी सूचनाओं को गुप्त रखने के लिए स्वतन्त्र है।¹²

साक्ष्य अधिनियम 1872 की ही तरह जांच आयोग अधिनियम 1952 है। इस अधिनियम में 14 मई 1986 को अध्यादेश संख्या 6 के जरिये एक संशोधन कर दिया गया। इस संशोधन के चलते अब सरकार किसी भी जांच आयोग की रिपोर्ट के उस अंश को जनहित में सार्वजनिक करने पर रोक लगा सकती है जो भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखण्डता के विरुद्ध हो और वैदेशिक मामलों को प्रभावित करता हो। कौनसे मामले इस श्रेणी में आते हैं इसका निर्धारण सिर्फ सरकार ही करेगी। वह चाहे तो इस कानून का सहारा लेकर जांच आयोगों की रिपोर्ट के किसी भी अंश की व्यवस्था स्वविवेक से कर उसे गुप्त रख सकती है।¹³

तीसरा कानून औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947) है, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों में गोपनीयता की प्रकृति को बढ़ावा देता है। इस कानून की धारा 21 कहती है कि कम्पनी या उद्योग विशेष की गोपनीय सूचनाएँ सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं। सूचनाएँ सार्वजनिक करने वाले को दण्ड का भागीदार होना पड़ेगा। इसी प्रकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम (1962) के अनुसार प्रधानमंत्री चाहे तो उसके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार क्या कर रही है। इन कानूनों के अलावा केन्द्रीय सिविल सेवाएँ आचरण नियम, 1964 के नियम-11 एवं मैनुअल ऑफ डिपार्टमेन्टल सेक्यूरिटी इन्स्ट्रक्शन के पैराग्राफ (2) में भी सूचनाओं को गोपनीयता रखने के वकालत की गयी है। इसलिए सरकारी गोपनीयता कानून (1923) के साथ साथ ये कानून भी पारदर्शिता की राह के अवरोध हैं। जिन्हें समाप्त किये बगैर सूचना के अधिकार की सफलता संदिग्ध है।¹⁴

सूचना के अधिकार हेतु किये गये प्रयास

1967 से लेकर 1975 तक गोपनीयता बनाम पारदर्शिता की बहस पर लगभग विराम लगा रहा। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू कर दिये जाने के बाद विपक्षी दलों और भारतीय प्रेस पर फिर बोलना शुरू किया। प्रशासनिक तंत्र की पारदर्शिता से लेकर चौथा स्तम्भ और जनता के प्रति जवाबदेही की अवधारणाएँ हवा में तैरने लगी। 1977 से लेकर 1999 तक भारत से करीब दस सरकारें बनी और बिंगड़ी सभी ने जरूरी सूचनाएँ जनता तक पहुंचाने का वायदा किया लेकिन यह वायदा अधूरा ही रहा। न तो कूनन बदला और न ही सरकारी कामकाज की प्रणाली। आपातकालीन विरोधी संघर्ष की जिस जनता पार्टी ने नेतृत्व किया था, उसने अपने 1977 के चुनाव घोषणा पत्र में इस मांग को खुलकर उठाया भी था। उसने अपने घोषणा पत्र में लिखा— “जनता पार्टी स्वच्छ प्रशासन मशीनरी और खुफिया एजेंसियों को निजी अथवा दलगत आधार पर भेदभाव करने की इजाजत नहीं देगी। विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु हर स्तर पर जनता से खुला और सीधा संवाद किया जाएगा।”

इस वायदे का सीधा संबंध सरकारी गोपनीयता कानून (1923) के प्रावधानों से था। जनता पार्टी की सरकार बनी। चौधरी चरण सिंह उस सरकार के गृहमंत्री थे। कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में उन्होंने गृह, वित्त और रक्षा विभाग के मंत्रियों का एक कार्यदल गठित किया। 1977 में गठित इस कार्यदल का मुख्य काम जनता तक सरकारी सूचनाएँ पहुंचाने की दृष्टि से सरकारी गोपनीयता कानून को परिष्कृत करने संबंधी सुझाव देना था। किन्तु वह कार्य दल ऐसा कोई सुझाव न दे सका। विकास संबंधी कार्यों की जानकारी (जिसे खबरों की भाषा में

‘डवलपमेंटल न्यूज’ कहा जाता है) जनता तक पहुंचाने का उसने सुझाव जरूर दिया लेकिन समूचे सरकारी तंत्र को पारदर्शी बनाने के सवाल पर उसकी राय बिल्कुल नकारात्मक थी। कार्यदल की रिपोर्ट पर राय लेने के लिए उसे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के पास भी भेजा गया। जिन राज्य सरकारों ने अपने सुझाव भेजे, उनमें सरकारी गोपनीयता कानून में बदलाव को एक सिरे से खारिज कर दिया गया था। अधिकांश राज्य सरकारों ने कार्यदल की रिपोर्ट पर राय देना उचित नहीं समझा। इस प्रकरण का सर्वाधिक दुखद पक्ष तो यह है कि सरकारी सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के उपाय सुझाने जैसे कार्य के लिए बने कार्यदल की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी। उसे गोपनीयता नामक दरवाजे में बंद करके रख दिया गया। 30 अगस्त 1978 को लोकसभा में माकपा नेता ज्योतिर्मय बसु ने सवाल भी उठाया था, लेकिन उनके सवाल को उसी तरह ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया जिस तरह एक समय में अंग्रेज हुकूमत किया करती थी।¹⁵

जनता पार्टी की सरकार चली गयी और उसके वायदे धरे के धरे रह गये। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी की वापसी हुई। इस पार्टी के एजेंडे में पारदर्शिता नाम की चीज लगभग अनुपस्थित थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी की सरकार बनी। राजीव गांधी ने देश को 21वीं सदी में ले जाने का नारा जरूर दिया लेकिन नौकरशाही और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का सवाल उनके एजेंडे में भी हाशिये पर ही रहा।

राजीव गांधी के बाद वी पी सिंह, चन्द्रशेखर, पी वी नरसिंह राव, एच डी देवगौड़ा, इन्द्रकुमार गुजराल और अटलबिहारी वाजपेयी की सरकारें अस्तित्व में आयी। तकरीबन सभी ने अपने चुनाव घोषणा पत्रों में सूचना के अधिकार का मुददा उठाया। कुछ पहल भी हुई लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। सूचना की स्वतंत्रता अथवा तंत्र की पारदर्शिता के मार्ग में सबसे बड़े अवरोध के रूप में स्थापित जिस सरकारी गोपनीयता कानून को अंग्रेजों ने बनाया था उसे हमारे अपने शासकों ने बदलने की जरूरत नहीं समझी।

1977 के बाद लोकतंत्र को लेकर हर स्तर पर नये सिरे से सोचने का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। तंत्र की पारदर्शिता और मतदाता के प्रति सरकार की जवाबदेही जैसे मामले केन्द्रीय चिन्ता का विषय बने। सूचना के अधिकार के साथ भी ऐसा हुआ। 1977 के पहले गैर सरकारी संगठनों ने इस अधिकार की मांग जरूर उठायी थी। जनता पार्टी का घोषण पत्र और उसी सरकार द्वारा लायी गयी पहल का कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकल सका पर एक बहस अवश्य शुरू हुई। तंत्र को पारदर्शी बनाने का सवाल अब सरकार और उसके द्वारा समय समय पर गठित की गयी संस्थाओं के एजेंडे में भी प्रमुखता से दिखायी पड़ने लगा। भारत में

आमजन को सूचना का अधिकार देने की दृष्टि से द्वितीय प्रेस आयोग की सिफारिशों को प्रस्थान बिन्दु माना जा सकता है।¹⁶

द्वितीय प्रेस आयोग और प्रेस परिषद की सिफारिशें

द्वितीय प्रेस आयोग का गठन 1978 में हुआ था। इसके अध्यक्ष बनाये गये थे जस्टिस पी के गोस्वामी। जनता पार्टी के सरकार गिर जाने के बाद 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी की वापसी हुई। परम्परा के अनुसार जस्टिस गोस्वामी ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस गोस्वामी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और जस्टिस के के मैथ्यू इस आयोग के अध्यक्ष बने। आयोग की रिपोर्ट 1982 में प्रकाशित हुई। सूचना के अधिकार की तो नहीं लेकिन इस रिपोर्ट में सरकारी गोपनीयता कानून 1923 की सर्वाधिक विवादास्पद धारा 5 में बदलाव की जोरदार वकालत की गयी थी।¹⁷

रिपोर्ट में कहा गया था— “धारा 5 को निरस्त करके इसकी जगह पर राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण हितों और राज्य के कार्य व्यापार की जानकारी के जनता के अधिकार की सर्वोच्च आवश्यकताओं के अनुरूप कई प्रावधान किये जायें। धारा 5 को सूचनाओं के उन प्रकारों तक सीमित किया जाना चाहिए, जिनके प्रकटीकरण से देश की सुरक्षा प्रभावित होती है। ऐसा करने से कार्यपालिका के भीतर यह वातावरण बनेगा कि कानून उसकी हर चीज को गोपनीय करार देने की प्रवृत्ति का बचाव नहीं करेगा।”¹⁸

1982 में ही इस सन्दर्भ में भारतीय प्रेस परिषद ने भी पहल की। प्रेस की स्वतन्त्रता की रक्षा और समाचार पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की संस्तुति पर 1966 में भारतीय प्रेस परिषद का गठन हुआ था। लेकिन आपातकाल के दिनों में प्रेस परिषद अधिनियम 1965, जिससे भारतीय प्रेस परिषद संचालित होती थी, को रद्द कर भारतीय प्रेस परिषद भंग कर दी गयी थी। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 1979 में इसकी पुनः स्थापना हुई। जस्टिस ए. एन. ग्रोवर परिषद के अध्यक्ष बने। परिषद ने भारतीय विधि संस्थान के सहयोग से सरकारी गोपनीयता कानून 1923 का विस्तृत अध्ययन किया और धारा-5 में संशोधन के कुछ ठोस सुझाव दिये। प्रेस परिषद की सिफारिशों में मुख्यतः तीन बातें थीं—

पहली, जब तक शासकीय गोपनीय सूचनाएँ किस विदेशी शक्ति को प्रेषित नहीं की जाती या उसके काम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, अथवा इसका प्रयोग इस तरह नहीं किया जाता जिससे राज्य की सुरक्षा को हानि पहुंचे, तब तक ऐसा कोई कार्य इस

धारा के अधीन अपराध नहीं माना जाना चाहिए। जनहित में सार्वजनिक की गयी सरकारी सूचनाओं के लिए किसी सरकारी अधिकारी को दोषी ठहराना अनुचित होगा।

दूसरी, प्रतिरक्षा या राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी संबंध, मुद्रा नीति, विदेशी मुद्रा नीति, आर्थिक योजनाएँ एवं नीतियां तथा वाणिज्यिक व वित्तीय नीतियों से संबंधित ऐसी सूचनाएँ जिनको सर्वाधिक करने से राष्ट्र का नुकसान होता हो अथवा नीति हितों को अनुचित वित्तीय लाभ उठाने के अवसर सुलभ होते हों, सिर्फ उन्हीं सूचनाओं को 'गोपनीय सूचनाओं' की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। ऐसी सूचनाएँ जो अपराध करने में सहायक हो सकती हैं, जिससे बंदियों का भागने में मदद मिले या जो जेलों की सुरक्षा की दृष्टि से हानिकर हों, अथवा जिनसे अपराध रोकने या उनका पता लगाने, अपराधियों को पकड़ने या उन पर मुकदमा चलाने में बाधा पड़ सकती हो, उन सूचनाओं को भी प्रेस परिषद गोपनीय मानने के पक्ष में थी। साथ ही गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा सरकार को विश्वास में लेकर दी गयी एवं व्यापारिक रहस्यों से संबंधित सूचनाओं को भी इन सिफारिशों में गोपनीय माना गया था।

तीसरी, परिषद की तीसरी सिफारिश काफी महत्वपूर्ण थी। परिषद ने एक तीन सदस्यीय समिति बनाने का सुझाव दिया था। भारत के अटार्नी जनरल प्रेस परिषद के अध्यक्ष और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति को लेकर इस समिति के गठन का प्रस्ताव था। परिषद का मत था कि इस समिति की मंजूरी के बिना इस धारा के अधीन किसी पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए, बशर्ते कि आरोप यह न हो कि संबद्ध व्यक्ति ने सरकारी गोपनीय सूचनाएँ किसी विदेशी शक्ति को प्रेषित की हैं या इसे उसके लाभ के लिए इस्तेमाल किया है अथवा इस तरह से इसका प्रयोग किया है, जिससे राज्य की सुरक्षा को हानि पहुंचती एक वाक्य में कहा जाये तो प्रेस परिषद ने अपनी इन सिफारिशों के जरिये कार्यपालिका की मनमानी पर रोक लगाने एवं सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश की थी। केन्द्र सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार तो किया लेकिन वह कोई ठोस कार्यवाही न कर सकी। कर्नाटक की रामकृष्ण हेगड़े सरकार ने इन सिफारिशों को आधार बनाकर कुछ कदम अवश्य उठाये थे लेकिन वे भी कारगार साबित नहीं हुए।¹⁹

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

इस बीच हमारे देश के विभिन्न न्यायालयों ने कई महत्वपूर्ण फैसले भी सुनाये, जिनमें सूचना के अधिकार के जबरदस्त वकालत की गयी थी। ये फैसले क्रमशः 1975, 1981–82 और 1986 के हैं। 1975 में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण के मामले में सरकारी

दस्तावेजों को सार्वजनिक करने एवं इस सन्दर्भ में सरकार के विशेषाधिकार को लेकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) की धारा 123 एवं 162 पर जबरदस्त बहस हुई। मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस मुकदमे के एक न्यायाधीश जस्टिस मैथ्यू ने अपने फैसले में कहा था—

“सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा सार्वजनिक ढंग से किये गए किसी भी सार्वजनिक कार्य के बारे में जानने का अधिकार देश के हर व्यक्ति को है। जानने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की अवधारणा से ही निकला है। जो सूचनाएँ देश की सुरक्षा को हानि न पहुंचाती हो उन्हें प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। गोपनीयता का आडम्बर खड़ा करके सरकारी कामकाज की सामान्य सूचनाओं को गुप्त रखना जनहित के विरुद्ध होगा। इसलिए अत्याचार एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जरूरी है कि सरकारी अधिकारियों को उनके द्वारा किये कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाए।”²⁰

सन् 1981–82 में एस पी गुप्ता बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायाधीश पी एम मूर्ति ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में स्पष्ट किया कि “बिना जवाबदेही के कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जिन्दा नहीं रह सकती। सरकार की कार्यप्रणाली की जानकारी लोगों को मुहैया कराना इस जवाबदेही का मूलमंत्र है। खुले समाज की एक नयी लोकतांत्रिक संस्कृति होती है, जिसे आज अधिकांश उदारवादी लोकतांत्रिक देश अपना रहे हैं। हमारा समाज इसका अपवाद नहीं हो सकता। पारदर्शी सरकार की अवधारणा का सीधा रिश्ता जानने के अधिकार से है और यह अधिकार हमारे संविधान के मूल अधिकारों में शामिल अनुच्छेद 19 (1-क) में वर्णित विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अभिन्न अंग है। इसलिए सरकारी सूचनाओं को सार्वजनिक करना निश्चित रूप से एक सामान्य नियम के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। गोपनीयता महज इसका अपवाद हो सकती है। गोपनीयता को सिर्फ वहीं उचित माना जाना चाहिए, जहां ऐसा करना जनहित में हो।”²¹

सन् 1986 में श्रीराम फूड्स फर्टिलाइजर बनाम एस सी मेहता वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विगत कुछ वर्षों से न्यायालय के समक्ष आने वाले पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी के विनाश संबंधी मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। जनहित के ऐसे मामलों में निर्णय देने के लिए विशेष प्रकार की सूचनाओं के साथ साथ उच्च स्तरीय ज्ञान की आवश्कता है। यह निर्णय सूचना अधिकार की वकालत ही बल्कि सूचनाओं के समुचित

प्रबंधन की व्यवस्था की बात भी करता है। न्यायालयों के निर्णयों से सूचना अधिकार की अवधारणा को कानूनी व वैधानिक रूप से असाधारण बल मिला।²²

वी.पी. सिंह की पहल और प्रेस परिषद की पुनः सक्रियता

प्रेस आयोग के इन निर्णयों के चलते सूचना का अधिकार देने वाले कानून के पक्ष में एक वातावरण तैयार हुआ। बावजूद इसके राजीव गांधी के शासन काल तक इस सन्दर्भ में कोई उल्लेखनीय पहल न हो सकी। 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हुआ। मोर्चा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया कि सत्ता में आने पर वह जनता को सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में समुचित संशोधन करेगा। इस उद्देश्य को हासिल करने लिए वह सरकारी गोपनीयता कानून 1923 को भी समुचित तरीके से संशोधित करेगा। भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य वामपंथी दलों ने भी अपने अपने घोषणापत्रों में ऐसी वचनबद्धताएँ प्रकट की।

भाजपा और वामपंथी के समर्थन से 1989 में केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। विश्वनाथ प्रतापसिंह देश के प्रधानमंत्री बने। राष्ट्र के नाम प्रसारित अपने पहले सन्देश में उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणा पत्र को लागू करने की वचनबद्धता दोहराई। इसका विस्तार करते हुए उन्होंने सूचना की स्वतन्त्रता अधिनियम बनाने के निश्चय की घोषण भी की। अपने इस पहले संदेश में वी.पी.सिंह ने कहा था— “हम सूचना का अधिकार देंगे। सरकार के क्रिया कलापों में जितना खुलापन रहेगा भ्रष्टाचार उतना ही कम होगा। इसके लिए हम सरकारी गोपनीयता कानून में संशोधन करेंगे और सूचना के अधिकार को संविधान का अंग बनायेंगे।” इस संदेश के कुछ ही दिनों बाद दिसम्बर 1989 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी.आर.कृष्ण अय्यर ने प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंह के नाम एक खुल चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाने के उनके वायदे को याद दिलाया था। 12 जनवरी 1990 को वी.पी.सिंह ने उन्हें उस खत का जवाब देते हुए अपने वायदे पर कायम रहने का आश्वासन भी दिया था। सूचना प्रसारण मंत्रियों के 20 वें सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए भी वी.पी.सिंह ने सूचना के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। यही नहीं, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनाने के बाद राष्ट्रपति आर.वेंकटरमण ने भी संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए सरकारी गोपनीयता कानून में संशोधन एवं यथासंभव सूचना का अधिकार कानून निर्मित करने की बात कही थी।

विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में इस संदर्भ में ठोस पहल भी हुई। मार्च 1990 को केन्द्रीय गृहसचिव ने एक प्रारंभिक नोट जारी किया, जिसमें सरकारी गोपनीयता कानून में प्रस्तावित संशोधनों का उल्लेख किया गया था। इस नोट के जरिये अधिकारियों को गोपनीयता कम करने एवं सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने का सुझाव दिया गया था। गृह मंत्रालय के अनुरोध पर ही उसी समय सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नामक संस्थान में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। दूसरी ओर सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों का एक अध्ययन दल गठित किया गया, जिसका काम सरकारी सूचनाओं तक पहुंच के विषय में विभिन्न देशों में किये गये प्रावधाओं और कानूनों का अध्ययन कर भारत के लिए उपयुक्त विचार प्रस्तुत करना था। सूचना के अधिकार संबंधी इन अभियानों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने मंत्रीमण्डल की ओर से तत्कालीन विदेश मंत्री इन्द्रकुमार गुजराल को दी थी²³

इस बीच भारतीय प्रेस परिषद भी दोबारा सक्रिय हुई। जस्टिस आर एस सरकारिया उसके अध्यक्ष थे। इस बार उसने सरकारी गोपनीयता कानून 1923 में संशोधन करने अथवा उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का ही नहीं बल्कि उसे पूरी तरह रद्द करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही परिषद ने सूचना की स्वतन्त्रता देने वाले कानून निर्माण के सन्दर्भ में भी अपनी राय व्यक्त की। लम्बे विचार विमर्श के बाद परिषद ने 13 जुलाई 1990 को निम्नलिखित सिफारिशें की—

1. सूचना के अधिकार का उपबन्ध करने के लिए इस समय संविधान के संशोधन करना जरूरी नहीं है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 19(1)-क में निहित माना है। लेकिन अनुच्छेद 19 में जिसे अन्तर्निहित माना गया है उसे सुव्यक्त करने के लिए बाद में कभी इसमें संशोधन किया जा सकता है।
2. अनुच्छेद 19(2) में जिन आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर निर्बन्धन लगाने की इजाजत है उनमें और आधार जोड़ने के लिए भी संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।
3. सरकारी गोपनीयता कानून (1923) पूर्णतः निरस्त कर दिया जाए। इसे संशोधित करने या इसकी धारा 5 की पुनर्रचना करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। किसी खराब कानून का संशोधन करना बेकार है। सरकारी गोपनीयता कानून को बनाये रखने का मनोवैज्ञानिक असर यह होगा कि गोपनीयता को सरकारी कामकाज का स्थापित

सिद्धान्त समझ लिया जाएगा। इसके विपरीत यदि सूचना की स्वतन्त्रता का कानून हो तो उससे यह आभास होगा कि सरकार पारदर्शी है।

4. गुप्तचरी संबंधी प्रावधान, जो सरकारी गोपनीयता कानून 1923 की धारा 3 एवं 4 आदि में है, बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक फेरबदल के बाद अलग कानून में रखे जायें। प्रतिविद्व स्थान की प्रचलित परिभाषा अत्यन्त विस्तृत और सर्वग्राही है। अतः यह जरूरी है कि इस परिभाषा के दायरे को कम करके उसे पुनर्रचित किया जाय तथा इसके आकार को नपा तुला रखा जाए।
5. प्रस्तावित सूचना स्वतन्त्रता अधिनियम में लगायी जाने वाली सीमाएँ विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं। जहां तक संभव हो गोपनीयता की सीमाएँ सरकारी गोपनीयता कानून 1923 की पुनर्रचित धाराओं की योजना और रूपरेखा के अनुसार होनी चाहिए।
6. यदि सरकार सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम तत्काल न लाने का निश्चय करे और प्राथमिकता के आधार पर वर्तमान अधिनियम में संशोधन करना चाहे तो उसकी धारा 5 और 13 (3) के स्थान पर नये प्रारूपों की सिफारिश की जाती है। उस स्थिति में भी विद्यमान अधिनियम को निरस्त करके उसकी जगह ऐसा नया शासकीय गोपनीयता अधिनियम बनाना ही अधिक उपयुक्त होगा, जिसमें लोकतांत्रिक भावना का समावेश हो। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हुए वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार पर संविधान के अनुच्छेद 19 (2) द्वारा अनुज्ञेय निर्बन्धनों को न्यूनतम करेगा और इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा संसद में 20 दिसम्बर 1989 को दिये गये अभिभाषण में खुली सरकार के वायदे को पूरा करने में सहायक होगा। नया अधिनियम सिविल और राजनीतिक अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (जिसका भारत ने 1978 में अनुसमर्थन किया था) पर अमल करने की भारत की प्रतिबद्धता को पूरी करने की दिशा में भी सहायक होगा, जिसमें जानकारी को चाहने, प्राप्त करने और प्रदान करने के मूलभूत मानवाधिकार को मान्यता दी गयी है।
7. कानून बनाने की कार्रवाई की पूर्व-पीठिका के रूप में सरकार कार्यपालिका कार्रवाइयों से सरकारी सूचनाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाने और आसान बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम के विधायी प्रस्ताव तैयार होने तक उसे, यदि पारदर्शी सरकार के उद्देश्य पूर्ण करने हैं तो निम्नलिखित कार्य करने चाहिए—

क) लोकहित के सभी मुद्दों पर वह अपने फैसलों, नीतियों और दृष्टिकोणों की सूचना खुद तत्प्रता और नियमित रूप से प्रसारित करे।

ख) एक ऐसी व्यापक सूचना प्रसार नीति तैयार करे और प्रकाशित करें, जिसमें जनता की आवश्यकताओं और हितों के अनुरूप उन्हें जानकारी का प्रसार करने और व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालयों और विभागों को मार्गदर्शक सिद्धान्त, अनुदेश और प्रक्रियाएं शामिल की गयी हों,

ग) विभागीय अनुदेशों के मैनुअलों, कार्यालय प्रक्रिया के मैनुअलों, आचरण के नियमों, आदि समेत विभिन्न आदेशों द्वारा दस्तावेजों के वर्गीकरण के लिए जो प्रक्रियाएँ और अनुदेश जारी किए गये हैं, उनके पुनरीक्षण के लिए कार्यपालिका तत्काल आदेश जारी करें। ऐसा पुनरीक्षण हर वर्ष किया जाय। दस्तावेजों का वर्गीकरण तभी किया जाना चाहिए जब वह राज्य की सुरक्षा तथा उसके अन्य महत्वपूर्ण हितों के लिए अत्यन्त आवश्यक हो। इसके लिए भी वर्गीकरण के आधारों के तर्कसंगत कारण दर्शाये जायें। इससे भी ज्यादा यह वांछनीय है कि दस्तावेजों को वर्गीकरण से मुक्त करने की उदारनीति अपनायी जाय।

8. यदि कार्यपालिका के जरिए यह समुचित रूप से न किया जा सके तो सरकार ऐसा विधायी उपबन्ध करने पर विचार कर सकती है। (जो सामान्यतः सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम) का भाग हो। जिसमें अपेक्षित किया जाय कि दस्तावेजों के वर्गीकरण की नीति (जिसमें उसकी प्रक्रिया, अनुदेश, नियम या सिद्धान्त भी सम्मिलित हैं) प्रकाशित की जाएगी। उसे संसद में पेश किया जाएगा तथा उन प्रक्रियाओं, अनुदेशों, नियमों और सिद्धान्तों का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जाएगा। यह पुनरीक्षण सरकारी विभागों और अभिकरणों द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट का अपरिहार्य भाग होगा।

9. अभिलेखागारों में रखी जानकारी को किस्तों में, यथा पांच पांच वर्षों पर, प्रकट करने का नियम या आदेश (जो कानूनी या प्रशासनिक हो सकता है) बनाया जाये ताकि ऐसी संवेदनशील जानकारियों को अहानिकर समझने और जारी किये जाने के लिए 300 वर्ष बीतने की प्रतीक्षा न करनी पड़े।²⁴

प्रेस परिषद की ये सिफारिशें कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण थीं। भारत में पहली बार किसी संस्था ने सूचना के अधिकार और सरकारी गोपनीयता कानून पर इतने विस्तार के साथ चर्चा कर उसे एक दस्तावेज की शक्ति प्रदान की थी। यदि तंत्र की पारदर्शिता की जोरदार

शब्दों में वकालत करने वाले पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे तो यही काम करने का प्रारम्भिक श्रेय भारतीय प्रेस परिषद को भी दिया जाना चाहिए। 1989–90 के दौरान केन्द्र सरकार के स्तर पर ली गयी इस पहल का कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका क्यों कि वी. पी.सिंह सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सकी। आरक्षण और राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद के कारण पारदर्शिता की समूची अवधारणा कुछ दिनों के लिए ही दर किनारा कर दी गयी लेकिन किसी सरकार के लिए इसे पूरी तरह खारिज कर देना अब असंभव था। नरसिंह राव की सरकार 5 साल तक चली लेकिन सूचना का अधिकार के सन्दर्भ में न तो इसने कोई पहल की और न ही इस पर सोचने समझने की जरूरत महसूस की। एक के बाद एक घोटाले होते रहे। कई मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता नौकरशाह और उद्योगपति कटघरे में खड़े हुए। कुछ जेल गये और कुछ पर मुकदमा चला। नतीजन पहल सरकार के हाथ से निकल कर न्यायपालिका के हाथ में चली गयी। तंत्र को पारदर्शी बनाने का सवाल एक बार फिर जोर पकड़ने लगा।²⁵

सूचना का अधिकार संबंधी दो मॉडल विधेयक (1996 तथा 1997)

1996 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी दलों ने सूचना के अधिकार को अपने घोषणा पत्रों में शामिल किया। खंडित जनादेश के चलते 14 दलों के गठबंधन वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। इस मोर्चे ने अपना एक “साझा न्यूनतम कार्यक्रम” नामक परिपत्र जारी किया। इस परिपत्र में “सूचना का अधिकार” विधेयक तैयार कर 6 महीने के भीतर उसे संसद में प्रस्तुत करने की बात कही गयी थी। एच. डी. देवेगौडा, एवं इन्द्र कुमार गुजराल की सरकारों ने इस सन्दर्भ में काफी पहल भी की। इस बीच भारतीय प्रेस परिषद ने भी नये सिर से इस पर कार्य करना प्रारम्भ किया। जस्टिस पी बी सावंत प्रेस परिषद के अध्यक्ष थे। प्रतिष्ठित पत्रकारों, न्यायिदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और कुछ जागरूक नौकरशाहों से गहन विचार विमर्श के बाद प्रेस परिषद ने 1996 में सूचना के अधिकार का एक मॉडल विधेयक तैयार किया। इस विधेयक को तैयार करने में अगस्त 1996 में गठित ‘सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान’ नामक संगठन ने प्रेस परिषद की काफी मदद की थी। इस राष्ट्रीय अभियान के कुल 13 सदस्य थे। जिनके नाम निम्नलिखित हैं—

1. प्रभाष जोशी (वरिष्ठ पत्रकार)
2. अजीत भट्टाचार्य (प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया के निदेशक)

3. अरुणा रॉय (संयोजिका, मजदूर किसान शक्ति संगठन)
4. रेणुका मिश्र (सामाजिक संगठन निरंतर की संयोजिका)
5. के जी कन्नाविरन (अध्यक्ष पी यू सी एल)
6. एस आर शंकरन (अवकाश प्राप्त आई ए एस एवं भारत ज्ञान विज्ञान जत्था के अध्यक्ष)
7. एम जी परमेश्वरन् (सदस्य भारत ज्ञान विज्ञान जत्था)
8. शेखर सिंह (इंडियन इंस्टीट्यूट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन)
9. प्रशान्त भूषण (अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय)
10. प्रदीप प्रभु (सामाजिक कार्यकर्ता महाराष्ट्र)
11. भारत डोगरा (पत्रकार एवं पर्यावरणविद)
12. नील डायले (पत्रकार महाराष्ट्र)
13. राकेश दीवान (नर्मदा बचाओ आन्दोलन)

कानून बनाने के लिए विधेयक के प्रारूप को प्रेस परिषद ने भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया। यह विधेयक कई दृष्टियों से बेहद प्रभावशाली था। भारत सरकार ने न तो इसे स्वीकार किया और न ही इसमें फेरबदल कर संसद में पेश करने की दिशा में कोई पहल हुई। अपितु 2 जनवारी 1997 को सरकारी आदेश के जरिये एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया। उपभोक्ता हितों की संरक्षक एक गैर सरकारी संस्था के निदेशक, अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी एवं वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी इस दस सदस्यीय वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष बनाये गये। कानून विद् सोली सोराबजी के अतिरिक्त इस ग्रुप के सभी सदस्य नौकरशाही के ही प्रतिनिधि थे। इसके सदस्य इस प्रकार थे—

अध्यक्ष – एच डी गौरी

सदस्य :

1. सोलो सोराबजी (विधिविज्ञ, एवं पूर्व महान्यायवादी, भारत सरकार)
2. एस नरेन्द्र (प्रधान सूचना अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार)
3. ए. सिन्हा (संयुक्त सचिव, डिपार्टमेन्ट ऑफ लीगल अफेयर्स)
4. आर. एन वर्मा (कार्यकारी निदेशक, रेलवे बोर्ड)

5. एस पी ओझा (वरिष्ठ उपमहानिदेशक, डाक विभाग)
6. अशोक कुमार (संयुक्त सचिव, दूर संचार विभाग)
7. शशि प्रकाश (संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय)
8. एन एस माधवन (संयुक्त सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)
9. हरिन्द्र सिंह (संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)²⁶

वर्किंग ग्रुप की अपनी रिपोर्ट दो महीने के भीतर सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर देनी थी लेकिन विधेयक तैयार करने की कठिनाइयों के मद्देनजर ग्रुप को 6 महीने का समय दिया गया। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस, पी बी सावंत, प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ. सुन्दरम तथा उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभाग के सचिव ए.के.वैंकटसुब्रमण्यम से विस्तृत राय मशविरा कर वर्किंग ग्रुप ने मई 1997 में अपनी रिपोर्ट, प्रस्तुत कर दी। 35 पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट में “फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन विधेयक” के प्रारूप के अलावा करीब दस पृष्ठों में कानून बनाने की पृष्ठभूमि का भी वर्णन किया गया है। रिपोर्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) की धारा 123 एवं 124, सरकारी गोपनीयता कानून (1923) की धारा 5 तथा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 में सुझाये गये संशोधनों का भी जिक्र है। वर्किंग ग्रुप तथा प्रेस परिषद विधेयक संबंधी प्रारूपों की तुलना :—

1. वर्किंग ग्रुप ने अपने मॉडल विधेयक का नाम ‘सूचना की स्वतन्त्रता विधेयक रखा है जब कि प्रेस परिषद ने उसे ‘सूचना का अधिकार विधेयक कहना उचित समझा। दरअसल, स्वतन्त्रता और अधिकार शब्द ज्यादा उपयुक्त होगा क्यों कि जनता को सूचना का अधिकार दिये जाने की स्थिति में शासन पर इस अधिकार को लागू कराने का सीधा एवं स्पष्ट कानूनी दायित्व होगा।
2. वर्किंग ग्रुप के विधेयक के मुताबिक उन्हीं कंपनियों, निगमों, न्यासों फर्मों, सोसाइटियों या सरकारी संस्थाओं को सूचना देने की बाध्यता होगी जो सरकार के नियंत्रण में है या जिन्हें सरकारी कोष से काफी धन मिल रहा है। यानी वर्किंग ग्रुप ने विदेशी और भारतीय निजी क्षेत्र को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा है। जब कि प्रेस परिषद का विधेयक विदेशी, निजी एवं संयुक्त क्षेत्र के साथ-साथ अदालतों के प्रशासनिक कार्यालयों तथा संसद एवं राज्य विधानमंडलों को भी इसके दायरे में लाने की वकालत करता है।

3. वर्किंग ग्रुप के विधेयक में सूचना न देने अथवा देर से या गलत सूचना देने वाले सरकारी अधिकारी को इसके लिए निजी तौर पर दण्ड का भागीदार नहीं बनाया गया है। जब कि प्रेस परिषद का विधेयक उस अधिकारी को दण्डित करने का पक्षधर है।
4. दोनों विधेयकों में सूचना देने की समय सीमा 30 दिन निर्धारित की गयी है लेकिन वर्किंग ग्रुप ने अपील का प्रावधान बेहद जटिल एवं लम्बा कर दिया है। वर्किंग ग्रुप के विधेयक के अनुसार सूचना न देने वाले अधिकारी के खिलाफ आवेदक विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर सकेगा। विभागाध्यक्ष 30 दिनों के अन्दर निर्णय देना। उसके खिलाफ 30 दिनों के भीतर अपील जिला उपभोक्ता फोरम में की जा सकेगी, जिसका निर्णय 30 दिन में होगा। उसके बाद प्रदेश और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोगों में अपील करने का प्रावधान है। ये आयोग भी फैसले के लिए तीस तीस दिन ले सकते हैं यानी पूरी प्रक्रिया महीनों चल सकती है। इसके विपरीत प्रेस परिषद का विधेयक जिला जज और महानगरों में नगर दीवानी अदालत के न्यायाधीश के समक्ष अपील का सुझाव देता है। और इनके फैसलों को अंतिम मानते हुए उन्हें 30 दिन के भीतर निपटाने की वकालत करता है।
5. वर्किंग ग्रुप का विधेयक कई क्षेत्रों विभागों की सूचनाओं को अनावश्यक गोपनीय रखने की बात करता है जब कि प्रेस परिषद का विधेयक प्रतिरक्षा, देश की संप्रभुता और अखण्डता, अपराधों की गवेषणा तथा सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों को ही गोपनीय सूचनाओं की श्रेणी में रखता है।
6. वर्किंग ग्रुप में सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय और राज्य परिषदों के गठन का सुझाव दिया है। प्रेस परिषद भी इससे सहमत है लेकिन उसने इन परिषदों में शिक्षा, लेखन, विज्ञान व तकनीकी, पत्रकारिता, कानूनी व्यवसाय एवं व्यापार से जुड़े लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही है।
7. प्रेस परिषद का विधेयक मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में सूचना उपलब्ध करवाने के प्रावधान पर खासा बल देता है और सरकार के लिए यह बाध्यकारी मानता है कि आवेदक या किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतन्त्रता से जुड़ी सूचनाएं मांगे जाने के 48 घण्टे के भीतर उपलब्ध करायी जायें। जब कि वर्किंग ग्रुप के विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

8. शौरी समूह द्वारा तैयार किए गए विधेयक में कहा गया है कि अगर अनुरोध कर्ता को 30 दिन के भीतर या विस्तारित अवधि में अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो यह मान लिया जाना चाहिए कि सूचना देने से मना कर दिया गया है। प्रेस परिषद मानती है कि ऐसा होने पर सरकारी अधिकारी सूचनाएँ देने को अपना दयित्व नहीं समझेंगे, जिसके चलते विधेयक का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा इसलिए परिषद ने अपने मॉडल विधेयक से इस उपबंध को हटा दिया है। परिषद के मॉडल विधेयक में इस बात का ही प्रावधान है कि अगर अनुरोधकर्ता वैध कारणों से लिखित आवेदन नहीं कर सकने की स्थिति में है तो संबंधित अधिकारी या तो मौखिक आवेदन स्वीकार करेगा या लिखित आवेदन तैयार करने में अनुरोधकर्ता की मदद करेगा।’²⁷

स्थानीय शासन में सूचनाधिकार लागू करने की पहल

प्रधानमंत्री इन्द्रकुमार गुजराल के निर्देश पर 4 जुलाई 1977 को डबलपर्मेंट विभाग के सचिव डॉ. एन सी सक्सेना ने राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा, जिसमें, ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था। इस पत्र में लिखा गया था – ‘राज्य सरकारें ऐसे सरकारी आदेश जारी करें जिनसे लोगों को सूचना का अधिकार मिल सके। पंचायत स्तर पर विकास पद में व्यय होने वाली धनराशि के विवरण को भी सार्वजनिक करने के प्रावधान होने चाहिए। इस पत्र में और भी कई बातें थीं जिनका पारदर्शिता की दृष्टि से काफी महत्व था। इस निर्देशनुमा पत्र के आधार पर उत्तरप्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने सरकारी आदेश भी जारी किए लेकिन मामला आगे न बढ़ सका।

1998 के बारहवें लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार अस्तित्व में आयी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। संयुक्त मोर्चा की सरकार 14 दलों की थी जब कि यह सरकार 18 दलों की। भाजपा ने सूचना के अधिकार को अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल तो किया था लेकिन उसकी सरकार उस घोषणापत्र के आधार पर नहीं, एक ‘नेशनल एजेंडा’ नामक परिपत्र के आधार पर चल रही थी। इस परिपत्र को चुनाव के बाद उसके अठारह सहयोगी दलों ने सरकार चलाने के लिए तैयार किया था। नेशनल एजेंडा में महिला आरक्षण, लोकपाल एवं चुनाव सुधार जैसे विधेयकों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की बात तो कही गयी थी लेकिन सूचना का अधिकार एक सिरे से गायब था। बावजूद इसके भाजपा सरकार के तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्री मदन लाल खुराना एवं सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने बयान दिये कि संसद में सूचना का अधिकार

विधेयक जल्दी ही प्रस्तुत किया जाएगा। ‘नेशनल ऐजेंडा’ में इसे क्यों नहीं शामिल किया गया— इस पर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह ऐजेंडा बेहद जल्दबाजी में तैयार किया गया था। ऐजेंडे को अंतिम रूप प्रदान करने वाली हड्डबड़ी में सूचना के अधिकार को उसमें शामिल करना भूल गये। भाजपा गठबंधन सरकार ने विधेयक तैयारी के विभिन्न पहलुओं की जांच पड़ताल करने के लिए रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडिस, तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज एवं कानून मंत्री थम्बी दुर्रई की तीन सदस्यीय मंत्रीमण्डलीय समिति भी बनायी थी। समिति बनने के कुछ ही दिनों बाद सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बना दी गयी और तमाम समितियों की तरह यह समिति भी फर्जी साबित हुई। पारदर्शिता और स्वच्छ आचरण की बात करने वाली भाजपा सरकार सूचना का अधिकार कानून लागू करने की तो दूर इसका मसविदा भी तैयार न कर सकी। सितम्बर अक्टूबर 1999 के चुनावों में भाजपा के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिला। एक बार फिर उनकी सरकार बनी। हर बार भाजपा के चुनावी घोषणा पत्रों में सूचना के अधिकार का मुद्दा शामिल रहता था लेकिन इस बार वह गायब रहा। फिर भी अरुणशौरी एवं कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयासों से संसद द्वारा 16 दिसम्बर 2002 को सूचना की स्वतन्त्रता का विधेयक पारित किया गया। लेकिन राजग सरकार ने लोकसभा भंग कर दी और इससे पूर्व राष्ट्रपति ने इस पर स्वीकृति प्रदान नहीं की अतः यह रद्द हो गया।

इस विधेयक की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

- सूचना अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित फीस चुकाने पर 30 दिन के भीतर वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करायें।
- सरकारी विभागों व संस्थानों के क्रिया कलापों के बारे में आम जनता को जानकारी व सूचनाएँ उपलब्ध कराने हेतु एक सूचनाधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य होगी।
- मादक पदार्थ व्यूरो, रॉ केन्द्रीय सुरक्षा बल सहित सरकार के अतिसंवेदनशील विभागों को इस कानून के दायरे से मुक्त रखा गया।
- निजी क्षेत्र को भी इसके दायरे से बाहर रखा गया। अतः कानून आंशिक ही था।²⁸

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार कानून 2002 को नव स्वरूप देते हुए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने नये शासन को नीति संबंधी दिशा प्रदान करने के लिए मई 2004 में एक ‘राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ का मसौदा तैयार किया गया। इस कार्यक्रम में “सतत रूप से एक

भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार तथा सभी समय उत्तरदायी और अनुक्रियाशील प्रशासन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता शामिल थी।

अंततः यूपीए शासन की प्रतिबद्धता के अनुरूप नया कानून सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। सूचना की स्वतन्त्रता अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 2004 में सूचना की स्वतन्त्रता विधेयक तैयार किया जिसे 11 मई 2005 को लोकसभा एवं 12 मई को राज्यसभा ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 12 जून 2005 को इसने कानून का रूप ले लिया। इसके कारण प्रावधान 15 मई 2005 से ही लागू हो गये जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अलावा सम्पूर्ण भारत में यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से ही लागू हो गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप एक केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। 25 अक्टूबर 2005 को राष्ट्रपति ने डॉ. वजाहत हबीबुल्लाह को देश के प्रथम मुख्य केन्द्रीय सूचना आयुक्त की शपथ दिलवाई। इससे पूर्व वे भारत सरकार में कपड़ा सचिव थे।

शपथ के बाद हबीबुल्लाह ने कहा कि “एक जवाबदेह ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त तन्त्र विकसित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।” उन्होंने इस अधिकार के दुरुपयोग की आशंका को निराधार बतलाया तथा ग्रामीण जनता के लाभार्जन पर ध्यान देने पर जोर दिया। जब पत्रकारों ने हबीबुल्लाह जी से पूछा कि आयोग में नौकरशाहों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो प्रत्युत्तर में मुख्य सूचना आयुक्त ने इसको सकारात्मक मानते हुए कहा कि सरकारी सेवा में रहे कार्मिकों को सरकारी संस्थानों व कार्यालयों की कार्य प्रक्रिया का व्यावहारिक अनुभव है। अतः वे योग्य एवं सक्षम साबित होंगे।²⁹

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

महत्वपूर्ण प्रावधान/विशेषताएँ

अधिनियम में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ कार्तिपय गैर सरकारी या निजी उपक्रमों/संस्थाओं के बारे में सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है, जिन्हें अधिकांश आर्थिक सहायता सरकार से प्राप्त होती है या जिन पर सरकारी नियंत्रण किसी रूप में होता है। इसके अलावा किसी निजी संस्था या उपक्रम के बारे में यदि किसी सरकारी विभाग या प्राधिकारी को सामान्य नियंत्रण का अधिकार है तो वह जानकारी भी सरकारी विभाग या प्राधिकारी के द्वारा जनसामान्य को उपलब्ध करायी जायेगी।

उदाहरणार्थ – किसी निजी फैक्ट्री के प्रदूषण की जानकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास है तो यह जानकारी बोर्ड से विधि सम्मत तरीके से लेने का अधिकार इस कानून में उपलब्ध है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र की जानकारी लेने का अधिकार भी प्राप्त हुआ है, हालांकि भविष्य में इसे और अधिक मजबूत बनान की आवश्यकता है।

विभिन्न माध्यमों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार

कानून के अन्तर्गत कई रूपों में उपलब्ध जानकारी प्राप्त हो सकती है, जैसे रिकार्ड, दस्तावेज, मीमो, ई-मेल, रिपोर्ट, कागजात, प्रेस सलाह, विज्ञप्ति, आदेश, लॉगबुक, ऑकडे मॉडल, कम्प्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित जानकारी, डिस्क, फ्लाफी, कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट सैंपल आदि।

सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकारियों के विस्तृत तौर तरीकों का विवरण :

सभी लोक प्राधिकारियों को अपने रिकार्ड प्रस्तुत करने के साथ साथ निम्नलिखित जानकारियों प्रकाशित करनी आवश्यक है—

- कार्यालय के कार्य व कर्तव्य।
- अधिकारियों के कार्य व उत्तरदायित्व।
- किसी कार्य या मामले के निस्तारण की कार्यविधि या प्रक्रिया का विवरण।
- अनुदानित कार्यों का सम्पूर्ण लेखा जोखा।
- विभिन्न योजनाओं व कार्यों के लिए आवंटित बजट का मदवार विवरण एवं इसके लाभार्थियों का उल्लेख।
- नीति निर्धारण व क्रियान्वयन में जन भागीदारी का विवरण।
- कार्य निर्वहन के लिए स्थापित मानक।
- नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के तौर तरीकों का उल्लेख, यदि जनता को उपयोग हेतु पुस्तकालय या वाचनालय है तो उसके खुले रहने के समय का उल्लेख।
- सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम, पद व उन से संबंधित अन्य विवरण।
- अन्य सूचना जो निर्धारित की जाए।

प्रत्येक लोक संगठन का यह कर्तव्य है कि जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों से संबंधित समस्त तथ्यों का प्रकाशन करें। यही नहीं इन सूचनाओं को प्रतिवर्ष नवीनीकरण कर प्रकाशित किया जाना भी आवश्यक है।

स्पष्ट है कि कानून में अप्रत्यक्षतः नागरिक अधिकार पत्र की अवधरणा भी निहित है।

विभिन्न लोकप्राधिकारी यह प्रयास करेंगे कि बहुत सी जानकारी स्वयं इन्टरनेट व अन्य माध्यमों से उपलब्ध करवायें ताकि नागरिकों को बार बार कानून का उपयोग करने की आवश्यकता न हो।

जनता के लिए सूचना, सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, जनघोषणाओं समाचार चैनलों आदि विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

सूचना क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्राप्त

नागरिक लिखित आवेदन या इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से हिन्दी अंग्रेजी के अलावा क्षेत्र की मान्यता प्राप्त भाषा में इन सूचनाधिकारियों से सूचना की मांग कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी मांग को लिखकर व्यक्त करने में असमर्थ है उन्हें सूचनाधिकारी लिखित आवेदन देने में सहायता करेंगे। आवेदन कर्ता को अपना नाम एवं पता बताने के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

सूचना पाने हेतु समय सीमा

आवेदन पत्र व फीस प्राप्त होने के बाद सूचना शीघ्र उपलब्ध करवायी जायेगी, सूचना उपलब्ध करवाने की अधिकतम अवधि 30 दिन निर्धारित हैं। इस अवधि में या तो अधिकारी जानकारी दे देंगे या यह जानकारी न देने का कारण आवेदन कर्ता को बतला देंगे।

लेकिन यदि जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतन्त्रता से संबंधित है, वहां यह 48 घंटे के अन्दर उपलब्ध करवायी जायेगी। हनन के आरोपों संबंधी सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जैसी भी स्थिति को, के पूर्व अनुमोदन के बाद 45 दिन में उपलब्ध करवायी जायेगी।

किसी भी कारण से अस्वीकृति का कारण सूचनाधिकारी को बतलाना आवश्यक होगा और अग्रिम अपील के बारे में अगर आवेदन पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को दिया है तो 5 दिन अतिरिक्त समय लगेगा।

यदि सूचना कोई अन्य व्यक्ति (तीसरे पक्ष) द्वारा मांगी जाती है तो समय सीमा 40 दिन होगी। (इसमें तीसरे पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने की 10 दिन की समयावधि शामिल है।

यदि निर्धारित अवधि में कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है तो यह माना जायेगा कि उन्होंने अस्वीकृत कर दिया है।

आवेदन शुल्क

कानून के अनुसार आवेदन शुल्क युक्ति संगत होगा। यदि निर्धारित शुल्क कम पाया जाता है तो आवेदक को कमी की सूचना लिखित में शुल्क की कमी पूर्ति के निवेदन के साथ की जानी चाहिए। आवेदक लोकसूचना अधिकारी द्वारा लिए गए शुल्क के निर्णय का उपयुक्त अपील अधिकारी से पुनर्वलोकन करवा सकता है। यदि सूचना मुद्रित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदक को उपलब्ध करवायी जाती है तो निर्धारित शुल्क देना होगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनेवाले व्यक्ति से शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि लोकसूचनाधिकारी निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो सूचना निशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

सूचना आवेदन निरस्त होना

सूचना आवेदन निरस्त हो सकता है यदि यह सूचना के प्रकटीकरण से छूट की सीमा में आता है तथा, सूचना सरकार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के कॉपीराइट करती है।

- केन्द्र सरकार के प्राधिकरणों में शुल्क की व्यवस्था
- आवेदन के साथ दस रूपया शुल्क होगा, जो नगद, ड्राफ्ट या बैंक चैक के रूप में हो सकता है।
- किसी दस्तावेज की छाया प्रति प्राप्त करने के लिए दो रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क लगेगा।
- बीपीएल कार्ड धारकों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। (कानून में व्यवस्था)
- केन्द्र ने फलापी में सूचना लेने वाले से 50 रुपये शुल्क लेना तय किया है।
- केन्द्र सरकार के नियमों के तहत रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए पहले घण्टे में कोई शुल्क नहीं होगा। इसके बाद प्रत्येक अगले 15 मिनट के लिए 5 रु शुल्क होगा।

तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना के प्रकटीकरण की प्रक्रिया :

तृतीय पक्ष से तात्पर्य किसी नागरिक द्वारा अन्य व्यक्ति या संस्था (लोकप्राधिकरण) से संबंधित सूचना से है।

यदि लोकसूचनाप्राधिकारी तृतीय पक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई गई या उसके द्वारा गोपनीय रखी गयी ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके अंश जो आवेदक द्वारा चाही गई है, को प्रकट करना चाहता है तो वह तृतीय पक्ष को आवेदन प्राप्ति के 5 दिन की समयावधि में तथ्यों को स्पष्ट करते हुए नोटिस देगा कि वह अपना जवाब मौखिक या लिखित प्रस्तुत करें कि सूचना प्रकट की जाए या नहीं लोकसूचनाधिकारी आवेदक को सूचना प्रदान करते समय तृतीय पक्ष के जवाब को ध्यान में रखेगा।

विधि संरक्षित व्यापारिक या वाणिज्यिक गोपनीय सूचनाओं के अलावा यदि जनहित में सूचना प्रकट करने का महत्व, तृतीय पक्ष को होने वाले संभावित नुकसान से बढ़कर हैं, तो सूचना का प्रकटीकरण किया जा सकता है।

तृतीय पक्ष को नोटिस प्राप्ति से 10 दिन में प्रस्तावित प्रकटीकरण के संबंध में अपना जवाब देना होगा।

तृतीय पक्ष से संबंधित प्रकरण में लोकसूचनाधिकारी 40 दिन की अवधि में सूचना प्रकटीकरण के संबंध में निर्णय देगा और तृतीय पक्ष को अपने निर्णय से अवगत करायेगा। और यह भी बतायेगा कि उसे निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार है।

निम्नलिखित विषयों पर सूचना नहीं दी जाएगी:-

1. ऐसी सूचना जिसके प्रकट होने से भारत की प्रभुता एवं अखण्डता, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा व एकता को नुकसान हो।
2. ऐसी सूचना जो आर्थिक हितों एवं विदेशी संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हो।
3. ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण न्यायालय या ट्रिब्यूनल ने निषेध कर दिया है या सूचना प्रकटीकरण से न्यायालय की अवमानना होती है।
4. सूचना के प्रकटीकरण से संसद या विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन होता हो।
5. विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।

6. सूचना जिनका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाले या विधि के प्रवर्तन अथवा सुरक्षा प्रयोजनों के लिए दी गई सहायता का सूचना के स्रोत की पहचान कराये।
7. सूचना जो अन्वेषण की प्रक्रिया, अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन में अवरोधक हो।
8. मंत्रिमंडलीय कागजात मंत्रिपरिषद सहित, सचिवों अन्य अधिकारियों के मध्य विचार विमर्श का अभिलेखन, लेकिन इस प्रकार की सूचनाओं को भी मामले के पूर्ण या समाप्त हो जाने के बाद सार्वजनिक करना होगा, लेकिन अधिनियम में दी गई छूट से संबंधित प्रकरण उजागर नहीं किये जायेंगे।
9. व्यक्तिगत सूचना जिसके प्रकटीकरण का किसी भी लोक क्रिया कलाप से कोई सम्बन्ध न हो या जो किसी व्यक्ति की एकान्तता में अनुचित हस्तक्षेप करे। उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति किसी पक्ष के बैंक खातों, अन्य सम्पत्ति या जीवन वृत्त या पारिवारिक संबंधों की जानकारी प्राप्त करना चाहे। परन्तु लोक सूचना अधिकारी को ऐसा लगे कि सूचना का उजागर होना व्यापक जनहित में न्यायोचित होगा, तो सूचना प्रकट की जा सकती है।
10. अगर लोकप्राधिकरण को प्रतीत हो कि सूचना का प्रकटीकरण जनहित में सुरक्षित हितों के महत्व से बढ़कर है तो सरकारी गोपनीयता अधिनियम एवं इस अधिनियम में दी गई छूट के बावजूद सूचना प्रकट की जा सकती है।

उपर्युक्त में 1, 4 एवं 8 से संबंधित सूचनाएँ घटना के 20 वर्ष बाद आवेदक को उपलब्ध करवायी जा सकती है। 20 वर्ष की गणना की प्रारम्भिक तिथि के संबंध में केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा, परन्तु इस निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

यदि सूचना का अधिकांश भाग ही प्रकट होने योग्य है तो उसे प्रकट किया जाएगा।

अधिनियम की द्वितीय सूची में वर्णित केन्द्रीय सरकार के आसूचना या गुप्तचर और सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित 18 संगठनों या उनके द्वारा सरकार को उपलब्ध करवायी गयी सूचना इस अधिनियम की सीमा से बाहर है—

1. आसूचना ब्यूरो
2. मंत्रिमंडल सचिवालय की अनुसंधान और विश्लेषण शाखा
3. राजस्व आसूचना निदेशालय
4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो
5. प्रवर्तन निर्देशालय

6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
7. विमानन अनुसंधान केन्द्र
8. विशेष सीमान्त बल
9. सीमा सुरक्षा बल
10. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
11. भारत तिब्बत सीमा पुलिस
12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गोर्ड
14. असम राइफल्स
15. विशेष सेवा ब्यूरो
16. विशेष शाखा (सी.आई.डी.) अण्डमान और निकोबार
17. अपराध शाखा सी.आई.डी. – सी वी दादरा और नागर हवेली
18. लक्षद्वीप पुलिस की विशेष शाखा।

केन्द्रीय सरकार इस अनुसूचि को संशोधित कर सकती है। इसी प्रकार राज्य सरकार के उन गुप्तचर और सुरक्षा से संबंधित संगठनों को भी अधिनियम की सीमा से बाहर रखा गया है, जिसको राज्य सरकार राजपत्र में समय समय पर विज्ञापित करेगी। परन्तु केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के ऊपर वर्णित संगठनों की भ्रष्टाचार के अरोपों एवं मानवीय अधिकारों के हनन संबंधी सूचना नहीं रोकी जायेगी। मानवीय अधिकारों के हनन संबंधी सूचना केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग की पूर्व अनुमति पश्चात उपलब्ध करवायी जाएगी। ऐसी सूचना आवेदन तिथि से 145 दिन में उपलब्ध करवायी जाएगी।³⁰

केन्द्रीय सूचना आयोग

सूचना का अधिकार कानून 2005 में केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग के गठन का उल्लेख है। केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में विज्ञप्ति के द्वारा होता है। सूचना का अधिकार कानून 2005 के अनुसार इस आयोग में मूख्य सूचना युक्त और आवश्यकतानुसार (अधिनियम दस) सूचना आयुक्त हो सकते हैं। जिनकी नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। समिति का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विपक्ष के नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्रिमंडल के एक सदस्य के द्वारा की जाएगी।

शपथ

राष्ट्रपति या उसके द्वारा मनोनित व्यक्ति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को शपथ दिलाई जाएगी।

पद की पात्रता

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबन्ध, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान एवं अनुभव सहित सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए।

मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधानमण्डल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा अथवा कोई व्यवसाय या व्यापार नहीं करेगा।

कार्यकाल एवं अन्य सेवा शर्तें

मुख्य सूचना आयुक्त

मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्ति तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त होगा। वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते व अन्य सेवा शर्तें वहीं होगी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के सेवाकाल में उनके अहित में उनका परिवर्तन नहीं होगा।

सूचना आयुक्त

सूचना आयुक्त भी अपने पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त होंगे। वह उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त का पात्र होगा, परन्तु उसका दोनों पदों का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा।

सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवाशर्तें वही होंगी जो निर्वाचन आयुक्त की है। सूचना आयुक्त के सेवाकाल में उनमें कोई ऋणात्मक परिवर्तन नहीं होगा।

त्यागपत्र

मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त किसी भी समय लिखित में राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं।

मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का पद से हटाया जाना—

राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को पद से हटा सकता है—

केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के विरुद्ध दुराचार अथवा असक्षमता सिद्ध हो जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। परन्तु दुराचार अथवा असक्षमता का मात्र आरोप लगाये जाने से उन्हें नहीं हटाया जा सकता।

आयोग का मुख्यालय

आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होना, पर आयोग केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से देश के अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

प्रतिवेदन

केन्द्रीय सूचना आयोग वर्ष के अन्त में अपने वार्षिक क्रियाकलापों संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर उसे केन्द्र सरकार को भेजेगा। केन्द्रीय सरकार इस प्रतिवेदन को समीक्षा हेतु, संसद को प्रस्तुत करेगी।

अपील की व्यवस्था

इस कानून में अपील का प्रावधान बहुत ही व्यावहारिक एवं संक्षिप्त में है। अपील सिफदो जगह होगी। किसी सूचनाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि (30 दिन) में सूचना व मिलने पर उसके विरुद्ध प्रथम अपील सूचना धिकारी भी 30 दिन की अवधि में अपील का निस्तारण करेगा। वहां न्याय न मिलने पर 90 दिन की अवधि में केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में अपील का प्रावधान है। इस अपील पर 30 से 45 दिनों के बीच निर्णय प्रदान कर दिया जाएगा।

आयोग को यह अधिकार है कि वह सूचनाधिकारी को ऐसी जानकारी देने के लिए बाध्य करे जिसे देना सूचनाधिकारी ने पहले अस्वीकृत कर दिया हो। आवेदनकर्ता की क्षतिपूर्ति का आदेश भी आयोग दे सकता है। दूसरी ओर वह अपील को रद्द भी कर सकता है।

दण्ड या जुर्माना

विधि सम्मत तरीके से सूचना न देने वाला अधिकारी या इस कार्य में देरी करने वाले अधिकारी पर आयोग 250 रुपये प्रतिदिन की देरी के हिसाब से अधिकतम 25000/- रुपये का जुर्माना कर सकता है। अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की व्यवस्था भी आयोग कर सकता है।

यह कानून गुप्तचर व सुरक्षा संस्थानों पर तभी लागू होगा यदि मामला मानवाधिकारों के उल्लंघन या भ्रष्टाचार के आरोपों का है।

केन्द्रीय सूचना आयोग का सामान्य अधीक्षक, दिशा निर्देशन और प्रबन्ध मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जबकि सूचना आयुक्त उसकी सहायता हेतु नियुक्त किए जाएँगे। आयोग किसी अन्य अधिकारी के दिशा निर्देश के अधीन नहीं रहते हुए अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन स्वतन्त्र रूप से करेगा।

कानून में सरकार द्वारा इससे जुड़े शैक्षणिक कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है। सरकार को डेढ़ वर्ष की अवधि में कानून पर सरल भाषा में साहित्य तैयार करने का भी उल्लेख है। इस सन्दर्भ में सरकार ने सकारात्मक पहल की है।

सूचना अधिकार का यह कानून विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का प्रतिफल है। इसमें सभी कर्मियों को दूर करने के प्रावधान हैं। आशा यही की जाती है कि यह कानून व्यवहार में सफल होगा और आमजन को सरकारी कार्यालयों में सूचना के अभाव में परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आगे इसमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार को इस पर सकारात्मक रुख रखना चाहिए। इस कानून के क्रियान्वयन से सरकार द्वारा चलाये जाने वाले विविध कार्यों में पारदर्शिता आएगी। इस सब के अतिरिक्त इस कानून का सर्वाधिक लाभ नागरिकों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं के निराकरण में होगा ताकि वह गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। यह भी ध्यान रखना होगा कि सूचना आयोगों में ऐसे आयुक्तों की नियुक्ति हो जो लोकतंत्र एवं प्रशासनिक पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध हों।

स्पष्ट है कि सूचना के अधिकार कानून के उद्देश्य उसमें किये गये प्रावधान जनहित से जुड़े हैं। किन्तु कानून के इन सकारात्मक प्रावधानों के साथ कुछ व्यवस्थागत व क्रियान्वयन के स्तर पर मौजूद कर्मियों को दूर कर इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। मौजूदा कानून में लगभग 50 क्षेत्रों को सूचना के अधिकार के कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।

यह विडम्बना है कि सूचना आयुक्तों के पद पर विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रीय स्तर पर सेवानिवृत्त अवसरों को नियुक्त किया जा रहा है। आजीवन गोपनीयता की संरक्षिती की पैरवी करने वाले अधिकारियों के स्थान पर सामाजिक क्षेत्र की निष्पक्ष विभूतियों की नियुक्ति कर कानून की साख को सशक्त किया जा सकता है। सूचना का प्रभावी क्रियान्वयन सूचना आयोगों की दृढ़ता पर निर्भर करेगा।³¹

केन्द्रीय सूचना आयोग का वर्तमान संगठन व कार्यालय

कार्यालय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगानाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टर्स ओल्ड जेन्यू कैम्पस, मुनिरका नई दिल्ली (110067) में स्थित है।

हाल ही में केन्द्रीय सूचना आयोग में सुधीर भार्गव की नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर की गई है। इन्होंने श्री आर के माथुर का स्थान लिया है। श्री सुधीर भार्गव 2015 से सूचना आयुक्त भी नियुक्त किए गए हैं। अब आयोग में कुल सात सदस्य हो गए हैं, जबकि अधिकतम स्वीकृत संख्या 11 है। शेष अन्य चार सदस्यों की नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार ने विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे हैं। श्री वजाहत हबीबुल्लाह देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए थे। श्री सुधीर भार्गव नौवे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त श्री विमल जुल्फा, श्री दिव्य प्रकाश सिन्हा, श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा, श्रीमती वंजना एन सरना, श्री नीरज कुमार गुप्ता व श्री सुरेश चन्द्र सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त हैं।

नागरिकों को जागरूक बनाने के लिए वार्षिक सम्मेलन

सूचना का अधिकार के प्रति नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए केन्द्रीय सूचना आयुक्त हर वर्ष (2006 से) वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करता है। हर वर्ष इसका विषय भिन्न होता है। इस वर्ष इसका 13वां वार्षिक सम्मेलन अक्टूबर 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बार की थीम “डाटा निजता एवं सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन और सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन” थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य शासन में सुधार के लिए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को दुरुस्त बनाने हेतु उपाय सुझाना था।



संदर्भ सूची

1. पाण्डेय, अरुण, हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार, वाणी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000, पृ. 97
2. ग्रोवर, बी.एल. एवं यशपाल : आधुनिक भारत का इतिहास, चांद एण्ड चांद कम्पनी, नई दिल्ली, 2003, पृ.18
3. माहेश्वरी, एस.आर. ओपन गवर्नमेंट इन इण्डिया, एल.एन. पुस्तक प्रकाशक, आगरा, 1992, पृ. 13
4. माहेश्वरी, एस.आर. ओपन गवर्नमेंट इन इण्डिया, एल.एन. पुस्तक प्रकाशक, आगरा, 1992, पृ.13
5. शर्मा एवं व्यास, आधुनिक भारत का इतिहास, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2001
6. भट्टाचार्य, मोहित, लोकप्रशासन के नये आयाम, जवाहर पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2000, पृ. 447
7. माहेश्वरी, एस.आर. ओपन गवर्नमेंट इन इण्डिया, एल.एन. पुस्तक प्रकाशक, आगरा, 1992, पृ. 25
8. माहेश्वरी, एस.आर. ओपन गवर्नमेंट इन इण्डिया, एल.एन. पुस्तक प्रकाशक, आगरा, 1992, पृ. 25
9. सरकारी गोपनीयता कानून 1923 के आधार पर
10. सरकारी गोपनीयता कानून 1923 के आधार पर
11. पाण्डेय, अरुण, हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार, वाणी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000, पृ. 55
12. सैनी एवं एवं मंगलानी, सूचना का अधिकार, साहित्य अकादमी, हरियाणा, 2002, पृ. 22
13. सैनी एवं मंगलानी, सूचना का अधिकार, साहित्य अकादमी, हरियाणा, 2002, पृ. 22
14. सैनी एवं मंगलानी, सूचना का अधिकार, साहित्य अकादमी, हरियाणा, 2002, पृ. 22
15. त्रिखा, नन्दकिशोर, प्रेस विधि, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1998, पृ. 34
16. त्रिखा, नन्दकिशोर, प्रेस विधि, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1998, पृ. 34
17. बावेल, बसन्तीलाल, सूचना का अधिकार, यूनिक बुक हाउस, जयपुर, 2005, पृ. 37
18. बावेल, बसन्तीलाल, सूचना का अधिकार, यूनिक बुक हाउस, जयपुर, 2005, पृ. 39
19. त्रिखा, नन्दकिशोर, प्रेस विधि, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1998, पृ. 35
20. यादव, अभयसिंह, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 – एक विवेचन, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, 2008, पृ. 4

-
21. कान्त, डॉ. नीलम, सूचना के अधिकार की विधि, ओरिएन्ट पब्लिशिंग कंपनी, 2012, पृ. 12
 22. बावेल, बसन्तीलाल, सूचना का अधिकार, यूनिक बुक हाउस, जयपुर, 2005, पृ. 46
 23. जैन, प्रो. रमेश एवं गुर्जर, डॉ. नाथूलाल, सूचना का अधिकार (अपेक्षाएँ एवं चुनौतियाँ), सबलाईन पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2006
 24. प्रेस परिषद में कुल 28 सदस्य हैं। सवोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है।
 25. यह वर्णन स्वतंत्र पत्रकार भारत डोगरा से प्राप्त अप्रकाशित साहित्य के आधार पर है।
 26. डोगरा भारत, सूचना का जन-अधिकार, कुलश्रेष्ठ प्रकाशक, नई दिल्ली, 2003, पृ. 10
 27. मंदेर, हर्ष एवं जोशी, आभा, द मूवमेन्ट फॉर राइट टू इन्फोर्मेशन इन इण्डिया, पीपल्स पॉवर फॉर द कन्ट्रोल ऑफ करप्शन, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव, नई दिल्ली
 28. मंदेर, हर्ष एवं जोशी, आभा, द मूवमेन्ट फॉर राइट टू इन्फोर्मेशन इन इण्डिया, पीपल्स पॉवर फॉर द कन्ट्रोल ऑफ करप्शन, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव, नई दिल्ली
 29. भट्टाचार्य, मोहित, लोक प्रकाशन के नये आयाम, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2000, पृ. 464
 30. भारत सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के आधार पर यह विवेचन है।
 31. यादव, डॉ. अभयसिंह, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 – एक विवेचन, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, 2008, पृ. 76

चतुर्थ अध्याय

**राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम
की व्याख्या**

चतुर्थ अध्याय

राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम की व्याख्या

सूचना की स्वतंत्रता के लिए भारत में राज्यस्तरीय पहलकदमीयों ने सूचना के अधिकार के आंदोलन को नवीन आयाम दिए हैं। नागरिकों को सूचना प्रदान करने का प्रथम प्रयास कर्नाटक में हुआ तथा सूचना का विधान बनाने तथा उसे अधिनियमित करने की दृष्टि से तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है। इस क्रम में सूचना के अधिकार की मांग को अमलीजामा पहनाने में राजस्थान एवं मध्यप्रदेश का प्रयास भी सराहनीय है।

कुछ राज्यों में जब सूचना का अधिकार कानून लागू हो गया, तब केन्द्र सरकार ने यह महसूस किया कि इस दिशा में प्रयास किया जाना उसके लिए भी आवश्यक है। केन्द्र सरकार के कार्मिक एवं विधि मंत्रालयों ने पाया कि यह विषय संविधान की केन्द्रीय सूची का है अतः इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार को है। अतः केन्द्र सरकार के तत्कालीन कार्मिक सचिव (एस.एस.देवडा) द्वारा इन राज्यों को पत्राचार द्वारा अवगत कराया गया।¹

केन्द्रीय कानून लागू होने से पूर्व निम्नलिखित राज्य सूचनाधिकार कानून निर्मित कर चुके थे। जिसका विवरण निम्नलिखित है—²

1. तमिलनाडु (सूचना का अधिकार अधिनियम – 1997)
2. गोवा (सूचना का अधिकार अधिनियम – 1997)
3. कर्नाटक (सूचना का अधिकार अधिनियम – 2000)
4. राजस्थान (सूचना का अधिकार अधिनियम – 2000)
5. दिल्ली (सूचना का अधिकार अधिनियम – 2000)
6. असम (सूचना का अधिकार अधिनियम – 2001)
7. उड़ीसा (सूचना का अधिकार अधिनियम – 2002)
8. जम्मू एवं कश्मीर (सूचना का अधिकार अधिनियम – 2004)

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित राज्य विधेयक तैयार कर चुके थे—

1. आन्ध्रप्रदेश सूचना का अधिकार विधेयक — 2001

2. केरल सूचना का अधिकार विधेयक — 2002

राज्यों में सूचना का अधिकार प्रदान करने की सर्वप्रथम पहल कर्नाटक में हुई। 1988 में वहाँ की विधानसभा में 'कर्नाटक फ्रीडम ऑफ प्रेस बिल' पेश किया गया, बाद में प्रेस परिषद की सिफारिशों भी प्राप्त कर ली गई लेकिन यह कानून का रूप नहीं ले सका। अन्ततः सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इसमें सरकार की स्वतः सक्रियता के प्रावधान सीमित थे।³

तमिलनाडु सूचना का अधिकार देने वाला प्रथम राज्य बना। 1996 में प्रेस परिषद द्वारा तैयार किए गए विधेयक को आधार बनाकर करुणानिधि सरकार ने 'तमिलनाडु सूचना का अधिकार विधेयक' 1997 तैयार करवाया तथा वहाँ की विधानसभा में 17 अप्रैल 1997 को प्रस्तुत किया गया। विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद मई 1997 से तमिलनाडु में सूचना का अधिकार कानून लागू हो गया।

तमिलनाडु के बाद गोवा दूसरा राज्य है जिसने अपने नागरिकों को सूचना प्रदान करने वाला कानून निर्मित किया। जब 1997 के बजट सत्र में तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार ने सूचना का अधिकार विधेयक पारित किया तो ऐसे विधेयक के प्रति गोवा सरकार की भी उत्सुकता बढ़ी। इसी बीच पत्रकारों की पहल पर मई 1997 में गोवा की राजधानी पणजी में सूचना का अधिकार विषय पर एक सेमिनार हुआ। जुलाई 1997 में गोवा विधानसभा ने सूचना का अधिकार कानून पारित किया तथा राज्यपाल ने अक्टूबर 1997 में इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। लेकिन आरम्भ में ही यह कानून विवाद के घेरे में आ गया क्योंकि इसमें सूचना का 'गलत नीयत' से दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध दण्ड का प्रावधान रखा गया था।

गोवा सूचना का अधिकार अधिनियम सर्वप्रथम और प्रगतिशील विधानों में से एक था। वह सरकारी कार्यों का निष्पादन करते हुए निजी निकायों के लिए भी लागू होता था। छ: आधार ऐसे थे जिन पर राज्य सरकार किसी नागरिक को सूचना देने से इंकार कर सकती थी। राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में सभी को 7 से 10 छूट प्राप्त हैं। विशेषज्ञों के अनुसार गोवा के विधान में अनेक कमियां भी थी। उदाहरण के लिए सूचना को प्रदान करने की समय सीमा अत्यधिक लम्बी थी और आन्तरिक अपील के लिए कोई क्रिया विधि नहीं दी गई थी।

इसी बीच राजस्थान में जानकारी प्राप्त करने हेतु आंदोलन सक्रिय हो चुका था और सन् 2000 में राजस्थान ने राज्य के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया। इसका विस्तृत उल्लेख आगे किया गया है।

कर्नाटक राज्य का कानून भी सन 2000 में ही लागू हुआ। कर्नाटक में सूचना के अधिकार के विधान को राज्यपाल की स्वीकृति 10 दिसम्बर 2000 को प्राप्त हुई तथा उसे 13 दिसम्बर 2000 को कर्नाटक के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसको व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु इस आन्दोलन से संबंध राज्य के प्रबुद्ध नागरिकों एवं स्वयंसेवी के सुझाव भी आमंत्रित किये गये। कर्नाटक का कानून एक बेहतर कानून साबित हुआ।

महाराष्ट्र – महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा लगातार चलाए जा रहे पक्ष समर्थन के आन्दोलन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 पारित किया गया। महाराष्ट्र का वर्ष 2000 का अधिनियम तमिलनाडु के दोषपूर्ण अधिनियम पर आधारित था जो इतना प्रभावशाली नहीं था। उसकी कमज़ोर विधि होने के कारण आलोचना की गई। बाद में माधव गोडबोले नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी ने इस कानून में सुधार संबंधी अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशों की, जिनके आधार पर नया अध्यादेश पारित हुआ। यह विधान अन्य विधानों से पृथक था। इस विधान का दायरा काफी विस्तृत था। महाराष्ट्र के इस विधान को सर्वाधिक प्रगतिशील विधान बताया गया।

मध्यप्रदेश – मध्यप्रदेश राज्य ने सूचना का अधिकार विधेयक, 1998 में पेश किया। विधेयक का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता लाना था यद्यपि विलासपुर तथा कोरवा जैसे कतिपय स्थानों पर स्थानीय प्राधिकारियों ने मध्य प्रदेश विधानसभा में विधेयक के पेश किये जाने के पूर्व सूचना तक पहुंच की धारणा अर्जित कर ली थी। मध्यप्रदेश विधानसभा ने 1998 में पेश किये विधेयक से जुड़े कई मुद्दे केन्द्र से संबंधित थे। अतः मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने इस विधेयक को राष्ट्रपति की संस्तुति हेतु भेज दिया। अन्ततः केन्द्र सरकार से मामला उलझने के कारण यह पारित नहीं हो सका।

दिल्ली – दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम 2 अक्टूबर 2001 को प्रभावी हुआ था। यह अधिनियम गोवा अधिनियम जैसा ही था। जिसमें मानक अपवादों का प्रावधान किया गया था और स्वतंत्र निकाय के समक्ष अपील की तथा सलाहकार निकाय, सूचना के अधिकार के लिए राज्य परिषद के गठन की व्यवस्था की गयी थी। दिल्ली सूचना के अधिकार अधिनियम में किसी भी नागरिक को किसी भी सरकारी कार्य का निरीक्षण करने तथा सामग्री का नमूना मांगने के लिए सशक्त किया गया था।⁴

राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम

राजस्थान में सूचना के अधिकार के लिए लड़ी गयी लड़ाई देश के लिए एक मिशाल है। यह एक ऐसा प्रदेश है जो 1947 में देश के आजाद होने के बावजूद रियासतों के शिकंजे में लगभग एक दशक तक आजादी की राह देखता रहा। ऐसा प्रदेश यदि जानकारी के अधिकार के लिए उद्घोषणा और अगुवाई करता है तो यह हैरान करने वाला वाक्या कहा जा सकता है।

राजस्थान जैसे सामन्ती सोच रखने वाले प्रान्त से उठी इस उद्घोषणा को सारे देश ने सुना था। इतना ही नहीं बल्कि इस उद्घोषणा ने सूचना का अधिकार चाहने वालों को नवीन प्रेरणा भी प्रदान की थी। राजस्थान में सूचना के अधिकार की मांग को पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग, पत्रकारों, वकीलों या किसी मानवाधिकारवादी संगठन ने नहीं उठाया था बल्कि इसकी मांग अकाल पीड़ित क्षेत्रों के गरीब किसान मजदूरों ने की थी। उन्हें लोकतंत्र प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही जैसी बौद्धिक अवधारणाओं का कोई ज्ञान नहीं था। विशेष रूप से दक्षिणी व पश्चिमी राजस्थान के अकाल पीड़ित क्षेत्र की जनता ने इसे जन आन्दोलन का स्वरूप दिया।⁵

जब भाजपा सरकार सत्ता में थी (दिसम्बर 1993 से नवम्बर 1998) तब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने जनता के नाम अपने प्रथम संदेश में गरीबों के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराते हुए घोषणा कि उनकी सरकार गरीबों की सेवा को प्राथमिकता देगी। इसी सरकार ने कार्यकाल के समय सन् 1999 से 1994 के मध्य मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा जनसुनवाइयों का सिलसिलेवार आयोजन किया गया।⁶

सूचना के अधिकार पर आयोजित जनसुनवाइयों : तिथिवार

प्रथम – 7 दिसम्बर 1994 – जिला पाली, तहसील रायपुर

दूसरी – 17 दिसम्बर 1994 – जिला राजसमंद, पंचायत भीम

तीसरी – जनवरी 1995 – जिला राजसमंद, विजयपुरा

चौथी – 7 जनवरी 1995 – जिला अजमेर, जवाज

पांचवी – 25 अप्रैल 1996 – जिला भीलवाडा, थाणा

छठी – 9 जनवरी 1998 – जिला राजसमंद, पंचायत भीम

सातवी – 19 जनवरी 1998 – जिला अजमेर, जवाजा

मजदूर – किसान शक्ति संगठन द्वारा पाली जिले के कोट किराना, राजसमंद जिले की भीम पंचायत, विजयपुरा पंचायत, अजमेर जिले की जवाजा पंचायत और भीलवाड़ा जिले की थाणा पंचायत में एक के बाद एक आयोजित जनसुनवाइयों में चौकाने वाली सच्चाई सामने आने लगी। मस्टर रोल में दर्ज नाम, भुगतान और बिल फर्जी पाए गए। लाखों रुपए की चारागाह भूमि को कोड़ियों के भाव नीलाम करना, अधूरा निर्माण एवं भुगतान आदि घपलों ने ग्रामीण विकास कार्यों की मानों पोल खोल दी। ऐसे में सूचना के अधिकार की मांग उठी जिससे गांवों के लोग या प्रतिनिधि सरकारी विकास कार्यों एवं परियोजना से संबंधित अभिलेखों की फोटो प्रति प्राप्त कर सकें। जिससे घोटालों को पकड़ा जा सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त हो। अरुणा रॉय के नेतृत्व में मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा हिसाब की मांग या सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान के कुछ कर्सों, जिला मुख्यालयों से होते हुए जयपुर पहुंची और इस मांग पर सशक्त आंदोलन से इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची। जैसे–जैसे सूचना के अधिकार की मांग आंदोलन में तब्दील होती गयी वैसे–वैसे जनसुनवाईयों के माध्यम से भ्रष्टाचार को उजागर किये जाने के अभियान भागीदारी के साथ मजदूर किसान शक्ति संगठन ने सरकार के समुख चार मांगें रखी—

1. सूचना की पारदर्शिता
2. विकास के खर्चों का सामाजिक लेखा जोखा
3. अधिकारियों की जवाबदेही
4. गबन होने पर पैसे की वसूली

मजदूर—किसान शक्ति संगठन द्वारा राजस्थान में किए जा रहे संघर्ष को जहां तक एक ओर जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ वहीं दूसरी और पंचायत की मशीनरी, जनप्रतिनिधियों एवं नौकरशाहों द्वारा इसका विरोध किया गया। विकासगत खर्च में पारदर्शिता तथा खर्च के सामाजिक अंकेक्षण के मुद्दे पर इन्होंने घोर विरोध किया। तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार खामोश थी। सरकार की इस खामोशी से यह मांग और अधिक मुखर हो गयी। सूचना के अधिकार हेतु निरन्तर आन्दोलन से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने 5 अप्रैल 1995 को विधानसभा में घोषणा की कि राजस्थान की जनता के अब तक एक बुनियादी अधिकार सूचना का अधिकार से वंचित रखा गया था। अब वह उन्हें प्रदान किया जाएगा।

इस घोषणा का अभिप्राय था कि कोई नागरिक या पंचायती राज संस्थाओं का कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि शुल्क अदा करने पर विगत पांच वर्षों 1990–1995 के विकास कार्यों

के दस्तावेजों की फोटोकॉपी हासिल कर सकता है। इन विकास कार्यों में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी से गबन का पैसा पुनः वसूला जायेगा। किन्तु मुख्यमंत्री की इस घोषणा को लगभग एक वर्ष तक व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता। जनसुनवाइयों के माध्यम से भ्रष्टाचार के जो मामले सामने लाये गये उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुख्यमंत्री की घोषणा लागू नहीं होने पर विवशतः मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा 6 अपैल 1996 से सभाओं, प्रदर्शनों, गोष्ठियों एवं सम्मेलनों के माध्यम से राज्यव्यापी आंदोलन चलाया गया। राजस्थान के नगर व्यावर में 40 दिन के धरने तथा जयपुर में 53 दिन के धरने ने आन्दोलन को नवीन आयाम दिये। सूचना के अधिकार की अवधारणा अब सीधे—सीधे जनता से जुड़ गयी।⁷

इन धरनों में प्रेस परिषद के अध्यक्ष पी.सी. सावंत, पत्रकार कुलदीप नैयर, प्रभाष जोशी जैसे पत्रकारों तथा आंदोलन में शिरकत करने वाले समाज सुधारकों में मेधा पाटकर व स्वामी अग्निवेश आदि थे।

इस आन्दोलन से प्रभावित होकर राजस्थान सरकार ने तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (अरूण कुमार) की अध्यक्षता में 17 जून 1996 को एक समिति का गठन किया जिसे दो माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया। परिणामतः धरना समाप्त हो गया।

समिति में निम्नलिखित छ: सदस्य थे⁸—

श्री अरूण कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
श्री एन. के. बैरवा, विकास आयुक्त, राजस्थान सरकार	सदस्य
श्री बी. एस. व्यास, निदेशक, आई डी एस	सदस्य
श्री परमेशचन्द्रा, सचिव, विशेष आयोजना, राजस्थान सरकार	सदस्य
श्रीमती सुशीला कुमारी, जिला प्रमुख पाली	सदस्य
निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य

राजस्थान सरकार ने 30 दिसम्बर 1996 को एक सरकारी आदेश के द्वारा पंचायत स्तर पर सभी सरकारी अभिलेख देखने एवं फोटोप्रति प्राप्त करने का प्रावधान किया गया। 200 शब्दों के सरकारी दस्तावेज की फोटोप्रति प्राप्त करने हेतु 2 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया।

किन्तु यह आदेश निरर्थक था। क्योंकि जनवरी 1998 से जुलाई 1998 के मध्य स्वयं मजदूर किसान शक्ति संगठन अजमेर जिले की किशनगढ़ पंचायत समिति के विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। सूचना के अधिकार की प्राप्ति हेतु संघर्ष के इस दौर के पश्चात् सूचना के अधिकार के लिए मार्ग स्वतः ही खुलता गया जब नवम्बर 1998 में 11वीं विधानसभा के लिए राजस्थान में चुनावों के पश्चात् सत्ता परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार का गठन किया।⁹

कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के 16वें बिन्दु में उल्लिखित था कि प्रदेश में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जायेगी। कांग्रेस सूचना के अधिकार की हिमायत करती है। सरकार के विकास संबंधी कार्यों में पारदर्शिता के लिए जनता को सूचना का अधिकार प्रदान किया जाएगा। गहलोत सरकार ने सत्ता से आते ही राज्य मंत्रिमण्डल की प्रथम बैठक में चुनावी घोषणा पत्र को राज्य सरकार के कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया। 18–19 नवम्बर 1998 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में संपूर्ण विकास प्रभावी एवं चुस्त प्रधासन हेतु सरकार की 15 प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी। इन्हीं 15 प्राथमिकताओं में 9वां स्थान सूचना के अधिकार को दिया गया। पारदर्शी संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन के लक्ष्य निर्धारित किये गए। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने सूचना की स्वतंत्रता को आम नागरिकों का अधिकार घोषित एवं अभिनियमित किया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के खण्ड (1) के उपबंध (क) में यथास्थापित नागरिकों के मूल अधिकार से व्युत्पन्न रूप से अभिहित करते हुए एवं विधि विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार ने 26 जनवरी 2001 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2000, राजस्थान में लागू कर दिया।¹⁰

सूचना का अधिकार 2000, और उसका क्रियान्वयन

अधिनियम की धारा 2 में 'सूचना' व 'सूचना के अधिकार' शब्द की परिभाषा दी गई है। सूचना से अभिप्राय किसी लोक निकाय या राज्य के कार्यकलापों से संबंधित किसी सामग्री अथवा सूचना से है। सूचना के अधिकार से अभिप्राय है – राज्य या लोक निकायों के कार्यकलापों से संबंधित सूचना जनता तक पहुंचना। धारा-3 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को कार्यालय के प्रभारी से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा संबंधित अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए वांछित सूचना उपलब्ध कराये। यदि सूचना उपलब्ध कराने पर विफल रहने का जानबूझकर मिथ्या

सूचना उपलब्ध करायी जाने पर उस अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अधिनियम की धारा 4 व 8 में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा तथा इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसे आवेदन पर अधिकारी को तीस दिन में वांछित सूचना नकल या फोटोस्टेट कॉपी के रूप में उपलब्ध करानी होगी। बशर्ते कि ऐसी सूचना किसी निर्बन्धन के अन्तर्गत नहीं आती हो।

विशेष उल्लेखनीय यह है कि सूचना का यह अधिकार अबाध नहीं है। धारा 5 में कतिपय उन मामलों का उल्लेख किया गया है जिनमें सूचना उपलब्ध करवाना आवश्यक नहीं होगा अर्थात् ऐसे मामलों में सूचना उपलब्ध कराने से इन्कार किया जा सकेगा, जैसे—

1. विदेशी सरकारों, उनके अभिकरणों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त गुप्त सूचना सहित ऐसी सूचना को रोक सकेगा, जिसके प्रकटीकरण से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन प्रतिकूलतः प्रभावित हो।
2. केन्द्रीय और राज्य सरकार या उनके किन्हीं भी प्राधिकरणों/अभिकरणों के बीच गुप्त रूप से आदान—प्रदान की गयी सूचना सहित ऐसी सूचना को रोक सकेगा, जिसका प्रकटीकरण केन्द्र राज्य संबंधों के संचालन को प्रतिकूलतः प्रभावित करे।
3. मंत्रिमण्डलीय कागज पत्रों, अन्तर विभागीय/अंत विभागीय टिप्पणियों, पत्राचार, राय को अन्तर्विष्ट करने वाले कागजपत्रों के साथ ही आंतरिक नीति विश्लेषण से संबंधित प्रायोजनाओं और धारणाओं सहित ऐसी सूचनाएँ जिनके प्रकट करने से आंतरिक विचार विमर्श की सरलता को हानि पहुंचने की आशंका हो।
4. ऐसी सूचनायें जिनके प्रकटीकरण से विधि के प्रवर्तन, अपराधों के अन्वेषण गिरफतारी आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े अथवा किसी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाए अथवा किसी लम्बित मामले के न्यायिक निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े अथवा किसी व्यक्ति का विधिक अभिरक्षा से निकल भागना आसान हो जाए।
5. ऐसी सूचना को रोक सकेगा, जिसका प्रकटीकरण किसी लोक प्राधिकरण की अर्थव्यवस्था या विधिसम्मत आर्थिक और वाणिज्यिक हितों को प्रबन्ध करने की सरकार की योग्यता को प्रतिकूल प्रभावित करे।

6. ऐसी वैयक्तिक सूचना को रोक सकेगा, जिसके प्रकटीकरण का किसी भी लोक क्रिया कलाप से कोई संबंध न हो या जो किसी व्यक्ति की एकांतता में अनुचित हस्तक्षेप करे।
7. ऐसी सूचना जो इस विश्वास के साथ दी गयी हो कि उसे गोपनीय रखा जाएगा।
8. ऐसी सूचना जिसके प्रकाशन से संसद राज्य विधानसभा के विरोधाधिकारों का हनन होता है या किसी सक्षम न्यायालय के किसी आदेश को अतिक्रमण होता है।
9. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124 में निर्दिष्ट अभिलेख और सूचना व दावाकृत विशेषाधिकार को रोक सकेगा।
10. ऐसी सूचनाएँ जो किसी विशिष्ट समय पर प्रकाशित की जानी अपेक्षित हो अथवा जो विक्रिय के लिए प्रकाशित सामग्री से संबंधित हो।

धारा 6 व 7 में अपील के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। यदि कोई संबंधित अधिकारी निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो उसके विरुद्ध नियंत्रक अधिकारी को और नियंत्रक अधिकारी के विरुद्ध द्वितीय अपील सतर्कता समिति या प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव को की जा सकेगी। ऐसी अपीलों का निस्तारण तीस दिन के भीतर करना आवश्यक होगा। धारा 12 से बाद अभियोजन या विधिक कार्यवाहियाँ से ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया गया है जिनके द्वारा सद्भावनापूर्वक कार्यवाइयों की गयी हैं।

इस प्रकार सूचना का यह अधिकार यद्यपि प्रांत की जनता के लिए एक उपलब्धि था या लेकिन इस अधिनियम में की गई कुछ व्यवस्थाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधिनियम जन आकांक्षाओं को पूरा करने में पूर्णतया सफल नहीं था। अधिनियम में सूचना उपलब्ध कराने के लिए तीस दिन का समय निर्धारित किया गया जो अत्यधिक है।

कई बार कई सूचनाएँ ‘अर्जन्ट’ प्रकृति ही होती हैं जिन्हें तत्काल या अल्प समय में उपलब्ध करवाना आवश्यक होता है। विलम्ब से उनका प्रयोजन ही विफल हो जाता है। दूसरा, धारा 5 के अन्तर्गत सूचना के अधिकार पर लगाई गई रोक से ऐसा लगता था मानों सूचना का अधिकार एक हाथ से दिया गया हो तो दूसरे हाथ से वापस ले लिया गया हो। इन निर्बन्धनों की आड़ में किसी भी प्रकार की सूचना से इन्कार किया जा सकता है। निर्बन्धनों का दायरा अत्याधिक व्यापक रखा गया।

इन सबके बावजूद सूचना का यह अधिकार प्रदेश की जनता के लिए आशा की एक नयी किरण माना गया।¹¹

सूचना के अधिकार को जन आन्दोलन बनाने में 'मजदूर-किसान-शक्ति-संगठन की भूमिका

सूचना के अधिकार को लेकर हिन्दुस्तान के एक कोने में गरीब मजदूर किसानों द्वारा शुरू किए गए इस एकमात्र आंदोलन की दास्तान अनूठी है। राजस्थान में सूचना के अधिकार हेतु किए जाने वाले जन आन्दोलन में अजमेर का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस कार्य को करने में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी बंकर राय, अरुणा राय और निखिल डे आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने गैर सरकारी संगठन के माध्यम से जनता को जागृत करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया।

जयपुर से करीब सौ किलोमीटर दूर तिलोनिया नामक गांव में जाकर बंकर रॉय ने 1972 में एक स्वयंसेवी संगठन 'सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेंटर' (एस.डब्ल्यू.आर.सी.) का गठन किया। बंकर रॉय का एस डब्ल्यू आर सी भारत का एक जाना माना और गैर सरकारी संगठन है। इसकी गिनती ईमानदार गैर सरकारी संगठनों में होती है। इस संगठन का सालाना बजट 2 करोड़ रुपये से अधिक का है। इससे सैकड़ों कार्यकर्ता जुड़े हैं। इन कार्यकर्ताओं को बारह सौ रुपये से लेकर छब्बीस सौ रुपये के बीच प्रतिमाह वेतन मिलता है। इनमें एस श्री निवासन जैसे लोग भी शामिल हैं जो 1970 में दिल्ली में स्थित एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी में कार्यकारी अधिकारी थे और उस समय उन्हें प्रतिमाह करीब 60 हजार रुपये वेतन मिलता था, जबकि अब वे मासिक मात्र 1500 रुपये प्राप्त करते हैं। खुद बंकर रॉय को मात्र 1363 रुपये मानसिक मानदेय मिलता है। एस डब्ल्यू आर सी चालीस प्रतिशत विदेशों से और चालीय प्रतिशत भारत सरकार से अनुदान लेता है। बाकी 20 प्रतिशत हिस्सा वह अपने संसाधनों से जुटाता है। करीब 15 एकड़ में शानदार राजस्थानी पत्थरों से निर्मित इस गैर सरकारी संगठन का मुख्य कार्यालय परिसर सौर ऊर्जा से चलता है। लगभग 16 कम्प्यूटर, आंतरिक फोन व्यवस्था, ईमेल एवं स्पीडपोस्ट सेवा से लेकर सड़क, पानी और हर चीज की व्यवस्था उन की खुद की है। इसी संगठन से अरुणारॉय का 1987 तक यानी कुल करीब बारह वर्षों का अटूट रिश्ता रहा। आज भी वह महीने में कम से कम दस दिन तिलोनिया में अपने पति बंकर रॉय के साथ ही रहती हैं।

लम्बे समय तक एक गैर सरकारी संगठन के जरिये काम करने वाली अरुणा रॉय अब गैर सरकारी संगठनों में सरकारी संस्थागत या विदेशी अनुदानों को उचित नहीं मानती। उनकी दिलचस्पी ऐसे अनुदानों के सहारे विकास कार्यों को अंजाम देते रहने में नहीं, जन आंदोलन खड़ा करने में है। वह किसी राजनीतिक दल से तो नहीं जुड़ी है लेकिन राजनीति

में सीधा हस्तक्षेप करना उन्हें जरूरी लगता है। तिलोनिया के काम धाम को लेकर उनका विरोध इन्ही मुद्दों पर हुआ। उनकी मुलाकात वहीं निखिल डे और शंकर सिंह से हुई। अमरीका से पढ़कर लौटे निखिल डे 1987 में तिलोनिया से करीब डेढ़ सौ किलोमीटर दूर राजस्थान के उस पहाड़ी इलाके में जा पहुंचे, जहां उस समय भीषण अकाल पड़ा था। यह इलाका राजस्थान के चार जिलों – अजमेर, राजसमंद, पाली और भीलवाड़ा की सीमाओं को छूता हुआ एक वृत्त निर्मित करता है। इस इलाके के केन्द्र में जयपुर–अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जयपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर एक गांव देवदूंगरी है, जहां एक झौपड़ी नुमा घर में ये तीनों एक साथ रहते हैं। यही घर उस मजदूर किसान शक्ति संगठन (एम.के. एस.एस.) का केन्द्रीय कार्यालय है, जिसकी स्थापना इन तीनों व्यक्तियों की पहल पर उस इलाके के गरीब मजदूर किसानों ने न्यूनतम मजदूरी हासिल करने के लिए की थी, लेकिन अब यह संगठन सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रतीक बन गया है।

इस इलाके में कृषि कार्य नाम मात्र का होता है। जिन्हें हम उत्तर भारत या अन्य कृषि क्षेत्रों में निम्न मध्यम वर्गीय गरीब किसान कहते हैं उनकी यहां स्थिति लगभग एक मजदूर जैसी है।

सरकारी विकास कार्यों एवं निजी ठेकेदारों द्वारा पहाड़ी पत्थरों की कटाई में मजदूरी करके ही उन्हें अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। शुरू में यहां सार्वजनिक जमीन पर भूमिहीनों को कब्जा दिलाने का भी आंदोलन चला, लेकिन एम के एस एस के गठन के बाद न्यूनतम मजदूरी का सवाल मुख्य मुद्दा बन गया। राजस्थान सरकार ने इस समय की प्रतिदिन की जो मजदूरी तय की वह 50 रुपये है वह उस समय मात्र 14 रुपये थी। अकाल के बाद उस इलाके में ग्रामीण रोजगार एवं विकास से संबंधित कई सरकारी योजनाएँ प्रारम्भ हुई थी। न्यूनतम मजदूरी कानून के उल्लंघन की शिकायतें आम थी। अधिकारी ठेकेदार और गांव के दबंग सरपंच मुखिया मिलकर दिनरात मजदूरों से मेहनत तो करवाते थे लेकिन भुगतान पूरा नहीं करते थे। जिन मजदूरों को एक पैसे का भी भुगतान नहीं होता था, उन्हें भी कागज पर दिखाकर के अधिकारी रकम अपनी जेब में रख लेते थे। मस्टररोल में फर्जी नाम डाले जाने लगे। फर्जी बिल, वाउचर तैयार करने की कई घटनाएँ भी प्रकाश में आयी। इनको लेकर एम. के एस एस ने सवाल उठाना शुरू किया। विकास कार्यों की सरकारी फाइल देखने की मांग उठने लगी। यहीं से सूचना के अधिकार का प्रश्न भी सामने आया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घपले और इलाके के बनियों व्यापारियों द्वारा राशन की जमाखोरी भी इस इलाके की एक मुख्य समस्या थी। इससे निपटने के लिए जहां एक ओर सार्वजनिक वितरण

प्रणाली में पारदर्शिता लाने की आवाज उठायी, वहीं खुद अपने स्तर पर संगठन ने इलाके के तीन प्रमुख कस्बों में मजदूर किराना स्टोर भी खोले ताकि आम लोगों को सस्ता एवं सही राशन उपलब्ध हो सके। यह कार्यवाही अधोषित रूप से ही सही, बनियों व्यापारियों के खिलाफ सीधी चुनौती थी। किराना स्टोर का प्रयोग बेहद सफल हुआ। इन तीनों दुकानों की कुल बिक्री सालाना करीब साठ से सत्तर लाख के बीच होने लगी। बनियों के कान खड़े हो गये। संगठन इस प्रयोग से उत्साहित जरूर हुआ लेकिन वह इसे आगे नहीं बढ़ा सका। शायद उसे एक भिन्न किरम के अर्थवाद में फंस जाने का खतरा लगने लगा। बावजूद इसके यह प्रयोग आम लोगों के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने की दृष्टि से बेहद कारगर साबित हुआ।

1990 से लेकर 1994 के आखिर तक इन मामलों को लेकर तकरार चलती रही। पंचायत स्तर पर भण्डाफोड़ करने के लिए संगठन ने जन सुनवाईयों का एक नया नुस्खा ईजाद किया। किसी एक निर्धारित स्थान पर किसान जुटते थे। पत्रकारों और कुछ गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ संबंधित अधिकारियों को भी इसमें आमंत्रित किया जाता था। लोग अपनी बात रखते थे और बताते थे कि कहाँ कब किस परियोजना में धांधली की गयी। इस समूची कार्यवाही के ही जन सुनवाई नाम दिया गया। अभी तक संगठन की ओर कुल सात जनसुनवाईयां हो चुकी हैं—

पहली जन सुनवाई जिला पाली, तहसील राजपुर के कोट किराना ब्लाक पर 2 दिसम्बर 1994 को हुई थी। इस जनसुनवाई में जब मस्टर रोल में दर्ज सौ लोगों का नाम पढ़ा गया तो पता चला कि उनमें कई नाम फर्जी हैं। जो लोग कभी काम पर गये ही नहीं, उनका नाम भी उस मस्टर रोल में था और उनकी मजदूरी का भुगतान भी दर्शाया गया था। यही नहीं इस मस्टर रोल में कुछ ऐसे लोगों के नाम भी थे जिनकी काफी पहले मृत्यु हो चुकी थी। एक ऐसे पटवार घर के निर्माण का उदाहरण भी सामने आया, जिसे कागजों पर तैयार दिखाया गया था। जबकि वह था अधूरा। छत दरवाजों और खिड़कियों के बिलों के भुगतान ले लिया गया था लेकिन उस पटवार घर में ये सारी चीजें नहीं थी। इस पूरे प्रकरण में स्थानीय अधिकारियों और सरपंच के अलावा राजस्थान विधानसभा के एक पूर्व उपाध्यक्ष का नाम भी उछला। इस जन सुनवाई का और कोई खास असर तो नहीं हुआ, लेकिन एक माह बाद हुए पंचायत चुनाव में तत्कालीन सरपंच की पराजय जरूर हो गयी।

लोगों का उत्साह बढ़ा और दूसरी जनसुनवाई 17 दिसम्बर 1994 को राजसमंद जिले की भीम पंचायत पर हुई। इस जन सुनवाई में भैरोंनाथ एण्ड संस नाम की एक ऐसी फर्जी

कम्पनी के मालिक खण्ड स्तरीय अधिकारियों के परिजन और पत्नियां थी। आमंत्रण के बावजूद ये अधिकारी उस जनसुनवाई में नहीं आये, तब एम के एस एस ने उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार नियंत्रण विभाग में एफ आई आर दर्ज करायी।

तीसरी जनसुनवाई राजसमंद जिले के ही विजयपुरा में हुई। आंगनवाड़ी कार्यक्रम में पिछले चार सालों के दरम्यान करीब 14 लाख रुपये घोटाले का मामला इस सुनवाई में उभरकर सामने आया। जनसुनवाई के दौरान यह भी पता चला कि लगभग 70 लाख रुपये कीमत वाली पंचायत की चरागाह भूमि को कौड़ियों के भाव नीलाम कर दिया गया है। नीलामी के समय जिन 800 लोगों की उपस्थिति के हस्ताक्षर दिखाये गये थे, उनमें से एक भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। इस घोटाले में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध भी एफ आई आर दर्ज करायी गयी। जांच के बाद सारे आरोप सही पाये गये। कुछ के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई भी की। लेकिन बाद में मामला रफा दफा कर दिया गया।

चौथी जनसुनवाई 7 जनवरी 1995 को अजमेर जिले की जवाजा पंचायत समिति पर हुई। पिछली जनसुनवाइयों को मिले व्यापक जन समर्थन से घबराकर इस बार ग्राम सेवकों ने हड़ताल कर दी। सरकारी कागजात दिखाने से मना कर दिया। मामला जनता को दिये जाने वाले सूचना के अधिकार तक आ पहुंचा। इस जनसुनवाई में फिर जनता ने ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

पाँचवीं जनसुनवाई 25 अप्रैल 1996 को भीलवाड़ा जिले के थाणा में हुई। पिछली जनसुनवाइयों से भिन्न इस बार की जनसुनवाई पंचायत के पदाधिकारियों के साथ मिलकर हुई। चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा में सूचना का अधिकार देने की घोषण भी कर चुके थे। लिहाजा अधिकारी भी इस को लेकर चौकन्ने थे। सरपंच लादू सिंह थे जो कि एम के एस एस से जुड़े थे। पारदर्शिता की नयी मिसाल प्रस्तुत हुई। सारे विकास कार्यों का ब्यौरा साफ साफ रखा गया। इस जनसुनवाई के बाद संगठन ने भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों से घूस में ली गयी रकम वसूलनी भी शुरू की। कई ग्राम सेवकों, भ्रष्ट सरपंचों और राज्य विद्युत बोर्ड के अभियंताओं से घूस की रकम वापस ली गयी। राजस्थान के इतिहास की यह एक नायाब घटना थी।

9 और 19 जनवरी 1998 को कूकरखेड़ा (भीम पंचायत राजसमंद) एवं सूरजपुरा (जवाजा पंचायत अजमेर) में भी जनसुनवाइयां हुई। लाखों का भ्रष्टाचार सामने आया। सूरजपुरा की जनसनवाई में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी पहुंच गये थे।

1996 से लेकर 1998 के बीच सूचना का अधिकार आंदोलन ने एक नया आयाम ग्रहण किया। पंचायत और निचले स्तर पर भ्रष्टाचार की ये घटनाएँ राजस्थान के कुछ क्षेत्रों की हैं, लेकिन यह कहानी समूचे हिन्दुस्तान की है। एक अनुमान के मुताबिक देश के ग्रामीण विकास के पद में प्रतिवर्ष करीब 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होने वाली राशि का नब्बे प्रतिशत हिस्सा बिचौलियें हड्डप जाते हैं। राजस्थान भी इसका अपवाद नहीं है। यहां की कुल 9000 पंचायतों के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से प्रतिवर्ष लगभग 700 से 800 करोड़ रुपये दिये जाते हैं। जिसमें से अधिकांश राशि विभिन्न स्तरों (निचले स्तर अधिक) पर सरकारी कर्मचारी हड्डप लेते हैं।¹²

सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय का योगदान

सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय में अवस्थित है। सूचना अधिकार आंदोलन को जनप्रिय बनाने में इसका विशेष योगदान रहा है। निदेशालय के पुस्तकालय में संदर्भित विषय पर प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार का साहित्य उपलब्ध है। निदेशालय द्वारा अधिकांश सामग्री निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। इस संगठन के जन उत्तरदायित्व से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों का बिन्दुवार विवरण निम्नलिखित है—

1. निदेशालय के अन्तर्गत 32 जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय हैं।
2. इस विभाग द्वारा कई प्रकार की सूचनाएँ एवं सन्दर्भ प्रदान किए जाते हैं।
3. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु है।
4. राज्य एवं जिलों में आयोजित समारोहों, बैठकों तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारियां मीडिया व समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाती है।
5. राज्य सरकार की नीतियों, विकास कार्यक्रमों, जनमंगल के फैसलों और विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों को जनसंचार एवं प्रचार प्रसार के माध्यमों से व्यापक रूप से इस विभाग द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है।
6. राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को प्रकाशित कर अथवा प्रदर्शनियों, होर्डिंग्स, फिल्म प्रदर्शन अथवा गोष्ठियों आदि के माध्यम से जन जन तक प्रचारित किया जाता है।
7. अद्यतन सूचनाएँ एवं संदर्भ सामग्री भी चाहने पर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

8. विभाग द्वारा विभिन्न समारोहों, कार्यक्रमों, कला एवं संस्कृति विकास कार्यों ऐतिहासिक सन्दर्भ, विशिष्ट व्यक्तियों को राजस्थान यात्रा तथा राज्य के विविध पहलुओं से सम्बद्ध छायाचित्र चाहने पर नागरिकों को उपलब्ध कराये जाते हैं।
9. निदेशालय द्वारा द्वैमासिक पत्रिका राजस्थान सुजस का प्रकाशन किया जाता है। यह पंचायत समितियों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।
10. निविदा सूचनाएँ भी प्रकाशनार्थ भिजवाई जा सकती हैं।
11. पंचायतें अपनी पंचायतों की उपलब्धियां, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां एवं महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रकाशनार्थ अपने से संबंधित जिले में भिजवा सकती हैं।¹³

राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन

केन्द्रीय सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 15 (आई) के अनुसार राजस्थान सरकार ने 13 अप्रैल 2005 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया।

कानून की धारा 15(1) के अनुसार राज्य सूचना आयोग का एक निकाय के रूप में गठन करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और आवश्यकता अनुसार अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान 10 सूचना आयुक्त ही नियुक्त हो सकते हैं।

राज्यपाल द्वारा बनी समिति के संस्तुति के अनुमोदन पर ही राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जायेगी।

राज्यपाल द्वारा बनी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

1. मुख्यमंत्री – समिति का अध्यक्ष
2. विधानसभा के विपक्षीदल का नेता और
3. मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्रिमण्डल का एक मंत्री

कानून की धारा 15(3) के अनुसार यदि किसी विधानसभा के विपक्षी दल के नेता की घोषणा नहीं की गयी है, वहां सरकार के विरुद्ध सबसे बड़े दल के नेता को विपक्षी दल का नेता माना जायेगा।

राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम डी कोरानी थे। कोरानी नियुक्ति से पूर्व राजस्थान संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त

होने की घोषणा के कारण उन्होंने सेवा निवृत्ति की नियम तिथि से 5–6 महीने पूर्व ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। सूचना अधिकार कानून 2005 की धारा 15 (3) के अनुसार राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर 18 अप्रैल 2006 को उनकी नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर की गई।

श्री एम.डी. कोरानी के बाद राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री टी. श्रीनिवासन की नियुक्ति सितम्बर 2011 में की गई। राज्यपाल शिवराज पाटिल ने इन्हें शपथ दिलाई। अगस्त 2015 तक उनका कार्यकाल इस पद पर रहा।

वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त श्री सुरेश चौधरी हैं। उनकी नियुक्ति इस पद पर नवम्बर 2015 में की गई। राजभवन में आयोजित एक सादा समारोह में राज्यपाल श्री कल्याणसिंह ने मुख्य सचिव श्री सी एस राजन ने मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाने के लिए आग्रह दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, राज्यमंत्री मण्डल के सदस्यगण, भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त राज्य में तीन सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। किसी भी राज्य में अधिकतम 10 सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं लेकिन राजस्थान सरकार ने इस सन्दर्भ में संकीर्णता का परिचय दिया है। यहां पर मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त तीन सूचना आयुक्त ही नियुक्त किए गए हैं। जिनमें डॉ. पी एल अग्रवाल को 10 अक्टूबर 2014 को नियुक्त किया गया तथा चन्द्रमोहन मीणा तथा आशुतोष शर्मा को नवम्बर 2015 में नियुक्त किया गया है।

18 अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2014 तक राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कोई सूचना आयुक्त नहीं किया था। राजस्थान सरकार ने इस सन्दर्भ में संकीर्णता का परिचय दिया है। राजस्थान सूचना आयोग में पिछले काफी समय से सितम्बर 2011 से अक्टूबर 2014 तक अकेले मुख्य सूचना आयुक्त श्री टी. श्रीनिवासन ही प्रकरणों की सुनवाई कर रहे थे। अक्टूबर 2014 में राज्य सरकार ने डॉ. पी एल अग्रवाल को सूचना आयुक्त नियुक्त किया। वर्तमान में राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सुरेश चौधरी के अतिरिक्त तीन सूचना आयुक्त नियुक्त हैं फिर भी आयोग में कर्मचारियों की कमी है इससे कामकाज पर असर पड़ रहा है। आयोग में अधिकारियों के मुकाबले कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है और कर्मचारियों की इस कमी के चलते आर.टी.आई. अधिनियम की समयबद्ध क्रियान्विति भी बाधित हो रही है। आयोग में दस कर्मचारी ऐसे हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद भी

आयोग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहीं इन कर्मचारियों में से दो कार्मिक संविदा पर काम कर रहे हैं। स्थायी कर्मचारियों के नाम पर आयोग में महज आठ कार्मिक कार्यरत हैं।¹⁴

प्रतिनियुक्ति का रुझान कम

आयोग में कर्मचारियों की कमी का आलम यह है कि जितनी संख्या में हाल ही में कार्यरत सूचना आयुक्तों द्वारा फैसले किए जाते हैं उतनी संख्या में फैसलों को टाइप करने के लिए पर्याप्त ऑपरेटर भी नहीं हैं। आयोग में कर्मचारियों पर काम का बोझ इतना ज्यादा है कि दूसरे विभागों से कर्मचारी यहां प्रतिनियुक्ति पर आने में कतराते हैं ऐसे में आयोग का कामकाज निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए राज्य सरकार को तुरन्त पर्याप्त की नियुक्ति करनी होगी।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग के नौ साल के इतिहास में पहली बार 16 दिसम्बर 2016 को एक साथ चार कोर्टस में सुनवाई हुई। ऐसा पहली बार है जब आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित चार सूचना आयुक्त एक साथ कार्यरत हैं। पर्याप्त संख्या में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होने से अब आयोग में लम्बित प्रकरणों के तेजी से निस्तारण की उम्मीदें बंधी हैं।

नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद आयोग में नए सिरे से कार्य विभाजन किया गया है। कोर्ट नम्बर एक में मुख्य सूचना आयुक्त श्री सुरेश चौधरी सुनवाई करते हैं। जयपुर जिले से जुड़ी अपीलें इस कोई के अधीन की गई हैं। जोधपुर और जयपुर हाइकोर्ट से जुड़ी अपीलों पर भी इस कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट नवम्बर दो में सूचना आयुक्त श्री डॉ. पीएल अग्रवाल सुनवाई करते हैं। सभी संभागों से जुड़ी शिकायतों पर इस कोर्ट में सुनवाई होती है। उदयपुर और अजमेर संभाग की अपीलें भी इसी कोर्ट के अधीन की गई हैं। कोर्ट नम्बर तीन में सूचना आयुक्त श्री चन्द्रमोहन मीणा सुनवाई करते हैं। बीकानेर और जोधपुर से जुड़ी अपीलों पर इस कोई में सुनवाई होती है। कोर्ट नम्बर चार में सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा कोटा और भरतपुर संभाग से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई करते हैं। जयपुर संभाग के झुंझुनू सीकर, अलवर, दौसा जिले की अपीलों पर भी इस कोर्ट में सुनवाई होती है। आयोग में सूचना आयुक्तों की कमी होने से लम्बित प्रकरणों का आंकड़ा इतना बढ़ गया था कि वर्तमान में परिवादियों को करीब दो साल बाद की तारीख देनी पड़ रही है। अब एक साथ चार कोर्टस में सुनवाई शुरू होने से लम्बित प्रकरणों का तेजी से निस्तारण होगा।¹⁵

कार्यालय

कानून की धारा 15 (4) के अनुसार सूचना आयोग का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जिसे सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर निर्धारित किया है। यहीं नहीं राज्य सरकार पूर्वानुमोदन प्राप्त कर राज्य सूचना आयोग, राज्य के अन्य स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित कर सकता है।

राजस्थान सूचना आयोग का कार्यकाल प्रारम्भ में योजना भवन, जयपुर में सूचना एवं तकनीकी विभाग के निदेशालय को आवंटित कमरे में था। शुरूआत में आयोग की स्थिति बहुत दयनीय अवस्था में थी। आयोग कहां पर अवस्थित है इस हेतु योजना भवन में कोई बोर्ड तक नहीं लगाया गया। लोग पूछते—पूछते तीसरी मंजिल पर स्थित कार्यालय भवन पहुँचते थे।

सूचना एवं तकनीकी निदेशालय का एक क्लर्क (अपना निर्धारित काम तो करता ही था।) अपील लेकर मुख्य सूचना आयुक्त को देने का कार्य भी करता था। बाद में सूचना एवं तकनीकी निदेशक के पद पर नियुक्ति हो जाने से आयोग के समक्ष कार्यालय का संकट पैदा हो गया। काफी विचार विमर्श के बाद आयोग का कार्यालय एच सी एम रीपा के अन्तर्गत एक रिक्त पड़े अधिकारी आवास में स्थानान्तरित कर दिया। लेकिन यह भी अस्थायी व्यवस्था थी। लेकिन वर्तमान में राजस्थान सूचना आयोग का कार्यालय झालाना लिंक रोड, ओटीएसएमआईटी चौराहा जेएलएन मार्ग जयपुर में अवस्थित है।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की पदावधि और सेवाशर्ते

अधिनियम की धारा 16 (1) में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित है। लेकिन (मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त) 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद पर नहीं रहेगा।

सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति का पात्र है परन्तु सूचना आयुक्त एवं मुख्य सूचना आयुक्त दोनों को मिलाकर उसका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 15(3) के अनुसार सूचना आयुक्त की मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति निर्धारित रीति (राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर) से ही की जाएगी।

पद से हटाया जाना एवं त्यागपत्र

अधिनियम की धारा 16 (4) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त राज्यपाल को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं।

अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को राज्यपाल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटा सकता है। राज्यपाल दिए गए निर्देश की रिपोर्ट आ जाने के बाद इनको पद से हटा सकता है।

अधिनियम की धारा 17(2) के तहत राज्यपाल न्यायालय की जांच के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचनायुक्त को पद से निलम्बित कर सकता है और यदि आवश्यक समझे तो जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने पर प्रतिबंध लगा सकता है।

अधिनियम की धारा 17 (3) में राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्तों में धारा 17(1) के अतिरिक्त भी पद से हटाने का आदेश दे सकता है यदि ये आयुक्त

- (क) दिवालिया न्यायनिर्णित हो चुके हों या
- (ख) राज्यपाल की राय में अनैतिक कृत्य के दोषी हैं या
- (ग) अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य कारोबार में लिप्त हो या
- (घ) राज्यपाल की राय के मानसिक या शारीरिक असमर्थता के कारण पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य हो, या
- (ङ) उसने ऐसे वित्तीय लाभ प्राप्त किये हो जिनके कारण मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो।

वेतन एवं भत्ते

अधिनियम की धारा 16 (5) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन केन्द्रीय चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त के बराबर होगा। अधिनियम की धारा 16 (5)बी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन उस राज्य सरकार के मुख्यसचिव के बराबर होगा।

कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों एवं सेवा शर्तों में कोई ऋणात्मक परिवर्तन नहीं होगा।

योग्यता

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त बनने के लिए किसी व्यक्ति को विधि, विज्ञान, तकनीकी, समाजसेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन माध्यम, शासन और प्रशासन में व्यापक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ वाला पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार या व्यवसाय नहीं करेगा ।

अगर किसी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को नियुक्ति के समय केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त होती है तो आयुक्तों के वेतन में से पेंशन की राशि कम कर दी जाएगी ।¹⁶

सूचना आयोग के कार्य

राज्य सूचना आयोग की किसी भी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने का अधिकार है—

- (क) जो लोक सूचना अधिकारी को सूचना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है क्यों कि ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, या सहायक लोकसूचना अधिकारी ने जिसका आवेदन पत्र लेकर या अपील लेकर लोकसूचना अधिकारी या अपील अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, को अग्रप्रेषित करने से मना कर दिया है ।
- (ख) इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गयी कोई जानकारी तक पहुंच के लिए या सूचना देने के लिए मना कर दिया है ।
- (ग) जिसको निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सूचना के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया है ।
- (घ) अनुचित शुल्क देने की अपेक्षा ।
- (ङ) जो यह विश्वास करता है कि सूचना अपूर्ण, भ्रामक या मिथ्या दी गयी है ।
- (च) अधिनियम से संबंधित अनुरोध या पहुंच जो इससे संबंधित हो ।

सूचना अधिकारी को जांच आदेश दिये जाने की शक्तियाँ

आयोग को युक्तियुक्त कारणों की दशा में जांच आदेश दिए जाने की शक्तियाँ हैं। आयोग में निम्नलिखित शक्तियाँ निहित हैं—

- (क) व्यक्तियों को समन करने, उपस्थित करने तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको बाध्य करना ।
- (ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना ।

- (ग) शपथपत्र का साक्ष्य का अभिग्रहण करना,
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना,
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा करने हेतु समन जारी करना,
- (च) कोई अन्य विषय जो निहित किया जाये।

राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जांच में लोकसंगठन/कार्यालय के नियंत्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। किसी भी आधार पर कोई अभिलेख छुपाया नहीं जा सकता, चाहे वह प्रकटीकरण से छूट दी गई श्रेणी में ही सम्मिलित क्यों न हो।

राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित निर्देश जारी कर अधिनियम की पालना सुनिश्चित करवा सकता है :

- (क) विशिष्ट रूप से सूचना उपलब्ध करवा कर।
- (ख) केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी या राज्य लोकसूचना अधिकारी की नियुक्ति करवाकर।
- (ग) विशेष सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करवाकर।
- (घ) अभिलेखों के रखे जाने, प्रबन्ध और उनके विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करवाकर।
- (ङ) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था कर।
- (च) लोक संगठन/कार्यालय से कानून की अनुपालना के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन मंगवाकर।

राज्य सूचना आयोग को यह अधिकार है कि वह संबंधित लोक संगठन को परिवादी की हानि या अन्य क्षतिपूर्ति करवाने का आदेश दे सकता है। आयोग को अधिनियम में वर्णित दण्ड देने की शक्ति है, अर्थात् वह आवेदन प्राप्ति तक या सूचना उपलब्ध कराने तक रूपये 250/- प्रतिदिन की दर से दण्ड वसूल कर सकता है, जो अधिकतम रूपये 25000/- हो सकता है।¹⁷



संदर्भ सूची

1. सैनी, आर.डी. एवं मंगलानी, रुपा : सूचना का अधिकार, साहित्य अकादमी पंचकुला, हरियाणा, पृ. 2–3
2. यादव, अभयसिंह : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक विवेचन, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, दरभंगा कैसल, इलाहाबाद, पृ. 10–11
3. डोगरा, भारत : पारदर्शिता एवं भारत में सूचना का अधिकार कानून, कुलश्रेष्ठ पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2005, पृ. 39
4. सक्सेना, अमरीश : राइट टू इन्फॉर्मेशन इन फ्रीडम ऑफ प्रेस, कनिष्ठा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004, पृ. 9–12
5. सिंघल, आभा : आपका सूचना का अधिकार, कॉमनवेल्थ हूमेन राइट्स इनिटिएटिव, 2001, पृ. 82
6. शर्मा, अभिषेक : सूचना का अधिकार : अवधारणा स्वरूप एवं संभावनाये, ‘राज्य शास्त्र समीक्षा’ राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर अंक 1–2, 2004, पृ. 140–157
7. हम जानेंगे, हम जियेंगे, मजदूर किसान शक्ति संगठन प्रतिवेदन संकलनकर्ता : विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर, 1996
8. गालवा, डॉ. हनुमान : आम आदमी और सूचना का अधिकार, पत्रिका प्रकाशन, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, एम.आई. रोड, जयपुर, 2010, पृ. 27
9. सिंह, सरेन्द्र : सूचना का अधिकार, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर, 2014, पृ. 66
10. कुमार, नीरज : जानिए अपना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जैन बुक एजेन्सी, दिल्ली, 2015, पृ. 42
11. नाटाणी, प्रकाश नारायण : राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून, बाफना पब्लिसिंग हाउस, चौड़ा रास्ता, जयपुर, 2003, पृ. 19
12. डायमंड इण्डिया ड्विमासिक पत्रिका, सूचना का अधिकार विशेषांक, भीलवाड़ा, मजदूर किसान शक्ति संगठन, जून–जलाई, 2005
13. राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान सरकार

14. जैन, प्रो. रमेश एवं गुर्जर नाथूलाल : सूचना का अधिकार, अपेक्षाएँ और चुनौतियों, सबलाइन पब्लिकेशन, शांति नगर, जयपुर, 2006, पृ. 23
15. जैन, प्रो. रमेश एवं गुर्जर नाथूलाल : सूचना का अधिकार, अपेक्षाएँ और चुनौतियों, सबलाइन पब्लिकेशन, शांति नगर, जयपुर, 2006, पृ. 24
16. मिश्रा, निलाभ : पिपुल्स राइट टू इन्फोर्मेशन मूवमेन्ट : लेशन्स फ्राम राजस्थान, न्यूदेहली, यूनाइटेड नेशन्स डवलपमेंट प्रोग्राम, 2003, पृ. 8
17. भंसाली एस आर : द राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005, लॉ. एण्ड प्रेक्टिस इण्डिया पब्लिशिंग हाउस, जोधपुर, 2002, पृ. 128

पंचम अध्याय

विभिन्न विभागों के नागरिक अधिकार

पत्रों का विश्लेषण

पंचम अध्याय

विभिन्न विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का विश्लेषण

मूल अवधारणा, उद्भव और सिद्धांत

संपूर्ण विश्व में यह सर्व स्वीकृत तथ्य है कि आर्थिक और सामाजिक दोनों के स्थायी विकास के लिए सुशासन अनिवार्य है। सुशासन में तीन अनिवार्य पहलुओं पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासन की प्रतिक्रियाशीलता पर बल दिया गया है। नागरिक चार्टर उन समस्याओं का समाधान करने का एक प्रयास है जिनका सामना लोक सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों से संपर्क करते हुए दिन-प्रति दिन नागरिक को करना पड़ता है।

नागरिक चार्टर की अवधारणा सेवा प्रदाता और इसके प्रयोक्ता के मध्य विश्वास स्थापित करना है।¹ उक्त अवधारणा सर्वप्रथम यूनाइटेड किंगडम की जान मेजर की कंजर्वेटिव सरकार में वर्ष 1991 में मूर्त रूप में आई और एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित की गई जिसका सामान्य लक्ष्य था।² देश के लोगों के लिए लोक सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना ताकि यह सेवाएं प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप बन सके। इस कार्यक्रम को वर्ष 1998 में टोनी ब्लेयर की लेबर सरकार ने 'सर्विस फर्स्ट' नाम से पुनः आरंभ किया।³

नागरिक चार्टर का मूल उद्देश्य लोक सेवा प्रदायगी के संदर्भ में नागरिक को सशक्त बनाना है। नागरिक चार्टर आंदोलन में मूल रूप से छह सिद्धांत तैयार किए गए थे⁴

1. गुणवत्ता – सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना,
2. विकल्प – जहां कहीं संभव हो;
3. मानक – बताएं कि क्या प्रत्याशा है तथा किस प्रकार प्रतिक्रिया करे, यदि मानक पूरे नहीं हों;
4. मूल्य; करदाताओं के धन के संदर्भ में;
5. जवाबदेही – वैयक्तिक और संगठन तथा पारदर्शिता
6. नियमावली / प्रक्रियाएं / स्कीमें / शिकायत।

इन्हें लेबर सरकार ने बाद में सेवा प्रदायगी के निम्नलिखित नौ सिद्धांतों के रूप में 1998 में विस्तारित किया।⁵

- सेवा का मानक निर्धारित करना;
- उदार होना और पूरी सूचना देना;
- परामर्श करना तथा सहभागी बनाना;
- पहुंच को प्रोत्साहित करना व विकल्प को बढ़ावा देना;
- सभी के साथ निष्पक्षता का व्यवहार;
- अव्यवस्था होने पर प्रणाली को व्यवस्थित करना;
- संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग; नवाचार और सुधार;
- अन्य प्रदाताओं के साथ कार्य करना।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

यूके की नागरिक चार्टर पहल ने विश्व में व्यापक रुचि जगाई और अनेक देशों ने समान कार्यक्रम जैसे कि आस्ट्रेलिया (सेवा चार्टर 1997), बेल्जियम (लोक सेवा प्रयोक्ता चार्टर 1992), कनाडा (सेवा मानक पहल, 1995), फ्रांस (सेवा चार्टर, 1992) भारत (नागरिक चार्टर, 1997), जमैका (नागरिक चार्टर 1994), मलेशिया (ग्राहक चार्टर 1993), पुर्तगाल (द क्वालिटी चार्टर इन पब्लिक सर्विसेज, 1993) और स्पेन(द क्वालिटी ओवजरवेटरी, 1992), (ओईसीडी 1996) लागू किए।⁶

इनमें से कतिपय पहल यूके मॉडल के अनुरूप है जबकि अन्यों ने संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) आंदोलन की सेवा गुणवत्ता आदर्श के अनुरूप नए आधार तैयार किए। कुछ अन्य पहल ने दोनों के बीच का मार्ग अपनाया। यहां तक कि यूके में भी अगला कदम/सरकारी पहल के आधुनिकीकरण के संबंध में, नागरिक चार्टर ने लोक सेवा प्रदायगी के संदर्भ में सेवा की गुणवत्ता का रूप धारण कर लिया। लोक सेवाओं में सुधार करने के लिए अपनाए गए गुणवत्ता साधन में बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, इन्वेस्टर्स इन पीपुल,चार्टर मार्क, आईएसओ 9000 तथा बेस्ट वैल्यू (यूके सरकार, 1999) शामिल हैं।⁷

मलेशिया सरकार ने नागरिक चार्टर तैयार करने और लागू करने में सरकारी एजेंसियों की सहायता करने के लिए वर्ष 1993 में ग्राहक चार्टर संबंधी दिशानिर्देश जारी किए जो

निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनुसार परिणाम अथवा सेवाओं की प्रदायगी की लिखित प्रतिबद्धता है (मलेशिया सरकार, 1998)। सर्वश्रेष्ठ ग्राहक चार्टर पुरस्कार वर्ष 1993 में शुरू की गई थी। नागरिक चार्टर की मलेशियाई प्रणाली यूके मॉडल का अनुसरण करती है। एजेंसी-व्यापी और यूनिट चार्टर के मध्य विभेद है। 'सर्विस रिकवरी' की अवधारणा में व्यवधान आ जाने की स्थिति पर ग्राहक के विश्वास और भरोसे को बहाल करने के लिए सक्रिय तरीके से कार्रवाई करने की व्यवस्था है।⁸

आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल सरकार ने वर्ष 1997 में अपनी सेवा चार्टर पहल शुरू की जो कि सरकारी संगठनों को नौकरशाही प्रक्रियाओं से उपभोक्ता केंद्रित परिणाम को अपनाते हुए आस्ट्रेलियाई समुदाय को एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने की मौजूदा प्रतिबद्धता का भाग है। सेवा चार्टर बदलाव को बढ़ावा देने तथा संगठन को प्रदत्त सेवा पर केंद्रित करने, कार्य निष्पादन मापना तथा आकलन एवं कार्य निष्पादन में सुधार करने का मजबूत साधन माना जाता है। एजेंसियों के लिए लक्ष्य उपलब्ध कराते हुए चार्टर वहां प्रतिस्पर्धा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, जहां कोई प्रतिस्पर्धा विद्यमान नहीं है। (वित्त एवं प्रशासन विभाग, 1999) सेंटरलिंक एकल विपणन केंद्र है जो छह मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं को आस्ट्रेलियाई सरकारी सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराता है। सेंटरलिंक ने 'एक-एक व्यक्ति सेवा' को सेवा प्रदायगी के नवीन और व्यक्तिगत दृष्टिकोण के रूप में अपनाया है। 'एक-एक व्यक्ति सेवा' उपभोक्ताओं से आदरपूर्वक और सुसंगत व्यवहार करती है तथा सरकारी कार्य व्यवहार से जटिलता को समाप्त कर देती है।⁹

कनाडा सचिवालय कोश बोर्ड ने यूनाइटेड किंगडम के नागरिक चार्टर से प्रेरणा लेते हुए वर्ष 1995 में सेवा मानक पहल शुरू की, किंतु इसके कार्य क्षेत्र में व्यापक विस्तार किया। कनाडा में यह सेवा मानक पहल नागरिक की मैत्रीपूर्ण, सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण सेवा अपेक्षाएं; तीव्र प्रतिक्रिया समय; सरकारी कार्यालयों का विस्तारित समय और एकल विपणन केंद्र के पृष्ठभूमि में शुरू की गई। संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग के माध्यम से घाटे को कम करने तथा पैसे का मूल्य उपलब्ध कराने की जरूरत थी।¹⁰

इन चार प्रमुख नागरिक चार्टर पहल की तुलना यह दर्शाती है कि इनमें सेवा गुणवत्ता का दृष्टिकोण विभिन्न मात्राओं में निहित था। एक बार लोक सेवा नागरिक केंद्रिक बनाने का निर्णय लेने पर संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की विविधता उपभोक्ता केंद्रित होने से दूर नहीं रह सकती। वास्तव में नागरिक चार्टर दृष्टिकोण में अनेक बातें संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के समान

है। दोनों की शुरुआत उपभोक्ता/नागरिक की अपेक्षाओं को पूरा करने को ध्यान रखते हुए हुई। अन्य मुख्य समान घटक मानक अनुरूपता, स्टेकहोल्डर सहभागिता तथा सतत सुधार हैं।

भारतीय परिदृश्य

भारत में कई वर्षों से आर्थिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसके साथ ही साक्षरता दर (विगत दशक में 51.63 प्रतिशत से 65.38 प्रतिशत तक) में पर्याप्त वृद्धि ने भारतीय नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक जागरूक बनाया है। नागरिक और अधिक मुखर हो गए हैं तथा प्रशासन से न केवल उनकी मांगों को मात्र पूरा करने बल्कि उनका अनुमान लगने की भी आशा रखते हैं। इस परिवेश में वर्ष 1996 में प्रभावी और प्रतिक्रियाशील प्रशासन के संबंध में सरकार में सर्वसम्मति बनी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 24 मई, 1997 को नई दिल्ली में आयोजित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में केंद्र और राज्य स्तर में “प्रभावी और प्रतिक्रियाशील सरकार हेतु कार्य योजना” अपनाई गई। इस सम्मेलन का एक प्रमुख निर्णय यह था कि केंद्र और राज्य सरकारें बहुत अधिक जन संपर्क वाले क्षेत्रों (रेलवे, दूरसंचार, डाक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली) से आरंभ करते हुए नागरिक चार्टर तैयार करेंगे। इन चार्टरों में सेवा मानक और समय—सीमा जो आम जन तर्कसंगत ढंग से अपेक्षा करे, शिकायत निवारण के अवसर और नागरिक व उपभोक्ता समूह की भागीदारी से स्वतंत्र जांच का प्रावधान शामिल करना अपेक्षित था।¹¹

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने भारत सरकार में नागरिक चार्टर के समन्वय, प्रारूपण और लागू कराने का कार्य आरंभ किया। चार्टर तैयार करने संबंधी दिशानिर्देश और ‘क्या करे और क्या नहीं करे’ की सूची विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों को सूचित की गई ताकि वे केंद्रित और प्रभावी चार्टर तैयार करने में सक्षम हो सके। चार्टर तैयार करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारी एजेंसियों को प्रयोक्ता के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ प्रबंधन और अग्रणी स्टाफ के साथ एक कार्यबल गठित करने की सलाह दी गई।

चार्टरों में निम्नलिखित अवयव समाहित करने की प्रत्याशा की जाती है।¹²

1. विजन व मिशन वक्तव्य;
2. संगठन द्वारा किए गए कारोबार के ब्यौरे;
3. ग्राहकों के ब्यौरे;
4. प्रत्येक ग्राहक समूह को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के ब्यौरे;

5. शिकायत निवारण तंत्र तथा उस तक पहुंचने के ब्यौरे;

6. ग्राहकों से प्रत्याशाएं।

प्राथमिक रूप में यूके मॉडल के अनुकूलन के लिए भारतीय नागरिक चार्टर में ग्राहकों की आशाओं या अन्य शब्दों में प्रयोक्ताओं के दायित्वों का एक अतिरिक्त घटक है। नागरिक चार्टर तैयार करने में उपभोक्ता संगठनों, नागरिक समूहों और अन्य हितधारकों को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए बल दिया जाता है कि नागरिक चार्टर प्रयोक्ता की आवश्यकताएं पूरी करें। चार्टरों की आन्तरिक स्तर और बाहरी एजेंसियों दोनों के माध्यम से नियमित मॉनीटरिंग, समीक्षा और मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है। मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा 107 नागरिक चार्टर बनाए गए थे तथा 629 चार्टर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा बनाए गए थे। नागरिक चार्टरों वाले संगठनों को प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और जागरूकता अभियानों जैसे साधनों के माध्यम से अपने चार्टरों का प्रचार करने की सलाह दी जाती है।

नागरिक चार्टरों की व्यापक वेबसाइट

भारत सरकार में नागरिक चार्टर की एक व्यापक वेबसाइट तैयार की गई तथा यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 31 मार्च, 2002 को लांच की गई थी। इसमें केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा जारी नागरिक चार्टर शामिल हैं। वेबसाइट उपयोगी सूचना, आकड़े और लिंक उपलब्ध करवाती है।¹³

नागरिक चार्टर का अनुकरणीय कार्यान्वयन

हालांकि, नागरिक चार्टर पर सरकार के समग्र प्रयास और पहल जारी हैं फिर भी यह महसूस किया गया कि सरकार के बड़े सार्वजनिक जनसंपर्क वाले क्षेत्र में चार्टर का अनुकरणीय कार्यान्वयन न केवल निष्क्रिय अफसरशाही में नई अवधारणा स्थापित करेगा बल्कि, अन्यी क्षेत्रों में अनुकरण के लिए रोल मॉडल के रूप में भी काम करेगा। आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण के दृष्टिगत इस प्रयोजन के लिए और इस तथ्य से कि यह क्षेत्र उपभोक्ता सेवा के मामले में उचित रूप से विकसित है, बैंकिंग क्षेत्र की पहचान की गई थी, और विभिन्न प्रक्रियाओं को गति देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का भी लाभ लिया गया था। इस प्रयोग का मूल उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के मॉडल के रूप में बनाना था। इसकी शुरुआत के साथ डीएआरपीजी द्वारा वर्ष 2000 में सीधे प्रयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर के तीन बैंकों नामतरु पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक और ऑरियन्टल

बैंक ऑफ कॉमर्स का चयन किया गया था। नागरिक चार्टर के अनुकरणीय कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों का विशेष उल्लेख किया गया था

1. नागरिक चार्टर के निर्माण में हितधारक संबद्धता;
2. बैंकों में स्टाफ के पूरे जुड़ाव, विशेष रूप से जनता से सीधे संपर्क में रहने वाले स्टाफ से नागरिक चार्टरों का प्रदर्शन;
3. बैंकों के ग्राहकों के बीच चार्टर के प्रति जागरूकता उत्पन्न; और
4. नागरिक चार्टर की अवधारणा व कार्यान्वयन के विषय में सभी स्तरों पर कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण।

पहचान किए गए बैंकों द्वारा स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से चार्टरों की वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन के बाद कमियां सुधारने के लिए कार्रवाई योजनाएं बनाई गईं। तदनुसार चार्टर संशोधित किए गए और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार किए गए आदर्श/मूल चार्टर के आधार पर मानकीकृत किए गए। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के परामर्श से तैयार मॉड्यूल का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रशिक्षित मुख्य प्रशिक्षकों के माध्यम से चुनिन्दा शाखाओं के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। नागरिक चार्टर के व्यापक प्रचार के लिए अनेक उपाय भी शुरू किए गए।

इस प्रयोग के उद्देश्य और प्रत्यक्ष कार्य के लिखित प्रमाण के लिए भी इन बैंकों के नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन के दोबारा निर्धारण और मूल्यांकन के लिए एक बाहरी एजेंसी नियुक्त की गई। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान को यह कार्य सौंपा गया जो तब से इसका निष्पादन करता रहा था और वर्ष 2003 में एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया था।

नागरिक चार्टर का मूल्यांकन

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा गैर-सरकारी संगठन उपभोक्ता समन्वयन परिषद, नई दिल्ली द्वारा अक्टूबर, 1998 में विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए नागरिक चार्टरों का मूल्यांकन किया गया। भारत में इस पहल के उदीयमान स्तर को देखते हुए परिणाम नितान्त उत्साहवर्धक थे। सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को संक्षिप्त प्रश्नावली परिचालित की गई है ताकि उन्हें अपने नागरिक चार्टरों का स्थानीय स्तर पर मूल्यांकन शुरू करने में समर्थ बनाया जा सके। संगठनों

को भी गैर—सरकारी संगठनों को प्राथमिकता देते हुए इनके जरिए बाहरी मूल्यांकन कराने का परामर्श दिया गया है।

वर्ष 2002–03 के दौरान प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने नागरिक चार्टर का आन्तरिक व बाहरी मूल्यांकन अधिक प्रभावी, परिणामपरक और वास्तविक तरीके से करने के लिए मानकीकृत मॉडल तैयार करने हेतु पेशेवर एजेन्सी नियुक्ति की। इस एजेन्सी ने केन्द्र सरकार के 5 संगठनों और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के 15 विभागों/संगठनों के चार्टरों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन भी किया। इस एजेन्सी से संगठन के भीतर और प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विधियां सुझाने और चार्टर के निरूपण व प्रदर्शन के काम में स्टाफ और प्रबंधन के अनुकूलन के लिए संभावित विधियां सुझाना अपेक्षित था।

एजेन्सी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख निष्कर्ष थे—

1. अधिकांश मामलों में चार्टर परामर्शक प्रक्रिया के जरिए नहीं बनाए गए;
2. कुल मिलाकर सेवा प्रदाता चार्टर के तत्व—ज्ञान, लक्ष्यों व मुख्य विशेषताओं से परिचित नहीं हैं;
3. किसी भी विभाग में चार्टर को पर्याप्त प्रचार नहीं दिया गया था। अधिकांश विभागों में चार्टर कार्यान्वयन के केवल आरंभिक या मध्यम स्तर पर ही है;
4. चार्टर के विभिन्न घटकों पर स्टाफ के अनुकूलन के लिए अथवा नागरिक चार्टर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई निधि विशेष रूप से निर्धारित नहीं की गई है।

अन्य बातों के साथ—साथ मुख्य सिफारिशों में शामिल हैं—

1. चार्टर—निरूपण के प्रत्येक स्तर पर नागरिकों व स्टाफ के परामर्श किया जाना आवश्यक,
2. चार्टर की मुख्य विशेषताओं और उद्देश्यों/लक्ष्यों के प्रति स्टाफ का अनुकूलन, विभाग का दृष्टिकोण व मिशन—विवरण तथा दल—निर्माण, समस्या—समाधान, शिकायतों का निपटान और संपर्क—कौशल जैसे कौशलों का अनुकूलन,
3. उपभोक्ता—शिकायतों और उनके निवारण के आंकड़े तैयार करने की आवश्यकता,

4. प्रिंट मीडिया, पोस्टर, बैनर, लीफलैट्स, हैण्डबिल, ब्रॉशर, स्थानीय समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी माध्यम से चार्टर का व्यापक प्रचार किए जाने की आवश्यकता,
5. जागरूकता बढ़ाने और स्टाफ के अनुकूलन के लिए विशेष बजट-निर्धारण और
6. इस क्षेत्र में अच्छे प्रयोग को दोहराना।

भारत सरकार के नागरिक चार्टर का संग्रह

नागरिकों के साथ-साथ अपने नागरिक चार्टरों में प्रतिष्ठापित विभिन्न संगठनों की प्रतिबद्धताओं पर कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 14 मई, 2003 को भारत सरकार के सभी नागरिक चार्टरों के संक्षिप्त पाठों के सारांश का पुस्तक के साथ-साथ सीडी के रूप में प्रकाशन किया। इस सार-संग्रह में जैसेकि नागरिक चार्टरों में प्रतिबद्धता व्यक्त की गई, क्रियात्मक मानक और उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित सेवाओं की गुणवत्ता तथा लोक शिकायत निवारण तंत्र भी हैं। सार-संग्रह में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के नागरिक चार्टरों के नोडल अधिकारियों के नाम, पते, दूरभाष नम्बर, ई-मेल एड्रेस के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों/विभाग/संगठन की वेबसाइटों की सूची भी है।

यह संकलन न केवल नागरिकों के सुलभ संदर्भ के लिए उपयोगी होगा वरन् यह उन्हें इन संगठनों के कार्यकरण की गहन जांच करने में भी सक्षम बनाएगा। यह संगठनों को उनके द्वारा निर्धारित मानकों की अन्य संगठनों के निर्धारित मानकों से तुलना करने में सहायक होगा।

क्षेत्रीय सेमिनार

गैर सरकारी संगठनों, प्रबुद्ध वर्ग, मीडिया आदि सहित अन्य स्टेकहॉल्डरों के साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठनों को एक मंच पर लाने और नागरिक चार्टर के निरूपण एवं कार्यान्वयन के अनुभव साझा करने की दृष्टि से वर्ष 2001–02 के दौरान नागरिक चार्टर पर चार क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किए गए थे। ये सेमिनार एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, आर.सी.वी.पी. नरेन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल और असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज, गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। इन सभी में 24 राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा 15 केन्द्रीय सरकार विभागों/संगठनों ने भाग लिया।

क्षमता निर्माण कार्यशाला

इन सेमिनारों में प्राप्त फीडबैक और अनुभव के आधार पर (1) चार्टर के निरूपण; (2) चार्टर के प्रभावी कार्यान्वयन एवं (3) राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रीय सिविल सेवा स्टाफ कॉलेजों में मौजूद प्रशिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, पर विशिष्ट ध्यान केन्द्रित करते हुए अतिरिक्त क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2002–03 के दौरान, नागरिक चार्टर के निरूपण और कार्यान्वयन पर तीन क्षमता निर्माण कार्यशालाएं लोक प्रशासन संस्थान, शिमला(एचपी), आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल, यशवंत राव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधनी, पूणे और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, नागरिक चार्टर पर प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षण मापदंड विकसित करने के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यशाला भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में दिसम्बर, 2002 को आयोजित की गई। इन सभी कार्यशालाओं में 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और 5 केन्द्रीय सरकारी विभागों/संगठनों ने भाग लिया।¹⁴

वर्ष 2003–2004 के दौरान नागरिक चार्टर के निरूपण पर चार क्षमता निर्माण कार्यशालाएं प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर में आयोजित की गई। वर्ष 2003–04 के दौरान प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए दो क्षमता निर्माण कार्यशालाएं भी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

वर्ष 2004–05 के दौरान नागरिक चार्टर पर तीन क्षमता निर्माण कार्यशालाएं उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर और असम प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज, गुवाहाटी में आयोजित की गई।¹⁵

विभाग—विशिष्ट कार्यशालाएं

विभाग कर्मचारियों के साथ—साथ आम नागरिकों में जागरूकता लाने तथा परामर्श प्रक्रिया शुरू करने के दोहरे—उद्देश्य के साथ 1 दिवसीय विशिष्ट कार्यशालाएं भी आयोजित कर रहा है। वर्ष 2002–03 के दौरान 13 विभाग—विशिष्ट कार्यशालाएं झारखंड, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में आयोजित की जा चुकी हैं।

सूचना एवं सुविधा केन्द्र (आईएफसी)

सूचना एवं सुविधा केन्द्र (आईएफसी) चयनित केन्द्रीय सरकारी संगठनों द्वारा नागरिकों को मामलों/आवेदनों के साथ-साथ अपने कार्यक्रमों/स्कीमों, नियमों एवं कार्य पद्धतियों आदि के बारे में सूचना उपलब्ध / कराने की सुविधा स्थापित की गई है। आईएफसी लोक शिकायतों के निवारण के लिए एक नोडल बिन्दु के रूप में भी कार्य करता है। अतएव, आईएफसी नागरिक चार्टर की भौतिक अभिव्यक्ति है। अतः सभी सरकारी मंत्रालयों/विभागों जहां नागरिक चार्टर है, आईएफसी स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। अब तक 105 सूचना एवं सुविधा केन्द्र / क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ/पूछताछ केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

आईएफसी के कार्यों का मूल्यांकन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और उपभोक्ता समन्वयन परिषद द्वारा किया गया था। संबंधित संगठनों ने इन मूल्यांकनों में चिन्हित त्रुटियों पर कार्रवाई की। यह विभाग नियमित रूप से उन सभी संगठनों के लिए जहां आईएफसी स्थापित है, निर्धारित अर्द्ध-वार्षिक विवरणिका के माध्यम से आईएफसी के कार्यों की निगरानी करता है।

चार्टरों के कार्यान्वयन में आई समस्याएं

जैसा उल्लेख किया गया है, भारत में नागरिक चार्टर की पहल 1997 में की गई तथा निरूपित चार्टर कार्यान्वयन के प्रारंभिक स्तर पर हैं। किसी भी संगठन के लिए एक नई संकल्पना की शुरुआत करना हमेशा ही कठिन होता है। भारत सरकार में नागरिक चार्टर की संकल्पना की शुरुआत एवं कार्यान्वयन करना पुरानी नौकरशाही व्यवस्था /कार्य पद्धतियों तथा श्रम-बल के सख्त रवैये के कारण और ज्यादा कठिन था। इस पहल में सामने आई प्रमुख बाधाएं इस प्रकार थे –

1. नागरिक चार्टर तैयार करने वाले संगठनों की सामान्य सोच थी कि चूंकि ऊपर से निर्देश है तो प्रयोग में लाना है। परामर्श प्रक्रिया न्यूनतम अथवा नहीं के बराबर थी। इस प्रकार ये संगठनों की नियमित गतिविधियां हो गई तथा इन पर कोई ध्यान नहीं था।
2. किसी भी चार्टर को सफल बनाने हेतु इसके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के पास उचित प्रशिक्षण और अनुकूलन होना चाहिए क्योंकि, चार्टर की प्रतिबद्धताएं पूरी करने की उम्मीद ऐसे कार्यबल से नहीं की जा सकती जो चार्टर की

भावना और विषय—वस्तु से अनभिज्ञ है। तथापि, अनेक मामलों में संबंधित स्टाफ पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और सुग्राह्य नहीं था।

3. कभी—कभी संगठन में नागरिक चार्टर के निरूपण/कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण स्तरों पर संबंधित अधिकारियों के स्थानान्तरण व अदला—बदली से कार्यनीतिक प्रक्रिया को अलग—अलग ढंग से क्षति पहुंचती है जिसने इस पहल की प्रगति में बाधा पहुंचाई।
4. ग्राहकों को चार्टर के विषय में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान व्यवस्थित रूप से नहीं चलाए गए।
5. कुछ मामलों में नागरिक चार्टर में उल्लिखित मानकों/सेवाओं के समय—मानकों में या तो बहुत अधिक ढील दी गई या बहुत अधिक कठोरता बरती गई और इसलिए वे अवास्तविक रहे और चार्टर के ग्राहकों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
6. नागरिक चार्टर का विचार सही ढंग से नहीं समझा गया। संगठनों द्वारा नागरिक चार्टर के लिए पूर्व में निर्मित सूचना ब्रॉशरों, प्रचार—सामग्रियों और पेम्फलेट्स में त्रुटियां थीं।¹⁶

परिणाम

नागरिक चार्टर की पहल के कार्यान्वयन से आज तक हुए अनुभव से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं

1. जैसा किसी भी नए प्रयास पर होता है, प्रारंभिक स्तर पर नागरिक चार्टर की पहल को अफसरशाही और नागरिकों द्वारा संदेह से अवश्य देखा जाता है। इस संशयवाद से निकलने के लिए प्रारंभिक स्तर पर भी सभी हितधारकों के बीच प्रभावी जागरूकता अभियान आवश्यक है। ये जागरूकता अभियान नवाचारी रूप में तैयार किए जाने और प्रभावी रूप से चलाए जाने चाहिए।
2. नागरिक चार्टर के प्रचालन से स्टाफ और ग्राहकों की मानसिकता रातों—रात नहीं बदलेगी जो समय के एक खण्ड में बनी है। इसलिए, सोच में बदलाव लाने के लिए नियमित अथवा दृढ़ प्रयास अपेक्षित हैं।
3. नई पहल हमेशा बाधाओं व स्टाफ के संदेहों का सामना करती है। बदलाव का विरोध स्वाभाविक है, खासकर अग्रणी स्टाफ के बीच। नागरिक चार्टर के निरूपण व

कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर उन्हें शामिल और उनसे मशविरा करते हुए इस विरोध का समाधान हो सकेगा और यह इस कार्य में उन्हें समान भागीदार बनाएगा।

4. एक बार में ही सभी प्रक्रियाओं में सुधार करने तथा व्यापक विरोध का सामना करने की बजाय इसे छोटे-छोटे अवयवों में तोड़ना और उनका एक समय में एक का ही समाधान करने की कोशिश करना उपयुक्त है।
5. अधिमानत: बाहरी एजेंसी के माध्यम से चार्टर के कामकाज की मॉनीटरिंग, मूल्यांकन और समीक्षा के लिए चार्टर की पहल में अंतर्स्थिति होना चाहिए।¹⁷

भावी विजन – चार्टर मार्क का विकास

यूके सरकार ने 1992 में लोक-सेवा में उत्कृष्टता की पहचान और प्रोत्साहन के लिए चार्टर मार्क स्कीम शुरू की थी। चार्टर मार्क प्राप्त करने के लिए संगठन को निम्नलिखित नौ चार्टर मार्क की कसौटी पर उत्कृष्टता दर्शानी है जो लोक सेवा प्रदायगी के सिद्धांतों मुख्यतः:

1. कार्य-प्रदर्शन मानक;
2. सूचना एवं खुलापन;
3. विकल्प और परामर्श;
4. शिष्टाचार व अनुकूलता;
5. चीजों को सही रखना;
6. धन का महत्व;
7. प्रयोक्ता संतुष्टि;
8. सेवा-गुणवत्ता में सुधार और
9. योजनागत सुधार व नवाचारों के अनुरूप हो।

मलेशिया सरकार ने भी यूके मॉडल के आधार पर 1993 में 'बेस्ट क्लाइंट्स चार्टर अवार्ड' शुरू किया था।¹⁸

भारत में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने उपयुक्त चार्टर मार्क स्कीम विकसित करने के लिए एक पेशेवर एजेंसी की पहचान की है। यह स्कीम चार्टर में अधिसूचित मानकों व प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में लोक सेवा प्रदाता को प्रोत्साहन देगी तथा उसमें सुधार करेगी। जजों के स्वतंत्र पैनल द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद 'चार्टर मार्क' दिया जाना

प्रस्तावित है। यह न केवल चार्टर मार्क प्रदत्त संगठन को उपलब्धि का बोध कराएगा बल्कि, उन विभिन्न संगठनों में प्रतिस्पाधार्थत्मकता की भावना भी बढ़ाएगा जो नागरिक चार्टर जारी कर चुके हैं और नागरिकों में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। पेशेवर एजेंसी द्वारा एक आदर्श बनाया गया है और वह पहचान किए गए विभागों/संगठनों में मान्यकरण की प्रक्रिया में है।

नागरिक चार्टर का कार्यान्वयन सतत चलने वाला कार्य है क्योंकि यह लोक सेवा के क्षेत्र में होने वाले सघन व निरंतर परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करता है। भारतीय सरकार एक प्रभावी व दक्ष तरीके से नागरिक की सेवा का निरंतर प्रयास करती रही है, ताकि न केवल वह उनकी जरूरतें पूरी करे बल्कि, उनकी आशाओं पर भी खरी उतरे। नागरिक चार्टर की पहल इस दिशा में बड़ा कदम है।

नागरिक अधिकार पत्र के मूल्यांकन के मापदंड¹⁹

1. दृष्टिकोण वक्तव्य
2. अभियान लक्ष्य वक्तव्य
3. सेवाओं की पहचान
4. स्तर की पहचान
5. ग्राहक समूह/शेयरधारकों/उपयोगकर्ताओं की पहचान
6. प्रत्येक सेवा के लिए समय—सीमा का विशिष्टता
7. प्रत्येक स्तर पर समय—सीमा का विशिष्टता
8. सेवा गुणवत्ता मानकों का विशिष्टता
9. सेवा वितरण मानकों का विशिष्टता
10. सेवा लाभों तक पहुंचने के लिए प्रक्रियाओं/स्तरों के बारे में स्पष्ट जानकारी
11. सेवा लाभ प्राप्त करने के लिए संपर्क बिंदुओं के बारे में स्पष्ट जानकारी
12. सूचना सुविधा काउंटरों के बारे में स्पष्ट जानकारी
13. सूचना सुविधा काउंटर के कार्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी
14. लोक शिकायत निवारण प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना
15. लोक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी प्रदान करना

16. लोक शिकायत निवारण के लिए समय—सीमा के बारे में जानकारी
17. पावती के लिए समय सीमा के बारे में जानकारी
18. प्रतिक्रिया के लिए समय—सीमा के बारे में जानकारी
19. सभी सार्वजनिक शिकायतों की व्यवस्थित समीक्षा के बारे में जानकारी
20. शिकायतों की समीक्षा के परिणाम के बारे में जानकारी
21. सुझाव/इनपुट आमंत्रित करने के लिए प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी
22. सुझावों की समीक्षा के लिए समय—सीमा के बारे में जानकारी
23. सुझावों की प्रसंस्करण के लिए तंत्र के बारे में जानकारी
24. सभी सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा के बारे में जानकारी
25. सुझावों की समीक्षा के परिणाम के बारे में जानकारी
26. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र के बारे में जानकारी की प्रतिबद्धताएँ
27. वेब साइट, ऑनलाइन चार्टर और प्रासंगिक सूचना के बारे में जानकारी
28. सूचना और सूचना पुस्तिका के अधिकार के बारे में जानकारी

राजस्थान के विभाग जिनके नागरिक अधिकार पत्रों की तुलना की गई है निम्न प्रकार

है –

1. राजस्व मण्डल, अजमेर
2. समेकित बाल विकास विभाग
3. विभागीय जांच विभाग
4. जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग
5. आयुर्वेद विभाग
6. गृह विभाग
7. वित्त विभाग
8. पर्यावरण विभाग
9. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

10. अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

11. जयपुर विकास प्राधिकरण

12. ग्रामीण विकास विभाग

13. राज. राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल

14. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर

15. राज. राज्य मानवाधिकार आयोग

16. राज. शिक्षा कर्मी बोर्ड

17. राजस्थान निर्वाचन आयोग

18. आयोजना विभाग

19. एच.सी.एम. रीपा

20. विधि एंव विधिक कार्य विभाग

21. उर्जा विभाग

22. उद्योग विभाग

23. जल संसाधन विभाग

24. तकनीकी शिक्षा विभाग

25. राजभवन, जयपुर

26. सामान्य प्रशासन विभाग

27. राजस्थान लोक सेवा आयोग

28. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

29. सहकारिता विभाग

30. राजस्थान आवासन मण्डल

31. कृषि विभाग

32. सार्वजनिक निमाण विभाग

33. आपदा प्रबन्धन एंव सहायता विभाग

34. नगर निगम, जयपुर
35. श्रम एवं नियोजन विभाग
36. पर्यटन विभाग
37. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
38. राजस्थान राज्य सूचना आयोग
39. उच्च शिक्षा विभाग
40. देवस्थान विभाग
41. वन विभाग
42. निर्वाचन विभाग
43. राजस्थान राज्य महिला आयोग
44. जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
45. कार्मिक विभाग
46. चिकित्सा शिक्षा विभाग
47. संस्कृत शिक्षा विभाग
48. परिवहन विभाग
49. कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
50. सम्पदा विभाग
51. पशुपालन विभाग
52. सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग
53. उद्यान निदेशालय
54. आवासीय आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली
55. खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग
56. सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय
57. कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग

58. युवा मामले एवं खेल विभाग
59. लोकायुक्त सचिवालय
60. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
61. शिक्षा विभाग
62. प्रशासनिक सुधार विभाग
63. सैनिक कल्याण विभाग
64. जन अभियोग निराकरण विभाग
65. उपनिवेशन विभाग
66. आयुक्तालय महिला अधिकारिता
67. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
68. स्वायत्त शासन विभाग

सारणी 5.1

दृष्टिकोण वक्तव्य

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	28	41.17
सम्मिलित नहीं है	40	58.83
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का दृष्टिकोण के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 28 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में विभागीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है और 40 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में विभागीय दृष्टिकोण की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 41.17 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में विभागीय दृष्टिकोण सम्मिलित है जबकि 58.83 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में विभागीय दृष्टिकोण सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में दृष्टिकोण का अभाव है।

सारणी 5.2

अभियान लक्ष्य वक्तव्य

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	41	60.30
सम्मिलित नहीं है	27	39.70
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का अभियान और लक्ष्य के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 41 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में विभागीय अभियान अथवा लक्ष्य को सम्मिलित किया गया है और 27 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में अभियान और लक्ष्य की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 60.30 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में अभियान और लक्ष्य सम्मिलित है जबकि 39.70 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में अभियान और लक्ष्य सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में अभियान और लक्ष्य सम्मिलित किया गया है।

सारणी 5.3

सेवाओं की पहचान

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	64	94.11
सम्मिलित नहीं है	04	5.89
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का सेवाओं की पहचान के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 64 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सेवाओं की पहचान को सम्मिलित किया गया है और 04 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सेवाओं की पहचान की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 94.11 प्रतिशत नागरिक

अधिकार पत्रों में सेवाओं की पहचान सम्मिलित है जबकि 5.89 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सेवाओं की पहचान सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सेवाओं की पहचान को सम्मिलित किया गया है।

सारणी 5.4

स्तर की पहचान

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	46	67.64
सम्मिलित नहीं है	22	32.36
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का स्तर की पहचान के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 46 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में स्तर की पहचान को सम्मिलित किया गया है और 22 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में स्तर की पहचान की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 67.64 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में स्तर की पहचान सम्मिलित है जबकि 32.36 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में स्तर की पहचान सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में स्तर की पहचान को सम्मिलित किया गया है।

सारणी 5.5

ग्राहक समूह/शेयरधारकों/उपयोगकर्ताओं की पहचान

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	47	69.11
सम्मिलित नहीं है	21	30.89
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का ग्राहक समूह की पहचान के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 47 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में ग्राहक समूह की पहचान को सम्मिलित किया गया है और 21 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में ग्राहक समूह की पहचान की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 69.11 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में ग्राहक समूह की पहचान सम्मिलित है जबकि 30.89 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में ग्राहक समूह की पहचान सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में ग्राहक समूह की पहचान को सम्मिलित किया गया है।

सारणी 5.6

प्रत्येक सेवा के लिए समय–सीमा का विशिष्टता

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	30	44.11
सम्मिलित नहीं है	38	55.89
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का प्रत्येक सेवा के लिए समय–सीमा की विशिष्टिता के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 30 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में प्रत्येक सेवा के लिए समय–सीमा की विशिष्टिता को सम्मिलित किया गया है और 38 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में प्रत्येक सेवा के लिए समय–सीमा की विशिष्टिता की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 44.11 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में प्रत्येक सेवा के लिए समय–सीमा की विशिष्टिता सम्मिलित है जबकि 55.89 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में प्रत्येक सेवा के लिए समय–सीमा की विशिष्टिता सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में समय–सीमा की विशिष्टिता को सम्मिलित नहीं किया गया है। सेवा के लिए समय सीमा की जानकारी नागरिक अधिकार पत्र के लिए अतिआवश्यक है और इसका

नागरिक अधिकार पत्र में अभाव सूचना के अधिकार और नागरिक को सेवा प्रदान करने की गारंटी के प्रति प्रतिबद्धता की शिथिलता का सूचक है।

सारणी 5.7

प्रत्येक स्तर पर समय—सीमा का विशिष्टता

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	25	36.76
सम्मिलित नहीं है	43	63.24
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का प्रत्येक स्तर पर समय—सीमा की विशिष्टिता के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 25 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में प्रत्येक स्तर पर समय—सीमा की विशिष्टिता को सम्मिलित किया गया है और 43 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में प्रत्येक स्तर पर समय—सीमा की विशिष्टिता की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 36.76 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में प्रत्येक स्तर पर समय—सीमा की विशिष्टिता सम्मिलित है जबकि 63.24 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में प्रत्येक स्तर पर समय—सीमा की विशिष्टिता सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में प्रत्येक स्तर पर समय—सीमा की विशिष्टिता को सम्मिलित नहीं किया गया है। सेवा के लिए प्रत्येक स्तर पर समय सीमा की जानकारी नागरिक अधिकार पत्र के लिए अतिआवश्यक है और इसका नागरिक अधिकार पत्र में अभाव सूचना के अधिकार और नागरिक को सेवा प्रदान करने की गारंटी के प्रति प्रतिबद्धता की शिथिलता का सूचक है।

सारणी 5.8

सेवा गुणवत्ता मानकों की विशिष्टता

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	41	60.30

सम्मिलित नहीं है	27	39.70
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का सेवा गुणवत्ता मानकों की विशिष्टिता के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 41 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा गुणवत्ता मानकों की विशिष्टिता को सम्मिलित किया गया है और 27 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा गुणवत्ता मानकों की विशिष्टिता की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 60.30 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा गुणवत्ता मानकों की विशिष्टिता सम्मिलित है जबकि 39.70 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा गुणवत्ता मानकों की विशिष्टिता सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा गुणवत्ता मानकों की विशिष्टिता को सम्मिलित किया गया है।

सारणी 5.9

सेवा वितरण मानकों का विशिष्टिता

चार्टर में	आवृत्ति	प्रतिशत
सम्मिलित है	38	55.89
सम्मिलित नहीं है	30	44.11
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का सेवा वितरण मानकों की विशिष्टिता के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 38 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा वितरण मानकों की विशिष्टिता को सम्मिलित किया गया है और 30 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा वितरण मानकों की विशिष्टिता की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 55.89 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा वितरण मानकों की विशिष्टिता सम्मिलित है जबकि 44.11 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा वितरण मानकों की विशिष्टिता सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा वितरण मानकों की विशिष्टिता को सम्मिलित किया गया है।

सारणी 5.10

सेवा लाभों तक पहुंचने के लिए प्रक्रियाओं/स्तरों के बारे में स्पष्ट जानकारी

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	39	57.35
सम्मिलित नहीं है	29	42.65
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का सेवा लाभ प्राप्ति की प्रक्रियाओं/स्तरों की स्पष्ट जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 39 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा लाभ प्राप्ति की प्रक्रियाओं/स्तरों की स्पष्ट जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 29 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा लाभ प्राप्ति की प्रक्रियाओं/स्तरों की स्पष्ट जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 57.35 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा लाभ प्राप्ति की प्रक्रियाओं/स्तरों की स्पष्ट जानकारी सम्मिलित है जबकि 42.65 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा लाभ प्राप्ति की प्रक्रियाओं/स्तरों की स्पष्ट जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा लाभ प्राप्ति की प्रक्रियाओं/स्तरों की स्पष्ट जानकारी को सम्मिलित किया गया है।

सारणी 5.11

सेवा लाभ प्राप्त करने के लिए संपर्क बिंदुओं के बारे में स्पष्ट जानकारी

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	53	77.95
सम्मिलित नहीं है	15	22.05
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का सेवा लाभ प्राप्ति के संपर्क बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 53 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा लाभ प्राप्ति के संपर्क बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 15 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा लाभ प्राप्ति के संपर्क बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 77.95 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा लाभ प्राप्ति के संपर्क बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी सम्मिलित है जबकि 22.05 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा लाभ प्राप्ति के संपर्क बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा लाभ प्राप्ति के संपर्क बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी को सम्मिलित किया गया है।

सारणी 5.12

सूचना सुविधा काउंटरों के बारे में स्पष्ट जानकारी

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	26	38.23
सम्मिलित नहीं है	42	61.77
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का सुविधा काउंटरों की स्पष्ट जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 26 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सुविधा काउंटरों की स्पष्ट जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 42 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सुविधा काउंटरों की स्पष्ट जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 38.23 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सुविधा काउंटरों की स्पष्ट जानकारी सम्मिलित है जबकि 61.77 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सुविधा काउंटरों की स्पष्ट जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सुविधा काउंटरों की स्पष्ट जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सारणी 5.13

सूचना सुविधा काउंटर के कार्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	14	20.58
सम्मिलित नहीं है	54	79.42
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का सुविधा काउंटरों के कार्यों की स्पष्ट जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 14 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सुविधा काउंटरों के कार्यों की स्पष्ट जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 54 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सुविधा काउंटरों के कार्यों की स्पष्ट जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 20.58 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सुविधा काउंटरों के कार्यों की स्पष्ट जानकारी सम्मिलित है जबकि 79.42 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सुविधा काउंटरों के कार्यों की स्पष्ट जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सुविधा काउंटरों के कार्यों की स्पष्ट जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सारणी 5.14

लोक शिकायत निवारण प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	30	44.11
सम्मिलित नहीं है	38	55.89
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का लोक शिकायत निवारण प्रक्रियाओं की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 30 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में लोक शिकायत निवारण प्रक्रियाओं की जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 38 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में लोक शिकायत निवारण प्रक्रियाओं

की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 44.11 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में लोक शिकायत निवारण प्रक्रियाओं की जानकारी सम्मिलित है जबकि 55.89 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में लोक शिकायत निवारण प्रक्रियाओं की जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में लोक शिकायत निवारण प्रक्रियाओं की जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सारणी 5.15

लोक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी प्रदान करना

चार्टर में	आवृत्ति	प्रतिशत
सम्मिलित है	59	86.76
सम्मिलित नहीं है	09	13.24
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का लोक शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 59 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में लोक शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 09 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में लोक शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 86.76 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में लोक शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी सम्मिलित है जबकि 13.24 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में लोक शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में लोक शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी को सम्मिलित किया गया है।

सारणी 5.16

लोक शिकायत निवारण के लिए समय—सीमा के बारे में जानकारी

चार्टर में	आवृत्ति	प्रतिशत
सम्मिलित है	37	54.41

सम्मिलित नहीं है	31	45.59
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का लोक शिकायत निवारण समय—सीमा की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 37 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में लोक शिकायत निवारण समय—सीमा की जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 31 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में लोक शिकायत निवारण समय—सीमा की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 54.41 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में लोक शिकायत निवारण समय—सीमा की जानकारी सम्मिलित है जबकि 45.59 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में लोक शिकायत निवारण समय—सीमा की जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में लोक शिकायत निवारण समय—सीमा की जानकारी को सम्मिलित किया गया है।

सारणी 5.17

पावती के लिए समय सीमा के बारे में जानकारी

चार्टर में	आवृत्ति	प्रतिशत
सम्मिलित है	24	35.30
सम्मिलित नहीं है	44	64.70
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का पावती के लिए समय—सीमा की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 24 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में पावती के लिए समय—सीमा की जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 44 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में पावती के लिए समय—सीमा की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 35.30 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में पावती के लिए समय—सीमा की जानकारी सम्मिलित है जबकि 64.70 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में पावती के लिए समय—सीमा की जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में पावती के लिए समय—सीमा की जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सारणी 5.18

प्रतिक्रिया के लिए समय—सीमा के बारे में जानकारी

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	37	54.41
सम्मिलित नहीं है	31	45.59
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का प्रतिक्रिया के लिए समय—सीमा की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 37 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में प्रतिक्रिया के लिए समय—सीमा की जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 31 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में प्रतिक्रिया के लिए समय—सीमा की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 54.41 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में प्रतिक्रिया के लिए समय—सीमा की जानकारी सम्मिलित है जबकि 45.59 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में प्रतिक्रिया के लिए समय—सीमा की जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में प्रतिक्रिया के लिए समय—सीमा की जानकारी को सम्मिलित किया गया है।

सारणी 5.19

सभी सार्वजनिक शिकायतों की व्यवस्थित समीक्षा के बारे में जानकारी

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	10	14.70
सम्मिलित नहीं है	58	85.30
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का सार्वजनिक शिकायतों की व्यवस्थित समीक्षा की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 10 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सार्वजनिक शिकायतों की व्यवस्थित समीक्षा की

जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 58 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सार्वजनिक शिकायतों की व्यवस्थित समीक्षा की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 14.70 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सार्वजनिक शिकायतों की व्यवस्थित समीक्षा की जानकारी सम्मिलित है जबकि 85.30 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सार्वजनिक शिकायतों की व्यवस्थित समीक्षा की जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सार्वजनिक शिकायतों की व्यवस्थित समीक्षा की जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सारणी 5.20

शिकायतों की समीक्षा के परिणाम के बारे में जानकारी

चार्टर में	आवृत्ति	प्रतिशत
सम्मिलित है	03	4.61
सम्मिलित नहीं है	65	95.59
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का सार्वजनिक शिकायतों की समीक्षा के परिणाम की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 03 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सार्वजनिक शिकायतों की समीक्षा के परिणाम की जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 65 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सार्वजनिक शिकायतों की समीक्षा के परिणाम की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 4.61 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सार्वजनिक शिकायतों की समीक्षा के परिणाम की जानकारी सम्मिलित है जबकि 95.59 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सार्वजनिक शिकायतों की समीक्षा के परिणाम की जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सार्वजनिक शिकायतों की समीक्षा के परिणाम की जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सारणी 5.21

सुझाव/इनपुट आमंत्रित करने के लिए प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	23	33.82
सम्मिलित नहीं है	45	66.18
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रियाओं की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 23 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रियाओं की जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 45 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रियाओं की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 33.82 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रियाओं की जानकारी सम्मिलित है जबकि 66.18 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रियाओं की जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रियाओं की जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सारणी 5.22

सुझावों की समीक्षा के लिए समय—सीमा के बारे में जानकारी

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	06	8.83
सम्मिलित नहीं है	62	91.17
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का सुझावों की समीक्षा की समय—सीमा की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 06 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की समीक्षा की समय—सीमा की जानकारी को

सम्मिलित किया गया है और 62 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की समीक्षा की समय—सीमा की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 8.83 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की समय—सीमा की जानकारी सम्मिलित है जबकि 91.17 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की समय—सीमा की जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की समय—सीमा की जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सारणी 5.23

सुझावों की प्रसंस्करण के लिए तंत्र के बारे में जानकारी

चार्टर में	आवृत्ति	प्रतिशत
सम्मिलित है	03	4.61
सम्मिलित नहीं है	65	95.59
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का सुझावों के प्रसंस्करण तंत्र की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 03 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों के प्रसंस्करण तंत्र की जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 65 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों के प्रसंस्करण तंत्र की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 4.61 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों के प्रसंस्करण तंत्र की जानकारी सम्मिलित है जबकि 95.59 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों के प्रसंस्करण तंत्र की जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों के प्रसंस्करण तंत्र की जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सारणी 5.24

सभी सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा के बारे में जानकारी

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	03	4.61
सम्मिलित नहीं है	65	95.59
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 03 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा की जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 65 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 4.61 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा की जानकारी सम्मिलित है जबकि 95.59 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा की जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा की जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सारणी 5.25

सुझावों की समीक्षा के परिणाम के बारे में जानकारी

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	03	4.61
सम्मिलित नहीं है	65	95.59
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा के परिणाम की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 03 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा के परिणाम की जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 65 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की व्यवस्थित

समीक्षा के परिणाम की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 4.61 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा के परिणाम की जानकारी सम्मिलित है जबकि 95.59 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा के परिणाम की जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा के परिणाम की जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सारणी 5.26

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र के बारे में जानकारी की प्रतिबद्धताएँ

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	46	67.65
सम्मिलित नहीं है	22	32.35
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का निगरानी तंत्र की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 46 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में निगरानी तंत्र की जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 22 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में निगरानी तंत्र की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 67.65 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में निगरानी तंत्र की जानकारी सम्मिलित है जबकि 32.35 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में निगरानी तंत्र की जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में निगरानी तंत्र की जानकारी को सम्मिलित किया गया है।

सारणी 5.27

वेब साइट, ऑनलाइन चार्टर और प्रासंगिक सूचना के बारे में जानकारी

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	16	23.52
सम्मिलित नहीं है	52	76.48
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का ऑनलाइन चार्टर की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 16 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में ऑनलाइन चार्टर की जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 52 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में ऑनलाइन चार्टर की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 23.52 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में ऑनलाइन चार्टर की जानकारी सम्मिलित है जबकि 76.48 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में ऑनलाइन चार्टर की जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में ऑनलाइन चार्टर की जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सारणी 5.28

सूचना और सूचना पुस्तिका के अधिकार के बारे में जानकारी

चार्टर में	आवृति	प्रतिशत
सम्मिलित है	06	8.82
सम्मिलित नहीं है	62	91.18
कुल	68	100

चयनित 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का सूचना पुस्तिका के अधिकार की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 06 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सूचना पुस्तिका के अधिकार की जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 62 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सूचना पुस्तिका के अधिकार की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। इस प्रकार 8.82 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सूचना पुस्तिका के

अधिकार की जानकारी सम्मिलित है जबकि 91.18 प्रतिशत नागरिक अधिकार पत्रों में सूचना पुस्तिका के अधिकार की जानकारी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त सारणी के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सूचना पुस्तिका के अधिकार की जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

नागरिक अधिकार पत्रों की तुलना में उनके मूल्यांकन के आधार पर तीन वर्ग भी बनाए गए हैं। जो 28 मापदंडों की पूर्ति के आधार पर निम्न प्रकार बनाए गए हैं।

मापदंड पूर्ति की स्थिति	वर्ग
0 से 10	निम्नतम स्थिति
11 से 15	निम्न स्थिति
16 से 20	मध्यम स्थिति
21 से 25	उच्च स्थिति
26 से 28	उच्चतम स्थिति

उपरोक्त वर्गीकरण में 68 विभागों की संख्या निम्न प्रकार प्राप्त हुई

सारणी 5.29

नागरिक अधिकार पत्रों के आधार पर विभागों का वर्गीकरण

वर्ग	विभागों की संख्या	प्रतिशत
निम्नतम स्थिति	00	00
निम्न स्थिति	20	29.41
मध्यम स्थिति	39	57.35
उच्च स्थिति	09	13.84
उच्चतम स्थिति	00	00
कुल 68	68	100

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि राजस्थान के 68 विभागों में से किसी भी विभाग का नागरिक अधिकार पत्र सभी मापदंडों को परिपूर्ण नहीं करता है। 13.84 प्रतिशत विभागों के नागरिक अधिकार पत्र उच्च स्थिति में है। 57.35 प्रतिशत विभागों के नागरिक अधिकार पत्र मध्यम और 29.41 प्रतिशत विभागों के नागरिक अधिकार पत्र निम्न स्थिति में हैं।

स्पष्ट है कि सूचना के अधिकार का पूर्ण उपयोग व संचालन नहीं हो पा रहा है। विभागों को अपने नागरिक अधिकार पत्रों के मापदण्डों को पूर्ण करने में प्रयास करना चाहिए तभी सूचना के अधिकार की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी।



संदर्भ सूची

1. सबरवाल, अंजु एवं जाबा, पायल, द न्यू राईट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जस्टीस – द सिटीजन चार्टर, राईट टू सर्विस एण्ड गुट गवर्नेन्स, 2013, पृ. 333
2. शर्मा, नैन्सी, राईट टू पब्लिक सर्विस लॉ इन इंडिया : एन अप्रैजल, राईट टू सर्विस एण्ड गुट गवर्नेन्स, 2013, पृ. 48
3. जायसवाल, परमजीत, एवं संधू जी.आई.एस. तथा पंवार, आनन्द, राईट टू सर्विस एण्ड गुट गवर्नेन्स, पृ. 55
4. सिटीजन चार्टर इन इंडिया फॉरमूलेशन, इम्पलीमेन्ट एण्ड इवोल्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिफॉम एण्ड पब्लिक ग्रिवेन्स गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया, 2008, पृ. 48
5. सिटीजन चार्टर इन इंडिया फॉरमूलेशन, इम्पलीमेन्ट एण्ड इवोल्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिफॉम एण्ड पब्लिक ग्रिवेन्स गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया, 2008, पृ. 58
6. सिटीजन चार्टर इन इंडिया फॉरमूलेशन, इम्पलीमेन्ट एण्ड इवोल्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिफॉम एण्ड पब्लिक ग्रिवेन्स गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया, 2008, पृ. 59
7. सिटीजन चार्टर इन इंडिया फॉरमूलेशन, इम्पलीमेन्ट एण्ड इवोल्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिफॉम एण्ड पब्लिक ग्रिवेन्स गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया, 2008, पृ. 60
8. अरोड़ा, कृष्णा; “सूचना का अधिकार एक्ट 2005” (22 ऑफ 2005) एक्ट, प्रोफेशनल बुक पब्लिकेशन नयी दिल्ली, 2004, पृ. 12
9. आचार्य, एन.के.; “सूचना का अधिकार अधिनियम”; एशिया लॉ हाऊस हैदराबाद, 2007, पृ. 23
10. बेस्ट जॉन, डब्लयू. रिसर्च इन एजूकेशन, प्रिटिंग हाल प्रा० लि०, नई दिल्ली, 2012, पृ. 46
11. बेस्ट जॉन, डब्लयू. रिसर्च इन एजूकेशन, प्रिटिंग हाल प्रा० लि०, नई दिल्ली, 2012, पृ. 47

12. रोहताकी, हिना; “आफिशियल फेलैश श्राइन ऑफ गोल्ड”; टाइम्स ऑफ इण्डिया, पंचकुला, नवम्बर 2011, पृ. 98
13. सबनीस, एस. एन.; “सूचना का अधिकार अधिनियम 2005”; मुखानन्द पब्लिकेशनस ठाणे, मुम्बई, , 2011, पृ. 103
14. विस्वास, प्रथा; “आर टी आई टू ब्लैकमेल गवरमेन्ट ऑफिशियल”; डी.एन.ए. 22 मार्च, 2011, पृ. 145
15. चौबीसा, और सरदाना, जयबाला; ‘लोक सूचना अधिकारी के कार्य एवं जिम्मेदारियाँ’ हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान परिसर, जयपुर, 2011, पृ. 212
16. गुप्ता, मान सिंह; “सूचना का अधिकार अधिनियम 2005”; किशोर बुक डिपो, जयपुर, 2011, पृ. 54
17. गुप्ता, मान सिंह; “सूचना का अधिकार अधिनियम 2005”; किशोर बुक डिपो, जयपुर, 2011, पृ. 84
18. गुप्ता, मान सिंह; “सूचना का अधिकार अधिनियम 2005”; किशोर बुक डिपो, जयपुर, 2011, पृ. 85
19. करखानिस, नंदकुमार; “सूचना का अधिकार अधिनियम”; विवेकानंद प्रकाशन पुणे, 2011, पृ. 56

षष्ठम् अध्याय

**राजस्थान में सूचना के अधिकार का
सामाजिक व राजनीतिक
सन्दर्भ में विश्लेषण**

षष्ठम् अध्याय

राजस्थान में सूचना के अधिकार का सामाजिक व राजनीतिक सन्दर्भ में विश्लेषण

व्यक्ति यदि कोई भी माँग या दावा करना चाहता है चाहे वह कितना ही उपयोगी क्यों न हो, वह जब तक राज्य द्वारा मान्य नहीं हो जाता उसे अधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। चाहे उसे सामाज में मान्यता मिल चुकी हो। जब समाज द्वारा मान्यता प्राप्त माँगों को राज्य द्वारा वैधानिक स्वीकृति मिल जाती है तब वे माँगें अधिकार हो जाती हैं। राज्य द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद राज्य का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि यह वह देखे कि सब व्यक्ति समान अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं अथवा नहीं। साथ ही राज्य का यह भी दायित्व हो जाता है कि वह यह भी देखे कि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। दूसरे शब्दों में अन्य व्यक्तियों के अधिकारों के उपभोग में बाधा तो नहीं डाल रहा है। यदि कोई राज्य अपने इन दायित्वों को नहीं निभा पाता तो उस राज्य के व्यक्ति किसी प्रकार के अधिकारों का सही उपयोग नहीं कर सकते।

प्रत्येक नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य बहुत ही अमूल्य और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रत्येक राज्य या देश अपने देश के निवासियों के लिए कुछ मौलिक नागरिक अधिकार जैसे— वैयक्तिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, नैतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और राजनैतिक अधिकार आदि रखते हैं। एक देश का नागरिक होने के नाते हमें अपने अधिकारों के साथ ही नैतिक और कानूनी रूप से दायित्वों को पूरा करना आवश्यक है। एक दूसरे का सम्मान करने के साथ ही बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहना चाहिए। अपने देश की रक्षा के लिए, हमें समय-समय पर प्रत्याशित बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। देश का अच्छा नागरिक होने के रूप में, हमें समाज और देश के कल्याण के लिए अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानने व सीखने की आवश्यकता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि, हम में से सभी समाज की अच्छी और बुरी स्थिति के जिम्मेदार है। समाज और देश में कुछ सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए हमें अपनी सोच को कार्य रूप में बदलने की आवश्यकता है। यदि वैयक्तिक कार्यों के द्वारा जीवन को बदला जा सकता है, तो फिर समाज में किए गए सामूहिक प्रयास देश व पूरे समाज में सकारात्मक प्रभाव क्यों नहीं ला

सकते हैं। इसलिए, समाज और पूरे देश की समृद्धि और शान्ति के लिए नागरिकों के कर्तव्य बहुत अधिक मायने रखते हैं।

सूचना के अधिकार के सामाजिक विश्लेषण हेतु दैव निर्दर्शन द्वारा 100 लोगों से तथ्यों का संकलन किया गया जिनका विश्लेषण निम्न प्रकार है –

क्या सूचना के अधिकार के विषय में सुना है?

हाँ	नहीं	ज्ञात नहीं	कुल योग
46	50	04	100

तालिका को विश्लेषित करने पर पाया गया कि सूचना के अधिकार के विषय में 46 लोगों ने सुना है जबकि 50 लोगों ने नहीं सुना है जबकि इस विषय में 04 लोगों को ज्ञात ही नहीं है। जो कि जनता की इस अधिकार के प्रति अल्पज्ञता को उजागर करता है।

सूचना के अधिकार के आवेदन के विषय में आपको पता है?

हाँ	नहीं	ज्ञात नहीं	कुल योग
28	30	42	100

तालिका को विश्लेषित करने पर पाया गया कि सूचना का अधिकार के आवेदन के विषय में मात्र 28 लोगों को पता है जबकि 30 लोगों को इस विषय में नहीं पता है जबकि इस विषय में अधिकांश 42 लोगों को ज्ञात ही नहीं है। इस प्रकार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जनता को इस अधिकार के प्रति जागरूकता में कमी पाई गई है।

क्या आपने कभी पुलिस विभाग में जनसुनवाई के लिए आवेदन किया है?

हाँ	नहीं	ज्ञात नहीं	कुल योग
18	82	0	100

तालिका को विश्लेषित करने पर पाया गया कि 18 लोगों ने पुलिस विभाग में जनसुनवाई हेतु आवेदन किया है जबकि 82 लोगों ने नहीं किया है। इससे स्पष्ट होता है कि बहुत कम

लोग अपने अधिकार के प्रति पुलिस या प्रशासन की सहायता लेने के लिए तत्पर हैं या यों कहा जा सकता है कि शायद उन्हें अपने इस अधिकार के प्रति पता ही नहीं है।

क्या आप आम नागरिक होते हुए सूचना के लिए आवेदन किया है?

हाँ	नहीं	ज्ञात नहीं	कुल योग
30	60	10	100

तालिका को विश्लेषित करने पर पाया गया कि सूचना के अधिकार में आम नागरिक होते हुये सूचना का अधिकार का आवेदन कर सकने वालों में हाँ की संख्या 30 है। जबकि 60 लोगों ने नहीं कहा तथा 10 लोगों को ज्ञात ही नहीं है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि आम नागरिक को इस अधिकार के आवेदन की प्रक्रिया पता नहीं है यह इस अधिकार के प्रति जागरूकता की ओर कमी माना जायेगा।

क्या आप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के विषय में इस अधिकार का

उपयोग कर सकते हैं?

हाँ	नहीं	ज्ञात नहीं	कुल योग
13	12	75	100

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचना के अधिकार के उपयोग के विषय में 13 लोगों को पता है कि वे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के विषय में इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। जबकि 12 लोगों ने नहीं तथा 75 लोगों को इस विषय में ज्ञात नहीं है।

क्या सूचना प्राप्त की समय सीमा के निर्धारण का आपको ज्ञान है?

हाँ	नहीं	ज्ञात नहीं	कुल योग
14	86	0	100

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सूचना प्राप्ति की समय सीमा के निर्धारण में किये गये सवाल के उत्तर में 14 लोगों ने हाँ में एवं 86 लोगों ने नहीं में उत्तर दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि बहुत कम लोगों को इस समय सीमा निर्धारण के विषय में ज्ञात है।

क्या आपने इसका उपयोग किया है?

हाँ	नहीं	ज्ञात नहीं	कुल योग
8	92	0	100

तालिका का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि 100 उत्तरदाताओं में से मात्र 08 उत्तरदाताओं ने इस अधिकार का उपयोग किया है जबकि 92 ने नहीं किया है। इसकी वजह जनता में इस अधिकार के प्रति पूर्ण जागरूकता का आभाव माना जा सकता है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक इस अधिकार का उपयोग ही नहीं कर सकेगी। उन्हें अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना ही चाहिए।

क्या आपने इस अधिकार के बारे में लोगों को बताया है?

हाँ	नहीं	ज्ञात नहीं	कुल योग
07	90	03	100

तालिका का अवलोकन करने पर यह तथ्य उभर कर सामने आया कि सूचना के अधिकार के विषय में एक दूसरों को बताने वालों में हाँ की संख्या 07 है। जबकि 90 लोगों ने इस विषय में किसी को नहीं बताया तथा 03 लोगों को ज्ञात ही नहीं है। इस विश्लेषण से ज्ञात होता है कि या तो स्वयं ही किसी को इसके बारे में पता नहीं है जो कि वह दूसरों को बता सके, या वह इस अधिकार को इतना महत्व ही नहीं देते कि उसका प्रचार-प्रसार कर सकें।

क्या भारत में पारदर्शिता व भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह अधिकार आवश्यक है?

हाँ	नहीं	ज्ञात नहीं	कुल योग
44	06	50	100

तालिका को विश्लेषित करने पर पाया गया कि 44 लोग भारत के शासन में पारदर्शिता के लिए इस अधिकार को आवश्यक मानते हैं जबकि 06 लोग नहीं मानते तथा 50 लोगों को ज्ञात ही नहीं है। इसका आशय है कि भारत में लोग स्वच्छ प्रशासन तो चाहते हैं कि प्रशासन में पारदर्शिता का होना आवश्यक है जिससे आम नागरिक को अपना अधिकार मिल सके और वह प्रशासन से भयमुक्त होकर कोई भी सूचना प्राप्त करने का हकदार हो।

क्या आप मानते हैं कि मांगी गई सूचना का निराकरण उचित प्रकार से होता है?

हाँ	नहीं	ज्ञात नहीं	कुल योग
19	30	51	100

तालिका को विश्लेषित करने पर यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि 19 लोगों का मानना है कि मांगी गई सूचना का निराकरण उचित प्रकार से होता है जबकि 30 लोगों ने नहीं कहा तथा 51 लोगों को ज्ञात ही नहीं है।

क्या आपको पता है कि मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होती तो इसकी शिकायत कहाँ करनी चाहिए।

हाँ	नहीं	ज्ञात नहीं	कुल योग
06	24	70	100

तालिका को विश्लेषित करने पर पाया गया कि मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होती तो इसकी शिकायत कहाँ करना चाहिए इस प्रश्न के उत्तर में 06 लोगों ने हाँ में उत्तर दिया जबकि 24 लोगों ने नहीं तथा 70 लोगों को ज्ञात ही नहीं है। यह तथ्य इस अधिकार के प्रति जनता में जागरूकता की कमी को दर्शाते हैं।

क्या इस अधिकार का उपयोग करते समय संकोच होता है?

हाँ	नहीं	ज्ञात नहीं	कुल योग
44	10	46	100

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस अधिकार का उपयोग करते समय संकोच करने वालों की संख्या 44 में है जबकि नहीं करने वालों की संख्या 10 में तथा 46 लोगों को ज्ञात ही नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि संकोचवश या भयवश लोग इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं जिससे वे इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं और लोगों को लगता है कि हम स्वयं ही किसी कठिनाई में न पड़ जायें इसलिए भी इस अधिकार के प्रयोग के प्रति संकोचवश वे कुछ नहीं कर पाते हैं।

शोधार्थी द्वारा उत्तरदाताओं से पूछे गये प्रश्नों के आधार पर यह तथ्य उभर कर सामने आते हैं—

अध्ययन से ज्ञात होता है कि स्कूल शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन, शिक्षक संबंधी जानकारी माँगी जाती है वहीं पंचायत विभाग में आय व्यय और रोजगार गारंटी से जुड़ी जानकारी के लिए अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सूचना माँगने व देने वालों के समक्ष कठिन वैधानिक भाषा का प्रयोग करना विवशता होती है जिसे हर कोई नहीं समझता इसलिए इस कानून के प्रति लोगों में उदासीनता देखी गई है।

सूचना के अधिकार की जानकारी इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी जन-जन तक पूर्ण रूप से पहुँच नहीं पाई है जिसके कारण अधिकांश लोग इसके लाभ से वंचित है इसलिए केन्द्र व राज्य शासन को इस अधिनियम एवं अधिकार से संबंधित प्रचार-प्रसार के माध्यम से जन जागृति लाना चाहिए। जनता में अभी इस अधिकार के प्रति उत्तनी जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए। जनता भ्रष्टाचार से मुक्ति, देश में पारदर्शी प्रशासन तो चाहती है परन्तु इस अधिकार के प्रति जागरूकता का न होना उसके भय एवं ज्ञान का परिचायक है।

भयग्रस्त आवेदनकर्ता को लगता है कि कहीं वह इस अधिकार का प्रयोग करके किसी मुसीबत में न पड़ जाये या उसे इस अधिकार के प्रति ज्ञान ही नहीं है कि वह क्या करे? इसलिए इस अधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है।

ग्रामीण स्तर पर दृश्य, श्रव्य माध्यम एवं क्षेत्रीय कलाओं के माध्यम की कमी है जिससे ग्रामीणजन प्रचार-प्रसार के आभाव में इस अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे हैं।

बहस-बहस में सूचना माँगने वाले को आवश्यकता से अधिक सूचना दे दी जाती है जिसे आवेदक को वास्तविक सूचना खोजना कठिन हो जाता है। फिर वह कभी इस अधिकार का प्रयोग करने से कतराता है यह भी उदासीनता की एक बड़ी वजह है।

कुछ मामलों में सूचना के अधिकार का प्रयोग सरकारी अधिकारियों की आलोचना उपहास और उन्हें नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। इस कानून का प्रयोग व्यवस्था में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत कम लोग अपने अधिकार के प्रति पुलिस या प्रशासन की सहायता लेने के लिए तत्पर हैं या यों कहा जा सकता है कि शायद उन्हें अपने इस अधिकार के प्रति पता ही नहीं है।

सूचना का अधिकार कब लागू हुआ एवं सूचना का अधिकार के आवेदन के विषय में अधिकांश लोगों को ज्ञात ही नहीं है। यह विश्लेषण भी लोगों की इस अधिकार के प्रति

उदासनीता को उजागर करता है। इस प्रकार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जनता की इस अधिकार के प्रति जागरूकता में कमी पाई गई है।

सूचना के अधिकार में आम नागरिक होते हुये सूचना का अधिकार का आवेदन कर सकने के विषय में विश्लेषण दर्शाता है कि आम नागरिक को इस अधिकार के आवेदन की प्रक्रिया पता है यह इस अधिकार के प्रति जागरूकता की ओर बढ़ता हुआ अच्छा कदम माना जायेगा।

सूचना के अधिकार के उपयोग के विषय में अधिकांश लोगों को इस विषय में कुछ ही ज्ञात नहीं है। सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता तो है परंतु इसके सही अर्थ एवं उद्देश्य की लोगों को जानकारी नहीं है कि इसके उपयोग से क्या होगा? आम आदमी के जीवन पर इस अधिकार का किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा।

मांगी गई सूचना के दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकता विषय में अधिकांश को ज्ञात ही नहीं है। यही एक वजह है भ्रष्टाचार की कि अधिकांश लोगों को ज्ञात ही नहीं है कि वे इस अधिकार से मांगी गई सूचना के दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं।

जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक इस अधिकार का उपयोग ही नहीं कर सकेगी। उन्हें अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना ही चाहिए।

लोगों का ऐसा मानना है कि इस अधिकार के उपयोग के समय बहुत कठिनाई आती हैं एवं अपीलें करनी पड़ती हैं कुछ ही लोगों का ही मानना है कि इस अधिकार का उपयोग करते हुये सूचना आसानी से मिल जाती है।

शोध से ज्ञात हुआ कि लोग स्वच्छ प्रशासन तो चाहते हैं कि प्रशासन में पारदर्शिता का होना आवश्यक है जिससे आम नागरिक को अपना अधिकार मिल सके और वह प्रशासन से भयमुक्त होकर कोई भी सूचना प्राप्त करने का हकदार हो। इस अधिकार को यदि सख्ती से लागू किया जाता है तो जनता का सीधा संपर्क प्रशासन से हो सकेगा और वह अपने अधिकार एवं हक के लिए जागरूक हो सकेंगे। देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा अधिकारी, कर्मचारी इसकी सख्ती से विभागों में सही रूप से कार्य करेंगे। इस अधिकार में सूचना प्राप्ति के समय अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं इसलिए कभी-कभी सूचना प्राप्ति में बिलंब हो जाता है। मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होती है के विषय में अधिकांश लोगों को कुछ भी ज्ञात नहीं है यह उनकी उदासीनता एवं इस अधिकार के प्रति जनता में जागरूकता की कमी को दर्शाता है।

संकोचवश या भयवश लोग इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं जिससे वे इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं और लोगों को लगता है कि हम स्वयं ही किसी कठिनाई में न पड़ जायें इसलिए भी इस अधिकार के प्रयोग के प्रति संकोचवश वे कुछ नहीं कर पाते हैं। विभागों द्वारा उचित समय पर सूचनायें आवेदक को नहीं दी जाती हैं जिससे धीरे-धीरे इस अधिकार के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होता जा रहा है एवं इस अधिकार से जुड़े मामलों में जो निर्णय हुए हैं वे सही नहीं हैं। यह जनता की जागरूकता की ओर इशारा करता है। भ्रष्टाचार से त्रस्त आम जनता अब इससे मुक्ति चाहती है। यह अधिकार उनके हाथ लगा वह हथियार है जिससे वह देश में भ्रष्टाचार रूपी दानव का अंत कर सकती है। अतः लोगों को अभी और जागरूक होने की आवश्यकता है।

राजनैतिक विश्लेषण

भारत सरकार ने सूचना के अधिकार की महत्वता एवं प्रभावाशीलता को ध्यान में रखते हुए और आम जन तक सूचना पहुँचाने एवं प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक है कि सूचना की स्वतंत्रता 2002 को अधिक प्रगतिशील भागीदारी वाला और अधिक सार्थक बनाया जाये। इस हेतु विभिन्न स्तरों पर सुझाव मांगे। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद तथा अन्य लोगों द्वारा दिये गये सुझावों के परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को समाप्त कर दिया जाये और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत मान्य सूचना के अधिकार को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से एक प्रभावी संरचना का प्रावधान करने वाले एक नये कानून का निर्माण किया जाये। उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास में एक विधेयक भारत संघ के कार्मिक प्रबंध लोक शिकायत एवं पेशन विभाग द्वारा “सूचना का अधिकार अधिनियम 2005” “भारत संसद में पेश किया गया तथा 11 मई 2005 में लोक सभा तथा 12 मई 2005 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया जिसे दिनांक 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दी गई। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक समझा गया कि शासन एवं प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो एवं इसकी कार्य प्रणाली पारदर्शी हो तथा नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी बन सके। वर्तमान समय में सुशासन पर बल दिया जा रहा है सुशासन की महत्वपूर्ण विशेषता है मुक्त शासन। मुक्त शासन वह है जो कि शासितों से कुछ नहीं छिपा लोगों को स्वयं के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है इस प्रकार मुक्त शासन राज्य तथा नागरिकों के मध्य संबंध को सशक्त करता है।

वर्ष 2017–2018 में “सूचना के अधिकार” को लेकर आयोग के सम्मुख प्रस्तुत परिवादों व अपीलों की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :—

6.1

परिवादों की मासिक प्रगति का विवरण

माह	माह के दौरान दर्ज परिवादों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित परिवादों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष परिवादों की संख्या
अप्रैल 2017	55	36	187
मई 2017	57	23	221
जून 2017	47	27	341
जुलाई 2017	52	5	288
अगस्त 2017	56	41	303
सितम्बर 2017	54	49	308
अक्टूबर 2017	54	43	319
नवम्बर 2017	62	52	329
दिसम्बर 2017	78	51	356
जनवरी 2018	11	32	335
फरवरी 2018	3	85	253
मार्च 2018	154	80	327
कुल	683	524	

6.2

अपीलों की मासिक प्रगति का विवरण

माह	माह के दौरान अपीलों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष अपीलों की संख्या
अप्रैल 2017	516	1006	13080
मई 2017	410	1427	12063
जून 2017	228	1357	10934
जुलाई 2017	367	1170	10131
अगस्त 2017	492	1443	9180
सितम्बर 2017	1	1011	8190
अक्टूबर 2017	484	925	7729
नवम्बर 2017	322	915	7136
दिसम्बर 2017	899	1064	6971
जनवरी 2018	1115	1056	7030
फरवरी 2018	1188	1066	7152
मार्च 2018	1015	1099	7068
कुल	7037	13539	

6.3

सूचना हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण का विवरण वर्ष 2017–18

विभाग	प्राप्त आवेदन	
	स्वीकृत	लम्बित
राजस्व मण्डल, अजमेर	27	5
समेकित बाल विकास विभाग	108	1
विभागीय जांच विभाग	0	0
जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	327	4
आयुर्वेद विभाग	44	1
गृह विभाग	607	101
वित्त विभाग	622	9
पर्यावरण विभाग	0	0
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	107	0
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	12	0
जयपुर विकास प्राधिकरण	709	56
ग्रामीण विकास विभाग	0	0
राज0 राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल	1	0
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	0	0
राज0 राज्य मानवाधिकार आयोग	9	2
राज0 शिक्षा कर्मी बोर्ड	4	0
राजस्थान निर्वाचन आयोग	0	0
आयोजना विभाग	0	0
एच.सी.एम. रीपा	2	0

विधि एंव विधिक कार्य विभाग	11	0
उर्जा विभाग	861	226
उद्योग विभाग	74	39
जल संसाधन विभाग	118	0
तकनीकी शिक्षा विभाग	77	0
राजभवन, जयपुर	3	0
सामान्य प्रशासन विभाग	37	0
राजस्थान लोक सेवा आयोग	98	77
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	2	0
सहकारिता विभाग	233	0
राजस्थान आवासन मण्डल	58	66
कृषि विभाग	93	15
सार्वजनिक निमाण विभाग	344	7
आपदा प्रबन्धन एंव सहायता विभाग	2	0
नगर निगम, जयपुर	160	521
श्रम एवं नियोजन विभाग	45	14
पर्यटन विभाग	3	0
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	70	13
राजस्थान राज्य सूचना आयोग	30	0
उच्च शिक्षा विभाग	312	0
देवस्थान विभाग	88	0
वन विभाग	241	13
निर्वाचन विभाग	47	34

राजस्थान राज्य महिला आयोग	0	0
जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	1	0
कार्मिक विभाग	184	0
चिकित्सा शिक्षा विभाग	150	29
संस्कृत शिक्षा विभाग	23	1
परिवहन विभाग	604	0
कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	28	1
सम्पदा विभाग	3	0
पशुपालन विभाग	38	1
सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	4	0
उद्यान निदेशालय	0	0
आवासीय आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	0	0
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	221	30
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय	86	0
कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग	0	0
युवा मामले एवं खेल विभाग	3	3
लोकायुक्त सचिवालय	7	0
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1087	3
शिक्षा विभाग	1378	277
प्रशासनिक सुधार विभाग	24	0
सैनिक कल्याण विभाग	02	0
जन अभियोग निराकरण विभाग	7	0
उपनिवेशन विभाग	69	0

आयुक्तालय महिला अधिकारिता	09	0
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल	56	0
स्वायत्त शासन विभाग	884	339
योग	10454	1888

उपरोक्त सारणियों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि स्वायत्त विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग, अभियांत्रिकी विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग ऐसे विभाग हैं जिनमें सूचना के अधिकार के अंतर्गत अधिक संख्या में अपीले प्रस्तुत की गई हैं। अधिकांश विभागों में लंबित मामलों की संख्या शून्य है तथा लंबित मामलों की संख्या लगभग दस प्रतिशत ही है। इससे स्पष्ट है कि प्रशासनिक स्तर पर सूचना का अधिकार पूर्ण प्रक्रिया से संचालित हो रहा है।

एक दशक की विकास यात्रा में इसने कई सकारात्मक परिणाम दिए हैं। लगभग दो मिलियन आर.टी.आई. आवेदन प्रतिवर्ष स्वीकार किए जाते हैं। इन आवेदनों एवं अन्य सम्बन्धित तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर आर.टी.आई. के निम्नांकित सकारात्मक प्रभाव चिह्नित किए जा सकते हैं—

सरकार की व्यवस्थित कार्य पद्धति का विकास— लोक प्रशासन द्वारा किए जाने वाले कार्यों का व्यवस्थित रिकार्ड रखना प्रशासनिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग रहा है किन्तु प्रशासन की औपनिवेशिक संस्कृति एवं गोपनीयता के कानून की आड़ में दस्तावेजों का समुचित रखरखाव न करना प्रशासकों की आदत का विषय बन गया था। विभिन्न विभागों से फाइल्स का गायब हो जाना इसकी तसदीक करता है। किन्तु अब आर.टी.आई. कानून के लागू होने से कार्यों का व्यवस्थित रिकार्ड रखना और उसे समय—समय पर वेबसाइट या प्रिन्ट के माध्यम से प्रकाशित करवाना किसी भी लोक उपक्रम के मुख्य सूचना अधिकारी के लिए अनिवार्य बन गया है। विभिन्न विभागों ने इसे स्वीकारते हुए अधिनियम के प्रावधान..... का अनुपालन करना प्रारम्भ कर दिया है।¹

➤ कार्यों में पारदर्शिता एवं खुली प्रजातांत्रिक संस्कृति का विकास:- सूचना का अधिकार अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए निर्मित "प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम"— 1923 के प्रावधानों की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। इस गोपनीयता कानून ने एक ऐसी प्रशासनिक संस्कृति को जन्म दिया जिसमें प्रशासन द्वारा आमजन के कल्याण

हेतु किए जाने वाले कार्यों की जानकारी आम जन द्वारा माँगे जाने पर भी नहीं दी जाती थी, जिससे नागरिकों एवं प्रशासन के मध्य परसार संदेह, अविश्वास व भ्रष्टाचारी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला व प्रशासन से आम व्यक्ति दूर होता चला गया। लोकतंत्र के क्षेत्र में एक भिन्न प्रकार के कुलीनतंत्र का विकास होता गया व लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत धराशायी होते गये। अब सूचना कानून के लागू होने से स्थिति में परिवर्तन आया है। बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें नागरिकों को सामान्यतः कोई जानकारी नहीं दी गई किन्तु सूचना आवेदन देने पर त्वरित कार्यवाही हुई व आवेदक के साथ अन्य व्यक्ति भी सूचना के प्रकाशन से लाभान्वित हुए। जैसे प्दकपंद प्लेजपजनजम वर्ड डंडंहमउमदजए बंगलौर में 2007 में प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी हेतु वैष्णवी कस्तूरी नामक छात्रा ने सूचना आवेदन दिया जिसके प्रत्युत्तर में बताया गया कि उसका प्रवेश, प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंकों के बावजूद नहीं हो सका क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया में 102 के अंकों का अधिभार ज्यादा था। निसंदेह इस अधिनियम ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में खुलापन लाकर सहभागी प्रजातंत्र के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। वैकटेशनाइक ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया है कि त्ज के कारण सरकार व लोगों के बीच संवाद लाइन खुली है, जो प्रतातंत्र के लिए सकारात्मक परिणाम लाएगी।²

- प्रशासन में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास— इस्पाती ढाँचे के रूप में विख्यात भारतीय प्रशासनिक सेवाएँ प्रारंभ से ही लोक—सेवकों की शक्ति संपन्नता के लिए जानी जाती रही हैं, किन्तु इस शक्ति से संबद्ध अहंभाव ने लोकसेवा को नौकरशाही तंत्र में परिणत कर दिया कार्यों के प्रति जवाबदेही लोक—सेवा से विलुप्त हो गई थी, किन्तु आर.टी.आई. के कारण लोक—सेवकों में उत्तरदायित्व की भावना तो आयी ही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत निजी उद्यमों में भी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास हुआ है। इस अधिनियम के कारण व्यापक परिवर्तन हुआ है। नौकरशाहों, राजनीति एवं सरकारी कार्मिकों के मन में भय का संचार हुआ है। यह भय निश्चित रूप से उनमें और उत्तरदायित्व की भावना का विकास करेगी। अधिनियम में निहित अच्छाइयों के कारण ही आर.टी.आई. 2005 को Access Info Europe and Centre for Lane and Democracy द्वारा करायें गए एक अध्ययन में विश्व में दूसरा स्थान प्रदान किया गया।³

- भ्रष्टाचार एवं गरीबी—बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर नियंत्रण—आर.टी.आई. के कारण तेजी से पैर फैलाती भ्रष्टाचार की संस्कृति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। आदर्श सोसाइटी घोटाला (2005) आर.टी.आई. के कारण ही प्रकाश में आया जिसमें राजनीतिज्ञों एवं सेना के अधिकारियों की सॉथ—गॉथ से युद्ध विधवाओं के लिए निर्मित फ्लैट्स का आवण्टन उक्त अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों के संबंधियों के मध्य किया गया।⁴ असम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घोटाले का पर्दाफाश “कृषक मुक्ति संग्राम समिति” के आर.टी.आई. आवेदन पर 2007 में किया गया।⁵ पंजाब में एक स्थानीय रेडक्रास सोसाइटी के कार्यालय में नौकरशाही द्वारा कारगिल युद्ध एवं प्राकृतिक आपदाओं के समय राहतकार्य के लिए अवमुक्त कोष का प्रयोग कार व ए.सी. खरीदने एवं होटल का बिल चुकान में किया जा रहा था जिसका खुलासा एक N.G.O. के आवेदन पर 2008 में हुआ।⁶ यहीं नहीं, आर.टी.आई. से बेरोजगारी, गरीबी, बढ़ती जनसंख्या जैसी समस्याओं पर भी काबू पाया जा सकता है क्योंकि ये सभी कहीं न कहीं कुशासन से सम्बन्धित हैं। सुशासन की स्थापना करना।
- मनवाधिकारों का संरक्षण— संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1946 में सूचना के अधिकार को मानवाधिकार का दर्जा दिया था एवं यह घोषित किया था कि नागरिकों को अपनी सरकार से यह जानने का अधिकार है कि वह उनके लिए क्या, कितना और कैसे कार्य कर रही है। आर.टी.आई. आवेदनों से ज्ञात होता है कि व्यक्ति न केवल व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति चेतनाशील बन रहे हैं, बल्कि संविधान एवं कानून द्वारा प्रदत्त सामुदायिक अधिकारों की रक्षा के प्रति भी आग्रहशील बन रहे हैं।⁷ जैसे— सच्चर कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक केन्द्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 2009 में “नई रोशनी” नामक कल्याणकारी योजना लागू की, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाना था।⁸ 23 करोड़ रुपये की लागत पर 40,000 महिलाओं को सरकारी कार्यों के विषय में ज्ञान व तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षित कर उन्हें अंतःक्रिया करने योग्य बनाना था, किन्तु जून 2013 तक इस योजना पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया। एक आर.टी.आई. आवेदन से सरकार इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सक्रिय हुई एवं अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए।⁹
- सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार :— आर.टी.आई. अधिनियम में प्रत्येक सरकारी उपक्रम के लिए वेबसाइट पर सूचनाओं का प्रकाशन अनिवार्य किए जाने के कारण भारत में

सूचना प्रौद्योगिकी का अत्यधिक विस्तार हुआ है। सरकारी कार्यालयों के साथ आम नागरिकों में भी इण्टरनेट व मोबाइल का प्रयोग बढ़ा है। नागरिक यह अनुभव करने लगे हैं कि सरकारी विभागों से संवाद का कम्प्यूटर व मोबाइल से अच्छा विकल्प दूसरा नहीं है। बिहार जैसा पिछड़ा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ मोबाइल काल्स पर आर.टी.आई. आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में यह एक सकारात्मक तथ्य है।¹⁰

चुनौतियाँ : आर.टी.आई. अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़ी सफलता की अनेक कहानियाँ सुनाई देती हैं, किन्तु भारत जैसे विकासशील देश में अधिनियम की आत्मा के अनुसार अब भी इसका पूर्ण क्रियान्वयन अपेक्षित है। इसके समुचित क्रियान्वयन के समुख निम्नांकित चुनौतियाँ परिलक्षित होती हैं—

- भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों में आर.टी.आई. एक्ट के भिन्न प्रावधान— भारतीय संसद द्वारा आर.टी.आई. कानून पारित करने से पूर्व ही संघ की विभिन्न इकाइयों की सरकारों द्वारा आर.टी.आई. कानून पारित किया गया है। कुछ ने बाद में भी नए सिरे से कानून बनाए। तमिलनाडु उनमें अग्रणी है। किन्तु समस्या यह है कि राज्य सरकारों के प्रावधान भिन्न-भिन्न हैं जिससे सूचना हेतु आवेदन करने वाले आवेदक भ्रम की स्थिति में रहते हैं। जैसे—उड़ी सा के कानून के अनुसार सूचना चाहने वाले को अपना परिचय—पत्र देना अनिवार्य है। PRIYA द्वारा 2008 में कराये गये एक सर्वेक्षण में पाया गया कि दिल्ली एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरटीआई आवेदन हेतु रु. 500 का शुल्क निर्धारित किया है, जबकि अधिकांश राज्यों में यह 10 रुपये है। कनार्टक सरकार के नियमानुसार सूचना आवेदन एक विषय एवं 150 शब्दों तक सीमित होनी चाहिए। आर.टी.आई कानूनों में इन भिन्नताओं के कारण इसका समुचित क्रियान्वयन बाधित हो रहा है।¹¹
- क्षमता निर्माण सम्बन्धी प्रयासों में गंभीरता का अभाव— आर.टी.आई. कानून के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा यह है कि इसके लिए आवश्यक संरचनाएं उपलब्ध कराने, कार्मिकों की व्यवस्था करने एवं उन्हें वांछित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है। राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान के सुशासन केन्द्र के सचिव डॉ. ए.के. ओझा का मत है कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जहाँ जनसूचना अधिकारी कमजोर एवं शक्तिहीन सिद्ध हुए हैं। उनकी भूमिका प्रभावी बनाने के लिए उन्हें अत्यधिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए। जनसूचना अधिकारियों की क्षमता संतोषजनक

नहीं है, इसलिए जब भी कोई सूचना आवेदन आता है तो वे अनेकानेक प्रश्न करते हैं और आवेदक को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। आर.टी.आई. अधिनियम में सजा का प्रावधान होने के कारण जन सूचना अधिकारी अन्य महत्वपूर्वण कार्यों को छोड़कर सूचना आवेदनों का निस्तारण करने में संलग्न रहते हैं। जिससे अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होते हैं। कार्यों के रिकार्ड कम्प्यूटर के माध्यम से रखने में विभिन्न विभाग अभी बहुत पीछे हैं। वस्तुतः डिजिटलाइजेशन एक लम्बी प्रक्रिया है जो समय श्रम एवं धनसाध्य है। इसके लिए सरकार को बजट में पृथक प्रावधान करना होगा। यही नहीं, आवेदकों को सही दिशा में मदद करने की भी आवश्यकता है ताकि वे इस अधिकार का सही उपयोग कर सकें।¹²

- जन शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव— असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उ.प्र. में कराये गए आर.टी.आई. सम्बन्धी सर्वेक्षणों परिणामों से ज्ञात होता है कि भारत में वंचित वर्गों जैसे— महिलाओं, ग्रामीणों, पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जातियों, जनजातियों में आर.टी.आई. के प्रति जागरूकता अत्यंत न्यून है। 20 प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले 12 प्रतिशत महिलाएँ इस कानून के प्रति सचेत हैं। 27 प्रतिशत सामान्य वर्ग की तुलना में केवल 14 प्रतिशत पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति जागरूक हैं। महाराष्ट्र में 33 प्रतिशत व आंध्र प्रदेश में 5 प्रतिशत ग्रामीण ही सचेत हैं। जन—संचार माध्यमों एवं गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को इस दिशा में अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है।¹³
- स्वार्थी तत्वों का हावी होना— आर.टी.आई. के मार्ग में एक बड़ी चुनौती यह है कि कई स्वार्थी तत्व स्वार्थवश या वैर निकालने के लिए बेमतलब प्रश्न पूछते हैं, निजी प्रश्न पूछकर निजता के कानून का उल्लंघन करते हैं कार्मिकों का कीमती समय बर्बाद करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार 75 प्रतिशत आर.टी.आई. व्यक्तिगत प्रश्नों से सम्बन्धित होती है। जैसे भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर मुम्बई में एक आवेदन के माध्यम से पूछा गया था कि घोड़ों के साथ होने वाली ज्यादती देखें और बतायें कि ऐसा क्यों होता है, इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के निमित्त सी.बी.एस.ई. बनाम आदित्य बंधोपाध्याय विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोक अधिकारियों को अनुपलब्ध सूचना को एकत्रित करने या किसी विषय पर सलाह मत या विचार देने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ—साथ बेमतलब प्रश्न पूछने वालों के लिए

नाममात्र की ही लेकिन दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही कितने वर्षों पुरानी सूचना दी जा सकती है, इसकी भी समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए।¹⁴

- लेक अधिकारियों का आर.टी.आई. के प्रति गंभीर रुख न होना— आर.टी.आई. एकट का समुचित क्रियान्वयन इसलिए भी नहीं हो सका है, क्योंकि लोक-प्राधिकरण इसके प्रति गंभीर नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, ओ.एन.जी.सी., पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, कोल इण्डिया एवं सुप्रीम कोर्ट उन संगठनों में हैं जो अनिवार्य आर.टी.आई. विवरण देने में विफल रहे हैं। यही नहीं, केन्द्र सरकार के 33 प्रतिशत लोक प्राधिकरण भी ऐसा अब तक नहीं कर सके हैं, जबकि सूचना अधिनियम के भाग 25(2) के अनुसार विवरण देना अनिवार्य है। कृष्णा त्यागी ने पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया के अध्ययन में पाया कि जन सूचना अधिकारी अर्थदण्ड की चिन्ता नहीं करते, वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सहायक आयुक्त श्री अनिल असवाल का विचार है लिपिक वर्ग त्वरित कार्यवाही में बाधक बनता है एवं अनुचित दिशा-निर्देश देता है। सरकारी विभाग आर.टी.आई. पंजिका का रखरखाव नहीं करते, यह गंभीरता के अभाव का सूचक है।¹⁵
- सेवा प्रदाताओं की औपनिवेशिक मानसिकता— स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी भारतीय लोकतंत्र की विडम्बना यह है कि जिन सेवा प्रदाताओं पर जन-सेवा का गुरुतर दायित्व है, वे स्वयं को उस औपनिवेशिक गुलामी के भाव से मुक्त नहीं कर सके हैं। जिसके तहत सरकारी अधिकारी आम भारतीयों को जाहिल, गँवार व झूटा मानते हुए अपनी कानूनी सत्ता का दम्भ भरते हैं। पादर्शिता, जवाबदेही, कर्तव्यनिष्ठा जैसे शब्दों के अर्थ सही मायनों में अब तक उनके शब्दकोश में उचित स्थान ग्रहण नहीं कर सके हैं। यह कारण है कि वे आर.टी.आई. एकट के प्रावधानों को स्वयं पर समझते हैं एवं सच्चे हृदय से उनका अनुपालन करने से बचते हैं। इससे न केवल कार्य का प्रबंधन प्रभावित होता है, बल्कि सामान्य नागरिक को दी जाने वाली सेवाएँ भी बाधित होती हैं।¹⁶
- **गरीबी**— भारत में केन्द्र सरकार के “गरीबी हटाओं कार्यक्रमों” के बजट में 15 गुना वृद्धि हुई है। इस तथ्य के बावजूद गरीब व्यक्ति अब भी हाशिए पर हैं। 8.36 मिलियन व्यक्ति अब भी 20 रुपये प्रतिदिन से कम पर गुजारा करते हैं।¹⁷ आर.टी.आई. एकट में इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए निःशुल्क आवेदन का प्रावधान किया गया है, किन्तु गरीब चूँकि

ज्यादातर निरक्षर हैं इसलिए उन्हें आर.टी.आई. ऐकट के प्रावधानों के विषय में पता ही नहीं चल पाता और वे कुशासन के दृष्टिरिणाम भुगतते रहते हैं।

- जन—सूचना अधिकारियों के समुचित प्रशिक्षण का अभाव— औपनिवेशक मानसिकता से ग्रस्त जन—सूचना अधिकारियों के समुचित प्रशिक्षण की अब तक कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई है। पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से जन—सूचना अधिकारियों को न केवल आर.टी.आईप्रावधानों के समुचित क्रियान्वयन एवं आवेदकों की सहायता करने सम्बन्धी प्रबंध तकनीकों की जानकारी दी जानी चाहिए। बल्कि उन्हें अधिनियम की मूलभावना से भी परिचित कराया जाना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यों के व्यवस्थित रिकार्ड रखकर एवं उन्हें समय—समय पर प्रकाशित कर आर.टी.आई. को वांछित क्रियान्वयन स्तर को प्राप्त किया जा सकता है।¹⁸



ਸਾਂਦਰਭ ਸੂਚੀ

1. ਇਨ ਇਣਿਡਿਆ, ਸਟੇਟ ਲੇਵੇਲ ਸੇਮਿਨਾਰ ਆਰਗਨਾਇਜ਼ਡ ਬਾਈ ਕਟ੍ਸ ਏਣਡ ਕੱਮਨਵੇਲਥ ਹਫ਼਼ਤੇ ਰਾਇਟਸ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵਸ, ਜਧਪੁਰ, 2009
2. ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਚੈਲੇਨਜ਼ ਸੋ ਫਾਰ ਏਣਡ ਦ ਚੇਨਜ਼ੇਜ ਨੀਡੇਡ, ਦ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਟਾਇਸ਼ਸ, ਫਰਵਰੀ 3, 2013, ਪ੃. 19
3. ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਚੈਲੇਨਜ਼ ਸੋ ਫਾਰ ਏਣਡ ਦ ਚੇਨਜ਼ੇਜ ਨੀਡੇਡ, ਦ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਟਾਇਸ਼ਸ, ਫਰਵਰੀ 3, 2013, ਪ੃. 20
4. ਵਿਭੂਤਿ ਅਗਰਵਾਲ, ਦ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ, 14 ਅਕਟੂਬਰ, 2011, ਪ੃. 41
5. ਕੋਆਰਡਿਨੇਟਰ, ਏਕਸੇਸ ਟ੍ਰੂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਿੱਜ ਦਿਲ੍ਲੀ।
6. ਆਦਿਤਿਆ ਮਿਸ਼੍ਰਾ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ., ਏਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅੱਤੇ ਏਵ੍ਯੂਜ, 2013, ਪ੃. 57
7. ਵੀ. ਨਾਰਾਯਣ ਸ਼ਵਾਮੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਑ਫ ਸਟੇਟ, ਪੀ.ਏਮ.ਓ, ਢਾਰਾ ਏਕ ਅਧਿਯਾਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਕਕਥਨ ਮੌਤ ਉਧੂਤ, ਡਲਲ੍ਹੂ ਡਲਲ੍ਹੂ ਡਲਲ੍ਹੂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ., ਗਵ.ਇਨ।
8. ਵਿਭੂਤਿ ਅਗਰਵਾਲ, ਦ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ, 14 ਅਕਟੂਬਰ, 2011, ਪ੃. 45
9. ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਿਟਮੁਲੇਟਸ ਐਕਸ਼ਨ ਫੌਰ ਵੀਮੇਨ ਏਮਪਾਵਰਮੈਣਟ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟ ਫੋਰ ਈਧਰ ਆਫਟਰ ਇਟਸ ਲਾਨਚ, 22 ਜੁਲਾਈ, 2013
10. ਦ ਕੇਸ ਸਟਡੀ ਅੱਨ ਪੱਲਿਸੀ ਚੇਨਜ਼ੇਸ ਅਣਡਰ ਦ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਇਨ ਇਣਿਡਿਆ ਕਨਡਕਟੇਡ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਏ. ਪਾਰਿਲਿਆਮੇਨਟੀ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਏਸ਼ਿਆ)
11. ਦ ਕੇਸ ਸਟਡੀ ਅੱਨ ਪੱਲਿਸੀ ਚੇਨਜ਼ੇਸ ਅਣਡਰ ਦ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਇਨ ਇਣਿਡਿਆ ਕਨਡਕਟੇਡ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਏ. ਪਾਰਿਲਿਆਮੇਨਟੀ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਏਸ਼ਿਆ)
12. ਫੋਰ ਈਧਰਸ ਑ਫ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਇਨ ਇਣਿਡਿਆ, ਸਟੇਟ ਲੇਵੇਲ ਸੇਮਿਨਾਰ ਆਰਗਨਾਇਜ਼ਡ ਬਾਅਦ ਕਨੱਧੂਮਰ ਯੂਨਿਟੀ ਏਣਟ ਟ੍ਰਾਸਟ ਸੋਸਾਯਟੀ ਇਨ ਕੋਲਾਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕੱਮਨਵੇਲਥ ਹਫ਼਼ਤੇ ਰਾਇਟਸ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵਸ, ਜਧਪੁਰ, 23 ਅਕਟੂਬਰ 2009
13. ਇਸ਼੍ਵਰ ਏਣਡ ਕਸਟ੍ਰੋਂਟਸ ਇਨ ਇਸ਼ਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਦ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਏਕਟ, ਪ੃. 223
14. ਸ਼ਾਨਤਨੁ ਨਨਦਨ ਸ਼ਾਰ्मਾ, ਚੈਲੇਨਜ਼ ਸੀ ਫਾਰ ਏਣਡ ਦ ਚੇਨਜ਼ੇਜ ਨੀਡਤ, 3 ਫਰਵਰੀ, 2013, ਪ੃. 145
15. ਸ਼ਾਨਤਨੁ ਨਨਦਨ ਸ਼ਾਰ्मਾ, ਚੈਲੇਨਜ਼ ਸੀ ਫਾਰ ਏਣਡ ਦ ਚੇਨਜ਼ੇਜ ਨੀਡਤ, 3 ਫਰਵਰੀ, 2013, ਪ੃. 146

16. स्टेट लेवल सेमिनार आर्गनाइज्ड बाय कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी विद कॉमनवेल्थ हयूमन राइट्स इनिशिएटिव्स, जयपुर, अक्टूबर 23, 2009, पृ. 61
17. स्टेट लेवल सेमिनार आर्गनाइज्ड बाय कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी विद कॉमनवेल्थ हयूमन राइट्स इनिशिएटिव्स, जयपुर, अक्टूबर 23, 2009, पृ. 62
18. स्टेट लेवल सेमिनार आर्गनाइज्ड बाय कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी विद कॉमनवेल्थ हयूमन राइट्स इनिशिएटिव्स, जयपुर, अक्टूबर 23, 2009, पृ. 63

सप्तम अध्याय

निष्कर्ष एवं आत्मकथन

सप्तम अध्याय

निष्कर्ष एवं आत्मकथन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारों (जम्मू कश्मीर को छोड़कर), राजनीय शहरी निकायों, पंचायती-राज संस्थाओं तथा उन सभी निकायों पर, जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित अथवा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन है, लागू हो गया है। कतिपय न्यूनतम अपवादों के साथ सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जिन सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने से जनहित को नुकसान पहुँच सकता है उन सूचनाओं को देने से मुक्त रखा गया है। सूचना का अधिकार एक मूलभूत व संवैधानिक अधिकार बन गया है जिसे इस अधिनियम ने विधिक रूप से प्रभावी बनाया है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने भारत सरकार में नागरिक चार्टर के समन्वय, प्रारूपण और लागू कराने का कार्य आरंभ किया। चार्टर तैयार करने संबंधी दिशानिर्देश और 'क्या करे और क्या नहीं करे' की सूची विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों को सूचित की गई ताकि वे केंद्रित और प्रभावी चार्टर तैयार करने में सक्षम हो सके। चार्टर तैयार करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारी एजेंसियों को प्रयोक्ता के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ प्रबंधन और अग्रणी स्टाफ के साथ एक कार्यबल गठित करने की सलाह दी गई।

चार्टरों में निम्नलिखित अवयव समाहित करने की प्रत्याशा की जाती है—

1. विजन व मिशन वक्तव्य;
2. संगठन द्वारा किए गए कारोबार के ब्यौरे;
3. ग्राहकों के ब्यौरे;
4. प्रत्येक ग्राहक समूह को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के ब्यौरे;
5. शिकायत निवारण तंत्र तथा उस तक पहुंचने के ब्यौरे;
6. ग्राहकों से प्रत्याशाएं।

नागरिक चार्टर के अनुकरणीय कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों का विशेष उल्लेख किया गया था।

1. नागरिक चार्टर के निर्माण में हितधारक संबद्धता;
2. बैंकों में स्टाफ के पूरे जुड़ाव, विशेष रूप से जनता से सीधे संपर्क में रहने वाले स्टाफ से नागरिक चार्टरों का प्रदर्शन;
3. बैंकों के ग्राहकों के बीच चार्टर के प्रति जागरूकता उत्पन्न; और
4. नागरिक चार्टर की अवधारणा व कार्यान्वयन के विषय में सभी स्तरों पर कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण।

नागरिक अधिकार पत्र के मूल्यांकन के मापदंड

1. दृष्टिकोण वक्तव्य
2. अभियान लक्ष्य वक्तव्य
3. सेवाओं की पहचान
4. स्तर की पहचान
5. ग्राहक समूह/शेयरधारकों/उपयोगकर्ताओं की पहचान
6. प्रत्येक सेवा के लिए समय—सीमा का विशिष्टता
7. प्रत्येक स्तर पर समय—सीमा का विशिष्टता
8. सेवा गुणवत्ता मानकों का विशिष्टता
9. सेवा वितरण मानकों का विशिष्टता
10. सेवा लाभों तक पहुंचने के लिए प्रक्रियाओं/स्तरों के बारे में स्पष्ट जानकारी
11. सेवा लाभ प्राप्त करने के लिए संपर्क बिंदुओं के बारे में स्पष्ट जानकारी
12. सूचना सुविधा काउंटरों के बारे में स्पष्ट जानकारी
13. सूचना सुविधा काउंटर के कार्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी
14. लोक शिकायत निवारण प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना
15. लोक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी प्रदान करना
16. लोक शिकायत निवारण के लिए समय—सीमा के बारे में जानकारी
17. पावती के लिए समय सीमा के बारे में जानकारी

18. प्रतिक्रिया के लिए समय—सीमा के बारे में जानकारी
19. सभी सार्वजनिक शिकायतों की व्यवस्थित समीक्षा के बारे में जानकारी
20. शिकायतों की समीक्षा के परिणाम के बारे में जानकारी
21. सुझाव/इनपुट आमंत्रित करने के लिए प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी
22. सुझावों की समीक्षा के लिए समय—सीमा के बारे में जानकारी
23. सुझावों की प्रसंस्करण के लिए तंत्र के बारे में जानकारी
24. सभी सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा के बारे में जानकारी
25. सुझावों की समीक्षा के परिणाम के बारे में जानकारी
26. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र के बारे में जानकारी की प्रतिबद्धताएँ
27. वेब साइट, ऑनलाइन चार्टर और प्रासंगिक सूचना के बारे में जानकारी
28. सूचना और सूचना पुस्तिका के अधिकार के बारे में जानकारी

निष्कर्ष

नागरिक अधिकार पत्रों का दृष्टिकोण के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में दृष्टिकोण का अभाव है। 68 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का अभियान और लक्ष्य के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 41 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में विभागीय अभियान अथवा लक्ष्य को सम्मिलित किया गया है और 27 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में अभियान और लक्ष्य की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में अभियान और लक्ष्य सम्मिलित किया गया है।

नागरिक अधिकार पत्रों का सेवाओं की पहचान के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 64 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सेवाओं की पहचान को सम्मिलित किया गया है और 04 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सेवाओं की पहचान की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। नागरिक अधिकार पत्रों का स्तर की पहचान के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 46 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में स्तर की पहचान को सम्मिलित किया गया है और 22 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में स्तर की पहचान की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। नागरिक अधिकार पत्रों का ग्राहक समूह

की पहचान के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 47 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में ग्राहक समूह की पहचान को सम्मिलित किया गया है और 21 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में ग्राहक समूह की पहचान की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है।

नागरिक अधिकार पत्रों का प्रत्येक सेवा के लिए समय—सीमा की विशिष्टिता के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 30 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में प्रत्येक सेवा के लिए समय—सीमा की विशिष्टिता को सम्मिलित किया गया है और 38 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में प्रत्येक सेवा के लिए समय—सीमा की विशिष्टिता की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में समय—सीमा की विशिष्टिता को सम्मिलित नहीं किया गया है। सेवा के लिए समय सीमा की जानकारी नागरिक अधिकार पत्र के लिए अतिआवश्यक है और इसका नागरिक अधिकार पत्र में अभाव सूचना के अधिकार और नागरिक को सेवा प्रदान करने की गारंटी के प्रति प्रतिबद्धता की शिथिलता का सूचक है।

राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में प्रत्येक स्तर पर समय—सीमा की विशिष्टिता को सम्मिलित नहीं किया गया है। सेवा के लिए प्रत्येक स्तर पर समय सीमा की जानकारी नागरिक अधिकार पत्र के लिए अतिआवश्यक है और इसका नागरिक अधिकार पत्र में अभाव सूचना के अधिकार और नागरिक को सेवा प्रदान करने की गारंटी के प्रति प्रतिबद्धता की शिथिलता का सूचक है। नागरिक अधिकार पत्रों का सेवा गुणवत्ता मानकों की विशिष्टिता के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 41 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा गुणवत्ता मानकों की विशिष्टिता को सम्मिलित किया गया है और 27 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा गुणवत्ता मानकों की विशिष्टिता की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। नागरिक अधिकार पत्रों का सेवा वितरण मानकों की विशिष्टिता के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 38 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा वितरण मानकों की विशिष्टिता को सम्मिलित किया गया है और 30 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा वितरण मानकों की विशिष्टिता की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है।

राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा लाभ प्राप्ति की प्रक्रियाओं/स्तरों की स्पष्ट जानकारी को सम्मिलित किया गया है। अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सेवा लाभ प्राप्ति के संपर्क बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी को सम्मिलित किया

राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा की जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है। नागरिक अधिकार पत्रों का सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा के परिणाम की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 03 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा के परिणाम की जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 65 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में सुझावों की व्यवस्थित समीक्षा के परिणाम की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में निगरानी तंत्र की जानकारी को सम्मिलित किया गया है। नागरिक अधिकार पत्रों का ऑनलाइन चार्टर की जानकारी के आधार पर तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 16 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में ऑनलाइन चार्टर की जानकारी को सम्मिलित किया गया है और 52 विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों में ऑनलाइन चार्टर की जानकारी सम्मिलित नहीं की गई है। राजस्थान के अधिकांश नागरिक अधिकार पत्रों में सूचना पुस्तिका के अधिकार की जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सूचना के अधिकार का पूर्ण उपयोग व संचालन नहीं हो पा रहा है। विभागों को अपने नागरिक अधिकार पत्रों के मापदण्डों को पूर्ण करने में प्रयास करना चाहिए तभी सूचना के अधिकार की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी।

शोधार्थी द्वारा उत्तरदाताओं से पूछे गये प्रश्नों के आधार पर यह तथ्य उभर कर सामने आते हैं—

अध्ययन से ज्ञात होता है कि स्कूल शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन, शिक्षक संबंधी जानकारी माँगी जाती है वहीं पंचायत विभाग में आय व्यय और रोजगार गारंटी से जुड़ी जानकारी के लिए अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सूचना माँगने व देने वालों के समक्ष कठिन वैधानिक भाषा का प्रयोग करना विवशता होती है जिसे हर कोई नहीं समझता इसलिए इस कानून के प्रति लोगों में उदासीनता देखी गई है।

सूचना के अधिकार की जानकारी इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी जन-जन तक पूर्ण रूप से पहुँच नहीं पाई है जिसके कारण अधिकांश लोग इसके लाभ से वंचित हैं इसलिए केन्द्र व राज्य शासन को इस अधिनियम एवं अधिकार से संबंधित प्रचार-प्रसार के माध्यम से जन जागृति लाना चाहिए।

जनता में अभी इस अधिकार के प्रति उतनी जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए। जनता भ्रष्टाचार से मुक्ति, देश में पारदर्शी प्रशासन तो चाहती है परन्तु इस अधिकार के प्रति जागरूकता का न होना उसके भय एवं ज्ञान का परिचायक है।

भयग्रस्त आवेदनकर्ता को लगता है कि कहीं वह इस अधिकार का प्रयोग करके किसी मुसीबत में न पड़ जाये या उसे इस अधिकार के प्रति ज्ञान ही नहीं है कि वह क्या करे? इसलिए इस अधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है।

ग्रामीण स्तर पर दृश्य, श्रव्य माध्यम एवं क्षेत्रीय कलाओं के माध्यम की कमी है जिससे ग्रामीणजन प्रचार-प्रसार के आभाव में इस अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे हैं।

बहस—बहस में सूचना माँगने वाले को आवश्यकता से अधिक सूचना दे दी जाती है जिसे आवेदक को वास्तविक सूचना खोजना कठिन हो जाता है। फिर वह कभी इस अधिकार का प्रयोग करने से कतराता है यह भी उदासीनता की एक बड़ी वजह है।

कुछ मामलों में सूचना के अधिकार का प्रयोग सरकारी अधिकारियों की आलोचना उपहास और उन्हें नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। इस कानून का प्रयोग व्यवस्था में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत कम लोग अपने अधिकार के प्रति पुलिस या प्रशासन की सहायता लेने के लिए तत्पर हैं या यों कहा जा सकता है कि शायद उन्हें अपने इस अधिकार के प्रति पता ही नहीं है।

सूचना का अधिकार कब लागू हुआ एवं सूचना का अधिकार के आवेदन के विषय में अधिकांश लोगों को ज्ञात ही नहीं है। यह विश्लेषण भी लोगों की इस अधिकार के प्रति उदासनीता को उजागर करता है। इस प्रकार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जनता की इस अधिकार के प्रति जागरूकता में कमी पाई गई है।

सूचना के अधिकार में आम नागरिक होते हुये सूचना का अधिकार का आवेदन कर सकने के विषय में विश्लेषण दर्शाता है कि आम नागरिक को इस अधिकार के आवेदन की प्रक्रिया पता है यह इस अधिकार के प्रति जागरूता की ओर बढ़ता हुआ अच्छा कदम माना जायेगा।

सूचना के अधिकार के उपयोग के विषय में अधिकांश लोगों को इस विषय में कुछ ही ज्ञात नहीं है। सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता तो है परन्तु इसके सही अर्थ एवं उद्देश्य की लोगों को जानकारी नहीं है कि इसके उपयोग से क्या होगा? आम आदमी के जीवन पर इस अधिकार का किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा।

मांगी गई सूचना के दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकता विषय में अधिकांश को ज्ञात ही नहीं है। यही एक वजह है भ्रष्टाचार की कि अधिकांश लोगों को ज्ञात ही नहीं है कि वे इस अधिकार से मांगी गई सूचना के दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं।

जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक इस अधिकार का उपयोग ही नहीं कर सकेगी। उन्हें अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना ही चाहिए। लोगों का ऐसा मानना है कि इस अधिकार के उपयोग के समय बहुत कठिनाई आती है एवं अपीलें करनी पड़ती हैं कुछ ही लोगों का ही मानना है कि इस अधिकार का उपयोग करते हुये सूचना आसानी से मिल जाती है।

शोध से ज्ञात हुआ कि लोग स्वच्छ प्रशासन तो चाहते हैं कि प्रशासन में पारदर्शिता का होना आवश्यक है जिससे आम नागरिक को अपना अधिकार मिल सके और वह प्रशासन से भयमुक्त होकर कोई भी सूचना प्राप्त करने का हकदार हो।

इस अधिकार को यदि सख्ती से लागू किया जाता है तो जनता का सीधा संपर्क प्रशासन से हो सकेगा और वह अपने अधिकार एवं हक के लिए जागरूक हो सकेंगे। देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा अधिकारी, कर्मचारी इसकी सख्ती से विभागों में सही रूप से कार्य करेंगे।

इस अधिकार में सूचना प्राप्ति के समय अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं इसलिए कभी—कभी सूचना प्राप्ति में बिलंब हो जाता है। मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होती है के विषय में अधिकांश लोगों को कुछ भी ज्ञात नहीं है यह उनकी उदासीनता एवं इस अधिकार के प्रति जनता में जागरूकता की कमी को दर्शाता है।

संकोचवश या भयवश लोग इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं जिससे वे इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं और लोगों को लगता है कि हम स्वयं ही किसी कठिनाई में न पड़ जायें इसलिए भी इस अधिकार के प्रयोग के प्रति संकोचवश वे कुछ नहीं कर पाते हैं।

विभागों द्वारा उचित समय पर सूचनायें आवेदक को नहीं दी जाती हैं जिससे धीरे—धीरे इस अधिकार के प्रति लोगों का विश्वास कमज़ोर होता जा रहा है एवं इस अधिकार से जुड़े मामलों में जो निर्णय हुए हैं वे सही नहीं हैं। यह जनता की जागरूकता की ओर इशारा करता है। भ्रष्टाचार से त्रस्त आम जनता अब इससे मुक्ति चाहती है। यह अधिकार उनके हाथ लगा वह हथियार है जिससे वह देश में भ्रष्टाचार रूपी दानव का अंत कर सकती है। अतः लोगों को अभी और जागरूक होने की आवश्यकता है।

राजनैतिक विश्लेषण

भारत सरकार ने सूचना के अधिकार की महत्वता एवं प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए और आम जन तक सूचना पहुँचाने एवं प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक है कि सूचना की स्वतंत्रता 2002 को अधिक प्रगतिशील भागीदारी वाला और अधिक सार्थक बनाया जाये। इस हेतु विभिन्न स्तरों पर सुझाव मांगे। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद तथा अन्य लोगों द्वारा दिये गये सुझावों के परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को समाप्त कर दिया जाये और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत मान्य सूचना के अधिकार को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से एक प्रभावी संरचना का प्रावधान करने वाले एक नये कानून का निर्माण किया जाये। उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास में एक विधेयक भारत संघ के कार्मिक प्रबंध लोक शिकायत एवं पेशन विभाग द्वारा ‘सूचना का अधिकार अधिनियम 2005’ “भारत संसद में पेश किया गया तथा 11 मई 2005 में लोक सभा तथा 12 मई 2005 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया जिसे दिनांक 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दी गई। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक समझा गया कि शासन एवं प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो एवं इसकी कार्य प्रणाली पारदर्शी हो तथा नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी बन सके। वर्तमान समय में सुशासन पर बल दिया जा रहा है सुशासन की महत्वपूर्ण विशेषता है मुक्त शासन। मुक्त शासन वह है जो कि शासितों से कुछ नहीं छिपा लोगों को स्वयं के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है इस प्रकार मुक्त शासन राज्य तथा नागरिकों के मध्य संबंध को सशक्त करता है।



शोध सारांश

शोध सारांश

इस शोध में समाविष्ट अध्ययन का विषय सूचना का अधिकार उपादेयता एवं प्रक्रिया (राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में एक सामाजिक व राजनीतिक विश्लेषण का शोध सारांश।

भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धान्त पर आधारित है। शासन व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन किया जाता परंतु पिछले कुछ वर्षों से नागरिकों की सहभागिता केवल मताधिकार का प्रयोग तक ही सीमित होकर रह गई है। इसके पीछे आवश्यक सूचनाओं के अभाव में नागरिक यह नहीं जान पाते हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया क्या है? उनमें कैसे भागीदारी की जा सकती है? अतः चुनी गई सरकार से जनता को यह पूछने का अधिकार होना चाहिए कि वह क्या, क्यों और कैसे कार्य सम्पन्न कर रही है? सार्वजनिक धन जनता की धरोहर है और जनता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि वह धन कहाँ और कैसे खर्च होता है। सूचना का अधिकार जनता के इसी जानने के अधिकार से जुड़ा हुआ है।

सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो समाज के हर वर्ग, सरकार की हर ईकाई और मानव अधिकारों से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार पर जोर डालते हुए अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी कहते हैं कि पारदर्शिता की कभी सभी फैले हुए भ्रष्टाचार के मुख्य कारणों में से एक है। सूचना का अधिकार ही खुलेपन, उत्तरदायित्व तथा ईमानदारी को आगे बढ़ाएगा लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को निश्चित अधिकार प्रदान किए जाते हैं। उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारत में छः प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इनमें स्वतंत्रता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और इसी अधिकार के तहत भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 (प) (क) से सूचना का अधिकार प्रस्फुटित हुआ है।

सूचना का अधिकार अर्थात् राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों

को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों के कार्यों और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है।

अधुनिक विश्व में लोकतंत्र और अधिकारों के लिए समय—समय पर क्रांतियां होती रही हैं। इनमें फ्रांस की रक्तहीन क्रांति (1789), अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र (1776) और इंग्लैण्ड का बिल ऑफ राइट्स (1689), जैसे आन्दोलन और क्रांतियां उल्लेखनीय हैं। लोकतंत्र की छाया में नागरिकों के अधिकारों का दायरा काफी महत्वपूर्ण रहा है सरकारी दस्तावेजों की गोपनीयता बरते जाने के कारण इसके प्रतिउत्तर में सूचना के अधिकार ने जन्म लिया। प्रारम्भ में विश्व के राष्ट्रों की सरकारें अपने नागरिकों के समक्ष सरकारी दस्तावेजों को उजागर नहीं करती थी। जिसके कारण आम जनता सरकार की नीतियों और कार्यों को नहीं जान पाती थी। बीसवीं शताब्दी मूलतः लोकतंत्र की शताब्दी थी। दो विश्वयुद्धों, लाखों नरसंहारों, उपनिवेशवाद और नस्लवाद के खिलाफ संघर्षों तथा अनेकानेक मुक्ति आन्दोलनों के केन्द्र में विश्व मानव की जनतांत्रिक आकाशाएँ थी। अगर प्रजातंत्र को सफल बनाना है तो नागरिकों को सूचना प्राप्त करने तथा जानने का अधिकार होना ही चाहिए। रॉबसन ने कहा है—“लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए जनता को सूचना का अधिकार दिया जाना अपरिहार्य है।”

सूचना के अधिकार अधिनियम को भ्रष्टाचार रोकने और जवाबदेह प्रशासन और सरकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के सन्दर्भ में एक युगान्तरकारी कदम कहा जा सकता है जो लोगों को सक्षम और सशक्त बनाता है, किन्तु इसके प्रति सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों में जागरूकता की आवश्यकता है ताकि सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इस अधिनियम के सही प्रकार से कार्यान्वयन से सरकारी कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। पारदर्शी कार्य—प्रणाली की संस्कृति विकसित होगी और भ्रष्टाचार मुक्त समाज विकसित होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, “इस कानून का उद्देश्य सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार पर नकेल लगाना है और कार्यकुशलता को बेहतर बनाना है। इस अधिकार से देश में लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी।

प्रथम अध्याय — “परिचयात्मक” में सूचना का तात्पर्य, सूचना का महत्व, सूचना का अधिकार की उपादेयता एवं प्रक्रिया का अवधारणात्मक एवं सैद्धान्तिक विवेचन के साथ ही शोध पद्धति, शोध के उद्देश्य तथा उपलब्ध साहित्य की समीक्षा का भी उल्लेख किया गया है।

लोकतंत्र में सूचना का अधिकार का महत्व तथा सूचना के अधिकार के माध्यम से किस प्रकार प्रशासन का सफल संचालन किया जा सकता है तथा इस अधिनियम के उपरान्त किस प्रकार आम नागरिकों को शासन व विकास संबंधी विषयों पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट व अन्य सूचनाएँ, आयोग के कार्य व शक्तियों, लोक सूचना अधिकारी का मनोनयन व प्रशिक्षण, राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन का भी संक्षिप्त में विवरण किया गया है।

द्वितीय अध्याय – ‘प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में सूचना का अधिकार’ के अन्तर्गत बताया गया है कि विश्व के कौनसे प्रमुख लोकतांत्रिक राष्ट्रों में सूचना का अधिकार देने वाला कानून लागू किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में यह भी बताया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ एवं यूनेस्को की सूचना के संदर्भ में क्या भूमिका रही है। विश्व के प्रमुख राष्ट्रों जैसे स्वीडन, फिनलैण्ड, डेनमार्क, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैण्ड, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन आदि राष्ट्रों में सूचना के अधिकार का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है।

तृतीय अध्याय – “भारत में सूचना का अधिकार” के अन्तर्गत भारत में सूचना के अधिकार की प्राप्ति के प्रयास से लेकर गोपनीयता कानून के प्रावधान तथा उनमें किए गये संशोधनों और इन कानूनों की प्रतिक्रियाओं का विवरण किया गया है। 1889 का प्रथम सरकारी गोपनीयता कानून, 1923 का गोपनीयता कानून, आजादी और उसके बाद सूचना के अधिकार की प्रक्रिया, गोपनीयता की वकालत करने वाले कुछ अन्य कानून, द्वितीय प्रेस आयोग और प्रेस परिषद की सिफारिशें, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, बी.पी. सिंह की पहल और प्रेस परिषद की पुनः सक्रियता का तथा सूचना का अधिकार संबंधी दो मॉडल विधेयक (1996 तथा 1997), स्थानीय शासन में सूचना का अधिकार लागू करने की पहल, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के महत्वपूर्ण प्रावधान एवं विशेषतायें, विभिन्न माध्यमों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सूचना पाने हेतु समय-सीमा, आवेदन शुल्क, सूचना आवेदन का निरस्त होना, केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन, शपथ, पद की पात्रता, कार्यकाल एवं अन्य सेवा शर्तें, मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त, त्यागपत्र, आयोग का मुख्यालय, अपील की व्यवस्था, दण्ड या जुर्माना, केन्द्रीय सूचना आयोग का वर्तमान संगठन व कार्यालय का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया गया है।

चतुर्थ अध्याय – “राजस्थान में सूचना का अधिकार” के अन्तर्गत केन्द्रीय कानून लागू होने से पूर्व जो राज्य सूचना का अधिकार कानून निर्मित कर चुके थे जिनमें तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, असम, उड़ीसा तथा जम्मू-कश्मीर का भी उल्लेख किया गया है। राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार पर आयोजित जनसुवाइयाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 और उसका क्रियान्वयन, सूचना के अधिकार को जन आन्दोलन बनाने में ‘मजदूर विकास शक्ति संगठन की भूमिका का भी उल्लेख किया गया है। सूचना का अधिकार आन्दोलन को जनप्रिय बनाने में सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशासन का योगदान, राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति, राज्य सूचना का आयोग का कार्यालय, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्त, पद से हटाया जाना एवं त्यागपत्र वेतन एवं भत्ते योग्यता तथा राज्य सूचना आयोग के कार्यों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

पंचम अध्याय – “नागरिक अधिकार पत्र” के अन्तर्गत नागरिक अधिकार पत्र की मूल अवधारणा, उद्भव और सिद्धान्त के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा के नागरिक अधिकार पत्रों की भी तुलना की गई है। भारतीय परिदृश्य में नागरिक चार्टरों की व्यापक वेबसाइट, नागरिक चार्टर का अनुकरणीय कार्यान्वयन, नागरिक चार्टर का मूल्यांकन, भारत सरकार के नागरिक चार्टर का संग्रह, क्षेत्रीय सेमिनार, क्षमता निर्माण कार्यशाला विभाग विशिष्ट कार्यशालाएँ, सूचना एवं सुविधा केन्द्र तथा चार्टरों के कार्यान्वयन में आई समस्याओं का उल्लेख भी किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में चार्टर मार्क का विकास, नागरिक अधिकार पत्र के मूल्यांकन मापदण्ड तथा राजस्थान के विभिन्न विभागों के नागरिक अधिकार पत्रों का तुलनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

षष्ठम् अध्याय – “राजस्थान में सूचना के अधिकार का सामाजिक व राजनीतिक विश्लेषण” के अन्तर्गत सूचना का अधिकार का तालिका आधार पर सामाजिक विश्लेषण किया गया है। तालिका के अनुसार यह बताने का प्रयास किया गया है कि सूचना के अधिकार के विषय में कितने लोगों को पता है और कितने लोगों ने इसके विषय में सुना है या कितने लोगों ने आम नागरिक होते हुए सूचना के लिए आवेदन किया है। इस अध्याय में सूचना का अधिकार का राजनीतिक विश्लेषण के अन्तर्गत परिवादों की मासिक प्रगति का सांकेतिक विवरण, अपीलों की मासिक प्रगति का सांकेतिक विवरण, सूचना हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण का सांकेतिक विवरण वर्ष 2017–18, आवेदनों एवं अन्य संबंधित तथ्यों के आधार पर

सूचना के अधिकार के सकारात्मक प्रभाव तथा इस अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़ी अनेक चुनौतियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

सप्तम अध्याय – “निष्कर्ष एवं आत्मकथन” के अन्तर्गत भारत सरकार ने सूचना के अधिकार की महत्ता एवं प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए और आमजन तक सूचना पहुँचाने एवं प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक है कि सूचना की स्वतंत्रता 2002 को अधिक प्रगतिशील भागीदारी वाला और सार्थक बनाया जाये। इस हेतु विभिन्न स्तरों पर सुझाव मांगे। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए सुझावों के निरीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को समाप्त कर दिया जाए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत मान्य सूचना के अधिकार को कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से एक प्रभावी संरचना का प्रावधान करने वाले एक नये कानून का निर्माण किया जाए। उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास में एक विधेयक भारत संघ के कार्मिक प्रबंध लोग शिकायत एवं पेशन विभाग द्वारा ‘सूचना का अधिकार अधिनियम 2005’ भारत संसद में पेश किया गया तथा 11 मई 2005 लोकसभा में तथा 12 मई 2005 राज्य सभा द्वारा पारित किया गया जिसे दिनांक 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दी गई। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक समझा गया कि शासन एवं प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो एवं इसकी कार्यप्रणाली पारदर्शी हो तथा नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदार बन सकें। वर्तमान समय में सुशासन पर बल दिया जा रहा है सुशासन की महत्वपूर्ण विशेषता है मुक्त शासन। मुक्त शासन वह है जो कि शासितों से कुछ नहीं छिपा लोगों को स्वयं के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। इस प्रकार मुक्त शासन राज्य तथा नागरिकों के मध्य संबंध को सशक्त करता है। ‘सूचना का अधिकार’ वास्तव में उन परिस्थितियों को जानने की मांग करता है जो सामान्यतया दिखाई नहीं देती या दिखाई नहीं जाती है। यह अधिकार नैतिकता से जुड़ा है। अरुणा रॉय का कहना है कि “यह एक नैतिक युद्ध है” क्योंकि नैतिकता का सीधा सम्पर्क कर्तव्य पालन, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता और पारदर्शिता आदि से है।

प्रशासन में जनता की भागीदारी और सूचनाओं तक उसकी पहुँच लोकतंत्र का आधार स्तम्भ है। सूचना का अधिकार चूंकि मूलतः जनता के सशक्तिकरण का प्रतीक है। अतः इसकी सफलता भी जन-चेतना पर निर्भर करती है, जनता में अपने भले-बुरे का निर्णय करने की क्षमता है लेकिन इस हेतु उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति और अधिक जागरूक होना होगा। सूचना का यह अधिकार सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण

औजार साबित हो सकता है। अतः गैर सरकारी संगठनों के साथ—साथ मीडिया द्वारा जनता में इस अधिकार का अधिकाधिक प्रचार—प्रसार किया जाए क्योंकि यदि सूचना के अधिकार का सजग ढंग से सदुपयोग किया गया तो निश्चित ही यह जनसशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा। इससे देश की व्यवस्था में तो सकारात्मक बदलाव होगा ही। भारतीय लोकतंत्र के विकास में भी यह मील का पत्थर साबित होगा।



सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ—सूची

1. अवस्थी, ए.पी. : विकास प्रकाशन, एल.एन. पुस्तक प्रकाशक, आगरा, 2002
2. अवस्थी, ए.पी. एवं माहेश्वरी, एस.आर. : लोक प्रकाशन, एल.एन. पुस्तक प्रकाशक, आगरा, 2002
3. ओझा, अरुण कुमार एवं मंगलानी, रूपा : सूचना का अधिकार, हरिशचन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
4. अफरोज, आलम 'साहिल' : सूचना का अधिकार, जमात ए इस्लामी हिन्द पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2011
5. अर्यर, बी.आर.कृष्ण : फ्रीडम ऑफ इन्फोरमेशन, लखनऊ ईस्टर्न बुक कम्पनी, 1990
6. आफरीदी, फारूक : लोकतंत्र में सूचना का अधिकार, हैरिटेज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2002
7. अरोड़ा, कृष्ण : दा राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005, द्विवेदी लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 2008
8. आचार्या, एन.के. : कॉमेन्ट्री ऑन राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005, एशियन लॉ हाउस, हैदराबाद, 2008
9. अरोड़ा, रमेश : मैनेजमेन्ट इन गवर्नमेंट : कनसर्नस एण्ड प्राइवेटीज, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2001
10. अग्रवाल, शिवाली : भ्रष्टाचार और सुशासन, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2013
11. आसोपा, सुनील : सूचना का अधिकार, एपेक्स पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2010
12. भट्टाचार्य, मोहित : ब्यूरोक्रेसी एण्ड डबलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उपल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2002
13. बावेल, बसन्तीलाल : सूचना का अधिकार, यूनिक बुक हाउस, जयपुर, 2005
14. भारत का संविधान, नई दिल्ली : भारत सरका विधि, न्याय और कम्पनी कार्यालय मंत्रालय, 2003
15. बाघेल, सी.एल. एवं कुमार, योगेन्द्र : गुड गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट एण्ड एप्रोच कनिष्ठ पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यू देहली, 2006
16. भरतलाल, सी.पी. : गुड गवर्नन्स इन इण्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003

17. बसु, दुर्गादास : भारत का संविधान : एक परिचय, बधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 2007
18. बेर्स्ट जॉन डब्ल्यू : रिसर्च इन एजुकेशन, प्रिंटिंग हॉल प्रा.लि., नई दिल्ली, पृ. 46
19. भारद्वाज, रमाकान्त : सूचना का अधिकार, जनता का अधिकार, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर, 2007
20. भंसाली, एस.आर. : लॉ रिलेटिंग टू हयूमन राइट्स, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2013
21. भुटानी, सुनील : सूचना का अधिकार, पारदर्शिता की ओर अग्रसर, पैन्सी बुक्स, नई दिल्ली, 2010
22. भंसाली, एस.आर. : द राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005 लॉ एण्ड प्रैविट्स, इण्डिया पब्लिशिंग हाउस, जोधपुर, 2002
23. चौबीसा और सरदाना, जयबाला : लोक सूचना अधिकारी के कार्य और जिम्मेदारियाँ, हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर, 2008
24. चौपड़ा, जितेन्द्र : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर, 2007
25. चन्द्र, लाल : जनसम्पर्क, रचना पब्लिकेशन, 1992
26. चौबे, मनीष कुमार : राइट टू इन्फोर्मेशन वेरियस डाइमेन्शन्स, रीगल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2012
27. चक्रवर्ती, आर. : राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005, एलॉग विथ यूजफुल एपेन्डिसिस, ऑरियेन्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2012
28. चौपड़ा, एस.के. : टुवार्डस गुड गवर्नेंस, कोणार्क पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1997
29. चतुर्वेदी, टी.एन. : सीक्रेसी इन गवर्नमेंट, आईआईपीए प्रकाशन, नई दिल्ली, 1980
30. दुबे, आर.के. : आधुनिक लोक प्रशासन, एल.एन. पुस्तक प्रकाशक, आगरा, 2000
31. डोगरा, भारत : पारदर्शिता एवं भारत में सूचना का अधिकार कानून, कुलश्रेष्ठ पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2005
32. डोगरा, भारत : लोकतंत्र का आधार सूचना का अधिकार, कुलश्रेष्ठ पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003
33. डोगरा भारत : सूचना का जन अधिकार (भ्रष्टाचार से लड़ने व लोकतंत्र सशक्त करने के लिए) रक्षा कुंज, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली, 2003

34. डे., बटक : गुड गवर्नेंस पैरामैट्रिक इरयू ए पयूचर विजन, उपाल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2002
35. डी.एन.ए.एजेन्सी : बी.सी.सी.आई. आर.टी.आई.बाउंसर, डी.एन.ए., पुणे, अगस्त, 2011
36. ड्रेवरी, गेविन : ओपननेस एण्ड सीक्रेसी इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, आईआईपीए पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1980
37. दयाल, कमलेश्वर : फ्रीडम ऑफ प्रेम एण्ड राइट टू इन्फोर्मेशन, साइबर टीच पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2011
38. दास, पी.के. : हैण्डबुक दा राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, दिल्ली, 2006
39. डॉ. रतन, ज्योति : राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005, भारत लॉ हाउस, नई दिल्ली, 2013
40. ढाका, राजवीर सिंह : राइट टू इन्फोर्मेशन एण्ड गुड गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी
41. द्विवेदी, राधेश्याम : राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट, रूल्स गवर्नमेंट, ऑर्डर एण्ड क्रिटीकल स्टेडी, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 2012
42. दलीप, एस.स्वामी : मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एण्ड वर्ल्ड इकॉनोमी, ए.एल.पी.एम. इन्टरनेशनल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1998
43. डॉ. शिवाच, राजकुमार : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और पारदर्शी शासन तंत्र, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010
44. गोयल, अरुणा : गुड गवर्नेंस एण्ड एनसियन्ट संस्कृत लिटरेचर, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003
45. ग्रोवर, बी.एल. एवं यशपाल : आधुनिक भारत का इतिहास, चांद एण्ड चांद कम्पनी, नई दिल्ली, 2003
46. गॉलवा, डॉ. हनुमान : आम आदमी और सूचना का अधिकार, पत्रिका प्रकाशन, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, एम.आई.रोड, जयपुर, 2010
47. डॉ. गोपालकृष्ण एवं शर्मा, सरबजीत, राइट टू इन्फोर्मेशन इम्पलीमेंटिंग इन्फोर्मेशन रिजाइम, ऑर्थर्स प्रेस, नई दिल्ली, 2006
48. गुप्ता, हरीश : डिस्क्लोज ॲल इंफो शूट एक्ट आर.टी.आई., डी.एन.ए. अहमदाबाद, 2011
49. गोडबोले, माधव : सुशासन है दिवास्वज्ञ, श्री विद्या प्रकाशन, पुणे, 2013

50. गुप्ता, मानसिंह एवं खण्डेलवाल, अवधेश : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, किशोर बुक डिपो, जयपुर, 2007
51. गुप्ता, मानसिंह : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, किशोर बुक डिपो, जयपुर, 2011
52. गुहान, एस. एवं पॉल, सेम्यूइल : करप्शन इन इण्डिया—एजेण्डा फॉर एकशन, विजन बुक, न्यू देहली, 1997
53. गाइल, एस.एल. : राइट टू इन्फोर्मेशन एण्ड गुड गवर्नेन्स, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
54. गौतम, एस.एस. : आदमी आदमी का उत्तम हथियार 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005', गौतुम बुक सेन्टर, हरदेवपुरी शाहदरा, दिल्ली, 2006
55. गोपालकृष्ण, एस. : ब्रिंगिंग कम्पनीज अण्डर आर.टी.आई. इन नॉट गुड आइडिया, टाइम्स ऑफ इण्डिया, चण्डीगढ़, 2010
56. गोयल, एस.एल. : सूचना का अधिकार एवं सुशासन, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
57. ग्रोवर, विरेन्द्र : दा इण्डियन कॉन्स्टीट्यूशन, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1983
58. एन्थॉनी, एच.ब्रिक : द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रुरलेज : लन्दन एण्ड न्यूयार्क, 1997
59. जोशी, आभा एवं मन्दर, हर्ष : द मूमेन्ट फॉर राइट टू इन्फोर्मेशन इन इण्डिया, पिपुल्स पॉवर फॉर द कंट्रोल ऑफ द करप्शन, नई दिल्ली, 1999
60. जैन, डॉ. अंशु : ट्रीटाइज ऑन राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 2013
61. जैन, एन.के. : राइट टू इन्फोर्मेशन रीगल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007
62. जम्बा, पायल एवं सबरवाल, अनुज : द न्यू राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस द सिटीजन चार्टर, राइट टू सर्विस एण्ड गुड गवर्नेन्स, 2013
63. जैन, आर.बी. : पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, इक्कीसवीं सेन्चुरी चैलेन्जे फॉर गुड गवर्नेन्स, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2001
64. जोशी, आर.पी. एवं मंगलानी, रूपा : पंचायती राज के नये आयाम, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा.लि., जयपुर, 1998

65. जैन, आर.बी. : करप्शान फ्री सर्टेनेबल डवलपमेन्ट—चैलेन्जेज एण्ड स्ट्रेटीजीज फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली, 2004
66. जैन, प्रो. रमेश एवं गुर्जर, डॉ. नाथूलाल : सूचना का अधिकार (अपेक्षाएँ एवं चुनौतियाँ), सबलाइम पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2006
67. जोशी, आर.पी. : मानव अधिकार एवं कर्तव्य, अभिनय प्रकाशन, अजमेर, 2009
68. जैन, रमेश : मीडिया, कानून एवं सूचना की स्वतंत्रता, मंगलदीप पब्लिकेशन, जयपुर, 2004
69. केजरीवाल, अरविन्द एवं राजगढ़िया, विष्णु : सूचना अधिकार नया लोकतंत्र, नई पत्रकारिता, रांची, प्रभात, 2006
70. कौसर, जे. आजम : फेडरलिज्म एण्ड गुड गवर्नेंस – इश्यू एकासे कल्वर्स, साउथ एशिया पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1998
71. कुरियल, जस्सी : कन्सट्रक्टिव यूज ऑफ दा राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005, लीगल न्यूज एण्ड न्यूज ए सोशल एक्शन ट्रस्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006
72. कान्त, डॉ. नीलम : दा लॉ ऑफ राइट टू इन्फोर्मेशन (डाइग्लोटशार्टर कामेन्ट्री) यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, 2012
73. कुमार, डॉ. नीरज : जानिए अपना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जैन बुक एजेन्सी, नई दिल्ली, 2015
74. कुमार, डॉ. नीरज : ट्रीटाइज ऑन द राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005, भारत लॉ हाउस, नई दिल्ली, 2011
75. कुमार, डॉ. नीरज : जानिए अपना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (समीक्षात्मक टिप्पणी सहित), भारत लॉ हाउस, नई दिल्ली, 2010
76. करखानिस, नन्द कुमार : सूचना का अधिकार अधिनियम, विवेकानन्द प्रकाशन, पुणे, 2011
77. कुमार, प्रकाश एवं रॉय, के.वी. : राइट टू नॉ-ए हैंड ऑन गाइड टू राइट टू इन्फोर्मेशन, विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008
78. कुमार, पी.एस. : सूचना व संचार पत्र—यूजीसी मॉडल करिकुलम, वी.आर. पब्लिकेशन कॉरपोरेशन, नई दिल्ली, 2004
79. कश्यप, सुभाष : भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 1998

80. कश्यप, सुभाष : क्राइम एण्ड करप्शन टू गुड गवर्नेन्स, उपाल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1997
81. कश्यप, सुभाष : कान्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेन्स एण्ड कोटिल्याज अर्थशास्त्र इण्डियन कॉन्सिल ऑफ सोशियल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली, 2003
82. कटारिया, सुरेन्द्र : कार्मिक प्रशासन, एबीडी पब्लिशर्स, जयपुर, 2005
83. लाल, सी.एस. : कमेन्ट्रीज ऑन राइट टू इन्फोर्मेशन लॉज, जैन बुक एजेन्सी, दिल्ली, 2015
84. माहेश्वरी, अग्निल एवं मुस्तफा फैयजाम : राइट टू इन्फोर्मेशन – नो विन सिचुएशन, अजन्ता पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1979
85. मिश्रा, आदित्य : आर.टी.आई. एमपावरमेंट और एव्यूज
86. मुस्तफा, फैयजाम : कॉन्स्टीट्यूशनल इश्यू इन राइट टू इन्फोर्मेशन, कनिष्ठा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003
87. मैरिल, जे. : इज देयर राइट टू नो? फ्रीडम ऑफ इन्फोर्मेशन, सेन्टर पब्लिकेशन्स, 1967
88. मिश्रा, कौशल : महाभारत में राजधर्म, हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली, 2013
89. मलिक, कृष्णपाल : राइट टू इन्फोर्मेशन–दा राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005, विथ रूल्स एण्ड गाइडेन्स, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी, 2013
90. मलिक, कृष्णपाल : राइट टू इन्फोर्मेशन, जैन बुक एजेन्सी, नई दिल्ली, 2011
91. महीपाल : पंचायती राज–अतीत, वर्तमान और भविष्य, सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996
92. मधु स्वामी एवं वृन्दा : राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट, रूल्स ऑर्डर एण्ड गाइड्स, समय पब्लिशर्स प्रा.लि., चेन्नई, 2013
93. माथुर, मीना : प्रजातंत्र, प्रेस तथा प्रशासन, एबीडी, जयपुर, 2002
94. मिश्रा, निलाभ : पिपुल्स राइट टू इन्फोर्मेशन मूवमेन्ट : नेशन्स फ्रॉम राजस्थान, न्यू देहली, यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, 2003
95. मंगलानी, रूपा : भारत में निर्वाचन व्यवस्था की विकृतियाँ एवं सूचना का अधिकार : परिप्रेक्ष्य एवं चुनौतियाँ, राज्य शास्त्र समीक्षा, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर, 2004
96. मिश्रा, एस.सी. एवं कटारिया, आर.पी. : लॉ रिलेटिंग टू इन्फोर्मेशन, ओरियन्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2013

97. मिश्रा, सुरेश : सूचना का अधिकार, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुडगांव, 2008
98. मिश्रा, सुधांशु शेखर एवं दास, सुधांशु कुमार : राइट टू इन्फोर्मेशन (आर.टी.आई.) एण्ड रुल डबलपर्मेंट इन इण्डिया, न्यू सेन्चुरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009
99. मुण्डे, श्रीराम : सूचना का अधिकार, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010
100. माधव, श्रीनिवास : राइट टू इन्फोर्मेशन, स्टेपडर्ड बुक कम्पनी, नई दिल्ली, 2010
101. मिश्रा, सुधांशु : सूचना का अधिकार और भारत में ग्रामीण विकास, न्यू सेन्चुरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009
102. माथुर, वी.पी. : पब्लिक ऑडिट, गुड गवर्नेन्स एण्ड अकाउन्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूटर ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इण्डिया, 2000
103. नईब, सुधीर : राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005, लाइब्रेरी भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली, 2001
104. निगम, शालू : राइट टू इन्फोर्मेशन लॉ एण्ड दी प्रेक्टिस, जे.वी.एस. प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006
105. निगम, शालू : राइट टू इन्फोर्मेशन – इन एफेक्टिव टूल फॉर एमपॉवरमेन्ट लीगल न्यूज एण्ड व्यूज, ए सोशियल एक्शन ट्रस्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006
106. नईब, सुधीर : दा राइट टू इन्फोर्मेशन इन इण्डिया, राउथ एशिया बुक्स, नई दिल्ली, 2013
107. नाटाणी, प्रकाश नारायण : राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून, बाफना पब्लिशिंग हाउस, चौड़ा रास्ता, जयपुर, 2003
108. नागराज, एम.एन. : राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005, न्यू सेन्चुरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009
109. पाण्डेय, अरुण : हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार, वाणी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000
110. पाण्डेय, अजय ' सूचना का अधिकार–प्रेरणा व अधिनियम, सोशल एक्शन ट्रस्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004
111. पाण्डेय, अजय : दा राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट, जैको पब्लिशिंग हाउस, बैंगलुरु, 2006
112. प्रसाद, चन्द्रदेव : महान राजनीतिक विचारक कौटिल्य, भारती भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पटना, 1998

113. पाटिल, एच.एस. : गांधी एण्ड स्वराज्य, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1983
114. पुर्थी, राजकुमार : मेनुअज ऑफ राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005, पेरागॉन प्रेम, नई दिल्ली, 2006
115. पाण्डेय, राजेन्द्र : सूचना का अधिकार अधिनियम, डायमण्ड बुक, नई दिल्ली, 2012
116. पाण्डेय, सूची एवं सिंह, शेखर : राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005—ए प्राइमर नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, 2010
117. पुरी, वी.के. : राइट टू इन्फोर्मेशन—सूचना के अधिकार पर एक व्यावहारिक पुस्तिका, जैन बुक एजेन्सी, नई दिल्ली, 2013
118. पामेचा, वी.के. : राइट टू इन्फोर्मेशन—एक्ट 2005—ए प्रैविटबल गाइड, एक्सेस इन्फोस्टर प्रा.लि., नई दिल्ली, 2013
119. पुरी, वी.के. : राइट टू इन्फोर्मेशन—वन शुड नॉ, नाभि पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2006
120. पुरी, वी.के. : राइट टू इन्फोर्मेशन, स्टेप्डर्ड बुक कम्पनी, नई दिल्ली, 2010
121. रे, अरुण : भारत में जनहित याचिका और मानवाधिकार, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009
122. रॉय, बी.के. एवं कुमार प्रकाश : सूचना का अधिकार, आसफ अली रोड, नई दिल्ली, 2008
123. रॉय, सी.एन. : सिटीजन चार्टर इन इण्डिया : एन ओवर व्यू आईजेपीए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, 1998
124. रोहताकी, हिना : ऑफिशियल फ्लैशशराइन ऑफ गोल्ड, टाइम्स ऑफ इण्डिया, पंचकुला, 2011
125. राज, जयन्त कुमार : इण्डिया इन सर्च ऑफ गुड गवर्नेन्स, मौलाना अबुल कलाम आजाद इन्स्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज एण्ड के.पी. बागचीज कम्पनी, नई दिल्ली, 2001
126. राइडर, रोहनी : राइट टू इन्फोर्मेशन, लॉ पॉलिसी एण्ड प्रैविटस, बाथवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 2006
127. रॉय, एस.सी. जोगा : लॉ रिलेक्टिंग टू राइट टू इन्फोर्मेशन, भारत लॉ हाउस, नई दिल्ली, 2008
128. रॉय, एस.वी. जोगा : राइट टू इन्फोर्मेशन—ए कम्प्रेसिव एण्ड इनसाइटफुल कॉमेन्ट्री विथ कम्प्रेटिव प्रेसप्रेटिव्स, भारत लॉ हाउस, नई दिल्ली, 2009

129. राडनेथ, श्री : राइट टू इन्फोर्मेशन, लॉ एण्ड प्रेक्टिस, वाधवा एण्ड कम्पनी, नागपुर, 2006
130. रॉय, विनायक : इण्डिया—सब्टेनेबल डबलपमेन्ट एण्ड गुड गवर्नेन्स इश्यू—ए केस फॉर रेडिकल रीसेसमेन्ट, एटलान्टिक पब्लिशर्स, 1999
131. रॉय, वी.एम. : एफीसेन्सी एण्ड गवर्नेन्स, एबीडी पब्लिशर्स, जयपुर, 2007
132. राजगढ़िया, विष्णु एवं केजरीवाल, अरविन्द : सूचना का अधिकार—व्यावहारिक मार्गदर्शिका, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009
133. सक्सेना, अमरीश : राइट टू इन्फोर्मेशन इन फ्रीडम ऑफ प्रेस, कनिष्ठा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004
134. शर्मा, अरविन्द कुमार एवं शर्मा, इन्दु : द सिटीजन चार्टर इन इण्डिया, आईआईपीए, नई दिल्ली, 2002
135. शर्मा, अभिषेक : सूचना का अधिकार : अवधारणा, स्वरूप एवं संभावनायें, राज्य शास्त्र समीक्षा, राजनीति विज्ञान विभाग, राज. वि.वि., जयपुर, 2004
136. शाह, अभय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, करंट पब्लिकेशन्स, मुम्बई, 2007
137. सबरवाल, अनुज एवं जुम्बा, पायल : द न्यू राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस – द सिटीजन चार्टर राइट टू सर्विस एण्ड गुड गवर्नेन्स, 2013
138. शुक्ला, अभिषेक एवं सुरेन्द्र के. : रूल ऑफ लॉ एण्ड राइट टू इन्फोर्मेशन, मनोहर पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2013
139. शर्मा, डॉ. अल्का : वेल्यू फ्रेमवर्क फॉर गुड गवर्नेन्स, आमेगा पब्लिकेशन्स, न्यू देहली, 2011
140. शर्मा, बी.एम. एवं बारेठ, रूपसिंह : गुड गवर्नेन्स ग्लोबलाइजेशन एण्ड सिविल सोसायटी, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2004
141. सिकवार, दिवाकर सिंह : सुशासन, चुनाव सुधार, गुलेबाबा पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2000
142. शर्मा, गोपालकृष्ण : सूचना का अधिकार, रितु पब्लिकेशन, जयपुर, 2012
143. शर्मा, गोपालकृष्ण, श्रीवास्तव, वी.वी. एवं आहूजा, आर.एम. : सूचना का अधिकार, दया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2012
144. सिंह, जोगिन्दर : गुड गवर्नेन्स, इण्डियन पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2002
145. सिंह, जे.के. : राइट टू इन्फोर्मेशन एण्ड फ्रेडम ऑफ प्रेस, एपीएच, पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली, 2011

146. सूद, ज्योति डी. एवं वाहिनी, वर्षा : इण्डियन केस लॉ ऑन राइट टू इन्फोर्मेशन, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी, 2011
147. श्रीधर, मदमुंशी : राइट टू इन्फोर्मेशन, लॉ एण्ड प्रेक्टिस, ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ, 2007
148. शर्मा, नैंसी : राइट टू पब्लिक सर्विसेज लॉ इन इण्डिया इन अपरसियल राइट टू सर्विस एण्ड गुड गवर्नेन्स, 2013
149. सिंघवी, रजनीश : सूचना का अधिकार 2005, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2012
150. सैनी, आर.डी. एवं मंगलानी, रूपा : सूचना का अधिकार, पंचकुला साहित्य अकादमी, हरियाणा, 2003
151. शर्मा, एस.डी. एवं सक्सेना, प्रीति : राइट टू इन्फोर्मेशन—इम्पलीमेंशन प्राब्लम्स एण्ड सोल्यूशन, रींगल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2013
152. श्रेयाशंकर, के.पी. एवं पंकज : राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट इन इण्डिया : पर्यूचर एण्ड इम्पलीमेंटेशन्स, मैकग्राहिल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2013
153. श्रीवास्तव, शेखर एवं श्रीवास्तव, डॉ. इन्दिरा : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, प्रशासनिक एवं सामाजिक, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010
154. सबनिश, एस.एन. : राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट एण्ड रॉल्स, मुकुन्द पब्लिकेशन्स, थाने, 2011
155. साठे, एस.पी. : राइट टू नो, त्रिपाठी प्रकाशन, मुम्बई, 1991
156. शर्मा, सबरजीत एवं गोपालकृष्ण : राइट टू इन्फोर्मेशन, जवाहर पब्लिकेशन, लक्ष्मीनगर, नई दिल्ली, 2006
157. सेठी, एस.पी. : सूचना का अधिकार, लेक्सीस निरिक्स बटरवोर्थ, नई दिल्ली, 2006
158. त्रिपाठी, देवेश नारायण : प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका में 'सूचना के अधिकार के दायरे में राजनीतिक दल', अक्टूबर, 2013
159. त्रिखा, नन्दकिशोर : प्रेस विधि, जवाहर पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2000
160. टोलिया, आर.एस. : ए प्रैक्टिकल गाइड टू दा राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट 2005, नटराज पब्लिकेशन्स, देहरादून, 2006
161. वर्मा, श्रीराम : राजनीति विज्ञान के मूलाधार, कॉलेज बुक सेन्टर, जयपुर, 1999
162. विस्टिन, ए. : प्राइवेसी एण्ड फ्रीडम (1969) एथेनीयम न्यूयार्क, एक्सीस टू इन्फोर्मेशन एक्ट, 1982

163. वक्स, रायमण्ड : प्राइवेसी एण्ड प्रेस फ्रीडम, ब्लैक स्टोन प्रेस एलटीडी, लंदन, 1995
164. वर्मा, आर.के. : सूचना का अधिकार लॉ एण्ड प्रेविट्स, टैक्समैन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008
165. वाडिया, एंजिला : ग्लोबल रिसोर्स ऑन राइट टू इन्फोर्मेशन, कनिष्ठ पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2006
166. वर्मा, कविता ए. : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर, 2008
167. वोल्ड, नवनी : सूचना का अधिकार स्वयं जानिए, जैन बुक एजेन्सी, नई दिल्ली, 2015
168. वर्मा, आर.के. : राइट टू इन्फोर्मेशन—लॉ एण्ड प्रेविट्स विथ केस, बुक ऑन आरटीआई टैक्सगान पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009
169. यादव, अभयसिंह : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 — एक विवेचन, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, 2008
170. यादव, राजाराम : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 2003

पत्र-पत्रिकाएँ

- क्रॉनिकल
- योजना
- राजस्थान सुजस
- प्रतियोगिता दर्पण
- इण्डिया टुडे
- राज्य शास्त्र समीक्षा
- टाइम्स ऑफ इण्डिया
- राजस्थान वार्षिकी
- द हिन्दू
- राजस्थान पत्रिका
- पॉलिटिकल साइंस रिव्यू
- ऑल इण्डिया जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस



प्रकाशित शोध—पत्र

क्र. सं.	शोध—पत्र का शीर्षक	प्रकाशन वर्ष	शोध—पत्रिका / पुस्तक का नाम	ISSN NO.	संस्करण	राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय
01.	राजस्थान में सूचना का अधिकार : एक अध्ययन	2018	दा पब्लिक : प्रॉब्लम एण्ड सॉल्यूशन	2320—4540	Volume-VII अप्रैल—जून 2018	अन्तर्राष्ट्रीय
02.	विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में सूचना का अधिकार	2018	अधिकार	2231-2552	Volume-IV अप्रैल 2018	अन्तर्राष्ट्रीय

ISSN 2320-4540

The Public : Problems and Solutions

An International Refereed & Peer-Reviewed Research
Journal Related to Higher Education for all Subjects

Vol. -7 No. II April-June 2018
UGC Approved No. 48845, 47263
SLRF Impact Factor : 2.362

Editor in Chief
Dr. Mukesh Kumar Malviya

CONTENTS

1.	Critical Evaluation of Child Prostitution and Human Rights in India * Om Prakash Berwal	1–6
2.	AN ANALYSIS OF THE WATER SHARING DISPUTES OF BISALPUR DAM OF RAJASTHAN * Madhu Choudhary	7–12
3.	** Monika Kannan Malgudi of R.K.Narayan: from Regional to Universal * Suchitra Pathak	13–17
4.	Social and Legal Trends of Domestic Violence against Women in India * Vidhyadhar Kumar Saini	18–24
5.	सिक्ख धर्म और धना जी एवं पीपाजी की समन्वयात्मकता—समन्वय के कारण एवं प्रभाव * डॉ. मोहन लाल मीना	25–34
6.	भारत में साम्प्रदायिकता सद्भाव : गँधीय प्रतिमान * शमशाद खान	35–41
7.	महिलाओं में मानवाधिकार * डॉ. सुप्रिया पाराशर	42–48
8.	निर्वाचन सुधार हेतु न्यायपालिका द्वारा उठाये गये प्रमुख कदम *रितु यादव	49–56
9.	सुशासन में सूचना का अधिकार की भूमिका *सुनील कुमार	57–62
10.	** डॉ. संजीव कुमार बीकानेर रियासत में अकाल प्रबन्ध : ऐतिहासिक विवेचन (छप्पन्याकाल के संदर्भ में) * हरीश कुमार	63–68
11.	प्राचीन भारतीय इतिहास के धातु एवं प्रौद्योगिक विज्ञान का वर्तमान में महत्व *मन्जू	69–71
12.	कृषि तकनीकी / प्रौद्योगिकी का विकास : एक विश्लेषण * चन्द्रप्रकाश मीणा ** महिप कुमार मीणा	72–76
13.	भगत आन्दोलन तथा भील जनजाति के उत्थान में गोविन्द गिरि का योगदान * प्रमीला यादव	77–79
14.	भारत में लोकपाल के समक्ष चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ *पूनम यादव	80–83
15.	भारत—नेपाल सम्बन्ध : डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल के विशेष संदर्भ में * सुरेश कुमार मीना	84–89
16.	दूढ़—मोरल नदी अपवाह क्षेत्र में जल प्रबन्धन एवं कृषि विकास की संभावना * भूरसिंह मीना	90–93
17.	रामदरश मिश्र के उपन्यासों में ग्राम्य जीवन का अंतर्पाठ * शेर सिंह गुर्जर	94–96
18.	राजरथान में प्रशासनिक सुधार : लोक सेवा गारंटी अधिनियम के विशेष संदर्भ में * भूर सिंह मीना	97–102
19.	नीरज के काव्य में मानवतावाद * अशोक कुमार शर्मा	103–106
20.	मौर्य कालीन शासन एवं सैन्य व्यवस्था * धर्मराज मीना	107–112

21.	पर्यावरण व मानव जीवन गुणवत्ता में सह-सम्बन्ध *डॉ. एम.जेड.ए.खान ** बन्टेश कुमार	113–118
22.	दक्षिण—पूर्वी एशिया में हिन्दु सम्राज्य : केदाह (मलेशिया) राज्य के विशेष संदर्भ में * प्रियंका मीना	119–123
23.	शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानन्द सरस्वती का योगदान * डॉ. अशोक कुमार	124–128
24.	औपनिवेशिक काल में अफीम का उत्पादन, विपणन एवं साम्राज्यवाद * संतोष मीना	129–136
25.	भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन : अन्ना हजारे के विशेष संदर्भ में * विक्रम मीना	137–140
26.	राजस्थान में आन्तरिक सुरक्षा और मीडिया *बुलकेश कुमारी	141–145
27.	हिन्दू दर्शनानुसार नारी की प्रस्थिति एवं लिंग विभेदीकरण *डॉ. चन्द्रकला	146–148
28.	मेवाड़ में कृषि एवं भू—राजस्व व्यवस्था : 19वीं शताब्दी के विशेष संदर्भ में * जगवीर सिंह	149–153
29.	राजी/वनरौत जनजाति का औषधीय ज्ञान एवं उपयोग (उत्तराखण्ड के विशेष सन्दर्भ में) * प्रो. मंजू सिंह * अंशु वर्मा	154–160
30.	जॉन रॉल्स के न्याय की संकल्पना * डॉ. दीपिका कुमारी	161–165
31.	भारतीय दर्शन के अंतर्गत अप्रमा के स्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन *हेमराज मीना	166–171
32.	राजस्थान में सूचना का अधिकार : एक अध्ययन * सीमा कुमारी	172–181
33.	शेखर जोशी के कथा साहित्य में शिल्प * मुन्नी कुमारी	182–185
34.	नेपाल में 2015 का संविधान तथा लोकतांत्रिक अधिकारों का बढ़ता दायरा * सुरेन्द्र कुमार	186–193
35.	जमू—कश्मीर में अलगाववाद की आग * गायत्री जाजोरिय	194–199
36.	भारतीय निर्वाचन आयोग की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भूमिका : एक विश्लेषण * मुकेश कुमार	200–203
37.	झुङ्झुनूँ जिले का जनसंख्या विश्लेषण अनुसूचित जाति, जनजाति के विशेष संदर्भ में * मनोज कुमार वर्मा	204–208
38.	आधुनिक संस्कृत नाटकों में धार्मिक एवं दार्शनिक चेतना * डॉ. सरोज सेवदा	209–215
39.	स्त्री विमर्श : साहित्य और समाज के परिप्रेक्ष्य में *सुमन तिवारी	216–218
40.	महाभारत में शुद्धों के अधिकार * विनीता यादव	219–222
41.	संयुक्त राष्ट्र और भारत * भारत कुमार मिश्र	223–225
42.	महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का पर्यावरण पर प्रभाव * संतोष कुमार श्रीवास्तव	226–228

●●●●●

राजस्थान में सूचना का अधिकार : एक अध्ययन

* सीमा कुमारी

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग,
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

सूचना की स्वतंत्रता के लिए भारत में राज्यस्तरीय पहलकदमीयों ने सूचना के अधिकार के आंदोलन को नवीन आयाम दिए हैं। नागरिकों को सूचना प्रदान करने का प्रथम प्रयास कर्नाटक में हुआ तथा सूचना का विधान बनाने तथा उसे अधिनियमित करने की दृष्टि से तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है। इस क्रम में सूचना के अधिकार की मांग को अमलीजामा पहनाने में राजस्थान एवं मध्यप्रदेश का प्रयास भी सराहनीय है।

राजस्थान में सूचना के अधिकार के लिए लड़ी गयी लड़ाई देश के लिए एक मिशाल है। यह एक ऐसा प्रदेश है जो 1947 में देश के आजाद होने के बावजूद रियासतों के शिकंजे में लगभग एक दशक तक आजादी की राह देखता रहा। ऐसा प्रदेश यदि जानकारी के अधिकार के लिए उद्घोषणा और अगुवाई करता है तो यह हैरान करने वाला वाक्या कहा जा सकता है।

राजस्थान जैसे सामन्ती सोच रखने वाले प्रान्त से उठी इस उद्घोषणा को सारे देश ने सुना था। इतना ही नहीं बल्कि इस उद्घोषणा ने सूचना का अधिकार चाहने वालों को नवीन प्रेरणा भी प्रदान की थी। राजस्थान में सूचना के अधिकार की मांग को पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग, पत्रकारों, वकीलों या किसी मानवाधिकारवादी संगठन ने नहीं उठाया था बल्कि इसकी मांग अकाल पीड़ित क्षेत्रों के गरीब किसान मजदूरों ने की थी। उन्हें लोकतंत्र प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही जैसी बौद्धिक अवधारणाओं का कोई ज्ञान नहीं था। विशेष रूप से दक्षिणी व पश्चिमी राजस्थान के अकाल पीड़ित क्षेत्र की जनता ने इसे जन आन्दोलन का स्वरूप दिया।¹ जब भाजपा सरकार सत्ता में थी (दिसम्बर 1993 से नवम्बर 1998) तब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने जनता के नाम अपने प्रथम संदेश में गरीबों के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराते हुए घोषणा कि उनकी सरकार गरीबों की सेवा को प्राथमिकता देगी। इसी सरकार ने कार्यकाल के समय सन् 1999 से 1994 के मध्य मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा जनसुनवाइयों का सिलसिलेवार आयोजन किया गया।²

सूचना के अधिकार पर आयोजित जनसुनवाइयों : तिथिवार

प्रथम – 7 दिसम्बर 1994 – जिला पाली, तहसील रायपुर

दूसरी – 17 दिसम्बर 1994 – जिला राजसमंद, पंचायत भीम

तीसरी – जनवरी 1995 – जिला राजसमंद, विजयपुरा

चौथी – 7 जनवरी 1995 – जिला अजमेर, जवाजा

पांचवी – 25 अप्रैल 1996 – जिला भीलवाड़ा, थाणा

छठी – 9 जनवरी 1998 – जिला राजसमंद, पंचायत भीम

सातवी – 19 जनवरी 1998 – जिला अजमेर, जवाजा

मजदूर–किसान शक्ति संगठन द्वारा पाली जिले के कोट किराना, राजसमंद जिले की भीम पंचायत, विजयपुरा पंचायत, अजमेर जिले की जवाजा पंचायत और भीलवाड़ा जिले की थाणा पंचायत में एक के बाद एक आयोजित जनसुनवाइयों में चौकाने वाली सच्चाई सामने आने लगी। मस्टर रोल में दर्ज नाम, भुगतान और बिल फर्जी पाए गए। लाखों रुपए की चारागाह भूमि को कोडियों के भाव नीलाम करना, अधूरा निर्माण एवं भुगतान आदि घपलों ने ग्रामीण विकास कार्यों की मानों पोल खोल दी। ऐसे में सूचना के अधिकार की मांग उठी जिससे गांवों के लोग या प्रतिनिधि सरकारी विकास

कार्यों एवं परियोजना से संबंधित अभिलेखों की फोटो प्रति प्राप्त कर सकें। जिससे घोटालों को पकड़ा जा सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त हो। अरुणा रॉय के नेतृत्व में मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा हिंसाब की मांग या सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान के कुछ कर्सों, जिला मुख्यालयों से होते हुए जयपुर पहुंची और इस मांग पर सशक्त आंदोलन से इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची। जैसे—जैसे सूचना के अधिकार की मांग आंदोलन में तब्दील होती गयी वैसे—वैसे जनसुनवाईयों के माध्यम से भ्रष्टाचार को उजागर किये जाने के अभियान भागीदारी के साथ मजदूर किसान शक्ति संगठन ने सरकार के समुख चार मांगें रखी— 1. सूचना की पारदर्शिता, 2. विकास के खर्चों का सामाजिक लेखा जोखा, 3. अधिकारियों की जवाबदेही तथा 4. गबन होने पर पैसे की वसूली।

मजदूर—किसान शक्ति संगठन द्वारा राजस्थान में किए जा रहे संघर्ष को जहां तक एक ओर जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ वहीं दूसरी ओर पंचायत की मशीनरी, जनप्रतिनिधियों एवं नौकरशाहों द्वारा इसका विरोध किया गया। विकासगत खर्चों में पारदर्शिता तथा खर्चों के सामाजिक अंकेक्षण के मुद्दे पर इन्होंने घोर विरोध किया। तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार खामोश थी। सरकार की इस खामोशी से यह मांग और अधिक मुखर हो गयी। सूचना के अधिकार हेतु निरन्तर आन्दोलन से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने 5 अप्रैल 1995 को विधानसभा में घोषणा की कि राजस्थान की जनता के अब तक एक बुनियादी अधिकार सूचना का अधिकार से वंचित रखा गया था। अब वह उन्हें प्रदान किया जाएगा।

इस घोषणा का अभिप्राय था कि कोई नागरिक या पंचायती राज संस्थाओं का कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि शुल्क अदा करने पर विगत पांच वर्षों 1990—1995 के विकास कार्यों के दस्तावेजों की फोटोकॉपी हासिल कर सकता है। इन विकास कार्यों में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी से गबन का पैसा पुनः वसूला जायेगा। किन्तु मुख्यमंत्री की इस घोषणा को लगभग एक वर्ष तक व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता। जनसुनवाईयों के माध्यम से भ्रष्टाचार के जो मामले सामने लाये गये उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुख्यमंत्री की घोषणा लागू नहीं होने पर विवशतः मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा 6 अपैल 1996 से सभाओं, प्रदर्शनों, गोष्ठियों एवं सम्मेलनों के माध्यम से राज्यव्यापी आंदोलन चलाया गया। राजस्थान के नगर ब्यावर में 40 दिन के धरने तथा जयपुर में 53 दिन के धरने ने आन्दोलन को नवीन आयाम दिये। सूचना के अधिकार की अवधारणा अब सीधे—सीधे जनता से जुड़ गयी।¹

इस आन्दोलन से प्रभावित होकर राजस्थान सरकार ने तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (अरुण कुमार) की अध्यक्षता में 17 जून 1996 को एक समिति का गठन किया जिसे दो माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया। परिणामतः धरना समाप्त हो गया। समिति में निम्नलिखित छः सदस्य थे^२—

श्री अरुण कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
श्री एन. के. बैरवा, विकास आयुक्त, राजस्थान सरकार	सदस्य
श्री बी. एस. व्यास, निदेशक, आई डी एस	सदस्य
श्री परमेशचन्द्रा, सचिव, विशेष आयोजना, राजस्थान सरकार	सदस्य
श्रीमती सुशीला कुमारी, जिला प्रमुख पाली	सदस्य
निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य

राजस्थान सरकार ने 30 दिसम्बर 1996 को एक सरकारी आदेश के द्वारा पंचायत स्तर पर सभी सरकारी अभिलेख देखने एवं फोटोप्रति प्राप्त करने का प्रावधान किया गया। 200 शब्दों के सरकारी दस्तावेज की फोटोप्रति प्राप्त करने हेतु 2 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया।

किन्तु यह आदेश निरर्थक था। क्योंकि जनवरी 1998 से जुलाई 1998 के मध्य स्वयं मजदूर किसान शक्ति संगठन अजमेर जिले की किशनगढ़ पंचायत समिति के विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। सूचना के अधिकार की प्राप्ति हेतु संघर्ष के इस दौर के पश्चात् सूचना के अधिकार के लिए मार्ग स्वतः ही खुलता गया जब नवम्बर 1998 में 11वीं विधानसभा के लिए राजस्थान में चुनावों के पश्चात् सत्ता परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार का गठन किया।^३

सूचना का अधिकार 2000, और उसका क्रियान्वयन

अधिनियम की धारा 2 में 'सूचना' व 'सूचना के अधिकार' शब्द की परिभाषा दी गई है। सूचना से अभिप्राय किसी लोक निकाय या राज्य के कार्यकलापों से संबंधित किसी सामग्री अथवा सूचना से है। सूचना के अधिकार से अभिप्राय है—राज्य या लोक निकायों के कार्यकलापों से संबंधित सूचना जनता तक पहुँचना। धारा—3 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को कार्यालय के प्रभारी से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा संबंधित अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए वाछित सूचना उपलब्ध कराये। यदि सूचना उपलब्ध करने पर विफल रहने का जानबूझकर मिथ्या सूचना उपलब्ध करायी जाने पर उस अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अधिनियम की धारा 4 व 8 में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा तथा इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसे आवेदन पर अधिकारी को तीस दिन में वाछित सूचना नकल या फोटोस्टेट कॉपी के रूप में उपलब्ध करानी होगी। बारें कि ऐसी सूचना किसी निर्बन्धन के अन्तर्गत नहीं आती है विशेष उल्लेखनीय यह है कि सूचना का यह अधिकार अवाध नहीं है। धारा 5 में कतिपय उन मामलों का उल्लेख किया गया है जिनमें सूचना उपलब्ध करवाना आवश्यक नहीं होगा अर्थात् ऐसे मामलों में सूचना उपलब्ध कराने से इन्कार किया जा सकेगा, जैसे—

1. विदेशी सरकारों, उनके अभिकरणों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त गुप्त सूचना सहित ऐसी सूचना को रोक सकेगा, जिसके प्रकटीकरण से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन प्रतिकूलतः प्रभावित हो।
2. केन्द्रीय और राज्य सरकार या उनके किन्हीं भी प्राधिकरणों/अभिकरणों के बीच गुप्त रूप से आदान—प्रदान की गयी सूचना सहित ऐसी सूचना को रोक सकेगा, जिसका प्रकटीकरण केन्द्र राज्य संबंधों के संचालन का प्रतिकूलतः प्रभावित करे।
3. मंत्रिमण्डलीय कागज पत्रों, अन्तर विभागीय/अंत विभागीय टिप्पणियों, पत्राचार, राय को अन्तर्विष्ट करने वाले कागजपत्रों के साथ ही आंतरिक नीति विश्लेषण से संबंधित प्रायोजनाओं और धारणाओं सहित ऐसी सूचना जिनके प्रकट करने से आन्तरिक विचार विर्माण की सरलता को हानि पहुँचने की आशंका हो।
4. ऐसी सूचनायें जिनके प्रकटीकरण से विधि के प्रवर्तन, अपराधों के अन्वेषण गिरतारी आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े अथवा किसी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाए अथवा किसी लम्बित मामले के न्यायिक निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े अथवा किसी व्यक्ति का विधिक अभिरक्षा से निकल भागना आसान हो जाए।
5. ऐसी सूचना को रोक सकेगा, जिसका प्रकटीकरण किसी लोक प्राधिकरण की अर्थव्यवस्था या विधिसम्मत आधिकारी और वाणिज्यिक हितों को प्रबन्ध करने की सरकार की योग्यता को प्रतिकूल प्रभावित करे।
6. ऐसी वैयक्तिक सूचना को रोक सकेगा, जिसके प्रकटीकरण का किसी भी लोक क्रिया कलाप से कोई संबंध न हो या जो किसी व्यक्ति की एकांतता में अनुचित हस्तक्षेप करे।
7. ऐसी सूचना जो इस विश्वास के साथ दी गयी हो कि उसे गोपनीय रखा जाएगा।
8. ऐसी सूचना जिसके प्रकाशन से संसद राज्य विधानसभा के विरोधाधिकारों का हनन होता है या किसी सञ्चालन न्यायालय के किसी आदेश को अतिक्रमण होता है।
9. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124 में निर्दिष्ट अभिलेख और सूचना व दावाकृत विशेषज्ञता कार को रोक सकेगा।
10. ऐसी सूचनाएँ जो किसी विशिष्ट समय पर प्रकाशित की जानी अपेक्षित हो अथवा जो विक्रय के लिए प्रकाशित सामग्री से संबंधित हो।

धारा 6 व 7 में अपील के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। यदि कोई संबंधित अधिकारी निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो उसके विरुद्ध नियंत्रक अधिकारी को और नियंत्रक अधिकारी के विरुद्ध द्वितीय अपील सतर्कता समिति या प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव को की जा सकती। ऐसी अपीलों का निस्तारण तीस दिन के भीतर करना आवश्यक होगा। धारा 12 से बाद अभियोजन या विधिक कार्यवाहियाँ से ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया गया है जिनके द्वारा सद्भावनापूर्वक कार्यवाइयों की गयी हैं। इस प्रकार सूचना का यह अधिकार यद्यपि प्रांत की जनता के लिए एक उपलब्धि था या लेकिन इस अधिनियम में की गई कुछ व्यवस्थाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधिनियम जन आकांक्षाओं को पूरा करने में पूर्णतया सफल नहीं था। अधिनियम में सूचना उपलब्ध कराने के लिए तीस दिन का समय निर्धारित किया गया जो अत्यधिक है। कई बार कई सूचनाएँ 'अर्जन्ट' प्रकृति ही होती हैं जिन्हें तत्काल या अल्प समय में उपलब्ध करवाना आवश्यक होता है। विलम्ब से उनका प्रयोजन ही विफल हो जाता है। दूसरा, धारा 5 के अन्तर्गत सूचना के अधिकार पर लगाई गई रोक से ऐसा लगता था मानों सूचना का अधिकार एक हाथ से दिया गया हो तो दूसरे हाथ से वापस ले लिया गया हो। इन निर्बन्धनों की आड़ में किसी भी प्रकार की सूचना से इन्कार किया जा सकता है। निर्बन्धनों का दायरा अत्यधिक व्यापक रखा गया। इन सबके बावजूद सूचना का यह अधिकार प्रदेश की जनता के लिए आशा की एक नयी किरण माना गया।¹⁶

सूचना के अधिकार को जन आन्दोलन बनाने में 'मजदूर-किसान-शक्ति-संगठन की भूमिका

सूचना के अधिकार को लेकर हिन्दुस्तान के एक कोने में गरीब मजदूर किसानों द्वारा शुरू किए गए इस एकमात्र आन्दोलन की दास्तान अनूठी है। राजस्थान में सूचना के अधिकार हेतु किए जाने वाले जन आन्दोलन में अजमेर का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस कार्य को करने में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी बंकर राय, अरुणा राय और निखिल डे आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने गैर सरकारी संगठन के माध्यम से जनता को जागृत करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया।

जयपुर से करीब सौ किलोमीटर दूर तिलोनिया नामक गांव में जाकर बंकर रॉय ने 1972 में एक स्वयंसेवी संगठन 'सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेंटर' (एस.डब्ल्यू.आर.सी.) का गठन किया। बंकर रॉय का एस डब्ल्यू.आर.सी. भारत का एक जाना माना और गैर सरकारी संगठन है। इसकी गिनती ईमानदार गैर सरकारी संगठनों में होती है। इस संगठन का सालाना बजट 2 करोड़ रुपये से अधिक का है। इससे सैकड़ों कार्यकर्ता जुड़े हैं। इन कार्यकर्ताओं को बारह सौ रुपये से लेकर छब्बीस सौ रुपये के बीच प्रतिमाह वेतन मिलता है। इनमें एस श्री निवासन जैसे लोग भी शामिल हैं जो 1970 में दिल्ली में स्थित एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी में कार्यकारी अधिकारी थे और उस समय उन्हें प्रतिमाह करीब 60 हजार रुपये वेतन मिलता था, जबकि अब वे मासिक मात्र 1500 रुपये प्राप्त करते हैं। खुद बंकर रॉय को मात्र 1363 रुपये मानसिक मानदेय मिलता है। एस डब्ल्यू.आर.सी. चालीस प्रतिशत विदेशों से और चालीय प्रतिशत भारत सरकार से अनुदान लेता है। बाकी 20 प्रतिशत हिस्सा वह अपने संसाधनों से जुटाता है। करीब 15 एकड़ में शानदार राजस्थानी पत्थरों से निर्मित इस गैर सरकारी संगठन का मुख्य कार्यालय परिसर सौर ऊर्जा से चलता है। लगभग 16 कम्प्यूटर, आंतरिक फोन व्यवस्था, ईमेल एवं स्पीडपोस्ट सेवा से लेकर सड़क, पानी और हर चीज की व्यवस्था उन की खुद की है। इसी संगठन से अरुणारॉय का 1987 तक यानी कुल करीब बारह वर्षों का अटूट रिश्ता रहा। आज भी वह महीने में कम से कम दस दिन तिलोनिया में अपने पति बंकर रॉय के साथ ही रहती हैं।

लम्बे समय तक एक गैर सरकारी संगठन के जरिये काम करने वाली अरुणा रॉय अब गैर सरकारी संगठनों में सरकारी संस्थागत या विदेशी अनुदानों को उद्यित नहीं मानती। उनकी दिलचस्पी ऐसे अनुदानों के सहारे विकास कार्यों को अंजाम देते रहने में नहीं, जन आन्दोलन खड़ा करने में है। वह किसी राजनीतिक दल से तो नहीं जुड़ी है लेकिन राजनीति में सीधा हस्तक्षेप करना उन्हें जरूरी लगता है। तिलोनिया के काम धाम को लेकर उनका विरोध इन्हीं मुद्दों पर हुआ। उनकी मुलाकात वहीं निखिल डे और शंकर सिंह से हुई। अमरीका से पढ़कर लौटे निखिल डे 1987 में तिलोनिया से करीब डेढ़ सौ किलोमीटर दूर राजस्थान के उस पहाड़ी इलाके में जा पहुंचे, जहां उस समय भीषण अकाल पड़ा था।

यह इलाका राजस्थान के चार जिलों – अजमेर, राजसमंद, पाली और भीलवाड़ा की सीमाओं को छूता हुआ एक वृत्त निर्मित करता है। इस इलाके के केन्द्र में जयपुर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जयपुर से कीरीब 250 किलोमीटर दूर एक गांव देवदंगरी है, जहां एक झौपड़ी नुमा घर में ये तीनों एक साथ रहते हैं। यहीं घर उस मजदूर किसान शवित संगठन (एम.के.एस.एस.) का केन्द्रीय कार्यालय है, जिसकी स्थापना इन तीनों व्यक्तियों की पहल पर उस इलाके के गरीब मजदूर किसानों ने न्यूनतम मजदूरी हासिल करने के लिए की थी, लेकिन अब यह संगठन सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रतीक बन गया है।

सरकारी विकास कार्यों एवं निजी ठेकेदारों द्वारा पहाड़ी पत्थरों की कटाई में मजदूरी करके ही उन्हें अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। शुरू में यहां सार्वजनिक जमीन पर भूमिहीनों को कब्जा दिलाने का भी आंदोलन चला, लेकिन एम के एस एस के गठन के बाद न्यूनतम मजदूरी का सवाल मुख्य मुद्रदा बन गया। राजस्थान सरकार ने इस समय की प्रतिदिन की जो मजदूरी तय की वह 50 रुपये है वह उस समय मात्र 14 रुपये थी। अकाल के बाद उस इलाके में ग्रामीण रोजगार एवं विकास से संबंधित कई सरकारी योजनाएं प्रारम्भ हुई थी। न्यूनतम मजदूरी कानून के उल्लंघन की शिकायतें आम थी। अधिकारी ठेकेदार और गांव के दबंग सरपंच मुखिया मिलकर दिनरात मजदूरों से मेहनत तो करवाते थे लेकिन भुगतान पूरा नहीं करते थे। जिन मजदूरों को एक पैसे का भी भुगतान नहीं होता था, उन्हें भी कागज पर दिखाकर के अधिकारी रकम अपनी जेब में रख लेते थे। मस्टररोल में फर्जी नाम डाले जाने लगे। फर्जी बिल, वाउचर तैयार करने की कई घटनाएं भी प्रकाश में आयी। इनको लेकर एम. के एस एस ने सवाल उठाना शुरू किया। विकास कार्यों की सरकारी फाइल देखने की मांग उठने लगी। यहीं से सूचना के अधिकार का प्रश्न भी सामने आया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घपले और इलाके के बनियों व्यापारियों द्वारा राशन की जमाखोरी भी इस इलाके की एक मुख्य समस्या थी। इससे निपटने के लिए जहां एक ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने की आवाज उठायी, वहीं खुद अपने स्तर पर संगठन ने इलाके के तीन प्रमुख कस्बों में मजदूर किराना स्टोर भी खोले ताकि आम लोगों को सस्ता एवं सही राशन उपलब्ध हो सके। यह कार्यवाही अधोषित रूप से ही सही, बनियों व्यापारियों के खिलाफ सीधी चुनौती थी। किराना स्टोर का प्रयोग बेहद सफल हुआ। इन तीनों दुकानों की कुल विक्री सालाना कीरीब साठ से सत्तर लाख के बीच होने लगी। बनियों के कान खड़े हो गये। संगठन इस प्रयोग से उत्साहित जरूर हुआ लेकिन वह इसे आगे नहीं बढ़ा सका। शायद उसे एक भिन्न किस्म के अर्थवाद में फंस जाने का खतरा लगने लगा। बावजूद इसके यह प्रयोग आम लोगों के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने की दृष्टि से बेहद कारगर साबित हुआ।

1990 से लेकर 1994 के आखिर तक इन मामलों को लेकर तकरार चलती रही। पंचायत स्तर पर भण्डाफोड़ करने के लिए संगठन ने जन सुनवाईयों का एक नया नुस्खा ईजाद किया। किसी एक निर्धारित स्थान पर किसान जुटते थे। पत्रकारों और कुछ गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ संबंधित अधिकारियों को भी इसमें आमंत्रित किया जाता था। लोग अपनी बात रखते थे और बताते थे कि कहां कब किस परियोजना में धांधली की गयी। इस समूची कार्यवाही के ही जन सुनवाई नाम दिया गया। अभी तक संगठन की ओर कुल सात जनसुनवाईयां हो चुकी हैं—

पहली जन सुनवाई जिला पाली, तहसील राजपुर के कोट किराना ब्लाक पर 2 दिसम्बर 1994 को हुई थी। इस जनसुनवाई में जब मस्टर रोल में दर्ज सौ लोगों का नाम पढ़ा गया तो पता चला कि उनमें कई नाम फर्जी हैं। जो लोग कभी काम पर गये ही नहीं, उनका नाम भी उस मस्टर रोल में था और उनकी मजदूरी का भुगतान भी दर्शाया गया था। यहीं नहीं इस मस्टर रोल में कुछ ऐसे लोगों के नाम भी थे जिनकी काफी पहले मृत्यु हो चुकी थी। एक ऐसे पटवार घर के निर्माण का उदाहरण भी सामने आया, जिसे कागजों पर तैयार दिखाया गया था। जबकि वह था अधूरा। छत दरवाजों और खिड़कियों के बिलों के भुगतान ले लिया गया था लेकिन उस पटवार घर में ये सारी चीजें नहीं थी। इस पूरे प्रकरण में स्थानीय अधिकारियों और सरपंच के अलावा राजस्थान विधानसभा के एक पूर्व उपाध्यक्ष का नाम भी उछला। इस जन सुनवाई का और कोई खास असर तो नहीं हुआ, लेकिन एक माह बाद हुए पंचायत चुनाव में तत्कालीन सरपंच की पराजय जरूर हो गयी। लोगों का उत्साह बढ़ा और दूसरी जनसुनवाई 17 दिसम्बर 1994 को राजसमंद जिले की भीम पंचायत

पर हुई। इस जन सुनवाई में भैरोंनाथ एण्ड संस नाम की एक ऐसी फर्जी कम्पनी के मालिक खण्ड स्तरीय अधिकारियों के परिजन और पत्रियां थी। आमंत्रण के बावजूद ये अधिकारी उस जनसुनवाई में नहीं आये, तब एम के एस एस ने उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार नियंत्रण विभाग में एफ आई आर दर्ज करायी।

तीसरी जनसुनवाई राजसमंद जिले के ही विजयपुरा में हुई। आंगनवाड़ी कार्यक्रम में पिछले चार सालों के दरम्यान करीब 14 लाख रुपये घोटाले का मामला इस सुनवाई में उभरकर सामने आया। जनसुनवाई के दौरान यह भी पता चला कि लगभग 70 लाख रुपये कीमत वाली पंचायत की चरागाह भूमि को कौड़ियों के भाव नीलाम कर दिया गया है। नीलामी के समय जिन 800 लोगों की उपस्थिति के हस्ताक्षर दिखाये गये थे, उनमें से एक भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। इस घोटाले में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध भी एफ आई आर दर्ज करायी गयी। जाच के बाद सारे आरोप सही पाये गये। कुछ के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई भी की। लेकिन बाद में मामला रफा दफा कर दिया गया।

चौथी जनसुनवाई 7 जनवरी 1995 को अजमेर जिले की जवाजा पंचायत समिति पर हुई। पिछली जनसुनवाईयों को मिले व्यापक जन समर्थन से घबराकर इस बार ग्राम सेवकों ने हड्डताल कर दी। सरकारी कागजात दिखाने से मना कर दिया। मामला जनता को दिये जाने वाले सूचना के अधिकार तक आ पहुंचा। इस जनसुनवाई में फिर जनता ने ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

पाँचवीं जनसुनवाई 25 अप्रैल 1996 को भीलवाड़ा जिले के थाणा में हुई। पिछली जनसुनवाईयों से भिन्न इस बार की जनसुनवाई पंचायत के पदाधिकारियों के साथ मिलकर हुई। चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा में सूचना का अधिकार देने की घोषणा भी कर चुके थे। लिहाजा अधिकारी भी इस को लेकर चौकन्ने थे। सरपंच लादू सिंह थे जो कि एम के एस एस से जुड़े थे। पारदर्शिता की नवी मिसाल प्रस्तुत हुई। सारे विकास कार्यों का व्यौरा साफ साफ रखा गया। इस जनसुनवाई के बाद संगठन ने भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों से घूस में ली गयी रकम वसूलनी भी शुरू की। कई ग्राम सेवकों, भ्रष्ट सरपंचों और राज्य विद्युत बोर्ड के अभियंताओं से घूस की रकम वापस ली गयी। राजस्थान के इतिहास की यह एक नायाब घटना थी।

9 और 19 जनवरी 1998 को कूकरखेड़ा (भीम पंचायत राजसमंद) एवं सुरजपुरा (जवाजा पंचायत अजमेर) में भी जनसुनवाईयां हुईं। लाखों का भ्रष्टाचार सामने आया। सूरजपुरा की जनसनवाई में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी पहुंच गये थे। 1996 से लेकर 1998 के बीच सूचना का अधिकार आंदोलन ने एक नया आयाम ग्रहण किया। पंचायत और निचले स्तर पर भ्रष्टाचार की ये घटनाएं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों की हैं। लेकिन यह कहानी समूचे हिन्दुस्तान की है। एक अनुमान के मुताबिक देश के ग्रामीण विकास के पद में प्रतिवर्ष करीब 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होने वाली राशि का नव्वे प्रतिशत हिस्सा बिचौलियें हड्डप जाते हैं। राजस्थान भी इसका अपवाद नहीं है। यहां की कुल 9000 पंचायतों के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से प्रतिवर्ष लगभग 700 से 800 करोड़ रुपये दिये जाते हैं। जिसमें से अधिकांश राशि विभिन्न स्तरों (निचले स्तर अधिक) पर सरकारी कर्मचारी हड्डप लेते हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय का योगदान

सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय में अवस्थित है। सूचना अधिकार आंदोलन को जनप्रिय बनाने में इसका विशेष योगदान रहा है। निदेशालय के पुस्तकालय में संदर्भित विषय पर प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार का साहित्य उपलब्ध है। निदेशालय द्वारा अधिकांश सामग्री निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। इस संगठन के जन उत्तरदायित्व से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों का बिन्दुवार विवरण निम्नलिखित है—

1. निदेशालय के अन्तर्गत 32 जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय हैं।
2. इस विभाग द्वारा कई प्रकार की सूचनाएं एवं सन्दर्भ प्रदान किए जाते हैं।
3. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु है।
4. राज्य एवं जिलों में आयोजित समारोहों, बैठकों तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारियां मीडिया व समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाती हैं।

5. राज्य सरकार की नीतियों, विकास कार्यक्रमों, जनमंगल के फैसलों और विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों को जनसंचार एवं प्रचार प्रसार के माध्यमों से व्यापक रूप से इस विभाग द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है।
6. राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को प्रकाशित कर अथवा प्रदर्शनियों, होर्डिंग्स, फिल्म प्रदर्शन अथवा गोष्ठियों आदि के माध्यम से जन जन तक प्रचारित किया जाता है।
7. अद्यतन सूचनाएँ एवं संदर्भ सामग्री भी चाहने पर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।
8. विभाग द्वारा विभिन्न समारोहों, कार्यक्रमों, कला एवं संस्कृति विकास कार्यों ऐतिहासिक सन्दर्भ, विशिष्ट व्यक्तियों को राजस्थान यात्रा तथा राज्य के विविध पहलुओं से सम्बद्ध छायाचित्र चाहने पर नागरिकों को उपलब्ध कराये जाते हैं।
9. निदेशालय द्वारा द्वैमासिक पत्रिका राजस्थान सुजस का प्रकाशन किया जाता है। यह पंचायत समितियों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।
10. निविदा सूचनाएँ भी प्रकाशनार्थ भिजवाई जा सकती हैं।
11. पंचायतें अपनी पंचायतों की उपलब्धियां, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां एवं महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रकाशनार्थ अपने से संबंधित जिले में भिजवा सकती हैं।¹⁸

राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन

केन्द्रीय सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 15 (आई) के अनुसार राजस्थान सरकार ने 13 अप्रैल 2005 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया। कानून की धारा 15(1) के अनुसार राज्य सूचना आयोग का एक निकाय के रूप में गठन करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और आवश्यकता अनुसार अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान 10 सूचना आयुक्त ही नियुक्त हो सकते हैं।

राज्यपाल द्वारा बनी समिति के संस्तुति के अनुमोदन पर ही राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जायेगी। राज्यपाल द्वारा बनी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे— 1. मुख्यमंत्री – समिति का अध्यक्ष, 2. विधानसभा के विपक्षीदल का नेता और 3. मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्रिमण्डल का एक मंत्री। कानून की धारा 15(3) के अनुसार यदि किसी विधानसभा के विपक्षी दल के नेता की घोषणा नहीं की गयी है, वहां सरकार के विरुद्ध सबसे बड़े दल के नेता को विपक्षी दल का नेता माना जायेगा।

राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम डी कोरानी थे। कोरानी नियुक्ति से पूर्व राजस्थान संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त होने की घोषणा के कारण उन्होंने सेवा निवृत्ति की नियम तिथि से 5–6 महीने पूर्व ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। सूचना अधिकार कानून 2005 की धारा 15 (3) के अनुसार राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर 18 अप्रैल 2006 को उनकी नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर की गई। श्री एम.डी.कोरानी के बाद राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री टी श्रीनिवासन की नियुक्ति सितम्बर 2011 में की गई। राज्यपाल शिवराज पाटिल ने इन्हें शपथ दिलाई। अगस्त 2015 तक उनका कार्यकाल इस पद पर रहा। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त श्री सुरेश चौधरी हैं। उनकी नियुक्ति इस पद पर नवम्बर 2015 में की गई। राजभवन में आयोजित एक सादा समारोह में राज्यपाल श्री कल्याणसिंह ने मुख्य सचिव श्री सी एस राजन ने मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाने के लिए आग्रह दिया। इस भौके पर मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, राज्यमंत्री मण्डल के सदस्यगण, भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त राज्य में तीन सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। किसी भी राज्य में अधिकतम 10 सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं लेकिन राजस्थान सरकार ने इस सन्दर्भ में संकीर्णता का परिचय दिया है। यहां पर मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त तीन सूचना आयुक्त ही नियुक्त किए गए हैं। जिनमें डॉ. पी एल अग्रवाल को 10 अक्टूबर 2014 को नियुक्त किया गया तथा चन्द्रमोहन भीणा तथा आशुतोष शर्मा को नवम्बर 2015 में नियुक्त किया गया है।

18 अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2014 तक राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कोई सूचना आयुक्त नियुक्त नहीं किया था। राजस्थान सरकार ने इस सन्दर्भ में संकीर्णता का परिचय दिया है। राजस्थान सूचना आयोग में

पिछले काफी समय से सितम्बर 2011 से अक्टूबर 2014 तक अकेल मुख्य सूचना आयुक्त श्री टी श्रीनिवासन ही प्रकरणों की सुनवाई कर रहे थे। अक्टूबर 2014 में राज्य सरकार ने डॉ पी एल अग्रवाल को सूचना आयुक्त नियुक्त किया। वर्तमान में राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सुरेश चौधरी के अतिरिक्त तीन सूचना आयुक्त नियुक्त हैं फिर भी आयोग में कर्मचारियों की कमी है इससे कामकाज पर असर पड़ रहा है। आयोग में अधिकारियों के मुकाबले कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है और कर्मचारियों की इस कमी के चलते आरटीआई, अधिनियम की समयबद्ध क्रियान्विति भी बाधित हो रही है। आयोग में दस कर्मचारी ऐसे हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद भी आयोग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहीं इन कर्मचारियों में से दो कार्मिक संविदा पर काम कर रहे हैं। स्थायी कर्मचारियों के नाम पर आयोग में महज आठ कार्मिक कार्यरत हैं।⁹

प्रतिनियुक्ति का रुझान कम

आयोग में कर्मचारियों की कमी का आलम यह है कि जितनी संख्या में हाल ही में कार्यरत सूचना आयुक्तों द्वारा फैसले किए जाते हैं उतनी संख्या में फैसलों को टाइप करने के लिए पर्याप्त ऑपरेटर भी नहीं हैं। आयोग में कर्मचारियों पर काम का बोझ इतना ज्यादा है कि दूसरे विभागों से कर्मचारी यहां प्रतिनियुक्ति पर आने में कठराते हैं ऐसे में आयोग का कामकाज निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए राज्य सरकार को तुरन्त पर्याप्त की नियुक्ति करनी होगी। नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद आयोग में नए सिरे से कार्य विभाजन किया गया है। कोर्ट नम्बर एक में मुख्य सूचना आयुक्त श्री सुरेश चौधरी सुनवाई करते हैं। जयपुर जिले से जुड़ी अपीलें इस कोर्ट के अधीन की गई हैं। जोधपुर और जयपुर हाइकोर्ट से जुड़ी अपीलों पर भी इस कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट नम्बर दो में सूचना आयुक्त श्री डॉ. पीएल अग्रवाल सुनवाई करते हैं। सभी संभागों से जुड़ी शिकायतों पर इस कोर्ट में सुनवाई होती है। उदयपुर और अजमेर संभाग की अपीलें भी इसी कोर्ट के अधीन की गई हैं। कोर्ट नम्बर तीन में सूचना आयुक्त श्री चन्द्रमोहन मीणा सुनवाई करते हैं। बीकानेर और जोधपुर से जुड़ी अपीलों पर इस कोर्ट में सुनवाई होती है। कोर्ट नम्बर चार में सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा कोटा और भरतपुर संभाग से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई करते हैं। जयपुर संभाग के झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा जिले की अपीलों पर भी इस कोर्ट में सुनवाई होती है। आयोग में सूचना आयुक्तों की कमी होने से लम्बित प्रकरणों का आंकड़ा इतना बढ़ गया था कि वर्तमान में परिवादियों को करीब दो साल बाद की तारीख देनी पड़ रही है। अब एक साथ चार कोर्डस में सुनवाई शुरू होने से लम्बित प्रकरणों का तोजी से निस्तारण होगा।¹⁰

कार्यालय

कानून की धारा 15 (4) के अनुसार सूचना आयोग का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जिसे सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर निर्धारित किया है। यही नहीं राज्य सरकार पूर्वानुमोदन प्राप्त कर राज्य सूचना आयोग, राज्य के अन्य स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित कर सकता है। राजस्थान सूचना आयोग का कार्यालय प्रारम्भ में योजना भवन, जयपुर में सूचना एवं तकनीकी विभाग के निदेशालय को आवंटित कर्मर में था। शुरुआत में आयोग की स्थिति बहुत दयनीय अवस्था में थी। आयोग कहां पर अवस्थित है इस हेतु योजना भवन में कोई बोर्ड तक नहीं लगाया गया। लोग पूछते—पूछते तीसरी मंजिल पर स्थित कार्यालय भवन पहुँचते थे।

सूचना एवं तकनीकी निदेशालय का एक क्लर्क (अपना निर्धारित काम तो करता ही था।) अपील लेकर मुख्य सूचना आयुक्त को देने का कार्य भी करता था। लेकिन वर्तमान में राजस्थान सूचना आयोग का कार्यालय झालाना लिंक रोड, ओटीएसएमआईटी चौराहा जेएलएन मार्ग जयपुर में अवस्थित है।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्ते—

अधिनियम की धारा 16 (1) में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित है। लेकिन (मुख्य सूचना आयुक्त / सूचना आयुक्त) 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद पर नहीं रहेगा। सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति का पात्र है परन्तु सूचना आयुक्त एवं मुख्य सूचना आयुक्त दोनों को मिलाकर उसका कार्यालय 5 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 15(3) के अनुसार सूचना आयुक्त की मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति निर्धारित रीति (राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर) से ही की जाएगी।

पद से हटाया जाना एवं त्यागपत्र

अधिनियम की धारा 16 (4) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त राज्यपाल को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को राज्यपाल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटा सकता है। राज्यपाल दिए गए निर्देश की रिपोर्ट आ जाने के बाद इनको पद से हटा सकता है। अधिनियम की धारा 17(2) के तहत राज्यपाल न्यायालय की जांच के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचनायुक्त को पद से निलम्बित कर सकता है और यदि आवश्यक समझे तो जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने पर प्रतिबंध लगा सकता है। अधिनियम की धारा 17 (3) में राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्तों में धारा 17(1) के अतिरिक्त भी पद से हटाने का आदेश दे सकता है यदि ये आयुक्त (क) दिवालिया न्यायनिर्णित हो चुके हों या (ख) राज्यपाल की राय में अनैतिक कृत्य के दोषी हैं या (ग) अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य कारोबार में लिप्त हो या (घ) राज्यपाल की राय के मानसिक या शारीरिक असमर्थता के कारण पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य हो, या (ड) उसने ऐसे वित्तीय लाभ प्राप्त किये हो जिनके कारण मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो।

वेतन एवं भत्ते

अधिनियम की धारा 16 (5) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन केन्द्रीय चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त के बराबर होगा। अधिनियम की धारा 16 (5)बी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन उस राज्य सरकार के मुख्यसचिव के बराबर होगा। कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों एवं सेवा शर्तों में कोई ऋणात्मक परिवर्तन नहीं होगा।

योग्यता

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त बनने के लिए किसी व्यक्ति को विधि, विज्ञान, तकनीकी, समाजसेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन माध्यम, शासन और प्रशासन में व्यापक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ वाला पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार या व्यवसाय नहीं करेगा। अगर किसी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को नियुक्ति के समय केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त होती है तो आयुक्तों के वेतन में से पेंशन की राशि कम कर दी जाएगी।¹¹

सूचना आयोग के कार्य

राज्य सूचना आयोग की किसी भी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने का अधिकार है—

- (क) जो लोक सूचना अधिकारी को सूचना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है क्यों कि ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, या सहायक लोकसूचना अधिकारी ने जिसका आवेदन पत्र लेकर या अपील लेकर लोकसूचना अधिकारी या अपील अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, को अग्रप्रेषित करने से मना कर दिया है।
- (ख) इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गयी कोई जानकारी तक पहुंच के लिए या सूचना देने के लिए मना कर दिया है।
- (ग) जिसको निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सूचना के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
- (घ) अनुचित शुल्क देने की अपेक्षा।
- (ड) जो यह विश्वास करता है कि सूचना अपूर्ण, भ्रामक या मिथ्या दी गयी है।
- (च) अधिनियम से संबंधित अनुरोध या पहुंच जो इससे संबंधित हो।

सूचना अधिकारी को जांच आदेश दिये जाने की शक्तियाँ—

आयोग को युक्तियुक्त कारणों की दशा में जाँच आदेश दिए जाने की शक्तियाँ हैं। आयोग में निम्नलिखित शक्तियाँ निहित हैं—

- (क) व्यक्तियों को समन करने, उपस्थित करने तथा शपथ पर मोखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको बाध्य करना।

- (ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना।
- (ग) शपथपत्र का साक्ष्य का अभिग्रहण करना,
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना,
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा करने हेतु समन जारी करना,
- (च) कोई अन्य विषय जो निहित किया जाये।

राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जांच में लोकसंगठन/कार्यालय के नियंत्रण वाले समर्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। किसी भी आधार पर कोई अभिलेख छुपाया नहीं जा सकता, चाहे वह प्रकटीकरण से छूट दी गई श्रेणी में ही सम्मिलित क्यों न हो। राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित निर्देश जारी कर अधिनियम की पालना सुनिश्चित करवा सकता है :

- (क) विशिष्ट रूप से सूचना उपलब्ध करवा कर।
- (ख) केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी या राज्य लोकसूचना अधिकारी की नियुक्ति करवाकर।
- (ग) विशेष सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करवाकर।
- (घ) अभिलेखों के रखे जाने, प्रबन्ध और उनके विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करवाकर।
- (ङ) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था कर।
- (च) लोक संगठन/कार्यालय से कानून की अनुपालना के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन मंगवाकर।

राज्य सूचना आयोग को यह अधिकार है कि वह संबंधित लोक संगठन को परिवादी की हानि या अन्य क्षतिपूर्ति करवाने का आदेश दे सकता है। आयोग को अधिनियम में वर्णित दण्ड देने की शक्ति है, अर्थात् वह आवेदन प्राप्ति तक या सूचना उपलब्ध कराने तक रुपये 250/- प्रतिदिन की दर से दण्ड वसूल कर सकता है, जो अधिकतम रुपये 25000/- हो सकता है।¹²

निष्कर्षः कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हालाँकि सूचना का अधिकार जन अधिकारों के पक्ष में अग्रसर तो हुआ है लेकिन वास्तविक लाभों को प्राप्त करने के लिये इसके मार्ग में आने वाली संरचनात्मक, संस्थागत और प्रक्रियागत बाधाओं व जटिलताओं के दुष्क्र को तोड़ना होगा। इस क्रम में जागरूकता फैलाने वाला ठोस अभियान चलाना होगा। सूचना का अधिकार के संरक्षण में न्यायालयों और सिविल सोसाइटी संगठनों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

संदर्भ

- 1 सिंधल, आभा : आपका सूचना का अधिकार, कॉमनवेल्थ हूमेन राइट्स इनिटिएटिव, 2001, पृ. 82
- 2 शर्मा, अभिषेक : सूचना का अधिकार : अवधारणा स्वरूप एवं संभावनाये, 'राज्य शास्त्र समीक्षा' राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर अंक 1-2, 2004, पृ. 140-157
- 3 हम जानेंगे, हम जियेंगे, मजदूर किसान शक्ति संगठन प्रतिवेदन संकलनकर्ता : विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर, 1996
- 4 गालवा, डॉ. हनुमान : आम आदमी और सूचना का अधिकार, पत्रिका प्रकाशन, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, एम.आई. रोड, जयपुर, 2010, पृ. 27
- 5 सिंह, सरेन्द्र : सूचना का अधिकार, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर, 2014, पृ. 66
- 6 नाटाणी, प्रकाश नारायण : राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून, बाफना पब्लिसिंग हाउस, चौड़ा रास्ता, जयपुर, 2003, पृ. 19
- 7 डायमंड इण्डिया ट्रिमासिक पत्रिका, सूचना का अधिकार विशेषांक, भीलवाड़ा, मजदूर किसान शक्ति संगठन, जून-जलाई, 2005
- 8 राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान सरकार
- 9 जैन, प्रो. रमेश एवं गुर्जर नाथूलाल : सूचना का अधिकार, अपेक्षाएं और युनौतियों, सबलाइन पब्लिकेशन, शांति नगर, जयपुर, 2006, पृ. 23
- 10 जैन, प्रो. रमेश एवं गुर्जर नाथूलाल : सूचना का अधिकार, अपेक्षाएं और युनौतियों, सबलाइन पब्लिकेशन, शांति नगर, जयपुर, 2006, पृ. 24
- 11 मिश्रा, निलाम : पिपुल्स राइट टू इन्फोर्मेशन मूवमेंट : लेशन्स फ्राम राजस्थान, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन्स डबलपर्सेट प्रोग्राम, 2003, पृ. 8
- 12 भंसाली एस आर : द राइट टू इन्फोर्मेशन एवट 2005, लॉ. एण्ड प्रेक्टिस इण्डिया पब्लिशिंग हाउस, जोधपुर, 2002, पृ. 128






अधिकार

ISSN 2231-2552

ADHIKAR

An International Refereed & Peer-Reviewed Research
Journal Related to Higher Education for all Subjects

Year-8 Volume-IV April 2018
UGC Approved No. 45496
SLRF Impact Factor : 2.360



Adhikar

प्रथान संस्थान
डॉ मुकेश बुमार मालवीय

CONTENTS

1.	धन्ना जी एवं पीपा जी की वाणी (परची) एवं गुरु ग्रंथ साहब * डॉ. मोहन लाल मीना	1-9
2.	भारत और चीन सम्बन्ध : डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल के विशेष संदर्भ में * सुरेश कुमार मीना	10-14
3.	प्राचीन भारत में सैन्य व्यवस्था : एक अध्ययन * धर्मराज मीना	15-17
4.	राजस्थान में प्रशासनिक सुधार : सूचना के अधिकार के विशेष संदर्भ में * भूर सिंह मीना	18-22
5.	भारत में निर्वाचन सुधार हेतु किये गये प्रयास : एक संक्षिप्त अध्ययन *रितु यादव	23-29
6.	भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता : ऐतिहासिक स्वरूप * सुषमा	30-37
7.	बीकानेर में प्रमुख पर्यटन स्थल : एक अध्ययन * सुशील कुमार सारण * * डॉ. डी.सी. डूड़ी	38-43
8.	कोटा शहर में पर्यावरण प्रदूषण व जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव * डॉ. एम.जे.ड.ए.खान * * बटेश कुमार	44-48
9.	दक्षिण-पूर्वी एशिया में हिन्दू साम्राज्य : श्रीविजय राज्य के विशेष संदर्भ में * प्रियंका मीना	49-52
10.	स्वतंत्रता के उपरांत गांधीवादी आंदोलन : जे.पी. आंदोलन के विशेष संदर्भ में * विक्रम मीना	53-58
11.	भारतीय समाज सुधार आन्दोलन के मुख्य स्तम्भ : एक अध्ययन * सरोज कुमारी	59-62
12.	उपनिवेशकाल में राजपूताने में अफीम उत्पादन और अफीम रॉयल कमीशन * संतोष मीना	63-65
13.	उपन्यास बोये हुए दर्द : एक समीक्षात्मक अध्ययन * लक्ष्मी शर्मा	66-69
14.	गांधीवादी विन्दन के प्रचार-प्रसार में उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित केन्द्रों तथा संरथाओं की भूमिका * मनीष गंगावत	70-74
15.	राजस्थान में अपराध विस्तार एवं पुलिस की सफलता * हुलकेश कुमारी	75-79
16.	राजस्थान में जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव * भूरसिंह मीना	80-84
17.	भारतीय दलीय व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी का उभरता स्वरूप : एक अध्ययन * कमल कान्त शर्मा	85-90
18.	बीकानेर के जनजागृति में श्रीसर्वहितकारिणी सभा की भूमिका * कौशल्या सांकुल्य	91-95

19.	पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद की आग * गायत्री जाजेरिया	96–100
20.	नागौर के सामान्य जन–जीवन में चित्रकला का योगदान * मुकेश यादव ** डॉ. प्रतिभा यादव	101–104
21.	मुस्लिम महिलाओं में अपने अधिकारों की जानकारी एवं प्रयोग का विश्लेषण : एक समाजशारकीय अध्ययन * डॉ. चन्द्रकला	105–110
22.	समकालीन नाटकों में मिथक और यथार्थ की अभिव्यक्ति * सावित्री चौधरी	111–114
23.	प्रागैतिहासिक काल में भारतीय हस्तशिल्प कला : एक अध्ययन * जगवीर सिंह	115–118
24.	न्याय की संकल्पना : प्लेटो के विशेष संदर्भ में * डॉ. दीपिका कुमारी	119–122
25.	विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में सूचना का अधिकार * सीमा कुमारी	123–129
26.	शेखर जोशी के कथा साहित्य में आधुनिकता * मुन्नी कुमारी	130–134
27.	नेपाल में राजनीतिक पृष्ठभूमि : 1951–1959 * सुरेन्द्र कुमार	135–138
28.	स्वातंत्र्योत्तर भारत में साम्प्रदायिक सद्भाव के गांधीवादी प्रयास *शमशाद खान	139–142
29.	संस्कृत रूपकों में नाट्यशास्त्र और नाट्यशिल्प * डॉ. सरोज सेवदा	143–150
30.	राजी/वनरौत जनजाति के शैक्षिक विकास में सरकारी व गैर–सरकारी संस्थाओं की भूमिका (उत्तराखण्ड के विशेष सन्दर्भ में) * प्रो. मंजू सिंह ** अशु वर्मा	151–156
31.	झुन्झुनूँ जिले में पर्यावरण अवनयन एवं सतत विकास का मूल्यांकन * अमित प्रजापति	157–159
32.	जल संसाधन और जल संकट का समीक्षात्मक अध्ययन *गोविन्द सिंह मीना	160–162
33.	R. K. Narayan's Cult * Suchitra Pathak	163–168
34.	The Earth and its Protection: A Global Perspective * Manoj Kumar	169–171
35.	Marital Disharmony in Shashi Deshpande's The Dark Holds no Terror *Dr. Anurita Singh	172–176

विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में सूचना का अधिकार

* सीमा कुमारी

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग,

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

अरस्तू ने इस भीड़ तंत्र को "डेमोक्रेसी" कहा है। अरस्तू ने ही बहुतंत्र या संवैधानिक शब्द का प्रयोग 'डेमोक्रेसी' के रूप में किया था।¹ लास्की का कथन सच है कि राजतंत्र ने अपने आप को जनता के हाथों बेच दिया है।² यूरोप की इस लोकप्रिय शासन पद्धति के प्रति भारतीय जनमानस में गहरी रुचि उत्पन्न हुई, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जनता के इस शासन में जन को अधिक से अधिक भागीदार किस प्रकार बनाया जाए? सम्भवतः सूचना का अधिकार इस निमित्त एक कारगर उपाय है।

जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गयी जन सरकारों को ही लोकतंत्र का भाग्य विधाता माना जाता है। देश चलाने के लिए ये सरकारें संविधान बनाती हैं। और उस संविधान के अनुसार चलती भी हैं। संवैधानिक लोकतंत्र आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली का सर्वाधिक प्रचलित और स्थापित रूप है। जनता के प्रति जवाबदेही इस लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है और इस जवाबदेही की सर्वाधिक मुख्य अभिव्यक्ति पारदर्शिता है। पारदर्शित को अभिव्यक्त अथवा स्थापित करने के अनेक रूप हो सकते हैं। आधुनिक एवं सम्यक कहे जानेवाले संवैधानिक लोकतंत्र में यह जिम्मेदारी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रों के संविधानों पर आती है। संविधानों के प्रावधान ही अपने उपबन्धों को बाध्यकारी बनाते हैं और इन बाध्यताओं के कारण स्थापित परम्पराएँ ही मार्गदर्शक सिद्धान्त बन जाती हैं। चाहे सूचना की स्वतंत्रता कह लें अथवा जनने या सूचना का अधिकार – यह सभी इन्हीं संवैधानिक परम्पराओं की देन है। वीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध वाली संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था सूचना के अधिकार की अलग-अलग अवधारणाओं तथा संवैधानिक प्रावधानों से भरी पड़ी है।

विश्व का सबसे बड़ा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ भी मानता है कि सूचना के अधिकार के बिना विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का कोई खास औचित्य नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 1948 वाला चार्टर ही नहीं बल्कि दिसम्बर 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर जारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र में भी सूचना की स्वतन्त्रता की वकालत की गयी है। इस प्रतिज्ञापत्र का अनुच्छेद 19 (2) कहता है—

1. बिना किसी हस्तक्षेप के हर व्यक्ति को विचाराभिव्यक्ति की आजादी होगी।
2. हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार होगा। इसमें सभी प्रकार की सूचनाएँ और विचार एकत्र करने, प्राप्त करने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने का अधिकार भी शामिल है। देश की सीमाओं को ध्यान में रखे बौरे कोई भी व्यक्ति यह काम मौखिक, लिखित अथवा किसी भी अन्य रूप में जो उसे पसन्द हो किसी भी माध्यम के जरिये कर सकता है।
3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 में दिये गये अधिकारों का उपभोग करने वालों के कुछ विशेष कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी होंगी। यानि इस पर कुछ प्रतिबंध भी हो सकते हैं, जिनका कानून में स्पष्टतः उल्लेख होगा। जैसे— (अ) यह अधिकार किसी के व्यक्तिगत जीवन की गोपनीयता को भंग नहीं कर सकता। (ब) राष्ट्रीय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य और सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा के मामले इस अधिकार के दायरे से बाहर होंगे।

अनुच्छेद 17 (1) भी उतना ही प्रासंगिक है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति न तो किसी के निजी जीवन, परिवार, घर अथवा पत्र व्यवहार संबंधी गोपनीयता को भंग कर सकता है और न ही व्यक्ति विशेष के सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने वाली सूचनाओं का गैरकानूनी इस्तेमाल कर सकता है।³

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित संगठन 'यूनेस्को' (यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइटिफिक एण्ड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन) भी है। 'यूनेस्को घोषणा' नाम से प्रसिद्ध 1978 का प्रपत्र स्पष्टतः करता है— 'विचार, अभिव्यक्ति और सूचना के अधिकार को मानवाधिकारों तथा मौलिक, स्वतन्त्रताओं के अविभाज्य अंग के रूप में मान्यता प्रदान करनी होगी।'

बहुचर्चित सीन मैकब्राइड रिपोर्ट, जिसकी भूमिका यूनेस्कों के तत्कालीन महानिदेशक ने लिखी थी, में भी सूचना के अधिकार की वकालत की गयी है। 'मैनी वरसेस बन वर्ल्ड' नामक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सूचना की स्वतन्त्रता के बांगे अभियक्ति की स्वतन्त्रता की समूची अवधारणा अधूरी रह जाएगी।⁴ संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनेस्कों के अलावा मानवाधिकारों एवं राजनीतिक अधिकारों पर हुए अन्य कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी सूचना के अधिकार का सवाल उठाया गया। अधिकांश देशों के राष्ट्राधिकारों ने इस अधिकार को लोकतंत्र की बुनियाद माना। शायद यही कारण है कि आज दुनिया के लगभग दर्जन भर से ज्यादा राष्ट्रों ने इस अधिकार को अपने संविधान का अभिन्न अंग बना लिया है।

स्वीडन – अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश स्वीडन है। सरकारी कागजात को देखने की स्वीकृति देने की वकालत सबसे पहले स्वीडन ने की थी। स्वीडिंग संविधान सूचना की आजादी देने वाला दुनिया का सर्वाधिक पुराना संविधान है। स्वीडन के प्रत्येक नागरिक को सरकारी कागजात और प्रशासनिक गतिविधियों की पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार 1766 में प्राप्त हो गया था। 1766 में स्वीडन की सरकार ने 'प्रेस की स्वतन्त्रता' नामक कानून बनाया। सरकारी कामकाज की सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार इस कानून का एक हिस्सा था। यह अधिकार उस समय स्वीडन के चार मौलिक अधिकारों में से एक था। इस कानून के अस्तित्व में आने की घटना भी कम रोचक नहीं है। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के शुरुआती वर्षों में स्वीडन में मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल थे। एक का नाम 'हैट्स' और दूसरे का नाम 'कैप्स' था। 'हैट्स' प्रभावशाली था। लंबे समय तक स्वीडन की बागडोर इस पार्टी के हाथ में रही। 1750 के बाद स्वीडन की राजनीति में 'कैप्स' का प्रभाव बढ़ने लगा। इसी दौरान सरकार की जवाबदेही और उसके कामकाज में पारदर्शिता लाने के सवाल पर स्वीडन में एक जबरदस्त आन्दोलन चला।

"हैट्स वाले गोपनीयता के पक्षधर थे जबकि 'कैप्स' पार्टी, तन्ह में पारदर्शिता की वकालत करती थी। 'हैट्स' की हार हुई और स्वीडन की बागडोर 'कैप्स' पार्टी के हाथ में चर्ची गयी। चुनाव के बाद सरकार ने 1766 में सबसे पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट बनाया। इस कानून में तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए आम नागरिक को सूचना की स्वतन्त्रता देने का प्रावधान किया गया।

अनुच्छेद 1 के अनुसार – विचारों का आदान प्रदान एवं जन जागरूकता में वृद्धि के लिए स्वीडन के प्रत्येक नागरिक को सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने की स्वतन्त्रता होगी। स्वीडन का यह कानून सूचना प्राप्त करने की स्वतन्त्रता तो देता है लेकिन इसके दायरे से वह कुछ मामलों को बाहर भी रखता है। कानूनके अनुच्छेद दो में ऐसे सात प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है जिनके कारण कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएँ नहीं प्राप्त कर सकता है। ये सात प्रतिबंध हैं–

1. राष्ट्रीय सुरक्षा विदेश नीति एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से रिश्ते को प्रभावित करने वाली सूचनाएँ।
2. केन्द्रीय वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति अथवा विदेशी विनियम नीति के दायरे में आने वाली सूचनाएँ।
3. निरानी, नियंत्रण और जांच पड़ताल के सम्बद्ध में की जा रही सार्वजनिक प्राधिकरणों की गतिविधियों की जानकारियाँ।
4. अपराध रोकने या अपराधी को दण्डित करने के लिए गोपनीय रखी जाने वाली जरूरी सूचनाएँ।
5. राज्य अथवा जनसमुदाय के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए गुप्त रखी गई सूचनाएँ।
6. व्यक्ति की निष्ठा अथवा उसकी आर्थिक दशा की रक्षा के लिए जरूरी जानकारियाँ।
7. जानवरों और वनस्पतियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सूचनाएँ।

अर्थात् इन सात चीजों की रक्षा के लिए स्वीडन सरकार आवश्यक समझती है कि इनसे संबंधित जानकारियों को गुप्त रखा जाये। इन सात के अलावा स्वीडन का प्रत्येक नागरिक सरकारी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कानून का अनुच्छेद तीन सरकारी दस्तावेज शब्द की व्याख्या भी करता है। इस व्याख्या के अनुसार सरकार अथवा इसके किसी प्राधिकरण के पास मौजूद लिखित शब्द, यित्र सभी तरह के वे रिकॉर्डर्स जिहें पढ़ा सुना अथवा देखा जा सकता है, दस्तावेज माना जाएगा।

किसी सरकारी अधिकारी को अधिकारी के तौर पर व्यक्तिगत रूप से सूचित तथ्य भी इसी दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। (अनुच्छेद 4, 5, 6, 7) जिन सात मामलों को स्वीडन का संविधान गोपनीय रखने का पक्षधर है उसकी भी कुछ सीमाएँ हैं। 1980 में स्वीडन का गोपनीय कानून बना, जिसमें 1986 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किये गए। इस कानून के

125 Adhikar An International Refereed Research Journal, Yr-8 Vol. IV, April 2018 ISSN 2231-2552

अनुसारे ऐसे मामलों की गोपनीयता बनाये रखने की अधिकतम अवधि दस से चालीस वर्ष बाद "सरकारी दस्तावेज़" की श्रेणी में रखने यानि सार्वजनिक करने का प्रावधान है। यदि किसी नागरिक को सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हों अथवा इस संदर्भ ने उसे गलत या देर से सूचना दी गयी हों। तो वह इस मामले में न्याय पाने के लिए स्वीडिश ओम्बुडसमैन या द चांसलर ऑफ जस्टिस अथवा सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के समक्ष अपील कर सकता है। सूचनाओं को छिपाने अथवा सही सूचना न देने का आरोप सिद्ध होने की स्थिति में संबंधित सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर दण्ड का भागीदार होगा। जब सरकारी मामलों में पारदर्शिता का सवाल उठा तब स्वीडन के कुछ, लोगों ने निजी जीवन के मामलों को भी पारदर्शी बनाने के बकालत शुरू कर दी। दरअसल स्वीडन में वहाँ के नागरिकों से संबंधित कुछ, महत्वपूर्ण जानकारियों को सरकार के स्तर पर संग्रह कर सुरक्षित रखने की परम्परा रही है। इन जानकारियों में व्यक्ति द्वारा अदा किये जाने वाले करों, लिये गये ऋणों संबंधित जानकारियों उसके द्वारा हुए अपराधों से लेकर वैवाहिक स्थिति जैसी ढेरों चीजों का लेखा जोखा शामिल है। वहाँ के हर नागरिक को सरकार दस अंकों वाला एक नम्बर देती है। इस नम्बर की शुरुआत व्यक्ति की जन्म तिथि वाले नम्बर से होती है। यदि यह नम्बर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जायें तो वह हर व्यक्ति के निजी जीवन में झांक सकता है। इस प्रावधान के विरुद्ध स्वीडन के कई सम्मानित नागरिकों ने नब्बे के दशक में आवाज उठायी थी। आज भी वहाँ अक्सर यह बहस चलती रहती है कि किसी के निजी जीवन को किस हद तक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।^५ बहरहाल स्वीडन में ही नहीं बल्कि तीन अन्य स्कैन्डिनेवियन देशों में भी वहाँ के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है ये देश हैं— फिनलैण्ड, डेनमार्क, नार्वे।

फिनलैण्ड, डेनमार्क और नार्वे— फिनलैण्ड उन्नीसवीं शताब्दी का स्वीडन का अभिन्न अंग था। शायद इसीलिए स्वीडन की खुलेपन वाली परम्परा को बहुत हद तक फिनलैण्ड ने स्वीकृति प्रदान की थी। बावजूद इसके वहाँ के नागरिकों को सूचना का अधिकार अथवा सरकारी दस्तावेजों को प्राप्त करने का अधिकार 1951 में तब मिला जब फिनलैण्ड ने "लॉ ऑन द पब्लिक करेक्टर ऑफ ऑफिसियल डॉक्यूमेंट्स" नामक कानून बनाया। डेनमार्क और नार्वे तो और भी पीछे रहे। यूं तो डेनमार्क ने 1964 में ही सूचना देने वाला कानून बना दिया था लेकिन यह कानून एक सामान्य कानून के बतौर 1970 में संविधान का अंग बन गया। नार्वे भी 1970 में ही अपने नागरिकों को सरकारी दस्तावेज मुहैया कराने वाला कानून बना सका। कनाडा के कार्लहन विश्वविद्यालय के राजनीतिशास्त्र विभाग के पूर्व प्रोफेसर डोनल्ड सी रोबे ने इन चारों स्कैन्डिनेवियाई देशों के सूचना अधिकारों के प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। उनके अध्ययन के अनुसार स्वीडन की तुलना में इन तीनों देशों के कानूनी प्रावधान अपेक्षाकृत लचीला है। स्वीडन का कानून वहाँ की संसद (रिक्सडॉग) द्वारा पारित फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट का अंग है, जिसमें कोई संशोधन वहाँ की निर्वाचित संसद ही कर सकती है जबकि फिनलैण्ड, डेनमार्क, नार्वे के कानूनों को यह दर्जा प्राप्त नहीं है, इसमें संशोधन साधारण प्रक्रिया के जरिए भी संभव है। स्वीडन और फिनलैण्ड के कानूनों में यह प्रावधान है कि वहाँ के प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण विभिन्न तरह की सूचनाएं देने के लिए बाध्य हैं। जबकि ऐसा डेनमार्क और नार्वे में नहीं है। वहाँ के नागरिक सिर्फ उन्हीं सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं जिनके बारे में उन्हें एक हद तक पहले से ही जानकारी है। इसके कानून में लिखा है कि सूचना मांगने वाले व्यक्ति को अपनी मांग में इस सरकारी दस्तावेज का स्पष्टतः उल्लेख करना होगा, जिसमें उसे वह सूचना प्राप्त हो सकती है। कौनसी सूचना किस दस्तावेज में उपलब्ध है इसकी जानकारी देने के लिए सरकारी प्राधिकरण बाध्य नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि सूचना मांगने से पहले व्यक्ति विशेष को उस खास चीज के बारे में पूरी जानकारी रखने और देने की जिम्मेदारी वहाँ के सरकारी प्राधिकरणों अथवा सरकारी मशीनरी की है। आमतौर पर वहाँ के आम नागरिक और पत्रकार ओम्बुडसमैन के पास जाते हैं जब कि उद्योग समूहों के लोग न्यायालय के पास। संविधान के मुताबिक इन देशों में आंम्बुडसमैन का निर्णय बाध्यकारी नहीं है। कुल मिलाकर पारदर्शिता की दृष्टि से स्वीडन का "फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट" और लॉ ऑफ पब्लिक करेक्टर ऑफ ऑफिसियल डॉक्यूमेंट्स अन्य तीन स्कैन्डिनेवियाई देशों की तुलना में ज्यादा प्रभावी और जन पक्षधर माना जा सकता है।^६

संयुक्त राज्य अमेरिका— सरकारी तंत्र में पारदर्शिता की दृष्टि से कई अन्य देशों के मुकाबले अमेरिका आगे रहा है। वहाँ प्रशासनिक स्तर पर 1946 में ही ऐसे कई प्रावधान कर दिये गए थे जिनके आधार पर सरकारी दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती थी यह बात अलग है कि ऐसी जानकारी देने का अधिकार वहाँ के सिर्फ मुख्य

कार्यकारी अधिकारी (चीफ एकिजक्यूटिव) को ही प्राप्त था। इस अधिकार की अनेक सीमाएँ थीं। द्वितीय विश्वयुद्ध के दरम्यान तो पारदर्शिता नाम की चीज़ पूरी तरह समाप्त हो गयी थी। फांसीबाद के विरुद्ध संघर्ष का इतना बोलबाला था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोई अमरीकी अधिकारी सरकारी सूचनाएँ देने का साहस नहीं कर सकता था। इस अफरातफरी वाले दौरे ने पारदर्शिता की अमरीकी अवधारणा को छिन्न मिन्न कर दिया था। हर स्तर पर गोपनीयता बनाये रखना प्रत्येक अमरीकी नागरिक का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया था।

धीरे-धीरे युद्धकालीन परिस्थितियां समाप्त हुई और अमरीकी संविधान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन के कारण की 1966 का "फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन एक्ट" अस्तित्व में आया। अमरीकी राष्ट्रपति जॉनसन की उदासीनता के बावजूद अमरीकी कांग्रेस ने यह कानून पारित कर दिया था। इस एक्ट के द्वारा अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की।¹ हर नागरिक सरकारी दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हो गया। स्वीडन की तरह इस अमरीकी कानून में भी कुछ खास क्षेत्रों की सूचनाओं को "फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन एक्ट" के दायरे से बाहर रखा गया। इन प्रतिबंधित प्रावधानों में ऐसी कई विरोधाभास चीजें थीं जिनके आधार पर प्रशासनिक अधिकारी कानून की अलग व्याख्या करने लगे। मामले अदालत में पहुंचना शुरू हो गये। इसको ही ध्यान में रखकर 1974 में अमरीकी कांग्रेस ने 1966 के इस कानून में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए। इसी वर्ष कांग्रेस ने सूचना के अधिकार से संबंधित "प्राइवेसी एक्ट" भी पारित किया। 1974 के संशोधनों के अनुसार निम्नलिखित नीं क्षेत्रों को सूचना की स्वतंत्रता कानून के दायरे से बाहर रखा गया—

1. राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति संबंधी वे सूचनाएँ, जिन्हें गोपनीय रखने के लिए सरकारी स्तर पर आदेश जारी किये गये हों।
2. किसी ऐजेन्सी के आंतरिक कार्मिक मामलों और व्यवहारों से संबंधित सूचनाएँ।
3. कानून द्वारा विशेष तौर पर गोपनीय रखी जाने वाली सूचनाएँ।
4. व्यापार, वाणिज्य और वित्त संबंधी गोपनीय सूचनाएँ।
5. किसी ऐजेन्सी की आंतरिक अथवा दो ऐजेन्सियों में परस्पर पत्र व्यवहार के जरिए दो या ऐसी सूचनाएँ, जिन्हें उजागर करने का आदेश न्यायालय ने न दिया हो।
6. वैयक्तिक गोपनीयता भंग करने वाली सूचनाएँ, जिनमें कार्मिक और स्वास्थ्य जैसी सभी सूचनाएँ शामिल हैं।
7. कानून को लागू करने की दृष्टि से जांच पड़ताल के जरिए एकत्र रिकॉर्ड में रखी गयी सूचनायें।
8. वित्तीय संस्थाओं पर निगरानी रखने अथवा उसको नियंत्रित करने वाली ऐजेन्सियों द्वारा जुटायी गयी सूचनाएँ।
9. भू-वैज्ञानिक अथवा भूगोलिक सूचनाएँ।²

कोई अधिकारी यह तर्क नहीं दे सकता है कि आमुक सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है। अमरीकी कांग्रेस ने सामान्य नियम बना दिया था कि कितने लोगों ने सूचनाओं की मांग की और कितने लोगों को सूचनाएँ प्रदान की गयी। इसका वार्षिक लेखा जोखा भी सरकार प्रस्तुत करते थे। अमरीका ने 85 से लेकर 90 प्रतिशत सूचनाएँ मुहैया कराने का रिकॉर्ड कायम किया है। ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है जिन्होंने सूचना मार्गी हो और उन्हें न मिली हो।

पश्चिमी यूरोप – स्कैन्डिनेवियाई देशों के अलावा पश्चिमी यूरोप के तीन अन्य देशों ने भी स्तर के दशक में सूचना के अधिकार पर पहल की ये देश हैं—ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नीदरलैण्डस। ऑस्ट्रिया की संसद ने 1973 में प्रशासनिक स्तर पर सरकारी सूचनाएँ प्रदान करने संबंधी प्रावधान किये जबकि फ्रांस और नीदरलैण्ड ने 1978 में अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला एक सम्पूर्ण कानून निर्मित किया।

ऑस्ट्रिया – ऑस्ट्रिया में "फैडरल मिनिस्ट्रिज एक्ट" नाम का कानून पहले से मौजूद था। 1973 में ऑस्ट्रिया की संसद ने इस कानून में दो अन्य उपबंधों को शामिल किया। ये दोनों उपबंध जनता का प्रशासनिक सूचनाएँ मुहैया करने की वकालत करते हैं और इसका दायित्व मंत्रीमण्डल को संभालते हैं। पहला उपबंध कहता है, "प्रत्येक मंत्री का दायित्व है कि लोगों की मांग पर वह उन्हें सूचनाएँ उपलब्ध कराये।" दूसरे उपबंध के मुताबिक मंत्री का यह भी दायित्व है कि वह गारंटी प्रदान करे उसके अधीन कार्यरत प्राधिकरणों के अधिकारीगण ऐसी सूचनाएँ देने के लिए बाध्य रहें। यह सच है कि 1973 में जब ये प्रावधान अस्तित्व में आये थे तब ऑस्ट्रिया में सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से रखने के कोई तंत्र

127 Adhikar An International Refereed Research Journal, Yr-8 Vol. IV, April 2018 ISSN 2231-2552

विकसित नहीं हुआ था और न ही ये प्रावधान ऐसे किसी तंत्र के विकास को बाध्यकारी बनाते थे। बावजूद इसके उस ऑस्ट्रिया में, जहाँ पारदर्शिता नाम मात्र थी, 1973 के इन उपबंधों के माध्यम से एक नयी शुरुआत हुई। सूचना प्राप्त करने संबंधी ढेरों मामले धीरे-धीरे ऑस्ट्रिया के प्रशासनिक न्यायालयों में रिकॉर्ड तैयार करने और लोगों की मांग पर उन्हें देने के लिए बाध्य हैं। ऑस्ट्रिया सरकार को इस सन्दर्भ में निर्णय लेना पड़ा। सीमित अर्थों में ही सही, ऑस्ट्रिया के नागरिक सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। सरकार की ओर से वहाँ कानून बनाने की अब पहल भी हो चुकी है।¹⁹

फ्रांस – दुनिया के जिन कुछ देशों में लम्बे समय से लोकतांत्रिक परम्पराओं का अस्तित्व रहा है उनमें एक फ्रांस भी है। फ्रांस का संविधान विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का न सिर्फ पक्षाधर है बल्कि वह इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखता है। 1789 की सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण नारा मानवाधिकारों की रक्षा करना भी था, जिसमें प्रेस की स्वतन्त्रता शामिल थी। शायद यही वजह है कि जब फ्रांस का संविधान निर्मित हो रहा था तब संविधान निर्माताओं ने उसकी स्वतन्त्रता में प्रेस की स्वतन्त्रता का उल्लेख करना उचित समझा। बावजूद इसके एक आमधारणा रही है कि यूरोप के कई देशों और अमेरिका की तुलना में फ्रांस का प्रेस सरकार के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख अित्तियार करता रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी के आखिर में फ्रांसीसी सेना के कमांडरों ने अल्फ्रेड ड्रीफस नाम के एक सज्जन व्यक्ति पर देशद्रोह को झूठा आरोप लगाकर आइसलैण्ड की जेल (जिसे शैतानों की जेल कहा जाता था) में कैद कर रखा था। फ्रांस के सुप्रसिद्ध लेखक एमिल जोला ने जब सेना के इस कुकूत्य के खिलाफ लेख लिखा, तब फ्रांस का सूचना प्रेस सेना की वाहवाही में जुटा था। फ्रांसीसी प्रेस के बारे में स्थापित इन आम धारणाओं को सत्य साबित करने के लिए ऐसे अन्य कई तथ्य दिये जाते रहे हैं। बीसवीं शताब्दी का फ्रांसीसी प्रेस इस बीमारी से मुक्त हो गया था। वहाँ का समाजवादी आंदोलन लोकतांत्रिक परम्पराओं को स्थापित करने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हुआ और तंत्र की पारदर्शिता का सवाल फ्रांस की समूची राज्य मशीनरी का अभिन्न अंग बन गया। समय-समय पर बने तमाम आयोगों की संस्तुतियों और फ्रांस की लोकतांत्रिक परम्पराओं के आधार पर वहाँ जो कानूनी प्रावधान किये गये हैं वे सूचना की स्वतन्त्रता के हिसायती हैं। स्वीडन, अमेरिका और अन्य देशों की तरह कुछ एक अपवादों को छोड़कर तकरीबन हर तरह की सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार अब फ्रांस के प्रत्येक नागरिक को भी हासिल है। सूचना न देने वाले अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में अपील का भी प्रावधान है। फ्रांसीसी कानून के उपबन्ध कुल मिलाकर तंत्र की पारदर्शिता की विकालत करते हैं।

नीदरलैण्ड – फ्रांस की तरह नीदरलैण्ड में भी सूचना के अधिकार पर कानून बनाने की प्रक्रिया सत्तर के दशक में प्रारंभ हुई। इसके पहले अधिकारियों की इच्छानुसार सरकारी सूचनाएं गुप्त अथवा सार्वजनिक हो सकती थीं। 1970 में जब एक सरकारी आयोग ने तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया तब नीदरलैण्ड की सरकार ने कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की। इस आयोग ने सूचना का अधिकार देने वाला एक मॉडल विधेयक भी प्रस्तुत किया था। इसी विधेयक को आधार बनाकर 1975 में सरकार ने एक नये विधेयक का मसीदा प्रस्तुत किया। यह मसौदा न सिर्फ नीदरलैण्ड की संसद के समक्ष रखा गया बल्कि राय प्राप्त करने के लिए इसे देश की अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं और कानून विशेषज्ञों को भी भेजा गया। निचले सदन ने इस विधेयक को फरवरी 1977 में ही पारित कर दिया था। लेकिन अचानक सरकार गिर जाने के कारण ऊपरी सदन द्वारा विधेयक को मंजूरी न मिल सकी। 1978 में जब नयी सरकार बनी तक यह विधेयक पास हो सका। इस तरह “ओपननेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट” नाम का यह विधेयक नवम्बर 1978 में नीदरलैण्ड के कानून का अभिन्न अंग बन गया।

नीदरलैण्ड के कानून में जिन क्षेत्रों को सूचना के अधिकारी की सीमा के बाहर रखा गया है वह क्षेत्र अन्य देशों के कानून की तुलना में काफी व्यापक हैं। इनमें ऐसी सूचनाएं जो ‘सत्ताशीर्ष’ और राज्य की सुरक्षा को आधार बनाकर कई महत्वपूर्ण सूचनाओं को आसानी से छिपा लेने का काम कोई भी सरकारी अधिकारी कर सकता है। इसके विपरीत नीदरलैण्ड के कुछ कानून का अपेक्षाकृत एक सख्त पहलू भी है। कानून के मुताबिक सूचना से वंचित किया जाने वाला व्यक्ति अपने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है। इस न्यायालय के न्यायाधीश कानून की व्याख्या करने के लिए रस्ता है। उनकी व्याख्या को ही यह कानून अंतिम मानता है। नीदरलैण्ड का कानून कहता है कि समय-समय पर सरकार कानून के लागू होने की पूरी स्थिति की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करेगी। साथ ही हर पौँच वर्ष के बाद नीदरलैण्ड के नागरिकों कानून विशेषज्ञों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं एवं व्यक्तियों के एकत्र कर सरकार एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी।

और संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इन प्रावधानों के चलते पिछले बीस वर्षों के दौरान नीदरलैण्ड के कानून में सूचना का अधिकार की दृष्टि से काफी सकारात्मक सुधार हुए हैं।¹⁰

कनाडा – कनाडा एक संघीय स्वरूप वाला देश है। उसके प्रान्तों को काफी हद तक स्वायत्तता प्राप्त है। उनका अपना प्रशासनिक ढांचा है और उसी ढांचे से ये प्रान्त नियंत्रित एवं संचालित होते हैं। सूचना की स्वतन्त्रता के मामले में ये प्रान्त कनाडा की संघीय सरकार के मुकाबले कई दृष्टियों से आगे रहे। नोवा स्काटिया कनाडा का एक ऐसा ही प्रान्त है जिससे सबसे पहले 1977 में सूचना की स्वतन्त्रता का अधिकार देने वाला “फ्रीडम ऑफ इन्फोर्मेशन एक्ट” बना दिया था। यही नहीं उसने वैयक्तिक गोपनीयता का कानून बनाकर अपने प्रान्त के लोगों को “पर्सनल फाइल्स” की गोपनीयता बनाये रखने का अधिकार भी दे दिया था। नोवा स्कॉटिया के “फ्रीडम ऑफ इन्फोर्मेशन एक्ट” का सर्वाधिक दिलचस्प पहलू यह है कि इस कानून में सिर्फ सूचना के अधिकार की सीमा से बाहर रखे गये क्षेत्रों को ही नहीं बल्कि इसकी सीमा में आने वाले क्षेत्रों की भी विस्तृत सूची दी गयी। इन दोनों सूचियों को लेकर जब काफी विवाद उठने लगे तब विधेयक में एक प्रावधान जोड़ा गया कि विवाद की स्थिति में “गुप्त रखे गये क्षेत्रों की सूची को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इस सूची में कुछ ऐसी सूचनाएँ भी शामिल कर ली गयी थीं, जिन्हें गोपनीय रखने की परम्परा नहीं थी। प्रान्त के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इसे मुद्दा बना दिया और तब नोवा स्कॉटिया सरकार ने अपने प्रस्तुत विधेयक में संशोधन कर उन सूचनाओं को सार्वजनिक माना जो परम्परागत रूप से सभी को पहले से ही मिलती रही है।

कनाडा के ‘एक्सेस टू इन्फोर्मेशन एक्ट’ के मुताबिक सरकार द्वारा संचालित सभी विभागों के रिकॉर्ड्स में रखी गयी सूचनाएँ आम नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। जिन सीमित सूचनाओं को सरकार गुप्त चाहती है उनका स्पष्ट उल्लेख सरकार को करना होगा। हर तरह के प्रत्यक्ष ज्ञापन, किताबें योजनाएँ, नक्से, ड्राईग, चित्र अथवा ग्राफिक, फ़िल्म, माइक्रो फ़िल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, वीडियो ट्रेप, कम्प्यूटर में रखी गयी सामग्री और अन्य सभी तरह की दस्तावेज नुमा सामग्री को यह कानून सरकारी रिकॉर्ड्स की श्रेणी में रखता है। कानून में प्रावधान है कि हर मंत्री अपने संबंधित विभाग की समूची जानकारी वर्ष में एक बार अवश्य प्रकाशित करेगा, किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गयी सूचनाएँ तीस दिन के भीतर अवश्य दे दी जाएंगी।¹¹

न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका एवं कुछ अन्य देश – न्यूजीलैण्ड ने सूचना का अधिकार देने वाला कानून तो नहीं बनाया है लेकिन 1982 में अपने सरकारी गोपनीयता कानून (ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट) के प्रावधानों को उदार बनाकर उसने सूचना प्राप्त करने के अधिकार को सुनिश्चित किया। इस कानून के मुताबिक, न्यूजीलैण्ड का कोई भी व्यक्ति सरकारी सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए ऑम्बुडसमैन की सहायता ले सकता है। यदि सरकार किसी सूचना को लोकहित में गोपनीय मानती है तो उसे संसद को उसका स्पष्ट तर्कयुक्त कारण बताना पड़ता है। यदि संसद ने सरकार द्वारा बताये गये कारणों को उद्यित मान लिया तो वह सूचना गोपनीयता की श्रेणी में पहुंच जाएगी और उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा। इस लिहाज से देखें तो सीमित अर्थों में ही सही न्यूजीलैण्ड की सरकार सूचना के अधिकार का समर्थन करती है।

ऑस्ट्रेलिया – ऑस्ट्रेलिया के प्रशासनिक तंत्र में लम्बे समय तक गोपनीयता का बोलबाला रहा है। खुलेपन और पारदर्शिता की बात वहाँ 1972 में तब जोर पकड़ी जब नयी लेबर सरकार ने इसकी पहल की। 1972 में ही सरकार ने सूचना की स्वतन्त्रता को लेकर उठ रहे नाना प्रकार के सवालों पर एक राय बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया। 1972 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति ने अमरीका की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी एक “फ्रीडम ऑफ इन्फोर्मेशन एक्ट” बनाने का सुझाव दिया था। लेबर सरकार ने सत्ताच्युत हो जाने के कारण उसके द्वारा की गयी पहल पर कुछ दिनों के लिए अवश्य विराम लग गया था लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने जल्द ही इसकी पहल शुरू कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के कई राज्यों ने 1976 में संसदीय ऑम्बुडसमैन का पद सृजित किया था। 1976 में ही एक और समिति बनायी जिसका मुख्य काम 1972 में बनायी गयी समिति के सुझावों की रोशनी में आगे का कार्यभार सुझाना था। समिति ने जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसमें सूचना का अधिकार देने वाले कानून की जरूरत पर जोर दिया गया था। समिति के प्रस्तावों के आधार पर जून 1978 में ऑस्ट्रेलिया की कॉमनवेल्थ सरकार ने “फ्रीडम ऑफ इन्फोर्मेशन विधेयक” तैयार किया। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया सरकार में प्रशासनिक सुधारों के उद्देश्य से बनाये गये “रॉयल कमीशन” की रिपोर्ट भी आ गयी। इस रिपोर्ट में आयोग के सदस्यों के अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने

वाला एक परिशिष्ठ भी था जो आयोग के आयुक्त पॉल मुनरो की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें मैं भी सूचना की स्वतन्त्रता की जबरदस्त वकालत की गयी थी। 1982 के इस कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां पैदा हुईं। शायद इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आस्ट्रेलियाई सरकार की ओर से गवर्नर जनरल ने 1989 में 'फ्रीडम ऑफ इन्फोर्मेशन अध्यादेश' में सूचना की स्वतन्त्रता से संबंधित सारे पहलुओं की विस्तृत चर्चा की गयी है। गवर्नर जनरल द्वारा जारी किये गये इस अध्यादेश में कुल आठ भाग हैं। पहले भाग में सरकारी दस्तावेजों के प्रकाशन तथा उन्हें प्राप्त करने संबंधी प्रावधानों की विस्तृत व्यवस्था है। चौथे और पांचवें भाग में उन चीजों का वर्णन किया गया है जिन्हें इस अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया है। छठे भाग में विभिन्न प्रांतों के ऑम्बुड्समैन की भूमिका पर चर्चा की गयी है जब कि सातवें में निर्णयों के पुनर्निरीक्षण के तौर पर तीरीकों एवं अन्य छोटे मामलों पर अध्यादेश के आठवें भाग में टिप्पणी की गयी है। इस अध्यादेश के आ जाने के बाद आस्ट्रेलिया के सभी राज्यों में सूचना की स्वतन्त्रता देने वाला कानून अब दैनिक व्यवहार का हिस्सा बन गया है।

ब्रिटेन – ब्रिटेन दुनिया का सम्भवतः अकेला ऐसा देश है जहाँ पारदर्शिता बनाम गोपनीयता की बहस लम्बे समय तक चली मगर उसका परिणाम अस्सी के दशक के आखिर में तब निकला जब सरकार ने विवादास्पद सरकारी गोपनीय कानून (1911) के अनुच्छेद 2 को 1989 में बदल दिया। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि जो लोकतंत्रवादी विपक्ष में रहते थे वे जानने के अधिकार की वकालत करते थे और जब वही सत्ता में पहुंच जाते थे तो इसको नकारते हुए सूचनाओं को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानने लगते थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि निरंकुश ब्रिटिश हुक्मत ने एक जमाने में विश्व स्तर पर जिस तंत्र को स्थापित किया था उसका एक मुख्य स्तम्भ गोपनीयता थी। यूं तो ब्रिटेन के जिस सरकारी गोपनीयता कानून (1911) को पारदर्शिता के समाप्त करने वाला सर्वाधिक खतरनाक हथियार माना जाता है, उसमें 1920 और 1939 में कई संशोधन हुए थे लेकिन कुल मिला कर ये संशोधन महज दिखावटी थे। संशोधन के बाद भी इस कानून का अनुच्छेद (2) यही कहता था कि किसी भी प्रकार की सरकारी सूचना सार्वजनिक करने वाला व्यक्ति दण्ड का भागीदार होगा। यह बात दीगर है कि इस अनुच्छेद के उल्लंघन के आरोप में किसी सरकारी अधिकारी पर मुकदमा चलाया गया हो।¹²

निकर्ष – वर्तमान में विश्व के 193 देश ऐसे हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यता प्रदान करता है। जिनमें से तकरीबन 85 देशों में सूचना के अधिकार के कानून बन गए हैं व 30 देशों में इस विषय पर कानून बनाने की चर्चा चल रही है। जिन देशों में सूचना का अधिकार देने वाला कानून निर्मित हुआ है उसके लिए भी वहाँ के नागरिकों को लगातार संघर्ष करना पड़ा है। समूची बीसवीं शताब्दी ऐसे संघर्षों की गाथा से भरी पड़ी है। जिन देशों में कानून बना है उसके खुद के अनुभवों को लेकर चर्चाएं पहले भी बनी हुई थीं और आज भी हो रही हैं। विश्व के अधिकांश राजनीतिक चिंतकों ने लोकतंत्र की दृष्टि से इन अनुभवों को सकारात्मक माना है।

संदर्भ

- 1 वर्मा, श्रीराम, राजनीति विज्ञान के मूलाधार, कॉलेज बुक सेन्टर, जयपुर, 1999, पृ. 2
- 2 कटारिया, सुरेन्द्र, तुलनात्मक लोकप्रशासन, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर 2000, पृ. 10-11
- 3 अच्यर, बी.आर. कृष्ण, 'फ्रीडम ऑफ इन्फोर्मेशन, ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ, 1990, पृ. 31
- 4 संपादक परीक्षा मंथन, परीक्षा मंथन (राज व्यवस्था विशेषाङ्क), मंथन प्रकाशन, इलाहाबाद
- 5 चतुर्वेदी, टी. एन., सीक्रेसी इन गवर्नमेंट, आई.आई.पी.ए. प्रकाशन, नई दिल्ली, 1980, पृ. 81
- 6 चतुर्वेदी, टी. एन., सीक्रेसी इन गवर्नमेंट, आई.आई.पी.ए. प्रकाशन, नई दिल्ली, 1980, पृ. 82
- 7 एम. लक्ष्मीकांत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टाटा मैक्युहिल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 23
- 8 लिंक न्यूज वीकली, 21 जनवरी 1990, नई दिल्ली
- 9 चतुर्वेदी, टी. एन., सीक्रेसी इन गवर्नमेंट, आई.आई.पी.ए. प्रकाशन, नई दिल्ली, 1980, पृ. 84
- 10 वर्मा, श्रीराम, राजनीति विज्ञान के मूलाधार, कॉलेज बुक सेन्टर, जयपुर, 1999, पृ. 6
- 11 कनाडा पर्लियामेंट, ज्याइंट कमेटी ऑन रेग्यूलेशन्स एण्ड अदर स्टेट्यूटरी इन्स्ट्रैमेंट्स, मिनिट्स ऑफ प्रोसिडिंग्स एण्ड एविडेन्स, अक 34, जून 1978
- 12 ड्रेवरी, गोविन्द, ओपननेस एण्ड सीक्रेसी इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, आई.आई.पी.ए. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1980, पृ. 18

● ● ● ● ●